अष्टम माला, खंड 46; अंक 8

गुरुवार, 2 मार्च, 1989

11 फाल्गुन, 1910 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

No. 60
Date 5/3/90

(खंड 46 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रमाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 46, तेरहवां सत्र, 1989/1910 (शक)

अंक 8, गुरुवार, 2 मार्च 1989/11 फाल्गुन, 1910 (शक)

विषय			पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख			1
प्रश्नों के मौखिक उत्तरः			
	*तारांकित प्रश्न संख्या :	122, 123, 127 और 129 से 132	2—19
प्रश्नों के लिखित उत्तरः			
	तारांकित प्रश्न संख्या :	121, 124 से 126, 128 और 133 से 140	19—28
	अतारांकित प्रश्न संख्या :	1156 से 1204 और 1206 से 1306	28—147
सभा-पटल पर रखे गए पत्र			149—155
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति			155
	52वां प्रतिवेदन		
कार्य-मंत्रणा समिति			155
	66वां प्रतिवेदन		
नियम 377 के अधीन मामले			156—159
	(एक)	ऋण मेलों के माध्यम से जनता को ऋण देने में बैंकों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किए जाने की मांग	
		श्री अख्तर हसन	156
	(दो)	जोकाडिहा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा सरकार को वित्तीय सहायता दिये जाने की मांग	
		श्री अनादि चरण दास	156
	(तीन)	गोआ राज्य के लिए पृथक राज्य संवर्ग बनाए जाने की मांग	
		श्री शांताराम नायक	156

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(चार) पहाड़ी स्थानों तथा अधिक ऊंचाई पर स्थित तीर्थ-स्थलों के लिए अधिक पर्यटकों को आकर्षित किए जाने के लिए वहां बिजली की नियमित आपूर्ति तथा अच्छी आवास सुविधा सुनिश्चित किए जाने की मांग	
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	157
(पांच) आंध्र प्रदेश के दंगापीड़ित लोगों को तत्काल वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग	
प्रो॰ एन॰ जी॰ रंगा	157
(छः) बिहार में जनता में साम्प्रदायिक घृणा फैलाने वाले लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने की मांग	
श्री कृष्ण प्रताप सिंह	158
(सात) चितूर और नैदूपेट के बीच तिरुपति होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 और 5 जोड़े जाने की मांग	
श्रीमती एन॰पी॰ झांसी लक्ष्मी	158
(आठ) बिहार के गोपालगंज जिले में आसपास के क्षेत्रों के औद्योगिक कर्मकारों तथा श्रमिकों के लाभ के लिए एक कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल खोले जाने की मांग	
श्री काली परसाद पांडेय	158
(नौ) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा इस कारखाने के पुनरुद्धार के लिए भेजी गई योजना को मंजूरी दिए जाने की मांग	
श्री बसुदेव आचार्य	159
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	159-227
श्री सोमनाथ चटर्जी	160
श्री बालकवि बैरागी	169
श्री विजय कुमार यादव	172
श्री जय प्रकाश अग्रवाल	175
श्री पीयूष तिरकी	177
श्री चिरंजी लाल शर्मा	179
श्री चरनजीत सिंह वालिया	182
श्री राम नारायण सिंह	184
श्री अमर रायप्रधान	187
श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू	189
श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक	194

विषय	पृष्ठ

श्री के॰ मोहनदास	196
श्री जी॰एस॰ बासवराजू	197
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया	199
श्री पी॰एम॰ सईद	202
डा॰ दत्ता सामंत	205
श्री राम नगीना मिश्र	208
श्री के॰ रामचन्द्र रेड्डी	212
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी	217
श्री बी॰एन॰ रेड्डी	222
श्री वी॰एस॰ कृष्ण अय्यर	222
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	224
श्री समर ब्रहम् चौधरी	225
श्री वी॰ शोभनाद्रीश्वर राव	226

लोक सभा

गुरुवार, 2 मार्च, 1989/11 फाल्गुन, 1910 (शक)

लोक सभा 11 बजे म०पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिंदी]

अध्यक्ष महोदय: प्रोफेसर साहब नमस्कार। देर से आदमी मिलता है तो प्यार उमड़ ही पड़ता है, मैं क्या कर सकता हूं।

***श्री इब्राहीम सुलेमान सेट:** स्पीकर साहब, एक शेर याद आ रहा है।

''जो हम। ही न होगें तो क्या रंगें महफिल,

किसे देखकर आप शरमाइएगा''

* شری ابراھیم سلیمان سیٹھ : اسپیکر صاحب - ایک شعر یاد آ رہا ہے -

" جو ہم ہی نہ ہوں گے تو کیا رنگ محفل

کسے دیکھ کر آپ شرمائیے گا - -----"

अध्यक्ष महोदय: बजा फरमाया। बैरागी जी आप भी कुछ बोलिए।

श्री बालकवि बैरागी: वो उधर उदास, हम इधर उदास, उदासियां टूटी, मुबारक हो आपको।

[अनुवाद]

11.01 म० पू०

निधन सम्बंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय: बड़े दुख के साथ मुझे सभा को यह सूचित करना है कि श्री वसन्त राव पाटिल का निधन हो गया है। वह वसन्त दादा पाटिल के नाम से जाने जाते थे। श्री पाटिल 1980-83 में महाराष्ट्र के सांगली निर्वाचन क्षेत्र से सातवीं लोक सभा के सदस्य रहे। इससे पहले 1952-67 और 1972-77 में वह महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य रहे। वह 1978-79 में महाराष्ट्र विधान परिषद के भी सदस्य रहे।

श्री पाटिल एक पुराने स्वतन्त्रता सेनानी थे और उन्होंने अनेक वर्ष जेल में बिताये। वे एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे और उन्हे 1965 में पदम् भूषण से सम्मानित किया गया था। महाराष्ट्र सरकार में 1972-76 में वह सिचाई मंत्री रहे और बाद में प्रभावशाली ढंग से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। श्री पाटिल 1985-87 के दौरान राजस्थान के राज्यपाल भी रहे।

व्यवसाय से कृषक, श्री पाटिल भूमिहीनों के पक्षधर थे। उन्होने महाराष्ट्र में सहकारिता आन्दोलन की जड़ें मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

श्री वसन्तराव पाटिल का निधन 71 वर्ष की आयु में 1 मार्च, 1989 को बम्बई में हुआ। अपने इस मित्र के निधन पर हमें गहरा दुख है और मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवार के लिए संवेदना व्यक्त करने में सभा मुझे सहयोग देगी।

अब सभा अपना दुख व्यक्त करने के लिए थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी।

(तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

प्रतिबन्धित कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग

*122. **डा० जी० विजय रामा राव:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अनेक ऐसी कीट्नाशक दवाइयों का उपयोग किया जा रहा है जिन पर अन्य देशों में प्रतिबंध लगा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो भारत में इनके निरन्तर प्रयोग के क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार ऐसी अनेक कीटनाशक दवाइयों को पंजीकरण न करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव): (क) कुल कीटनाशी दवाइयां जिन पर कुछ देशों में रोक लगा दी गई है, भारत में प्रयोग में लाई जा रही है।

(ख) कीटनाशी दवा अधिनियम, 1968 के अंतर्गत पंजीकृत कीटनाशी दवाइयों को ही भारत में इस्तेमाल की अनुमति दी जाती है। ऐसा पंजीकरण तभी किया जाता जब इस अधिनियम के अधीन गठित पंजीकरण समिति उसके विचारार्थ प्रस्तुत संगत आंकड़ों के आधार पर इस बात से संतुष्ट हो जाये कि कीटनाशी दवा सुरक्षित और प्रभावी है। लेकिन, इनका उपयोग जारी रखने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—सुरक्षित और सस्ते विकल्पोंका उपलब्ध न होना, भारतीय कलाइमेट में कीटनाशी दवाओं का असर शीघ्र समाप्त होना और उपयोग का संस्तुत तरीका।

(ग) पंजीकरण समिति कीटनाशी दवाओं को तभी पंजीकृत करती है जब वह उनकी कीटनाशी क्षमता और सुरक्षा के बारे में संतुष्ट हो।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

डा० जी० विजय रामा राव: सम्पूर्ण विश्व में किये गये हाल ही के अध्ययन से यह पता लगता है कि खेतों में प्रयोग किये जा रहे 90 प्रतिशत रसायन, लाभ की बजाये हानि ज्यादा पहुंचाते हैं और 90 प्रतिशत कीटनाशकों का उपयोग अनावश्यक है — इस वास्तविकता को हमारे देश की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने कभी भी स्वीकार नहीं किया है। हाल ही में अधिकांश विकसित और विकासशील देशों ने बी०एच०सी०, डी०सी०सी०पी०, डी०डी०टी०, ई०डी०पी०, पी०सी०पी०, एल्ड्रिम, पाराकर्ट, इथाइल पाराथीन, क्लोरिडिन और कम्पकोर कलोरिडिन जैसी दर्जन भर कीटनाशक दवाइयों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन रसायनों की विषाक्तता को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय भविष्य के लिए हमारे देश में इन सभी रसायनों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा देंगे?

श्री श्याम लाल यादव: जैसा कि मैंने अपने उत्तर में कहा है, पंजीकरण समिति, इन कीटनाशकों के प्रयोग के बारे में सन्तुष्ट होने के बाद ही इन कीटनाशकों को पंजीकृत करती है। हमारे देश से बाहर प्रतिबन्धित कुछ कीटनाशकों का उपयोग डा० बनर्जी की अध्यक्षता में नियुक्त की गई पंजीकरण समिति से प्रमाणीकरण के बाद ही किया जा रहा है। उस समिति ने कई सिफारिशें की हैं। सरकार ने उनमे से कुछ सिफारिशों को स्वीकृत कर लिया है और कुछ सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। हम सदैव इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि केवल उन्हीं कीटनाशकों का उपयोग किया जाये जो लोगों के लिए हानिकारक नहीं हैं। अतः जब तक यह निर्णय नहीं लिया जाता कि हमारे पास कुछ सस्ते विकल्प उपलब्ध हैं, तब तक वर्तमान स्थिति में इन रसायनों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता।

डा० जी० विजय रामा राव: गत वर्ष के दौरान कपास की फसलों में अमरीकी बोलवोर्म के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड ने लगभग 110 टन मेथोमिल, ट्रिजोफोस और पेनप्रापथ्रिन का आयात किया था। आंध्र प्रदेश में 30 कपास उत्पादक किसानों की मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री एन० टी० रामाराव के एक आपात्कालीन अनुरोध के उत्तर में यह कार्य किया गया था। इस संदर्भ में मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या पंजीकरण समिति द्वारा इन रसायनों को पहले अस्वीकृत किया गया था? इसके अतिरिक्त, हाल ही का अनुभव यह है कि अमरीकी बोलवोर्म को नियंत्रित करने में ये रसायन प्रभावशाली नहीं थे; यदि हां, तो 110 टन रसायनों को आयातित करने का क्या कारण है? कपास की फसलों में अमरीकी बोलवोर्म कीट को नियंत्रित करने का क्या उपाय है?

श्री श्याम लाल यादव: इन कीटनाशकों का आयात राज्य सरकार द्वारा बताई गई तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया गया था, और उन्हें आजमाया गया था। परंतु यदि वे प्रभावशाली नहीं हैं तो अन्य कीटनाशकों का उपयोग किया जायेगा और इन कीटनाशकों के प्रतिकूल प्रभावों की जांच की गई थी इसीलिये हमने उनके और अधिक आयात की अनुमति नहीं दी है।

श्रीमती बसवराजेश्वरी: क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि कर्नाटक में भारी पैमाने पर डी०सी०एच०-4 जैसे 2-3 करोड़ रुपये की कीमत के कपास के नकली बीज किसानों को बेचे गये हैं? फसलों की विफलता के कारण कर्नाटक के किसानों को इससे भारी असुविधा हुई है।

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न कीटनाशकों से संबंधित है, बीजों से नहीं।

श्रीमती बसवराजेश्वरी: यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है और किसानों को भारी असुविधा हुई है। इन बीजों से हजारों किसान प्रभावित हुये हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह मुद्दा अगले प्रश्न में उठाया जा रहा है।

श्रीमती बसवराजेश्वरी: मैं यह जानती हूं। परंतु इसके महत्व के कारण मैंने सोचा कि मैं इस मुद्दे को सरकार के ध्यान में लाऊंगी।

अध्यक्ष महोदय: किसी अन्य तरीके से, नियमों का उल्लंघन न करते हुए।

प्रो० एन० जी० रंगा: मुझे खुशी है कि इस प्रश्न और पूरक प्रश्नों को पूछा गया है। आपने स्वयं इस प्रथा की निन्दा की थी और यह आवश्यकता अनुभव की थी कि सरकार इन व्यक्तियों से समाज के शत्रुओं जैसा व्यवहार करे। इस बात का क्या कारण है कि विशेषज्ञ समिति द्वारा इन कुछ कीटनाशको के प्रयोग के विरुद्ध कुछ सिफारिशें प्रस्तुत करने के बाद भी सरकार ने उनकी कुछ सिफारिशों को स्वीकार करना और कुछ अन्य सिफारिशों के बारे में विचार न करना उचित समझा है। क्योंकि न तो हम लोग विशेषज्ञ हैं और न ही मंत्री महोदय, कष्ट किसान भोग रहे हैं और उनकी कुछ शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं और इनके बारे में विशेषज्ञ समिति ने विचार किया है अतः क्या मैं यह सुझाव दे सकता हूं कि उन्हें उनकी सिफारिशों पर कुछ विचार करना चाहिए और अपने विवेक का उपयोग करने के बजाय उन सिफारिशों को स्वीकार कर लेना चाहिए?

श्री श्याम लाल यादव: महोदय, विशेषज्ञ समिति ने चार रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं और यदि मुझे प्रत्येक कीटनाशक उदाहरणतया डी०डी०टी० के बारे में विस्तृत ब्यौरा देने की अनुमति दी जाती है तो मैं यह कहूंगा कि उस रिपोर्ट पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और मुझे आशा है कि शीघ्र ही इस बारे में निर्णय लिया जायेगा। बी०एच०सी० के बारे में सरकार ने उनकी सिफारिशों को स्वीकार किया है और वर्तमान स्थिति में उनकी मुख्य सिफारिश इसके उपयोग को रोकने के बारे में है। हमें इसे रोकना चाहिए। अन्य सात अथवा आठ कीटनाशकों के बारे में जुलाई, 1987 और

दिसम्बर, 1988 में रिपोर्टें प्राप्त की गई थी सरकार द्वारा इन रिपोर्टों पर विचार किया जा रहा है और मुझे आशा है कि हम शीघ्र ही इस बारे में निर्णय लेंगे।

श्री भद्रेश्वर तांती: निश्चित रूप से यह एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। असम के चाय बागानों में कुछ प्रतिबंधित कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है और ये कीटनाशक मनुष्यों के लिए बहुत हानिकारक हैं। इस बारे में निर्देश दिये गये हैं कि इन कीटनाशकों को छिड़कने वाले व्यक्तियों को चश्मों, दस्तानों, जूतों आदि कुछ वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। परंतु उन श्रमिकों को कभी भी ये वस्तुयें उपलब्ध नहीं कराई गई जो इन्हें छिड़कते हैं। क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि जब उद्योगपतियों द्वारा इन कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है तो उनका क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है और इन कीटनाशकों को छिड़कने वाले श्रमिकों के लिए इन वस्तुओं को उपलब्ध न कराने के बारे में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

श्री श्याम लाल यादव: यह आशा की जाती है कि चाय बागानों के मालिक इन कीटनाशकों को छिड़कने वाले व्यक्तियों को पर्याप्त संरक्षण प्रदान करेंगे और यदि इस बारे में कोई शिकायत की जाती है तो हम उसकी जांच करेंगे।

श्री दिनेश गोस्वामी: एक शिकायत है।

अध्यक्ष महोदय: श्री विजय राघवन।

एक माननीय सदस्य: एक अन्तिम प्रश्न।

अध्यक्ष महोदय: यह अन्तिम प्रश्न था। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक समय-सीमा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न।

[हिन्दी]

चौधरी साहब, इससे पहले कि आप अगले क्वेश्चन का जवाब दें, इतनी बात मैं जरूर ऐड करना चाहता हूं कि आप जरा कन्ट्रोल सख्त करिये, जो चीज बनाते हैं, सही बनायें, वह सही जाये। आप जरा इसको पूरी तरह चैक करवाइये।

[अनुवाद]

"कल्याणी" नामक धान के बीज का विकास

*123. **श्री वी॰ एस॰ विजयराघवन:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 60 दिन के अन्दर पक कर तैयार हो जाने वाली धान की किस्म "कल्याणी" को उड़ीसा और केरल में बोना शुरू किया गया था;

(ख) क्या धान की इस किस्म का विकास केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक, उड़ीसा में किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) जी हां। एक जल्द तैयार होने वाली धान की किस्म कल्याणी-(II) की संख्या सी॰ आर॰ - 666-36-4 के तहत उड़ीसा, केरल में जांच की गई थी लेकिन अंतिम मूल्यांकन के बाद इसे उड़ीसा, असम और मध्य प्रदेश की ऊंची भूमि और बाढ़ के बाद वाली स्थितियों में अपनाए जाने की सिफारिश की गई।

(ख) जी हां।

(ग) कल्याणी-(II) एक बहुत ही जल्दी पकने वाली किस्म है जो लगभग 60 दिनों में तैयार हो जाती है। यह लम्बे, भारी दाने वाली किस्म है जिसके धान की औसत पैदावार 2.5 से 3.0 टन प्रति हैक्टेयर है।

[अनुवाद]

श्री वी॰ एस॰ विजयराघवन: महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि केरल में किस क्षेत्र में कल्याणी बीज का परीक्षण किया गया था और इसका क्या परिणाम रहा?

[हिन्दी]

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, ये प्रदेशवाइज आंकड़े मेरे पास हैं अगर इनको चाहिए तो मैं दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप टेबल पर रख दीजिए।

श्री भजन लाल: जी हां, अध्यक्ष महोदय, मैं इसको टेबल पर रखवा देता हूं क्योंकि यह काफी लम्बी है।

केरल का अगर आपको चाहिए कि कितने हैक्टेयर में किया, तो मैं आपको बता देता हूं, कौन से ऐरिया में किया है, यह तो आइडेंटीफाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपको प्रदेशवाइज चाहिए तो, मैं आपको बता देता हूं, केरल में 17.8 मि॰ हैक्टेयर में 1984-85 में किया और इसका उत्पादन प्रति हैक्टेयर 17.29 क्विंटल हुआ। इनको डिटेल चाहिए तो इसको टेबल पर रखवा देता हूं, ये बाद में देख सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री वी॰ एस॰ विजयराघवन: महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या जल्दी पकने वाली तथा केरल के लिए उपयुक्त किसी अन्य बीज की किस्म का इस समय परीक्षण चल रहा है यदि हां, तो इसका विस्तृत विवरण दें।

[हिन्दी]

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इसमें इन्होंने जो सवाल पूछा है कि 60 दिन में कौन सी किस्म धान की है, जो पकती है, खासकर कल्याणी के बारे में पूछा है तो मैं कहना चाहता हूं कि कटक में बाकायदा इसकी रिसर्च करके सीड तैयार किया गया है और सीड रिलीज किया गया है। यह खासकर उस एरिया में बोई जाती है जहां बाढ़ आती है और पानी सूखता है, इसको वहां बो दिया जाता है, जितने दिन नमी रहे, उसमें यह पक कर तैयार हो जाती है क्योंकि दूसरा पानी तो वहां नहीं दिया जाएगा। इसी तरह से जहां जमीन ऊंची है जिस में पानी की कमी रहती है, उसमें कल्याणी बोई जाती है।

90 दिन से 120 दिन के बीच में जो पकती है, ऐसी बहुत सी किस्में हैं और इनका मैं जिक्र करूं तो 312 किस्में धान की, हमारे आई॰ सी॰ ए॰ आर॰ ने रिलीज कीं और पूरे मुल्क में उनका सीड बोया जाता है। 282 किस्में ऐसी हैं जिनको अलग-अलग, प्रदेशवाइज दिया जाता है। 60 दिन से 120 दिन तक की वैरायटी रिसर्च की गई हैं और अलग-अलग उनकी यील्ड है। अगर तफतीश जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बता सकता हूं सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी आई॰ आर॰ 50 है, जिसकी यील्ड 70 से 75 क्विंटल प्रति हैक्टेयर है।

डा० कृपा सिंधु भोई: माननीय अध्यक्ष जी, मैं मान्यवर कृषि विशेषज्ञ विद्वान मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ये जो जगन्नाथ जी के देश, कटक में, कल्याणी किस्म का धान रिसर्च करके निकाला गया है, मंत्री जी ने बोला है कि यह फ्लड इफैक्टेड एरिया में होता है लेकिन यह ड्राउट इफैक्टेड एरिया में भी 70 दिन में होता है। मैं पूछना चाहूंगा कि नेशनल सैंसिंग सैटेलाइट रिसर्च एजेन्सी, हैदराबाद से अपने कृषि मंत्रालय से पैसा डिपाजिट करके क्या अनुज्ञान कराएंगे ताकि जो हमारा विशेष किस्म का ज्योलाजिकल सर्वेक्षण है उसमें देश में किन-किन जगहों पर कल्याणी किस्म का धान ज्यादा बोया जा सकता है यह पता लगे ताकि हमारा समय भी बचे और दूसरी फसल भी कर पाएं।

श्री भजन लाल: माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है। कल्याणी वैराइटी का सीड इसीलिए तैयार किया गया है कि जहां पानी की कमी होती है, उस एरिया में बोया जा सके। जहां बाढ़ आ जाती है, या जमीन का लैवल एक जैसा नहीं होता है जहां ढलान होता है, पानी रुकता नहीं है, उस जमीन में यह बोया जाता है। ऐसी जगह के लिए ही यह सीड तैयार किया गया है।

दूसरे इन्होंने कहा कि कौन सी जगह बोया जा सकता है, तो जहां पानी की कमी होती है वहां इसे बोते हैं और यह वहां पर पूरी तरह से कामयाब है। लेकिन दूसरों के मुकाबले में पैदावार कम होती है।

डा० कृपा सिन्धु भोई: इसीलिए मैंने कहा कि डिफरैन्ट एरिया डिमार्केट कर दें कि यहां यहां कल्याणी फसल हो सकती है ताकि किसान को मालूम हो जाए कि उन्हीं एरियाज़ में यह बोया जा सकता है।

श्री भजन लाल: हम बाकायदा इसके बारे में सर्वे करने जा रहे हैं, वह हम बताएंगे और इसके बारे में एक पैम्फलेट छपवाकर तैयार किया है कि कौनसी वैराइटी कौन से प्रदेश में सूटेबल है। यह हम माननीय सदस्यों को भी दे देंगे, ताकि इसकी जानकारी हो जाए।

अध्यक्ष महोदय: श्री मिश्रा जी, पी० के०।

श्री बालकवि बैरागी: अध्यक्ष महोदय, इनका नाम प्रभात कुमार है और आप बोलते हैं पी० के०। कल ही एक सदस्य के बारे में कहा गया था कि वह पी के चला रहे थे और ये तो पीते ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: हमको बाहर का नशा थोड़े ही है, लेकिन हमको भी अन्तरात्मा का नशा है।

डा० प्रभात कुमार मिश्र: आप जब पी० के० कहते हैं तो मैं तो निश्चित ही नार्मल रहता हूं लेकिन मंत्री महोदय के जबाब से जरूर मुझे नशा हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय: यह बात कही है।

डा० प्रभात कुमार मिश्र: मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह 60 दिन में पकने वाला धान जो है, यह उस स्थान पर लगाया जाता है जहां पर नमी कम होती है और सूखे की स्थिति होती है। मैं जानना चाहता हूं कि 60 दिन में धान पकने के बाद उस जमीन में नमी कम होने की वजह से किसान उस जमीन का क्या उपयोग साल भर तक करेगा और किसान को अपने जीने का कौनसा उपाय करना होगा? क्या उन्होंने उस जमीन के लिए किसी और क्राप की योजना बनाई है जिससे सूखे की स्थिति में भी वह उस जमीन की बदौलत सालभर तक जीवित रह सके?

श्री भजन लाल: कुछ वैराइटीज़ और भी हैं। जब थोड़ी नमी जमीन में बाकी रह जाती है

तो उसमें वह तोरिया और मूंगा तैयार कर सकता है वह भी 60 दिन का सीड हमने तैयार किया है वह भी बोया जा सकता है।

दक्षेस शिखर सम्मेलन

*127. **श्रीमती मनोरमा सिंह:**

श्री एस० डी० सिंह:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल में सम्पन्न हुए "दक्षेस" शिखर सम्मेलन में किन-किन मामलों में मतैक्य हुआ;

(ख) इन मामलों के संबंध में कब तक कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) मादक पदार्थों का व्यापार रोकने के लिए सदस्य देशों ने क्या नीति अपनायी है और इसके परिणाम कब तक निकलने की संभावना है?

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह): (क) से (ग) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

इस्लामाबाद में 25 से 31 दिसम्बर, 1988 तक सम्पन्न चौथे सार्क शिखर सम्मेलन में राज्याध्यक्षों और शासनाध्यक्षों ने सदस्य देशों के बीच सहयोग से संबंधित बहुत से मामलों पर बातचीत की। इसके परिणामतः सर्वसम्मति से जो मुख्य निर्णय लिए गये वे इस प्रकार हैं:-

1. शिक्षा को सहयोग के एक क्षेत्र के रूप में सम्मलित किया गया और इस क्षेत्र में एक कार्य योजना तैयार करने के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया गया।

2. व्यापार, विनिर्मितियों और सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग की ऐसी विशिष्ट परियोजनाओं का पता लगाया जाएगा जिन पर तत्काल अमल किया जा सकता हो।

3. भेषज द्रव्य के दुरूपयोग और भेषज द्रव्य के अवैध व्यापार को रोकने के लिए 1989 को सार्क वर्ष घोषित किया गया। सदस्य देश भेषज द्रव्यों के दुरुपयोग तथा भेषज द्रव्यों के अवैध व्यापार को समाप्त करने की दिशा में अपने प्रयासों को और अधिक तेज करने के लिए अपने-अपने देशों की स्थिति में अनुकूल एक ठोस अभियान चलाएंगे।

4. भेषज द्रव्य नियंत्रण से सम्बद्ध एक क्षेत्रीय-अभिसमय सम्पन्न करने की सम्भावना का पता लगाया जाएगा।

5. 1990 को सार्क बालिका वर्ष घोषित किया गया।

6. दक्षिण ऐशियाई महोत्सव समय-समय पर आयोजित किए जाएंगे। भारत इस प्रकार के प्रथम महोत्सव की मेजबानी करेगा।

7. सदस्य देशों के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा संसद सदस्य एक दूसरे के देश की वीजा के बिना यात्रा कर सकेंगे।

8. "सार्क 2000, प्राथमिक आवश्यकताएं—एक दृष्टिकोण" नामक क्षेत्रीय योजना तैयार की जाएगी। प्रत्येक सदस्य राज्य खाद्य, वस्त्र, आवास, शिक्षा, प्राथमिक चिकित्सा, जनसंख्या

नियोजन तथा पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लक्ष्य तय करेगा जो इस शताब्दी के अन्त तक प्राप्त करने होंगे। इन सबको एक क्षेत्रीय सापेक्ष योजना का एकीकृत रूप दिया जाएगा।

9. मानव संसाधन विकास केन्द्र की स्थापना के संबंध में एक प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

10. सार्क ने पर्यावरण तथा प्राकृतिक आपदाओं पर जो व्यापक अध्ययन शुरू कर रखा है उसे कम से कम समय में पूरा किया जाएगा। "ग्रीन हाउस इफेक्ट" तथा इस क्षेत्र में उसके प्रभाव के संबंध में एक संयुक्त अध्ययन किया जाएगा।

11. सार्क श्रव्य-दृश्य आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत सामाजिक आर्थिक तथा तकनीकी विषयों पर बल दिया जाएगा।

12. इन निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से कार्रवाई पहले से ही की जा रही है।

13. भेषज-द्रव्य गैर-कानूनी व्यापार को रोकने के लिए अपनाई गई नीति में खुफिया सूचना को एक दूसरे को देना, विशेषज्ञता और अनुभव को परस्पर बांटने तथा अधिक प्रभावी कानूनों को लागू करना शामिल है। भेषज द्रव्य के दुरुपयोग और भेषज द्रव्य के गैरकानूनी व्यापार को रोकने से सम्बद्ध सार्क तकनीकी समिति द्वारा समय-समय पर तत्कालीन स्थिति के अनुरूप नीति का निर्धारण किया जाता है।

[हिन्दी]

श्रीमती मनोरमा सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि कौन कौन से ऐसे नये क्षेत्र हैं जिसमें सार्क देशों ने टेक्निकल कमेटी स्थापित की है?

श्री के॰ नटवर सिंह: एक तो शिक्षा के बारे में टेक्निकल कमेटी बनायी गई है और बंगला देश इसका अध्यक्ष होगा। साथ में तिजारत के बारे में एक ग्रुप बनाया गया है जिस की कोलंबो में मार्च 20 और 21 को मीटिंग हो रही है। एक ड्रग्स के लिये भी बनायी गई है जिस की मीटिंग अप्रैल में इस्लामाबाद में होगी। इसके अलावा एक अन्य कमेटी है जिसकी मीटिंग मई के महीने में मालद्वीप में हो रही है। इसके साथ ही एनवायरमेंट के बारे में स्टडी चल रही है और उसकी भी मीटिंग होगी।

श्रीमती मनोरमा सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि अभी तक जो विपत्तियां सार्क देशों में आई हैं—जैसे कि बंगला देश में भयंकर बाढ़ आई थी और हिन्दुस्तान में सूखा और बाढ़ दोनों आये थे, उसमें साऊथ एशियन फूड सिक्योरिटी रिजर्व की क्या भूमिका रही है?

श्री के॰ नटवर सिंह: महोदय, उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा भारतवर्ष का है। जहां तक मुझे याद है कि हमने दो लाख टन के करीब दिया है। इसके अलावा दूसरे देशों ने भी दिया है।

श्री राम स्वरूप राम: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि एजुकेशन के बारे में सार्क देशों की एक कमेटी बनी है इस बारे में मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि सार्क देशों के जो स्टूडेंटस हैं क्या उन्हें उन देशों में जाकर अध्ययन करने के लिये या रिसर्च करने के लिये आपने कोई समझौता किया है यदि हां, तो आप उन स्टूडेंट्स को क्या सहूलियतें देते हैं? इसके साथ ही क्या टूरिज्म को बेहतर बनाने के लिए सार्क देशों के बीच कोई बात हुई है?

श्री के॰ नटवर सिंह: इन सब पहलूओं पर बातचीत हुई है। मगर जो विशेष सवाल स्टूडेंट्स के बारे में किया गया है उसके बारे में मैं यह जानकारी देना चाहूंगा कि हम अभी तक वहां पहुचे

नहीं है । अगर कोई विद्यार्थी रिसर्च के लिये वहां जाना चाहता है तो उनकी दरख्वास्त पर अवश्य गौर किया जायेगा और जितनी भी उनकी मदद को जा सकेगी वह करने की कोशिश की जायेगी।

[अनुवाद]

श्री तम्पन थामसः महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय यह जानते हैं कि सार्क (एस० ए० ए० आर० सी०) देशों में राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन केन्द्रों की कोलम्बो में दो बार बैठक हुई और इसमें एक सार्क ट्रेड यूनियन परिषद् का गठन किया गया और उन्होंने सार्क के विभिन्न देशों से उन्हें सार्क ट्रेड यूनियन परिषद् के रूप में मान्यता देने के लिए कहा है तथा ट्रेड यूनियनों पर कानूनों के संबंध में परस्पर हितों के मामलों तथा श्रमिक वर्ग से संबंधित अन्य मामलों पर चर्चा करने के लिए कहा है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है कि वे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के स्तरों के अनुसार हों। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय इससे अवगत हैं और क्या हाल ही में इस्लामाबाद सम्मेलन में इन मामलों पर कोई चर्चा हुई थी।

श्री के० नटवर सिंहः महोदय, इसके लिए मुझे नोटिस दीजिए। वास्तव में मेरे पास इस बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन मैं सभा को बताना चाहूंगा कि सार्क की अध्यक्षपीठ, फैलोशिप, छात्रवृत्ति की एक योजना इस वर्ष शुरू की जानी है।

महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम को सहायता

*129. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमनः** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोट्टायम स्थित महात्मा गांधी विश्वविद्यालय को केन्द्र से सहायता प्राप्त करने के उपयुक्त घोषित किया है;

(ख) इस विश्वविद्यालय से विभिन्न परियोजनाओं के लिए अनुदान हेतु प्राप्त अनुरोधों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त विश्वविद्यालय को अब तक कितनी राशि का अनुदान मंजूर किया गया है और यह राशि किन-किन परियोजनाओं के लिए मंजूर की गई है तथा प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी राशि नियत की गई है; और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान विश्वविद्यालय को दी जाने वाली और सहायता का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही): (क) जी हाँ।

(ख) से (घ) विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए मांगे गये अनुदान अब तक अनुमोदित तथा दिए गए अनुदान तथा सातवीं योजना के अंत तक दिए जाने वाले बकाया अनुदान के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(रुपये लाखों में)

वे परियोजनाएं जिनके लिए अनुदान अपेक्षित है	मांगे गये अनुदान की राशि	वि० अ० आ० द्वारा अनुमोदित अनुदान	अब तक दिया गया अनुदान	अभी दिया जाने वाला अनुदान
1	2	3	4	5
विकास अनुदान				
1. पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाएं	44.50	20.00	20.00	—
2. उपस्कार	103.00	28.00	28.00	—
3. भवन	605.00	22.00	—	22.00
4. स्टाफ	40.00	5.00	—	5.00

विशेष सहायता

इसके अतिरिक्त, आयोग ने विश्वविद्यालयों को अपनी विशेष सहायता योजना के अंतर्गत इस विश्वविद्यालय को 5.50 लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया है।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन: महोदय, हमें दिए गए लिखित वक्तव्य से यह पता लगता है कि कोट्टायम में स्थित महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के लिए अनुमोदित की गई धनराशि 75.0 लाख रुपये है। मैं इतनी बड़ी धनराशि अनुमोदित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का धन्यवाद करता हूं यद्यपि केरल सरकार हमेशा यही शिकायत करती है कि इस विश्वविद्यालय की उपेक्षा की जा रही है। स्वयं विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा है कि एक नए विश्वविद्यालय को दी गई यह अब तक की सबसे ज्यादा धनराशि है। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। लेकिन केवल 48 लाख रुपये ही दिए गए हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि शेष धनराशि कब दी जाएगी।

श्री एल० पी० शाही: 48 लाख रुपये पहले ही दिए जा चुके हैं। 75.0 लाख रुपये में से शेष राशि दिए जाने की प्रक्रिया में है। उन्होंने अत्याधिक प्रस्तावों का एक मसौदा दिया है। यह बहुत बड़ा है और इसका अध्ययन किया जाना है। इस बारे में कोई आशंका नहीं होनी चाहिए, बाकि धनराशि भी दे दी जाएगी।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन: मैं भी जानता हूं यह धनराशि अनुमोदित हो चुकी है अतः कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि यह कब दी जाएगी। मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है। मैं जानना चाहता हूं कि यह अनुदान अनुमोदित होते समय क्या विश्वविद्यालय अथवा राज्य सरकार को कोई शर्त पूरी करनी होती है। यदि हां तो विश्वविद्यालय अथवा राज्य सरकार ने किस हद तक इन शर्तों को पूरा किया है?

श्री एल० पी० शाही: विश्वविद्यालय को मान्यता देने अथवा अनुदान प्राप्त करने के लिए इसकी अनिवार्यताएं काफी पहले निर्धारित की गई थीं। इस निर्धारण के समय भवन तथा अन्य बुनियादी आवश्यकताओं की लागत 23 लाख रुपये निर्धारित की गई थी। अब विद्यमान मूल्य वृद्धि को देखते हुए यह धनराशि इससे काफी अधिक होगी। विश्वविद्यालय को प्रायोजित करने वाली संस्था चाहे राज्य सरकार हो या कोई ट्रस्ट हो या ऐसा कोई अन्य संगठन हो, उसे प्रारंभिक शर्तें पूरी करनी

होती हैं। फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित अन्य शर्तें उपकुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया, कुलपति की शक्तियों तथा उपकुलपति की कार्य करने की परिस्थितियों के बारे में हैं। इनका अध्ययन किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि इस विश्वविद्यालय को मंजूरी दी जा चुकी है और इसे अनुदान प्राप्त करने के योग्य घोषित किया जा चुका है इसलिए मैं समझता हूं कि यह स्थिति पहले ही प्राप्त की जा चुकी है। यह तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथा संभव अनुदान उपलब्ध कराने का मामला है।

श्री ए॰ चार्ल्सः एक शिकायत यह है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों को दी गई विशाल धनराशि का उचित प्रकार से उपयोग नहीं होता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी रखी जाती है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई अनुदान राशि का उचित प्रकार उपयोग हो? कुछ त्रुटियां पाए जाने पर यह सुनिश्चित करने के लिए कौन से उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं कि अपने देय उद्देश्यों हेतु ही धनराशि का उपयोग हो?

श्री एल॰ पी॰ शाहीः विश्वविद्यालय और उनका प्रशासन विभिन्न प्रकार का है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन्हें कुछ अनुदान देता है। विश्वविद्यालय को उनके पास उपलब्ध नियत समय के अनुसार इस राशि का उपयोग करना होता है। लेकिन ऐसे अवसर आते हैं जब विश्वविद्यालय इस धनराशि का नियत समय में उपयोग नहीं कर पाते हैं और इस कारण आगे और अनुदान प्राप्त करने के अयोग्य हो जाते हैं। अतः अनुदान का उपयोग करना विश्वविद्यालय पर निर्भर करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस बारे में प्रत्येक विवरण नहीं देखता है। लेकिन निःसंदेह इसके लिए एक निगरानी कक्ष है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यह निगरानी इसलिए देखने के लिए की जाती है कि उन्हें दी गई अनुदान राशि उस विशेष उद्देश्य पर खर्च हो रही है या नहीं जिसके लिए इसे अनुमोदित किया गया था।

पाकिस्तान को अमरीका द्वारा सैनिक सहायता

*130. **श्री काली प्रसाद पांडेयः**
श्री कृष्ण सिंहः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने नई अमरीकी सरकार को यह बताने का प्रयास किया है कि विशेष रूप से अफगानिस्तान सोवियत सैनिकों की वापसी को देखते हुए अमरीकी सरकार पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने की अपनी नीति पर पुनर्विचार करे; और

(ख) यदि हां, तो अमरीकी प्रशासन ने इस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के॰ नटवर सिंह): (क) जी हां।

(ख) अमरीका सरकार के अधिकारियों ने संकेत दिया है कि अफगानिस्तान से सोवियत सैनिकों की वापसी के बाद भी पाकिस्तान को अमरीकी सैनिक सहायता की नीति में किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन की आशा नहीं की जा सकती।

[हिन्दी]

श्री काली प्रसाद पांडेय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी

से जानना चाहता हूं कि अमरीका द्वारा अपने वित्तीय बजट के अनुसार जहां 1140 लाख डालर भारत को दिए गए, वहीं इससे 6 गुने 6210 लाख डालर पाकिस्तान को सहायता के रूप में प्रदान किए गए, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न (क) के **आलोक** में जबाब दिया है कि मैंने अफगानिस्तान में सैनिकों की वापसी के तत्पश्चात् उत्पन्न स्थिति के बारे में अमरीकी सरकार को अवगत करा दिया है, मैं जानना चाहता हूं रेगन की जगह पर जार्ज बुश के आने के बाद या अभी माननीय प्रधान मंत्री जी पाकिस्तान के दौरे पर गए थे जहां बेनजीर भुट्टो से भी वार्ता हुई, तो क्या जार्ज बुश के आने के तत्पश्चात् आपने जो भी बातचीत की उसका अनुकूल उत्तर प्राप्त हुआ और आपको अहसास है कि इस सैनिक सहायता में कटौती होगी, कुछ कमी आयेगी?

श्री के० नटवर सिंह : जो सवाल माननीय सदस्य ने किया है वह सरकार के सामने भी है और सदन के सामने भी रहा है । यह जो मदद पाकिस्तान को दी जा रही है अरबों रुपए की और जो उन्हें असले दिए जा रहे हैं, उस के बारे में हमने कई बार उनके सामने यह बात उठाई है और मैं यह कह सकता हूं जब हमारे प्रधान मंत्री जी पाकिस्तान गए थे तो बातचीत हुई थी । हुकूमत की अमरीका के साथ भी इसके बारे में बात हुई, उन्होंने बताया, उनका कहना था अगर रूसी फौजें अफगानिस्तान से वापिस हो जाएंगी तो वहां के हालात सुधर जायेंगे और यह हमारी उम्मीद थी, आशा थी कि यह जो मदद दी जा रही है उसमें कमी आयेगी लेकिन उन्होंने हमें बता दिया है कि इसमें कोई कमी नहीं आयेगी । अभी चन्द रोज़ हुए जब विदेश मन्त्री, नरसिंह राव साहेब टोकियो गए उस समय और जब सार्क की मीटिंग हुई उस समय भी इस बारे में चर्चा हुई । मैं आपसे कहना चाहता हूं... **(व्यवधान)** जिस कदर यह मदद दी जा रही है, हम तो यह चाहते हैं कि हमारे चौतर्फा ताल्लुकात अच्छे हो, दोस्ताना हों, उसमें जो गर्माहट थी वह दूर हो। यही कोशिश हो रही है और हम चाहते हैं उसमें कोई ऐसी न चीज़ डाली जाए जिससे कि जो एक प्रोसेस शुरू हो गया है, उसको धक्का लगे।

श्री काली प्रसाद पांडेय : मेरा दूसरा प्रश्न यह है क्या माननीय मन्त्री जी को यह आशा है कि हम अपनी विदेश नीति के अनुकूल अमरीका से सम्बन्ध सुधारने में निकट भविष्य में कारगर साबित होंगे और अफगानिस्तान की जो समस्या है उसके निदान के लिए अमरीकी सम्बन्ध में और एक दूसरे की मदद के सम्बन्ध में अनुकूल प्रभाव पड़ेगा?

श्री के० नटवर सिंह : कोशिश बदस्तूर जारी है, हम चाहते हैं कि दोस्ती का वातावरण बने और जो तनाव है वह कम हो जायें। आप देखिए सारे संसार में एक नयी हवा चली है ज़िसमें तनाव कम किया जा रहा है। अफगानिस्तान के बारे में हमारे अमरीका से कुछ मतभेद हैं लेकिन हमारी कोशिश यह हो रही है कि उनका भी दृष्टिकोण वैसा हो जैसा हमारा है। लेकिन उनकी जो नीति बनी हुई है उस पर वे टिके हुए हैं। हमारी कोशिश तो यह हो रही है कि अफगानिस्तान में चैन अमन शांति हो और अगर हथियार दिये जायेंगे पड़ोसी मुल्कों को तो इसमें रुकावट जरूर आयेगी। मगर हमारी कोशिश यह है कि जब वहां से फौजें चली गई हैं, वातावरण बदल गया है इसलिए अब उन देशों को फौजी मदद की जरूरत नहीं है।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी: महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बदली हुई परिस्थिति में पाकिस्तान को हथियार देने के बारे में अमरीकी प्रशासन को व्यक्त की गई भारत सरकार की चिन्ता के बारे में बताया। लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने हमारे चिन्ता व्यक्त करने पर अमरीकी प्रशासन की प्रतिक्रिया के

बारे में सभा को जानकारी नहीं दी। क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि पाकिस्तान सरकार ने औपचारिक रूप से सरकारी तौर पर परमाणु अस्त्र बनाने की अपनी क्षमता की घोषणा की है? क्या सरकार इस तथ्य के प्रति भी जागरुक है कि पाकिस्तान सरकार ने अपनी विद्यमान मात्रा के अलावा 16 और एफ-16 लड़ाकू विमान देने का अनुरोध किया है। इन घटनाओं को देखते हुए भारत सरकार की नीति की प्रतिक्रिया क्या है?

श्री के॰ नटवर सिंह: जिस प्रश्न का मैंने उत्तर दिया है वह सोवियत सेनाओं की वापसी को देखते हुए पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने पर अमरीकी प्रशासन द्वारा अपनी नीति की समीक्षा करने से संबंधित है। मैंने कहा है कि सरकार ने यह मामला अमरीकी प्रशासन के साथ उठाया है और अमरीकी सरकार ने कहा है कि सेनाओं की वापसी के बाद भी पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य सहायता में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित आपका प्रश्न इस प्रश्न में निहित नहीं है। मैं वहां तक ही सीमित रहूंगा जितना कि पूछा गया है।

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी: मुद्दा यह है कि रूसी सरकार द्वारा सेनाओं को वापस बुलाने के बाद उन्होंने 16 F-16 विमानों की मांग की है। उनका अनुरोध अभी लम्बित पड़ा है। सोवियत सेनाओं की वापसी के बाद पाकिस्तान सरकार ने पहली बार सरकारी तौर पर यह घोषणा की कि वह आण्विक अस्त्र बनाने में सक्षम है। अतः मेरा प्रश्न प्रासंगिक है।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने कहा कि उनकी नीति पहले की तरह ही है। उन्होंने यही उत्तर दिया है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी: पहले अमरीकी राष्ट्रपति ने अमरीकी सिनेट को यह आश्वासन दिया था कि पाकिस्तान के पास आण्विक क्षमता नहीं है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी: प्रश्न यह है कि क्या यह सच है कि पाकिस्तान के पास आण्विक शक्ति की क्षमता है या नहीं।

विदेश मंत्री (श्री पी॰ वी॰ नरसिंह राव): प्रश्न काल के दौरान सम्पूर्ण स्थिति पर बोलना संभव नहीं है। जब मांगें आएंगी तब हम इन सभी बातों पर वाद-विवाद करेंगे। तब हम पूरी स्थिति प्रस्तुत कर सकेंगे।

श्री जी॰ जी॰ स्वैल: मेरा प्रश्न तो मंत्री महोदय के कथन से ही उत्पन्न हुआ है। आपने अफगानिस्तान पर कुछ टिप्पणियां की हैं। आपने कहा है कि आपकी अफगानिस्तान के बारे में धारणा अमरीकी धारणा से भिन्न है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या चीनी दैनिक समाचारपत्र में प्रकाशित यह समाचार सच है कि भारतीय विमान चालक विद्रोही, मुजाहिदीनों के खिलाफ अफगान विमान उड़ा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप या तो इसका खंडन करें या न करें। यह खबर प्रकाशित हुई है। क्या आपने इस समाचार को पढ़ा है?

श्री के॰ नटवर सिंह: जी हां, मैंने यह समाचार पढ़ा है। इसका उत्तर है, नहीं।

श्री जी॰ जी॰ स्वैल: मैं चाहता हूं कि 'नहीं' कहने के लिए आप इस सभा का उपयोग करें।

श्री के॰ नटवर सिंह: मैंने कहा, ''नहीं''।

अध्यक्ष महोदय: यही तो किया गया है।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय, अफगानिस्तान से जनेवा समझौते के मुताबिक सोवियत फौजों की वापसी के बाद भी अमेरिका और पाकिस्तान द्वारा जनेवा समझौते का उल्लघंन किया जा रहा है। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है और वहां पर जिस तरह की सरकार स्थापित करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं, उन से भारत के इन्ट्रेस्ट्स को काफी बड़ा खतरा है। भारत सरकार को तीखी प्रतिक्रिया पाकिस्तान और अमेरिका के बारे में जारी करनी चाहिए। अन्दरुनी तौर पर आप क्या खतो-किताबत कर रहे हैं, यह अलग बात है लेकिन हम लोग इस बारे में कुछ नहीं जानते। इतनी जबरदस्त हमारे खिलाफ साजिश चल रही है और खुद अफगानिस्तान की जनता के खिलाफ़ साजिश चल रही है। भारत सरकार की ओर से कुछ प्रतिक्रिया इस पर आनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

श्री के॰ नटवर सिंह: सरकार की नीति कई बार सदन में आप के सामने रखी गई है और अखबारों में बयान भी आए हैं और सवालों के जवाब दिये गये हैं। आज से नहीं बल्कि पिछले 8-10 साल से जो हमारी नीति है, वह देश के सामने ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के सामने आई है और इस बारे में कुछ भ्रम नहीं होना चाहिए।

जहां तक यह सवाल है कि जनेवा समझौता तोड़ा जा रहा है, तो उस के बारे में कहा गया है कि अगर जनेवा एकोर्ड के साथ वे नहीं चलेंगे, तो वहां अमन व शान्ति नहीं आएगी। मेरे ख्याल से सदन में मैंने जवाब दिये हैं, श्री नरसिंह राव ने जवाब दिये हैं और प्रधान मंत्री जी ने जवाब दिये हैं और भारत सरकार की नीति इस बारे में साफ है। आज ही दोपहर को अफगानिस्तान के विदेश मंत्री वकील साहब यहां आ रहे हैं बातचीत करने के लिए और वहां जो सूरतेहाल है आज तक, वह हमको पूरी तरह मालूम हो जाएगा और अगर हमको और कोई बयान देना पड़ेगा उनसे बातचीत करने के बाद, तो वह सदन में दिया जाएगा।

विदेशी विशिष्ट व्यक्तियों को उपहार

*131. **श्री राम पूजन पटेल:** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय द्वारा विदेशों से आने वाले विशिष्ट व्यक्तियों को उपहार देने पर वर्ष 1986 से 1988 तक, वर्षवार कितनी धनराशि खर्च की गई?

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के॰ नटवर सिंह): विदेशी अतिथियों को भेंट-उपहार देने में विदेश मंत्रालय ने जो धन खर्च किया उसका ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है:

वर्ष	राशि, रुपयों में
1986	8,38,978.00
1987	9,23,506.00
1988	16,92,209.00

[हिन्दी]

श्री राम पूजन पटेल: माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न तो बहुत आसान है और स्पष्ट भी है। क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि 1986 और 1987 में जितना खर्च किया गया था,

1988 में उसको बढ़ा दिया गया, वह करीब-करीब दुगुना हो गया है, जो हमारे देश के लोग बाहर जाते है और विदेश में जो वे उपहार पाते हैं वह देश की सम्पत्ति होती है या व्यक्तिगत सम्पत्ति होती है? यह मैं जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदयः यह तो लिखा हुआ है। कानून के हिसाब से वह कितना साथ में रख सकता है, कितना फालतू है।

[अनुवाद]

नियमों में यही लिखा है।

[हिन्दी]

श्री के० नटवर सिंहः जो आपने कहा यह दुरुस्त है। इसके कानून बने हुए हैं और पिछले 30-40 साल से बने हुए हैं।

अध्यक्ष महोदयः इसकी कापी भेज दीजिये।

श्री के० नटवर सिंहः जो रकम दी गयी है वह है कि तीन हजार से ज्यादा का तोहफा मिले तो वह तोशाखाना भेज दिया जाएगा।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालयों में त्रिभाषा फार्मूला

*132. **श्री एम० आर० सैकियाः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों में त्रिभाषा फार्मूला के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर किन भाषाओं को पढ़ाया जा रहा है;

(ख) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा इस संबंध में हाल में लागू किए गए संशोधनों के कारण संस्कृत के शिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और/अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन को इन संशोधनों के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की तत्संबंधी प्रतिक्रिया क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) (क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सभी केन्द्रीय विद्यालय कक्षा-1 से आगे हिन्दी तथा अंग्रेजी पढ़ाते है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिससे सभी केन्द्रीय विद्यालय सम्बद्ध हैं, ने माध्यमिक स्कूल परीक्षा के लिए हिन्दी, अंग्रेजी और एक आधुनिक भारतीय भाषा को निर्धारित किया है। संस्कृत को हिन्दी के साथ-साथ हिन्दी "ए" पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा, छात्र संस्कृत एक अतिरिक्त विषय सहित सात श्रेण्य तथा यूरोपीय भाषाओं में से एक को ले सकते हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित अध्ययन के पाठ्यक्रमों के अनुरूप करने के लिहाज़ से केन्द्रीय विद्यालय संगठन में विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्तरों पर भाषाओं के शिक्षण को निम्न प्रकार से पुनर्गठित किया है:—

(i) सभी केन्द्रीय विद्यालयों में कक्षा-I से X तक हिन्दी तथा अंग्रेजी को पहले की तरह से एक अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाया जाता रहेगा।

(ii) गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में उस राज्य की क्षेत्रीय भाषा को राज्य में स्थित सभी केन्द्रीय

विद्यालयों में कक्षा-I/II में तीसरी भाषा के रूप में शुरू किया गया है और यह कक्षा-X तक जारी रहेगा।

(iii) हिन्दी-भाषी राज्यों में क्षेत्र के लगभग 2/3 विद्यालयों में किसी एक दक्षिण भारतीय भाषा को पढ़ाना अपेक्षित होता है तथा बाकी के 1/3 विद्यालयों में कोई एक आधुनिक भारतीय भाषा अर्थात् गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगला, असमी, पंजाबी, सिन्धी तथा उर्दू पढ़ाना अपेक्षित होता है।

2. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सितम्बर, 1988 में माध्यमिक स्तर पर भाषाओं के अध्ययन की संशोधित योजना की घोषणा के पश्चात काफी लोगों ने अपनी यह आशंका व्यक्त की कि इस प्रबन्ध से स्कूलों में संस्कृत के अध्ययन में कमी आ जाएगी। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि इससे पहले सभी केन्द्रीय विद्यालयों में कक्षा V से IX तक संस्कृत को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जा रहा था। संस्कृत के महत्व को कम करने का कोई इरादा नहीं है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा भाषाओं के शिक्षण के लिए त्रिभाषा सूत्र के अनुरूप तैयार किए गए प्रबन्ध को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल कर लिया गया है।

3. अध्ययन की संशोधित योजना में, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक परीक्षा में भाग लेने वाले अधिसंख्य छात्रों द्वारा संस्कृत को हिन्दी "ए" पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाएगा। केन्द्रीय विद्यालयों में हिन्दी के एक भाग के रूप में संस्कृत का अध्ययन अब कक्षा-V से आरम्भ होगा। और कक्षा-X तक जारी रहेगा। अतः अब छात्र संस्कृत 6 वर्षों तक पढ़ेंगे और चूंकि यह बोर्ड की परीक्षा में परीक्षा-योग्य बन जाएगी। अतः इसे और अधिक गंम्भीरता से पढ़ा जाएगा।

श्री एम० आर० सैकिया: त्रिभाषा फॉर्मूले के अन्तर्गत हिन्दी, अंग्रेजी और संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित एक भाषा को पढ़ाया जा रहा है। संस्कृत भी अनुसूची की एक भाषा है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने संस्कृत को अनुसूची से निकाल कर हिन्दी के साथ जोड़ दिया है और इन दो भाषाओं को एक समझा जाता है। इस स्थिति में यह चार भाषा फॉर्मूला हो गया है। यदि कोई छात्र संस्कृत पढ़ना चाहता है तो वह ऐसा एक अतिरिक्त विषय के रूप में कर सकता है। इस प्रकार यह पाँच भाषा फॉर्मूला हो जायेगा और त्रिभाषा फॉर्मूला नहीं रहेगा।

इस संदर्भ में मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सितम्बर 1988 में त्रिभाषा फार्मूले के कार्यान्वयन से सम्बन्ध में एक परिपत्र जारी किया था? यदि हां, तो उसके अनुसार क्या परिवर्तन किये गये?

श्री एल॰ पी॰ शाही: जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने त्रिभाषा फॉर्मूला कुछ दिनों पहले ही शुरू किया है। यह सिर्फ नयी शिक्षा नीति में ही नहीं है बल्कि इससे पहले त्रिभाषा फॉर्मूला के कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने के लिए संसद ने भी निर्णय दिया था। माननीय सदस्य केवल यह पूछना चाहते हैं कि हम छात्रों को कितनी भाषायें अनिवार्य रूप से पढ़ायेंगे। अंग्रेजी और हिन्दी शुरू से पढ़ायी जाएगी और अब गैर हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी तथा हिन्दी बहुल क्षेत्र में एक क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई जाएगी। हिन्दी भाषी क्षेत्रों में एक दक्षिण भारतीय भाषा पढ़ायी जाएगी। इस प्रकार कक्षा 10 तक तीन भाषायें पढ़ायी जायेंगी। कक्षा-एक से कक्षा-दस तक दो भाषायें पढ़ायी जायेंगी लेकिन एक स्तर पर तीसरी भाषा शुरू की जाएगी। प्रश्न उठता है कि संस्कृत का क्या होगा? हिन्दी और संस्कृत समेत एक संयुक्त पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त संस्कृत भी पढ़ायी जा सकती है। अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा यूरोपियन भाषाओं के लिए भी व्यवस्था की गयी है। इसमें से

छात्र संस्कृत अथवा किसी अन्य भाषा का अतिरिक्त विषय के रूप में चयन कर सकते हैं। उस अतिरिक्त विषय के अंक दिये जायेंगे। उसे कक्षा दस तक पढ़ाया जायेगा। वर्तमान परिस्थितियों में इस फॉर्मूला को स्वीकार करने से पहले संस्कृत को कक्षा पाँच से नौ तक पढ़ाया जा रहा था। परन्तु संस्कृत की बोर्ड की परीक्षा आयोजित नहीं की जा रही थी। अब संस्कृत की बोर्ड की परीक्षा आयोजित की जायेगी और इसे पांच वर्षों के बजाए छः वर्षों तक संयुक्त पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जायेगा।

श्री एम० आर० सैकिया: महोदय, केन्द्रीय विद्यालयों में कुछ क्षेत्रीय भाषाओं को पढ़ाया जा रहा है परन्तु सभी क्षेत्रीय भाषाओं को नहीं पढ़ाया जा रहा है। मेरे विचार से केवल दो भाषायें पढ़ायी जा रही हैं। एक क्षेत्र में छात्र दो में से एक क्षेत्रीय भाषा का चयन कर सकते हैं। परन्तु बात यह है कि बच्चों को सरकारी कर्मचारियों के बच्चे समझा जाता है। उनका एक क्षेत्र के दूसरे क्षेत्र में तथा एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरण किया जाता है। उस स्थिति में यदि छात्र किसी एक क्षेत्रीय भाषा का चयन करते हैं और उनका एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अथवा एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरण कर दिया जाता है तो क्या नये स्थान पर नयी भाषा समझने में उन्हें कठिनाई नहीं होगी? उस स्थिति में वह उद्देश्य पूरा नहीं होगा जिसके लिए क्षेत्रीय भाषायें शुरू की गयी हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सभी केन्द्रीय विद्यालयों में सभी क्षेत्रीय भाषायें पढ़ायी जाएं। यदि ऐसा नहीं है तो विद्यमान स्थिति क्या है?

श्री एल० पी० शाही: मैं माननीय सदस्य की चिंता को समझता हूं। परन्तु प्रत्येक स्कूल में सभी क्षेत्रीय भाषायें पढ़ाने के लिए सीमित अध्यापक रखे जा सकते हैं। हमने यह व्यवस्था की है कि हिन्दी भाषी राज्यों में दो तिहाई स्कूलों में दक्षिण भारतीय भाषायें पढ़ायी जायेंगी और एक तिहाई स्कूलों में दक्षिण भारतीय भाषा के स्थान पर आधुनिक भारतीय भाषा पढ़ायी जायेगी। अब यह प्रश्न उठाया गया है। यदि संरक्षक का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानान्तरण कर दिया जाता है तो हमने यह व्यवस्था की है कि पूरे स्कूल में किसी विशेष भाषा के दस छात्र होने पर भी उसके अध्यापन की व्यवस्था की जायेगी। इस सीमा तक हमने व्यवस्था की है। यदि एक अथवा दो छात्र होते हैं तो हमने सभी मुख्याध्यापकों को निर्देश दिये हैं कि स्टाफ के उस व्यक्ति का पता लगाया जाए जो उस भाषा को जानता हो तथा उस एक छात्र की भी सहायता करनी चाहिए। यहीं तक हमने व्यवस्था की है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या सभा में व्यवस्था रखी जायेगी? मैं शान्ति चाहता हूं। यदि आप बातचीत करना चाहते हैं तो बाहर चले जायें।

[हिन्दी]

श्री रामनगीना मिश्र: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने कहा कि यह प्रावधान है कि कोई संस्कृत पढ़ सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज देश की स्थिति यह है कि सरकार की जो शिक्षा नीति है, इसके अनुसार 15-20 साल बाद संस्कृत का एक शब्द जानने वाला यहां नहीं रहेगा। संस्कृत हमारी पुरानी भाषा है, लेकिन शिक्षा नीति में संस्कृत को इस प्रकार रखा गया है कि कोई आदमी संस्कृत पढ़ना नहीं चाहता, संस्कृत पढ़ेगा तो भूखा मर जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा संविधान बनाया जाएगा जिससे कि संस्कृत की पढ़ाई जारी रहे। अगर यही नीति रही तो 15-20 साल बाद संस्कृत का नामो निशान नहीं रहेगा। आज देश की आवाज है, कई संसद-सदस्यों ने प्रधानमंत्री जी को भी लिखकर दिया है, संस्कृत की रक्षा होनी

चाहिए। पढ़ाई होनी चाहिए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या संस्कृत भाषा को जीवित रखा जाएगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैं सुन रहा हूं, ठीक बात कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूं। संस्कृत को बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, इसके बारे में आपको कुछ न कुछ सोचना चाहिए, माननीय सदस्य की बात ठीक है। इसके लिए एक मीटिंग करेंगे, वी मस्ट हैव टू डू समथिंग। यह सिर्फ संस्कृत की बात नहीं है, संस्कृति की बात है, कल्चर की बात है। इसके लिए कुछ इंसेटिव भी देना चाहिए, कंपीटीशंस में संस्कृत पढ़ने वालों को तरजीह देनी चाहिए। टीचर्स जो संस्कृत पढ़ाने वाले हैं, उनको भी नहीं हटाना चाहिए, पैसा लगता है तो लगने दीजिए, कल्चर की बात है।

[अनुवाद]

इसके सम्बन्ध में हमें कुछ करना है। मैं नहीं सोचता कि हम अपनी संस्कृति और विरासत भुला सकते हैं। मैं आपको यह बताता हूं। मुझे आपके अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। हमें उसके सम्बन्ध में कुछ करना है मुझे अनेक सदस्यों के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मैं आपसे भी बात करना चाहता हूं। आपको उनके साथ बैठक करनी चाहिए। मेरे विचार से आप मामले को निपटा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री एल० पी० शाही: माननीय सदस्य को ऐसा लगा मैंने जो कहा कि संस्कृत एडीशनल सबजेक्ट में पढ़ाई जायेगी उतना ही इन्होंने ध्यान दिया। उससे पहले मैंने कहा था कि संस्कृत हिन्दी के साथ कम्पोजिट कोर्स बनाकर फिफ्थ क्लास से लेकर टैन्थ क्लास तक पढ़ाई जायेगी। पहले परीक्षा नहीं होती थी, अब परीक्षा होगी, उसमें अंक मिलेंगे इसलिए ज्यादा मन से लोग पढ़ेंगे।

श्री उमाकान्त मिश्र: अध्यक्ष महोदय, संस्कृत की उपेक्षा के कारण देश में क्षोभ है। संस्कृत को माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम से हटाने की साजिश की जा रही है और त्रिभाषा सूत्र में भी संस्कृत को उचित स्थान नहीं दिया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि त्रिभाषा सूत्र में हिन्दी या अन्य क्षेत्रीय भाषा के साथ संस्कृत का सौ नम्बर का एक पर्चा पढ़ाया जाए और माध्यमिक शिक्षा में प्रारंभ से अंत तक संस्कृत को केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में वैकल्पिक विषय के रूप में स्थान दिया जाए। क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे।

श्री एल० पी० शाही: अध्यक्ष जी, नवोदय विद्यालय और केन्द्रीय विद्यालय दोनों ही सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन के अंदर ही हैं इसलिए उनके बीच में कोई मतभेद नहीं है, जैसा मैंने कहा एक ही तरह की पढ़ाई होगी।

[अनुवाद]

श्री पीयूष तिरकी: क्या सरकार संस्कृत और हिन्दी को अनिवार्य विषय बनाने और यूरोपीय भाषा के अलावा अंग्रेजी को अतिरिक्त भाषा बनाने के लिए विचार करेगी?

श्री एल० पी० शाही: सभा ने त्रिभाषा फॉर्मूला बनाया है......**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: हम इस पर विचार करेंगे।

(व्यवधान)

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव: क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि दक्षिण भारत में जो संस्थायें केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम अपना रही हैं उसके अनुसार हिन्दी कक्षा 1 से 8

तक केवल चार वर्षों तक पढ़ायी जाती है? अब हमें बताया गया है कि इसे कक्षा 10 तक पढ़ाया जायेगा। इस प्रकार अधिक अंक प्राप्त करने के लिए छात्रों को उच्च शैक्षिक संस्थाओं में जाना पड़ेगा। इसे लेकर छात्रों में बुहत असंतोष है वे चाहते हैं कि इसे कक्षा 8 तक ही रखा जाए। क्या आपको इसकी जानकारी है? यदि हाँ, तो क्या आप कोई परिवर्तन करेंगे ताकि दक्षिण राज्यों के ये छात्र कक्षा 10 में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें?

श्री एल॰ पी॰ शाही: संस्कृत में हमेशा अच्छे अंक आते हैं चाहे इसे अतिरिक्त विषय के रूप में अथवा अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ा जाए। इसलिए एक बार संस्कृत में अच्छे अंक प्राप्त करने वाला छात्र अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अन्य भाषा से संस्कृत को अधिक प्राथमिकता देगा।

श्री वी॰ शोभनाद्रीश्वर राव: मैं हिन्दी के बारे में पूछ रहा था। कक्षा 8 तक यह बिल्कुल ठीक है। हम हिन्दी सीखेंगे। परन्तु अब आपने इसे बढ़ाकर कक्षा 10 तक कर दिया है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बीजों का आयात

*121. **श्री सुरेश कुरूप:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बीजों के आयात की अनुमति दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो आयात किए जाने वाले बीजों के नाम तथा मात्रा क्या है तथा उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें आयात लाइसेंस दिए गए हैं और तत्संबंधी मात्रा-वार एवं मूल्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल): (क) जी, हां। मौजूदा नीति 6 अक्टूबर, 1988 की सार्वजनिक सूचना सं॰ 60- आई॰ टी॰ सी॰ (पी॰ एन॰) 88-91 के साथ पठनीय आयात और निर्यात नीति 1988-91 के पैरा 104 में दी गई है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) उन फर्मों के नाम जिन्हें अप्रैल, 1988 के बाद बीजों के आयात के लिये आयात लाइसेंस दिये गये हैं।

क्र॰ सं॰	फर्म का नाम	मद	मात्रा	मूल्य
1.	राष्ट्रीय बीज निगम नई दिल्ली	बंदगोभी के संकर बीज	20 क्विंटल	29,63,918/रु॰
2.	राष्ट्रीय बीज निगम नई दिल्ली	सूरजमुखी के बीज	75 कि॰ ग्राम॰	1,00,000/रु॰
3.	राष्ट्रीय बीज निगम नई दिल्ली	बंदगोभी के बीज	1500 कि॰ ग्रा॰	23,96,079/रु॰
4.	सचिव, कर्नाटक सरकार, कृषि विभाग	सूरजमुखी के बीज	40 मी॰ टन	27,84,000/रु॰

क्र॰ सं॰	फर्म का नाम	मद	मात्रा	मूल्य
5.	राष्ट्रीय बीज निगम नई दिल्ली	चिकरी के बीज	50 क्विंटल	16,56,116/रु॰
6.	मैसर्स सदर्न पैट्रोकेमिकल्स इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लि॰, मद्रास	सूरजमुखी के संकर बीज	15 कि॰ ग्रा॰	606,17/रु॰
7.	पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन, चंडीगढ़	300 ग्लैडियस बल्ब और 10,000 गुलाब की कलमें		40,910/रु॰

(ख) उन फर्मों के नाम, जिनके लिए कृषि और सहकारिता विभाग ने मुख्य आयात और निर्यात नियंत्रक से 1.10.88 के बाद अब तक बीजों के आयात के लिये आयात-लाइसेंस देने की सिफारिश की है।

क्र॰सं॰	कंपनी का नाम	मद	मात्रा कि॰ ग्रा॰ में
1.	परियोजना अधिकारी, इण्डो-स्विस परियोजना, विशाखापट्टनम	चारा फसलों के बीज	55.00
2.	मैसर्स जर्मन रेमिडीज लि॰, बम्बई	औषधीय पौधों के बीज	25.00
3.	हिमाचल प्रदेश सरकार	चारा फसलों के बीज	359.00
4.	उत्तर प्रदेश सरकार	घास और फलियों के बीज	1580.00
5.	हिमाचल प्रदेश सरकार	फलों के पौधों की रोपण सामग्री	15635 पौधे

खारा पानी मत्स्य पालन एजेंसी के लिए सहायता

*124. **श्री उत्तम राठौड़:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र की खारा पानी मत्स्य पालन एजेंसी योजना को, जो जिला थाणे के लिए है, मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता प्रदान की गई है अथवा प्रदान करने का विचार है?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल): (क) जी, हां। महाराष्ट्र के थाणे जिले के लिए दिसम्बर, 1988 में एक खारा पानी मत्स्य पालक विकास अभिकरण की मंजूरी दी गई है।

(ख) उपर्युक्त खारा पानी मत्स्य पालक विकास अभिकरण को जनवरी, 1989 में भारत सरकार के हिस्से के रूप में 1.90 लाख रुपए की राशि प्रारम्भिक भुगतान के रूप में निर्मुक्त की गई है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में संशोधन

*125. **श्री अमर सिंह राठवाः** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण विकास विभाग ने अपने अनुभव के आधार पर समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में अनेक परिवर्तनों के सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में उक्त कार्यक्रम के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए ये परिवर्तन करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) और (ख): समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई॰ आर॰ डी॰ पी॰) एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है और कार्यक्रम के कार्यान्वयन में प्राप्त हुए अनुभवों के आधार पर इसके कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए समय-समय पर उपाय किए जाते हैं। कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए सातवीं योजना के दौरान अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें अन्य बातों के अलावा ये भी शामिल है कि गरीबी की रेखा को 6400 रुपये तक बढ़ाना, प्रति व्यक्ति निवेश बढ़ाना, अन्य सरकारी कार्यक्रमों के साथ तालमेल, महिला लाभार्थियों की कवरेज बढ़ाना, गरीबी की स्थिति के आधार पर निधियों का आबंटन करना, निगरानी के प्रबन्धों में सुधार करना, प्रतिभूति मुक्त ऋणों की सीमा में वृद्धि करना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ऋणों के लिए एक समान आवेदन-सहमूल्यांकन फार्म लागू करना और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों के लिए एक सामूहिक बीमा योजना लागू करना आदि।

(ग) कार्यक्रम का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। तदनुसार, उनके साथ नियमित रूप से आपसी कार्यवाही और बातचीत की जाती है।

सड़कों के सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक से ऋण

*126. **श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसादः**
श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्तिः

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने भारत में सड़कों के सुधार के लिए 1980 लाख डालर का ऋण मंजूर किया है;

(ख) यदि हां, तो ऋण की शर्तें क्या हैं; और

(ग) सड़कों के सुधार के लिए इस ऋण में से राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की जाएगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) जी, हां।

(ख) ऋण पर परिवर्तनीय दर पर ब्याज लगता है जो हर छह महीने में नियत किया जाता है। चालू दर 6.42% है। ऋण अर्धवार्षिक किश्तों में अदा किया जाता है जो 15 जून, 1994 से 15 दिसम्बर, 2013 तक प्रतिवर्ष जून और दिसम्बर में देय है।

(ग) ऋण राशि का राज्य-वार आबंटन निम्न प्रकार है:—

	(राशि मिलियन अमरीकी डालर में)
1. आंध्र प्रदेश	58.03
2. हरियाणा	24.95
3. उत्तर प्रदेश	24.33
4. तमिलनाडु	24.47
5. कर्नाटक	26,84
6. जल-भूतल परिवहन मंत्रालय को सुपुर्द अनाबंटित ब्याज और अध्ययनों की लागत	39.38
	198.00

परम्परागत कलाओं और संस्कृति का विकास

*128. **प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य की परम्परागत कलाओं और संस्कृति के विकास की योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत केरल की कलाओं और संस्कृति के संरक्षण और विकास के लिए किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन हेतु कितनी राशि व्यय की गई तथा वर्ष 1989-90 की दौरान कितनी धनराशि व्यय करने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी॰ शिवशंकर): (क) और (ख) परम्परागत कलाओं और संस्कृति के विकास, परिरक्षण और संवर्धन सहित संस्कृति मुख्यतः एक राज्य विषय है। तथापि, भारत सरकार ने संस्कृति विभाग और इसके नियंत्रणाधीन संगठनों की योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से देश में परम्परागत कला और संस्कृति के विकास और परिरक्षण के लिए कदम उठाए हैं। हाल ही में स्थापित क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों ने भी देश के विभिन्न भागों में कई कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की हैं। इन संगठनों के कार्यकलाप किसी राज्य के निश्चित संदर्भ के बिना राष्ट्र और क्षेत्रोन्मुख होते हैं।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए, केरल सहित किसी भी राज्य विशेष के लिए किसी भी योजना के अन्तर्गत किसी निश्चित राशि के आबंटन का प्रश्न ही नहीं उठता। किन्तु भारत सरकार की संस्थाओं और संगठनों के कार्यकलापों में यह क्षेत्र भी शामिल है।

संगीत नाटक अकादमी ने अपने चालू कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में विगत तीन वर्षों के दौरान प्रदर्शन कलाओं, जिनमें परम्परागत कला और संस्कृति शामिल है, के संवर्धन के लिए 17 संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी है। अपने वार्षिक "लोक उत्सव समारोह" में भी अकादमी ने केरल के विभिन्न परम्परागत कला-रूपों को प्रस्तुत किया है।

संस्कृति विभाग ने भी अपनी वित्तीय सहायता योजनाओं, छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति कार्यक्रमों तथा आदिवासी एवं लोक कला प्रसार और प्रोन्नति से संबद्ध परियोजना के माध्यम से केरल के अनेक संगठनों और संस्थाओं को लाभान्वित किया है। दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र ने, केरल जिसका

एक संघटक सदस्य है, इस राज्य में राज्य सरकार और अन्य स्थानीय एजेंसियों के सहयोग से कई उत्सव आयोजित किए हैं।

फिजी के संबंध में नीति

*133. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी:** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का फिजी के संबंध में न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया सरकारों के साथ मिलकर एक समान नीति तैयार करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रमण्डल के अन्य देशों की सरकारों को कोई विशिष्ट संकल्प अथवा प्रस्ताव इस आशय से भेजा गया है कि वे फिजी की रंगभेदी सरकार को भारतीय मूल के फिजी निवासियों के लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन करने से रोकने के प्रयास करें; और

(ग) यदि हां, तो राष्ट्रमंडलों के उन देशों के नाम क्या हैं जो फिजी के संबंध में सरकार के मत का सक्रिय रूप से समर्थन कर रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह): (क) से (ग) अक्तूबर, 1987 में वेंकूवर में सम्पन्न राष्ट्र मंडल शासनाध्यक्षों की बैठक में फिजी के संबंध में एक सर्वसम्मत वक्तव्य स्वीकार किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया था कि "फिजी की घटनाओं को देखकर उन्हें दुःख हुआ है और वे उम्मीद करते हैं कि फिजी के लोग राष्ट्रमंडल के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप फिजी की समस्या का कोई समाधान निकाल लेंगे" राष्ट्रमंडल में फिजी की सदस्यता समाप्त हो गई है इसलिए उसने वेंकूवर के सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। फिजी के मामले पर सरकार संबद्ध विविध सरकारों से सम्पर्क बनाए रही है जिनमें आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे राष्ट्रमंडल के देश भी शामिल हैं। फिजी की राजनैतिक घटनाओं के संबंध में इन सभी सरकारों ने एक सी नीति तो अख्तियार नहीं की है लेकिन इस बात को मोटे तौर पर मानते हैं कि वहां का संविधान भेद-भाव पूर्ण है और वह फिजी के महत्वपूर्ण जातीय वर्गों को स्वीकार नहीं है।

समर्थन मूल्य योजना का सभी कृषि उत्पादों पर लागू किया जाना

*134. **श्री जी० भूपति:**
श्री वी० तुलसी राम:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन कृषि उत्पादों के नाम क्या हैं जिन्हें समर्थन मूल्य योजना में शामिल किया गया है;

(ख) क्या समर्थन मूल्य योजना को सभी कृषि उत्पादों पर लागू करने की मांग की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल): (क) सरकार मुख्य कृषि जिंसों के लिए अधिप्राप्ति / समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। इनमें धान, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, जौ, चना, तुर, मूंग, उड़द, गन्ना, कपास, पटसन, तम्बाकू, मूंगफली, सूरजमुखी का बीज, सोयाबीन, रेपसीड तथा सरसों, तोरिया, कोपड़ा, तथा कुसुम शामिल हैं।

(ख) और (ग) इस समय अतिरिक्त जिंसों को मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत लाने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि कुछ छोटी फसलों को भी शामिल करने की मांग की गई है।

इस्पात का उत्पादन

*135. **श्री चिन्तामणि जेनाः** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्तीय वर्ष 1988-89 में विभिन्न किस्मों के इस्पात के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और चालू वर्ष के प्रथम छह महीनों के दौरान वास्तविक उत्पादन कितना हुआ;

(ख) वर्ष 1987-88 की इसी अवधि के दौरान इस्पात का कितना उत्पादन हुआ;

(ग) उत्पादन में यदि कोई कमी हुई है, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस्पात संयंत्रों के पास भारी मात्रा में इस्पात का स्टाक जमा हो गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिए तथा इसके अनबिके भंडार को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम॰ एल॰ फोतेदार): (क) और (ख) वर्ष 1988-89 के दौरान इस्पात के मुख्य उत्पादकों की उत्पादन योजना, चालू वर्ष के पहले छः महीनों तथा पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान वास्तविक उत्पादन संबंधी विवरण संलग्न है। इस्पात के गौण उत्पादकों के उत्पादन के बारे में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि ये मुख्य रूप से निजी क्षेत्र में हैं। वर्ष 1988-89 में इस क्षेत्र से उत्पादन, पहले छः महीनों में वास्तविक उत्पादन और पिछले वर्ष की इसी अवधि में वास्तविक उत्पादन संबंधी अनुमान भी संलग्न विवरण में शामिल किये गये हैं।

(ग) स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लि॰ (सेल) की केवल कुछ श्रेणियों के उत्पादन में लक्ष्यों की तुलना में मामूली कमी हुई है, परन्तु पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष के पहले छः महीनों में एकीकृत इस्पात संयंत्रों के समग्र उत्पादन में वृद्धि हुई है। उत्पादन में मामूली सी कमी मुख्यतया कुछ इस्पात संयंत्रों के कुछ आदानों की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण हुई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से निम्नलिखित उपाए किए जा रहे हैं—

(i) सही क्वालिटी और मात्रा में आदानों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना,

(ii) निजी विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाना और उसका इष्टतमीकरण करना,

(iii) संयंत्र और उपस्करों का बेहतर रख-रखाव करना,

(iv) आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकीय उन्नयन करना,

(v) कार्य संस्कृति में सुधार करना।

विशेष योजना के अन्तर्गत लम्बे समय से पड़ा स्टॉक प्राथमिकता के आधार पर बेचा जाता है।

विवरण

मुख्य उत्पादकों द्वारा उत्पादन तथा गौण उत्पादकों का अनुमानित उत्पादन

(मिलियन टन में)

श्रेणी	— मुख्य उत्पादकों की — उत्पादन योजना	मुख्य उत्पादकों का वास्तविक उत्पादन			गौण उत्पादकों का अनुमानित उत्पादन		
	1988-89	अप्रैल-सितम्बर 1988	अप्रैल-सितम्बर 88	अप्रैल-सितम्बर 87	अप्रैल-सित० 87 से प्रतिशत वृद्धि/कमी	अप्रैल-सित० 88	अप्रैल-सित० 87
अर्द्ध तैयार माल	1.65	0.72	0.95	0.95	-	1.40	1.32
तैयार इस्पात							
अचपटे उत्पाद	3.01	1.47	1.27	1.17	+8.5	2.16	1.92
चपटे उत्पाद	4.62	2.21	2.03	1.69	+20.1	0.38	0.27
कुल तैयार इस्पात	7.63	3.68	3.30	2.86	+15.4	2.54	2.19
कुल विक्रेय इस्पात	9.28	4.40	4.25	3.81	+11.5	-	-

स्रोतः संयुक्त संयंत्र समिति (फरवरी, 1989)

1. अर्द्ध तैयार माल का तात्पर्य बिलैटों तथा अन्य पुनर्बेलन योग्य सामग्री से है।
2. अचपटे उत्पादों में छड़ें तथा गोल छड़ें, संरचनात्मक सामग्री, रेल की पटरी तथा रेल सामग्री शामिल है।
3. चपटे उत्पादों में प्लेटों, गर्म बेल्लित क्वायलें / स्केल्प / पत्तियां / गर्म बेल्लित चादरें, ठण्डी बेल्लित क्वायलें / चादरें, जी०पी० / जी०सी० चादरें, टिन प्लेटें, विद्युत इस्पात की चादरें तथा पाइपें आदि।

लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए रियायती ब्याज दरों पर ऋण

*136. **श्री वी० कृष्ण राव:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु सिंचाई परियोजनाओं तथा अन्य प्रयोजनों के लिए रियायती दरों पर निवेश ऋण प्रदान करने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग). राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भूमि विकास बैंकों द्वारा 1986-87 के दौरान 10 प्रतिशत ब्याज की रियायती दर पर लघु सिंचाई प्रयोजनों के निवेश ऋण के रूप में 281.88 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है । 1987-88 के दौरान लघु सिंचाई तथा अन्य प्रयोजनों के लिए 712 करोड़ रुपये की धनराशि भूमि विकास बैंकों द्वारा संवितरित की गई है।

भारत-श्रीलंका समझौते का कार्यान्वयन

*137. **श्री जगदीश अवस्थी:**

श्री पी० कुलनदईवेलू:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-श्रीलंका समझौते को पूरी तरह से कार्यान्वित किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो कौन से मुद्दे अभी कार्यान्वित किये जाने हैं और भारतीय शांति सेना की वापसी के क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह): (क) और (ख). भारत-श्रीलंका समझौते पर काफी हद तक अमल हो चुका है। तथापि, लिट्टे को अभी हथियार सौंपने हैं और हिंसा का रास्ता छोड़ना है और अधिकार सुपुर्दगी में अभी और सुधार की आवश्यकता है जिसके लिए श्रीलंका की सरकार वचनबद्ध है तथा कुछ विस्थापित लोगों और उग्रवाद के रास्ते पर चलने वाले युवकों को फिर से बसाया जाना है। लेकिन कुल मिलाकर, पूर्वोत्तर प्रान्त की स्थिति काफी बेहतर हुई है जिसकी वजह से भारतीय शांति सेना के कुछ यूनिटों को हटाना मुमकिन हुआ है।

तिलहनों की कमी

*138. **श्री प्रकाश चन्द्र:**

श्री धर्मपाल सिंह मलिक:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में तिलहनों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो देश में इस समय तिलहनों का उत्पादन और खपत कितनी है; और

(ग) तिलहनों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल): (क) जी हां, श्रीमान, देश में तिलहनों की कमी है, जिसके परिणामस्वरूप खाद्य तेल का भारी आयात किया जाता है।

(ख) देश में लगभग 54 टन खाद्य तेल की आवश्यकता अनुमानित की गई है। 1988-89 में तिलहन उत्पादन 155 लाख टन हो जाने की सम्भावना है, जिससे 48 लाख टन खाद्य तेल प्राप्त होगा।

(ग) भारत सरकार ने राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना 170 करोड़ रुपये के अधीन सातवीं योजना के दौरान राज्यों को 100 करोड़ रुपये आवंटित करने की सहायता दी है। एक विशेष तिलहन उत्पादन क्षेप परियोजना के अंतर्गत दो वर्षों 1987-89 में, 52 करोड़ रुपये दिए गए हैं। तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए विस्तार, बीज, जैव-उर्वरक और पौध संरक्षण उपायों आदि के साथ किसानों को सहायता देने के लिए इन निधियों का उपयोग किया जाता है।

फसलों की उत्पादन लागत

*139. **श्री बीरेन्द्र सिंह:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के वर्षों के दौरान कृषि उपज की उत्पादन लागत में अत्यधिक वृद्धि हुई

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में गेहूं तथा चावल की अलग-अलग उत्पादन लागत क्या थी; और

(ग) उत्पादन लागत में वृद्धि के लिए किसानों की प्रतिपूर्ति हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल): (क) पिछले वर्षों के दौरान मुख्य फसलों की खेती की लागत में वृद्धि हुई हैं। किन्तु यह वृद्धि सामान्यतः मूल्यों में हुई वृद्धि के अनुरूप है ।

(ख) मुख्य उत्पादक राज्यों के लिए (नवीनतम उपलब्धि) पिछले तीन वर्षों में धान और चावल की प्रति हैक्टेयर उत्पादन लागत दर्शाने वाला विवरण-सभा पटल पर रखा गया है ।

(ग) उत्पादन लागत में हुई वृद्धि के संबंध में किसानों को प्रतिपूर्ति के लिए (1) बेहतर

तकनीकी उपलब्ध कराकर प्रति हैक्टेयर उत्पादन में वृद्धि करने और (2) फसलों के लिए अधिक ऊंची न्यूनतम समर्थन/अधिप्राप्ति मूल्य को मोहय्या करने के उपाय किए गए है ।

विवरण

(रुपये प्रति हैक्टेयर)

राज्य	वर्ष	उत्पादन लागत
1	2	3
	धान	
आंध्र प्रदेश	1981-82	3844.92
	1982-83	4421.30
	1983-84	5291.22
कर्नाटक	1983-84	4030.19
	1984-85	उपलब्ध नहीं है।
	1985-86	4502.10
उड़ीसा	1982-83	2257.77
	1983-84	2793.68
	1984-85	2811.46
पंजाब	1984-85	7016.31
	1985-86	6639.97
	1986-87	7390.21
तमिलनाडु	1979-80	3596.36
	1980-81	4426.77
	1981-82	5191.24
उत्तर-प्रदेश	1981-82	2740.34
	1982-83	2744.35
	1983-84	3054.64
पश्चिम बंगाल	1982-83	3287.57
	1983-84	4141.52
	1984-85	4240.62
	गेहूं	
हरियाणा	1984-85	4262.63
	1985-86	4578.43
	1986-87	4527.97
मध्य प्रदेश	1982-83	2126.84
	1983-84	2102.94
	1984-85	2352.16
पंजाब	1984-85	5154.72
	1985-86	5387.84
	1986-87	5224.42
राजस्थान	1983-84	3125.76

1	2	3
	1984-85	3575.34
	1985-86	4097.41
उत्तर प्रदेश	1981-82	3572.75
	1982-83	3793.18
	1983-84	3679.69

विद्यासागर विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता

*140. **डा॰ फुलरेणु गुहा:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्यासागर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय स्रोत से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के उपयुक्त घोषित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उक्त विश्वविद्यालय को अब तक कितनी अनुदान राशि दी गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी॰ शिव शंकर): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र को पेय जल के लिए केन्द्रीय सहायता

[अनुवाद]

1156. **श्री प्रकाश वी॰ पाटिल:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र के सभी गांवों को पेय जल उपलब्ध कराने के लिए बेहतर आधार-भूत ढांचा बनाने हेतु महाराष्ट्र को गत चार वर्षों के दौरान कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई;

(ख) राज्य सरकार द्वारा वस्तुतः कितनी राशि का उपयोग किया गया;

(ग) इससे सूखे के कारण पूरे वर्ष कष्ट उठाने वाले उन जिलों में पेय जल की सप्लाई में किस सीमा तक सुधार हुआ है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का संसाधन सहयोग में वृद्धि करने का विचार है ताकि इन जिलों की बड़े पैमाने पर सहायता हो सके?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) और (ख). महाराष्ट्र सरकार को उपलब्ध की गई केन्द्रीय सहायता और चार वर्षों के दौरान उपयोग के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:—

(करोड़ रुपये)

वर्ष	रिलीज की गई केन्द्रीय सहायता	उपयोग
1985-86	18.45	14.27
1986-87	24.02*	20.13
1987-88	32.75*	22.00
1988-89	30.65*	23.61 (दिसम्बर, 88 तक)

*इसमें सतारा और लतूर जिलों के मिनी मिशन परियोजना क्षेत्रों के लिए रिलीज की गई निधियां शामिल हैं।

(ग) 1.1.1989 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में बिना जल स्रोत वाली श्रेणी के 1145 समस्याग्रस्त गांव अभी कवर किये जाने रहते हैं।

(घ) केन्द्रीय सहायता त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य हेतु किए गए आवंटन को ध्यान में रखते हुए तथा अनुमोदित कार्य योजना विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार दी जायेगी।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद में आग लगने की घटना

1157. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के पुस्तकालय में बड़े पैमाने पर आग लगने के कारणों का पता लगा लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्राप्त निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० शाही): (क)और(ख), जी,हां। आग के संभावी कारणों का पता लगाने के लिए नियुक्त जांच समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह आग सावधानी न बरतने के कारण लगी थी।

कुपोषण से प्रभावित स्कूल जाने की आयु वाले तथा स्कूल जाने वाले बच्चे

1158. **श्री आर०एम० भोये:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्कूल जाने की आयु वाले तथा स्कूल जाने वाले कितने बच्चे कुपोषण से प्रभावित हैं; और

(ख) इन बच्चों के समुचित विकास के लिए सरकार के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है2

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): (क) राष्ट्रीय पोषाहार मानीटरिंग ब्यूरो ने 1982 में 8 राज्यों में विभिन्न आयुवर्ग के लोगों की पोष्टिक आहार तथा पोषाहारीय स्थिति का एक नूमना सर्वेक्षण किया था। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 6.1 प्रतिशत पूर्व-स्कूल बच्चे गम्भीर कुपोषण से प्रभावित पाए गए।

(ख) भारत सरकार, देश में विभिन्न अनुपूरक (इन्टरवेन्शन) कार्यक्रम चला रही है। ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

पोषाहारीय अनुपूरक (इन्टरवैन्शन) कार्यक्रम

महिला एवं बाल विकास विभाग

देश में, इस विभाग द्वारा समन्वित विभिन्न पोषाहारीय अनुपूरक (इन्टरवैन्शन) कार्यक्रम निम्न प्रकार हैं:—

1. **(I) समेकित बाल विकास सेवा (आई० सी० डी० एस०)**

यह कार्यक्रम प्रायोगिक आधार पर 33 परियोजनाओं में 2 अक्तूबर, 1975 को शुरू किया गया था। इस योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक बाल सेवाएं प्रदान की जाती है। जिनके उद्देश्य इस प्रकार हैं:—

(1) 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की पोषाहारीय और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना;

(2) बच्चों के समुचित मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए आधार तैयार करना;

(3) मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण और पढ़ाई से हट जाने वाले बच्चों की संख्या में कमी करना;

(4) बच्चों के विकास के लिए विभिन्न विभागों में कारगर ढ़ंग से नीति का समन्वय और कार्यान्वयन करना; और

(5) समुचित पोषाहारीय और स्वास्थ्य शिक्षा के जरिए बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और पोषाहारीय आवश्यकताओं की देखभाल के लिए माँ की क्षमता बढ़ाना।

2. उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आई० सी० डी० एस० का उद्देश्य निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करना हैं:—

क. पूरक पोषाहार

ख. रोग प्रतिरोधन टीके लगाना

ग. स्वास्थ्य निरीक्षण

घ. संदर्भ सेवाएं

ड. अनौपचारिक पूर्व स्कूल शिक्षा ; और

च. 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाएं तथा दूध पिलाने वाली माताओं को पोषाहारीय और स्वास्थ्य शिक्षा देना।

आई० सी० डी० एस० परियोजना क्षेत्रों में बाल स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित अन्य परियोजनाओं और सुरक्षित पेय जल योजनाओं की ओर ध्यान आकर्षित करने के भी प्रयास किए जाते हैं।

3. आई० सी० डी० एस० कार्यक्रम में प्रस्तावित सेवाएं प्रदान करने के लिए केन्द्र बिन्दु आंगनवाड़ी केन्द्र है। जिसका प्रबन्ध स्थानीय समुदाय से ली गई महिला द्वारा किया जाता है। इस प्रकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता निम्नतम स्तर पर इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रभारी है। वह अवैतनिक कार्यकर्ता होती है। यदि उसकी योग्यता मैट्रिकुलेशन (या उससे अधिक) होती है तो उसे 275 से 325 रुपये के बीच मानदेय मिलता है और यदि उसकी योग्यता मैट्रिकुलेशन से कम होती है तो उसे 225 और 275 प्रतिमाह के बीच मानदेय मिलता है। उन्हें प्रतिदिन लगभग $4^{1/2}$ घन्टे काम करना होता है। उसकी सहायता के लिए एक सहायिका होती है जिसे प्रतिमास 110 रुपए मिलते हैं। दोनों ही स्थानीय कार्यकर्ता महिलाएं होती हैं। सामान्यतः आदिवासी परियोजना क्षेत्रों में 700 जनसंख्या वाले क्षेत्र में और ग्रामीण / शहरी परियोजना में 1000 की जनसंख्या वाले क्षेत्र में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है। फिर भी 300 की जनसंख्या वाले छोटे गांवों में भी एक स्वतंत्र आंगनवाड़ी की स्थापना की जा सकती है। इस प्रकार एक परियोजना में आंगनवाड़ियों की कुल संख्या, गाँवों की संख्या, जनसंख्या, क्षेत्रीय, स्थिति आदि पर आधारित होती है। आदिवासी परियोजनाओं में 17 आंगनवाड़ियों के लिए, ग्रामीण परियोजनाओं में 20 आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए और शहरी परियोजनाओं में 25 आंगनवाड़ियों के लिए एक पर्यवेक्षक (सुपरवाईजर) होता है। परियोजना स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी (सी० डी० पी० ओ०) कार्यक्रम का समस्त प्रभारी होता है।

4. कार्यक्रमों के ठोस परिणामों के आधार पर आई० सी० डी० एस० का विस्तार किया गया है। इस समय देश में 1736 परियोजनाएं हैं जिनमें 216 राज्य क्षेत्रों की परियोजनाएं शामिल हैं। इनके अलावा 1988-89 के दौरान 210 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं।

5. भोपाल शहर के गैस प्रभावित क्षेत्रों में 5 आई० सी० डी० एस० परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इन परियोजनाओं से गर्भवती महिलाएं, दूध पिलाने वाली माताएं और 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे

लाभ प्राप्त करते हैं। इन 5 आई० सी० डी० एस० परियोजनाओं में 792 आंगनवाड़ियाँ (शिशु देखभाल केन्द्र) कार्य कर रही हैं। बच्चों के मामले में 80 ग्राम फोर्टिफाइड ब्रैड और महिलाओं के मामले में 160 ग्राम फोर्टिफाइड ब्रैड शामिल करने के लिए पूरक पोषाहार में संशोधन किया गया है। प्रत्येक बच्चे और प्रत्येक गर्भवती महिला / दूध पिलाने वाली मां को 150 मिलिलीटर दूध भी दिया जाता है।

6. देशी खाद्यान्न के अलावा केयर से खाद्यान्न (सोया फोर्टीफाइड बलगर वीट, कॉर्न सोया मिल्क और सलाद आयल) तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम से खाद्यान्न (सोया फोर्टीफाइड बलगर वीट, सलाद आयल) भी आई० सी० डी० एस० कार्यक्रम के लिए उपलब्ध है।

7. 31 दिसम्बर, 1988 की मासिक प्रगति रिपोर्ट से पता चलता है कि 1684 परियोजनाएं पूरी तरह से चल रही हैं। दिसम्बर, 1988 में 1571 परियोजनाओं मे 1,72,403 आंगनवाडियां थीं। यह परियोजनाएं लगभग 104.19 लाख बच्चों को और 19.96 लाख माताओं को पूरक पोषाहार प्रदान कर रही थीं तथा 56.86 लाख बच्चों को (3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के)पूर्व स्कूल शिक्षा प्रदान कर रही थीं।

II. गेहूँ पर आधारित पोषाहार कार्यक्रम

गेहूँ आधारित पूरक पोषाहार कार्यक्रम का एक नवीन केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम देश में जनवरी, 1986 से शुरू किया गया है। जिससे कि अलाभान्वित वर्ग के पूर्व स्कूल बच्चे और दूध पिलाने वाली / गर्भवती माताओं को लाभ प्राप्त हो सके। केन्द्रीय प्रायोजित संघटक में कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त लाभप्राप्तकर्ताओं को लिया जाता है तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा सप्लाई किए गए गेहूँ की लागत तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए प्रति लाभप्राप्तकर्ता 50 पैसे की दर से केन्द्रीय सहायता उपलब्ध है। राज्य द्वारा पोषित पोषाहार कार्यक्रम में जिसमें गेहूँ का उपयोग होता है केन्द्रीय सहायता गेहूँ के 700 रुपए प्रति मी० ट० के हिसाब से दी जाती है ताकि राज्य 2440 रु० प्रति मी०ट० की दर से (25 मार्च, 1988 को यथासंशोधित) भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त कर सके। कार्यक्रम के अन्तर्गत 1987-88 में निर्धारित लक्ष्य और लाभ प्राप्त करने वालों की संख्या 30 लाख रही है।

III. विशेष पोषाहार कार्यक्रम (एस०एन०पी०)

1. यह विशेष पोषाहार कार्यक्रम 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं के लिए 1970-71 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभप्राप्तकर्ताओं को एक वर्ष में 300 दिन पूरक पोषाहार प्रदान किया जाता है। प्रत्येक बच्चे को 300 कैलोरी और 8-10 ग्राम प्रोटीन और प्रत्येक गर्भवती और दूध पिलाने वाली माता को 500 कैलोरी और 20-25 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। यह कार्यक्रम राज्य क्षेत्र में है।

2. 1984 में गठित विशेषज्ञ दल की सिफारिशों के आधार पर, पूरक पोषाहार की यूनिट खर्च दर में 1 अप्रैल, 1985 से संशोधन कर के 75 पैसे प्रति बच्चा प्रति दिन, और गम्भीर रूप से कुपोषित बच्चों के मामले में 125 पैसे प्रति बच्चा, प्रतिदिन और गर्भवती/दूध पिलाने वाली प्रति मां के लिए 105 पैसे किए गए हैं। इस कार्यक्रम को धीरे-धीरे आई० सी० डी० एस० में मिलाया जा रहा है।

IV. बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम

बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम 1970-71 से राष्ट्रीय स्तर के पांच संगठनों के माध्यम से अर्थात् केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, भारतीय बाल कल्याण परिषद्, हरिजन सेवक संघ, भारतीय आदिमजाति सेवक संघ और कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास के माध्यम से चलाया जा रहा है। ये संगठन, कार्यक्रम के

कार्यान्वयन के लिए अपने राज्य एककों के माध्यम से स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों को सहायता प्रदान करते हैं। कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता अनुदान का उपयोग बच्चों के पूरक पोषाहार और बालसेविकाओं/सहायिकाओं को पारिश्रमिक देने के लिए किया जाता है । अब तक की स्थिति के अनुसार लगभग 5000 बालवाड़ियाँ चलाई जा रही हैं।

2. इस कार्यक्रम से 3-5 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 2.43 लाख बच्चों को लाभ होता है। एक साल में 270 दिनों के लिए पूरक पोषाहर प्रदान किया जाता है जिसमें प्रत्येक बच्चे के लिए प्रति दिन 300 कैलोरी और 10 ग्राम प्रोटीन होता है। योजना के अन्तर्गत पोषाहार का खर्च 50 पैसे प्रति बच्चा प्रति दिन है। बाल सेविकाओं और सहायिकाओं को क्रमशः 200/- रु० और 75/- रु० प्रति मास की दर से पारिश्रमिक दिया जाता है। पूरक पोषाहार के अलावा, बालवाड़ियां वहां आने वाले बच्चों के समस्त विकास पर भी ध्यान देती हैं। 1987-88 के दौरान, कार्यान्वयन एजेन्सियों को 375.09 लाख रु० की राशि सहायता अनुदान के रूप में दी गई।

3. यह एक अविस्तारणीय और गैर-योजना क्षेत्र का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को धीरे-धीरे आई० सी० डी० एस० में मिलाया जाना है।

V. श्रमजीवी और बीमार महिलाओं के बच्चों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता की योजना

1. गरीब, श्रमजीवी और बीमार महिलाओं के बच्चों के लिए केन्द्रीय, शिशु-गृह योजना, स्वयंसेवी एजेंसियों द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं। यह विभाग केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को अनुदान प्रदान करता है जो आगे इस योजना का कार्यान्वयन करने वाले स्वयंसेवी संगठनों को सहायता प्रदान करता है। इस योजना में 0-5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये दिवस देखभाल सेवाओं की व्यवस्था है। इन सेवाओं में बच्चों के लिये स्वास्थ्य देखभाल, पूरक पोषाहार, शयन सुविधायें, रोग प्रतिरोधन टीके लगाना, खेल और मनोरंजन के साधन जुटाना शामिल है। प्रत्येक शिशु केन्द्र एकक में 25 बच्चों की देखभाल की जाती है। बच्चों की देखभाल करने के लिये दो आया/सहायिकायें रखी जाती है।

2. योजना फरवरी 1975 में शुरू की गई थी। 1987-88 के अन्त तक शिशु-गृहों की संख्या लगभग 10,000 थी जिनमें 2.62 लाख शिशुओं को सुविधायें प्रदान की गईं और 12.55 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कुल 50.00 करोड़ रुपए के योजना परिव्यय तथा 19.75 करोड़ रुपए के गैर-योजना परिव्यय से 20,000 शिशु गृह होने की सम्भावना है।

VI. तमिलनाडु समेकित पोषाहार परियोजना

1. तमिलनाडु समेकित पोषाहार परियोजना 1980-81 से क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना में तमिलनाडु के मदुरै, अन्ना रामानाथपुरम, पासम्पोन, मुथुरमालिंगम, कामराजर, पुदुकोटई, तिरूनेलवेल्ली कट्टाऊम्मान, वी०ओ० चिदाम्बरानर नार्थ आरकोट और चेंगलपट्टू नाम के 10 जिले शामिल हैं। 31 अक्टूबर, 1987 की स्थिति के अनुसार लाभप्राप्तकर्ताओं में 6 से 36 महीने के बच्चों की संख्या 6,28,610 और गर्भवती और शिशुवती माताओं की संख्या 2,45,534 थी। इस परियोजना को विश्व बैंक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

2. इस कार्यक्रम का उद्देश्य 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं के पोषाहार और स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना है। इस परियोजना के अन्तर्गत

तमिलनाडु के 10 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में 173 ब्लाकों में 6 और 36 महीनों के बीच की आयु के बच्चों तथा गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं के लिए पोषाहार संबंधी निगरानी और आहार प्रदान किया जाता है।

3. तमिलनाडु समेकित पोषाहार परियोजना का प्रथम चरण सितंबर 1988 तक पूरा हो गया है। संचार एवं प्रशिक्षण संबंधी शेष परियोजना कार्य भी पूरा हो गया है। राज्य सरकार के इवेलूयेशन एण्ड एप्लाईड रिसर्च विभाग द्वारा इस परियोजना के मूल्यांकन का कार्य भी पूरा होने वाला है।,

4. हाल में इस राज्य के शेष भाग के लिए तमिलनाडु सरकार ने "तमिलनाडु समेकित पोषाहर एवं स्वास्थ्य परियोजना" नाम की एक नई परियोजना का प्रस्ताव तैयार किया है। वित्त मंत्रालय के परामर्श से इसके लिए विश्व बैंक सहायता लेने पर भी विचार किया जा रहा है।

(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(1) माताओं तथा बच्चों में कुपोषण के कारण रक्तक्षीणता को रोकने के लिए रोग निरोधन कार्यक्रम

माताओं और स्कूल-पूर्व बच्चों में पोषाहारीय रक्तक्षीणता जन-स्वास्थ्य की एक मुख्य समस्या है, इसलिए सरकार ने रक्तक्षीणता के रोग को रोकने के लिए आयरन और फोलिक एसिड की नियमित सप्लाई आदि से रोग निरोधन जैसे उपायों के महत्व को समझा है। परिणामस्वरूप वर्ष 1970 में एक राष्ट्रीय रोग निरोधन कार्यक्रम शुरू किया गया था। गर्भवती तथा शिशुवती माताएं तथा स्कूल-पूर्व आयु के बच्चे इस योजना से लाभान्वित होते हैं। परिवार नियोजन तथा पी०एच०सी० जैसी सेवाएं प्रदान करने वाले सभी संस्थान तथा उनके उपकेन्द्र, प्रसूति तथा बच्चों के अस्पताल, प्रसूति गृह तथा शहरी केन्द्र इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करते हैं।

बच्चों के लिए प्रतिदिन की खुराक 0.1 एम०जी० फोलिक एसिड, 160 एम०जी० फैरस सल्फेट की एक गोली है। गर्भवती तथा शिशुवती माताओं को प्रतिदिन एक गोली दी जाती है जिसमें 0.5 एम०जी० फोलिक एसिड तथा 180 एम०जी० फैरिस सल्फेट होता है। दवा की यह मात्रा उन्हें गर्भावस्था के अन्तिम तीन महीनों तथा प्रसव के बाद पहली छमाही के दौरान दी जाती है। सुविधा की दृष्टि से दवा की यह मात्रा माह में दो बार अर्थात 15 दिन के लिए जारी की जाती है। ए०एन०एम०/एल०एच०वी० को दवाई खाने वाले बच्चों और माताओं के घर जाकर यह देखना होता है कि उन्होंने वास्तव में नियमित रूप से गोलियां खा ली हैं। सातवीं योजना अवधि के दौरान 80 मिलियन प्रसवपूर्व माताओं तथा 80 मिलियन बच्चों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(2) विटामिन "ए" की कमी के कारण अंधेपन को रोकने के लिए रोग-निरोधन कार्यक्रम

यह कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान आरम्भ किया गया था। इसके अन्तर्गत 1—5 वर्ष की आयु के बच्चों को तेल के रूप में विटामिन "ए" की 2 लाख आई० यू० की एक खुराक प्रत्येक 6 माह बाद खिलाई जाती है। विटामिन "ए" शीघ्र ही यकृत (लीवर) द्वारा पचा तथा जमा कर लिया जाता है और वहाँ से मांस-पेशियों द्वारा उपयोग के लिए धीरे-धीरे छोड़ा जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में यह कार्यक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उनके उपकेन्द्रों द्वारा चलाया जाता है तथा शहरी क्षेत्रों में इसे बाल कल्याण क्लीनिकों, परिवार कल्याण केन्द्रों, अस्पतालों, प्रसूति गृहों आदि के माध्यम से चलाया जाता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 150 लाख बच्चों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

(3) गलगण्ड (ग्राइट्र) नियन्त्रण कार्यक्रम

स्थानिक गलगण्ड नामक रोग सम्पूर्ण हिमालयी क्षेत्र में हो जाता है जिसमें जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब (3 जिले), हरियाणा (1 जिला), बिहार (9 जिले), उत्तर प्रदेश (14 जिले), पश्चिम बंगाल (3 जिले), सिक्किम, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, तथा अरूणाचल प्रदेश के क्षेत्र भी शामिल हैं। स्थानिक गलगण्ड रोग महाराष्ट्र के औरंगाबाद तथा मध्यप्रदेश के शाहदोल, सिद्दी, रायपुर, जिलों में भी पाया गया है। केरल राज्य तथा अन्य क्षेत्रों में भी इस रोग के मरीजों की रिपोर्ट मिली है। देश का कोई भी भाग गलगण्ड से मुक्त नहीं है क्योंकि उन क्षेत्रों से भी इस रोग के रोगियों के बारे में सूचना मिली है जिन क्षेत्रों को पहले इस रोग से मुक्त समझा जाता था।

देश के स्थानिक क्षेत्रों में गलगण्ड के औसतन लगभग 30% रोगी है, जिन्हें लगभग 3% से 60% तक रोग है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना की अन्तिम अवधि में राष्ट्रीय गलगण्ड नियन्त्रण कार्यक्रम शुरू किया गया ताकि देश के विभिन्न भागों में स्थानिक गलगण्ड रोग पर नियन्त्रण किया जा सके। इस कार्यक्रम के तीन मुख्य घटक हैः—

(1) गलगन्ड के संभावित क्षेत्रों में गलगण्ड रोग का सर्वेक्षण करना ताकि स्थानिक गलगण्ड क्षेत्रों की पहचान की जा सके।

(2) स्थानिक क्षेत्रों में आयोडीन युक्त नमक का उत्पादन और सप्लाई करना।

(3) आयोडीन युक्त नमक की लगातार 5 वर्षों तक सप्लाई के पश्चात् उक्त क्षेत्रों का पुनः सर्वेक्षण करना ताकि नियंत्रण कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके।

गलगण्ड से प्रभावित स्थानीय क्षेत्रों के निवासियों में से अब तक इस नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत 30% लोगों को लाभान्वित किया गया। वर्तमान नीति यह है कि सम्पूर्ण भारत में खाद्य नमक के स्थान पर आयोडीन युक्त नमक की सप्लाई की जाए। यह कार्य चरणबद्ध तरीके से 1990 तक किया जाएगा। प्रारम्भ में ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जहाँ यह रोग अधिक होता है।

(ग) शिक्षा विभाग

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम

भारत सरकार ने वर्ष 1962-63 में प्राथमिक स्कूलों के निम्न सामाजिक आर्थिक वर्ग के बच्चों को दोपहर का भोजन देने की योजना बनाई ताकि इन बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जा सके और स्कूल में इन बच्चों की संख्या बढ़ाई जा सके। तृतीय पंचवर्षीय योजना के पश्चात् इसे केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त योजना के रूप में राज्य योजनाओं में शामिल कर लिया गया। और केन्द्रीय सहायता का अंश कुल खर्च का 40% रखा गया।

केअर सहायता प्राप्त कार्यक्रम वर्ष 1981 में शुरू किया गया। इस समय इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 15 राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों को लाभान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशासन, यातायात का व्यय राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। इस समय केयर इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनाज तथा तेल उपलब्ध कराता है। स्कूली बच्चों को वर्ष में लगभग 200 दिन भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

दूसरे कार्यक्रम के अन्तर्गत, खाद्य सामग्री, ढुलाई और प्रशासन के खर्च सहित सम्पूर्ण खर्च राज्य सरकारों द्वारा अपने योजना अथवा गैर-योजना संसाधनों से वहन किया जाता है।

(घ) **खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय**

भोजन तथा पोषाहार बोर्ड:

भोजन तथा पोषाहार बोर्ड के अधीन यद्यपि कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है, फिर भी देश में पोषाहार की स्थिति में सुधार लाने के लिए यह कई परियोजनाओं में संलग्न है।

कुछ कार्यक्रम जो कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इस प्रकार हैं:—

1. दूध छुड़ाने के लिए अनुपूरक आहार हेतु सस्ते खाद्य तैयार करना, जैसे; (1) बालाहार, (2) एनर्जी फूड, (3) वीनींग फूड (दूध छुड़ाने वाले भोजना), (4) एक्सट्रूडेड फूड, (5) मिलटोन, (6) छाय-साथी।

2. निम्नलिखित के माध्यम से शिक्षा विस्तार तथा प्रचार का कार्य किया जा रहा है:—
   (1) मोबाइल फूड और एक्सटेंशन यूनिट
   (2) भोजन संसाधन तथा पोषाहार केन्द्र
   (3) जन संचार के माध्यम से प्रचार

3. निम्नलिखित खाद्य-पदार्थों का इस्तेमाल करके खाद्य पदार्थों को अधिक पौष्टिक बनाने के कार्यक्रमों के प्रयोग किए जा रहे हैं:—
   (1) आयरन युक्त नमक
   (2) विटामिन "ए" युक्त दूध, और
   (3) प्रोटीन, विटामिन और खनिज युक्त सागो, (साबूदाना)।

क्षेत्रीय भाषाओं में खेल सम्बन्धी नियमों की पुस्तकें

1159. **श्री विजय एन॰ पाटिल:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में खिलाड़ी, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न खेलों के नियमों के बारे में नहीं जानते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का जनसाधारण में इन खेलों के नियमों के प्रसार हेतु खिलाड़ियों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में ऐसी पुस्तकों के प्रकाशन हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): (क) और (ख) मोटे तौर पर स्कूलों में स्थापित शारीरिक शिक्षा और खेलों के द्वारा विभिन्न खेलों के कानून और नियमों की जानकारी दी जाती है।

तथापि विभिन्न खेलों के बारे में कानून और नियम, संबंधित राष्ट्रीय/राज्य खेल संघों और उनके संघटक राज्य एककों द्वारा प्रकाशित करने तथा उनका प्रचार करने की आशा है। यह मुख्य तौर पर संघों और राज्य सरकारों के लिए है कि वे इन्हें स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित कराएं।

तथापि देशीय खेलों को लोकप्रिय बनाने को ध्यान में रखकर भारतीय खेल प्राधिकरण ने पहले ही हिन्दी और मणिपुरी में कांग (मणिपुर) पर तथा हिन्दी में अत्या-पत्या पर प्रकाशन निकाले हैं।

पेय जल संबंधी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत स्त्रोतों का पता लगाने के लिए धनराशि प्रदान करना

1160. **प्रो॰ मधु दंडवते:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेय जल संबंधी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार को अनेक गांवों में स्त्रोतों का पता लगाने के लिए चालू योजनाओं हेतु 197.58 करोड़ रुपये की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो सूखे से प्रायः प्रतिवर्ष प्रभावित होने वाले इस राज्य को आवश्यक धन उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) अक्तूबर, 1988 में राज्य सरकार ने सूचित किया था कि राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत "चालू योजनाओं" के लिए लगभग 197.58 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

(ख) राष्ट्रीय पेयजल मिशन/त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत निधियां राज्य सरकार को दी जाती हैं। उनके वार्षिक आवंटन, वर्ष के लिए कार्य योजना, अनुमोदित योजनाओं की लागत, निधियों के उपयोग की प्रगति आदि को ध्यान में रखते हुए, 1988-89 में अतिरिक्त सहायता के 4 करोड़ रुपये सहित 27.35 करोड़ रुपये की राशि रिलीज की गई है। इसके अलावा, लतूर और सतारा जिलों के मिनी-मिशन परियोजना क्षेत्रों के लिए 3.3 करोड़ रुपये की और राशि दी गई है।

बिजनौर में नवोदय तथा केन्द्रीय विद्यालय

[हिन्दी]

1161. **चौधरी अख्तर हसन:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में नवोदय और केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस जिले में विशेषकर नहटोर कस्बे में ऐसे विद्यालय खोलने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो ये स्कूल कब खोले जाएंगे और किन स्थानों पर; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल॰ पी॰ शाही): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ). भावी वित्तीय बाधाओं को ध्यान में रखते हुए नवोदय विद्यालय समिति की कार्यकारिणी समिति द्वारा हाल ही में यह निर्णय किया गया है कि वर्ष 1989-90 के दौरान नये नवोदय विद्यालय खोलने की गति धीमी की जानी चाहिए।

जहां तक केन्द्रीय विद्यालयों का संबंध है वे उन स्थानों पर खोले जाते हैं जहां पर केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों का बाहुल्य हो। बिजनौर जिले में केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विदेशों में भारत महोत्सव और भारत में विदेशी महोत्सव का आयोजन

[अनुवाद]

1162. **श्री मोहन भाई पटेलः** क्या **मानव संसाधन विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत ने अब तक किन-किन स्थानों पर भारत महोत्सव आयोजित किए हैं;

(ख) किन-किन देशों ने अब तक भारत में अपने महोत्सव आयोजित किए हैं;

(ग) क्या विभिन्न क्षेत्रों में और अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने के लिए अन्य देशों में ऐसे महोत्सव आयोजित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार ऐसे किन-किन देशों के नामों पर विचार कर रही है और ये महोत्सव कब आयोजित किए जाएंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल॰ पी॰ शाही): (क) भारत महोत्सव अब तक ब्रिटेन, सं॰ रा॰ अमरीका, फ्रांस, सोवियत संघ, जापान तथा स्वीडन में आयोजित किया जा चुका है।

(ख) भारत में अब तक सोवियत संघ, जापान और फ्रांस ने महोत्सव आयोजित किए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) भारत में, 1990 में, स्वीडन महोत्सव आयोजित करने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं, संघीय जर्मन गणराज्य में 1990 में भारत महोत्सव आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है जिसके बदले 1991 में भारत में संघीय जर्मन गणराज्य महोत्सव आयोजित किया जाएगा। ''दक्षेस' देशों का महोत्सव भारत में आयोजित किए जाने का भी प्रस्ताव है।

विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करना

1163. **श्री हरिहर सोरनः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में कोई समीक्षा की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल॰पी॰शाही): (क) और (ख) विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना में विशेष शिक्षकों और सहायक संसाधनों एवं प्रोत्साहनों की सहायता से सामान्य स्कूलों में कुछ मध्यम विकलांगों से पीड़ित अपंग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था है। यह योजना उन राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है जो समय-समय पर इस मंत्रालय को कार्यान्वयन रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तथापि, उड़ीसा में इस योजना को कार्यान्वित करने के संबंध में इस मंत्रालय द्वारा कोई समीक्षा नहीं की गई है। इस योजना में यह परिकल्पना है कि केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह योजना अवधि के अन्त तक इस योजना के कार्यान्वयन का एक अंतिम मूल्यांकन आरंभ करे।

गम्भीर रूप से विकलांग सहित बच्चों की शिक्षा की देखभाल कल्यांण मंत्रालय द्वारा की जाती है जिन्होंने सूचित किया है कि एक विशेष स्कूल को सहायता अनुदान मुक्त करने से पूर्व, संबंधित राज्य सरकार से निरीक्षण रिपोर्ट मांगी गई है।

फास्फेटिक उर्वरक संयंत्रों का बन्द होना

1164. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर:**
श्री आर० एम० भोये:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में फास्फेटिक उर्वरक बनाने वाले अनेक संयंत्र बन्द हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन संयंत्रों के क्या नाम हैं; और वे कहां कहां स्थित हैं;

(ग) उनके बन्द होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन संयंत्रों को पुनः चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु):(क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

फोस्फेटिक उर्वरक संयंत्र जो बन्द हो गया है, से संबंधित सूचना निम्न प्रकार है:

	कम्पनी का नाम	संयंत्र का स्थान	बन्द होने का कारण और इन संयंत्रों को पुनः चालू करने के लिए उठाए जा रहे कदम
1	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कं० लिमिटेड	सिक्का	ये संयत्र आयातित फास्फोरिक एसिड की अनुपलब्धता के कारण बन्द हुए है और आयातित फास्फोरिक एसिड के उपलब्ध होते ही इनके पुनः चालू हो जाने की सम्भावना है।
2.	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड	हल्दिया	
3.	गोदावरी फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड	काकीनाडा आन्ध्र प्रदेश	
4.	जुआरी एग्रो कैमिकल्स लिमिटेड	जुआरीनगर गोवा	
5.	इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि०	काण्डला	
6.	मंगलौर कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	मंगलौर	

वेतनमानों में संशोधन

1165. **श्री पी० एम० सईद:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिकों के वेतनमानों, पदोन्नति तथा भर्ती के संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा वित्त मंत्रालय को भेजे गये प्रस्ताव में परिर्वतन किये जाने के विरुद्ध फरवरी के दूसरे सप्ताह में विरोध मार्च में भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो मुख्य प्रस्ताव कौन से हैं तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किये गये तथा कथित परिवर्तनों का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री): (क) से (ग)। महोदय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिक दिनांक 13.2.1989 को कृषि भवन के बाहर एकत्रित हुए थे तथा उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतन पैकेज की प्रणाली पर अपने वेतनमानों में तुरन्त संशोधन की माँग की थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की प्रणाली पर वेतनमानों में संशोधन के निर्णय की घोषणा दिनांक 18 फरवरी, 1989 को ही की जा चुकी है।

केरल में सांस्कृतिक महत्व की वस्तुओं का संग्रहालय

1166. **श्री टी॰ बशीर:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के अन्तर्गत त्रिवेन्द्रम में एक सांस्कृतिक महत्व की वस्तुओं का संग्रहालय स्थापित किए जाने हेतु केरल सरकार से कोई योजना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाएं है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल॰ पी॰ शाही): (क) जी, हां।

(ख) केरल सरकार ने भारत सरकार के पर्यटन विभाग को एक सांस्कृतिक धरोहर संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव विचाराधीन है।

दिल्ली परिवहन निगम की आय और लाभ

1167. **श्री विष्णु मोदी:** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली परिवहन निगम को अक्टूबर, 1987 से 31 जनवरी, 1988 तक की अवधि के दौरान टिकटों की बिक्री से हुई आय का महीनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) गैर-सरकारी बस आपरेटरों को इस अवधि के दौरान किए गए भुगतान का महीनावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गैर-सरकारी, बस आपरेटरों को भुगतान करने के बाद दिल्ली परिवहन निगम को हुए शुद्ध मुनाफे का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) से (ग). दिल्ली परिवहन निगम को प्राइवेट प्रचालनों से कोई मुनाफा नहीं हुआ। अक्तुबर, 87 से जनवरी, 88 तक की अवधि के दौरान टिकटों की बिक्री से आय, प्राइवेट आपरेटरों को भुगतान की गई राशि और प्राइवेट प्रचालनों से हुए घाटों से संबंधित माहवार ब्यौरे निम्नलिखित है:—

माह	टिकटों की बिक्री से आय	दंड आदि के समायोजन के बाद प्राइवेट आपरेटरों को भुगतान की गई राशि	प्राइवेट प्रचालनों से दिल्ली परिवहन निगम को हुआ सकल घाटा
1	2	3	4
अक्तूबर, 1987	915.14	179.70	61.32
नवम्बर, 1987	894.44	169.70	49.55
दिसम्बर, 1987	889.59	173.27	58.90
जनवरी, 1988	911.28	173.49	58.83

पाकिस्तान की जेलों मे भारतीय नागरिक

[हिन्दी]

1168. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय कितने भारतीय नागरिक पाकिस्तान की जेलों में है;

(ख) क्या हाल मे प्रधान मंत्री की पाकिस्तान यात्रा के दौरान पाकिस्तानी नेताओं के साथ इन व्यक्तियों की रिहाई के बारे मे कोई बातचीत हुई थी ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) वे लोग कब तक भारत वापस लौट सकेंगे ;

विदेश मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री के॰ नटवर सिंह): (क) अनुमानतः लगभग 1030 भारतीय राष्ट्रिक पाकिस्तानी जेलों में हैं।

(ख) से (घ) प्रधान मंत्री की हाल की पाकिस्तान यात्रा के दौरान हमारे लापता रक्षा कार्मिकों का मामला पाकिस्तान की सरकार के साथ उठाया गया था जिसने उक्त कार्मिकों का पता लगाने के लिए सहमति व्यक्त की थी । यह बता पाना सम्भव नहीं है कि ये कार्मिक कब भारत लौट सकेंगे ।

तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली

[अनुवाद]

1169. **श्री जितेन्द्र प्रसाद:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली अपनाने वाले राज्यों के नाम क्या है;

(ख) इस प्रणाली के अंतर्गत ग्राम, ब्लाक तथा जिला स्तर पर विकास के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां रही है ; और

(ग) संविधान में प्रस्तावित संशोधन द्वारा पंचायती राज प्रणाली पर नये सिरे से विचार करने के क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) 13 राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल और अरूणाचल प्रदेश में तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली है।

(ख) और (ग). पंचायती राज निकायों के विभिन्न स्तरों को दी गई शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व राज्यों मे अलग-अलग है क्योंकि उन्हे इस विषय पर राज्यों के अपने-अपने कानूनों के तहत नियंत्रित किया जाता है । पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर सरकार

सक्रिय रूप से विचार कर रही है ताकि विकास कार्यक्रमों की आयोजना और कार्यान्वयन में उन्हें अधिक से अधिक शामिल किया जा सके।

आन्ध्र प्रदेश से अनुदान के लिये प्राप्त आवेदन पत्र

1170. **श्री मानिक रेड्डी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 30 जनवरी, 1989 की स्थिति के अनुसार आन्ध्र प्रदेश के विश्वविद्यालयों से अनुदान के लिये प्राप्त कितने आवेदन पत्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास विचाराधीन पड़े हैं;

(ख) दिनांक 30 जनवरी, 1989 तक ऐसे कितने आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये और आन्ध्र प्रदेश को, विश्वविद्यालयवार कितनी धनराशि रिलीज की गई ;

(ग) शेष आवेदन पत्रों के लम्बित रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या आन्ध्र प्रदेश से प्राप्त सभी विचाराधीन आवेदनों को मार्च-अप्रैल, 1989 से पूर्व स्वीकृत करने का कोई प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही): (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के भाग 12-ख के अन्तर्गत जो राज्य विश्वविद्यालय उपयुक्त घोषित किये गये हैं उन्हें वि० अ० आ० उनके सामान्य विकास के लिये वित्तीय सहायता और विशिष्ट योजनाओं के लिए विशेष सहायता प्रदान करता है । सातवीं योजना के दौरान आन्ध्र प्रदेश के विश्वविद्यालयों द्वारा उनके सामान्य विकास के लिए किये गये प्रस्ताव आयोग द्वारा स्वीकृत किये गये हैं । इसके अतिरिक्त आयोग ने अपनी 'विश्वविद्यालयों को विशेष सहायता योजना' के अन्तर्गत भी कुछ सहायता प्रदान की है । जारी किये गये अनुदानों के विश्वविद्यालयवार विस्तृत ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

(रुपये लाख में)

विश्वविद्यालयों के नाम	विकास अनुदान	विशेष अनुदान
1	2	3
आन्ध्र विश्वविद्यालय	51.50	35.00
उस्मानिया विश्वविद्यालय	57.50	42.00

1	2	3
नागार्जुन विश्वविद्यालय	30.00	50.00
श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय	49.15	47.12
ककातिया विश्वविद्यालय	42.70	50.00
श्री कृष्णा देवायी विश्वविद्यालय	15.00	42.00
श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय	20.00	11.00
आन्ध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय	24.00	7.00

वेतन सामान्य भविष्य निधि इत्यादि के बारे में नियमों की जानकारी देने वाला पुस्तकाएं

1171. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के शिक्षकों को सेवा रिकार्ड, सामान्य भविष्य निधि पास बुक तथा वेतन निर्धारण इत्यादि के नियमों के बारे मे जानकारी न होने के कारण बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ; और

(ख) क्या सरकार का दिल्ली प्रशासन के सभी स्कूलों मे कार्यरत शिक्षकों को वेतन-मानों, सामान्य भविष्य निधि, अग्रिम / वापसी नियमों तथा अवकाश नियमों इत्यादि के बारे मे पूर्ण जानकारी देने वाली पुस्तिकाएं वितरित करने का विचार है ताकि उन्हे किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे शिक्षा तथा संस्कृति विभागों मे राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही): (क) ऐसी कोई कठिनाई, दिल्ली प्रशासन के ध्यान मे नहीं लाई गई है।

(ख) इस संबंध में सभी प्रासंगिक सूचना, विभिन्न प्रकाशित दस्तावेजों से प्राप्त की जा सकती है जो पहले से ही आसानी से उपलब्ध हैं।

फसल बीमा योजना

1172. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अध्ययन दल की सिफारिशों के अनुसार संशोधित फसल बीमा योजना की मुख्य-मुख्य

बातें क्या हैं जो वर्ष 1988-89 की रबी फसल के बाद लागू होंगी;

(ख) इस योजना के अंतर्गत राज्यवार कितनी हेक्टेयर रबी फसल को लाया जायेगा तथा यह क्षेत्र इस योजना के अन्तर्गत रखे गये कुल रबी फसल क्षेत्र का कितना प्रतिशत होगा;

(ग) प्रीमियम का भुगतान करने, दावे भरने तथा दावों को निपटाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जायेगी; और

(घ) दावे भरने तथा इनका भुगतान करने में वास्तव में अब कितना औसत समय लिया जाता है तथा संशोधित योजना के अंतर्गत कितना समय निर्धारित किया गया है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) रबी 1988-89 और इससे आगे प्रभावी होने वाली बृहत फसल बीमा योजना में किए जाने वाले संशोधनों पर अभी सरकार विचार कर रही है।

(ग) बृहत फसल बीमा योजना के अंतर्गत ऋण का संवितरण करने वाली एजेंसियां बीमाकृत फसलों के लिए ऋणों की स्वीकृति करते समय बीमा प्रभार काट लेती हैं और उसे भारतीय साधारण बीमा निगम में जमा करा देती हैं। बृहत फसल बीमा योजना में किसानों द्वारा या ऋण संवितरण एजेंसियों द्वारा कोई दावे दायर किये जाने की परिकल्पना नहीं है। इस संबंध में यह निर्धारित किया गया है कि राज्य सरकारें, प्रत्येक मौसम के समाप्त होने पर अधिसूचित क्षेत्रों में बीमाकृत फसलों के लिए अपेक्षित संख्या में फसल कटाई प्रयोग करेंगी और इस प्रकार किए गए प्रयोगों के आधार पर तैयार किए गए उपज संबंधी आंकड़ों को भारतीय साधारण बीमा निगम को प्रस्तुत करेंगी। इसके बाद, उपज संबंधी आंकड़ों के प्राप्त होने की दो महीनों की अवधि के भीतर भारतीय साधारण बीमा निगम, प्रत्येक राज्य में संबंधित किसानों को अदा किए जाने वाले क्षतिपूर्ति दावों की मात्रा का हिसाब लगाता है और ऐसे दावों के ब्यौरे स्वीकृति के लिए सरकार को प्रस्तुत करता है।

(घ) किसी राज्य में संबंधित किसानों को अदा किए जाने वाले दावों के ब्यौरे भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा सरकार को प्रस्तुत करने और सरकार की स्वीकृति के बाद उसकी अदायगी के बीच लगने वाला औसत समय एक महीने का है, बशर्ते दावे सही हों और राज्य सरकारें इसका एक-तिहाई हिस्सा तत्काल अदा कर दें। तथापि, बृहत फसल बीमा योजना के अंतर्गत इस संबंध में कोई समयावधि निर्धारित नहीं की गई है।

परिवहन निदेशालय, दिल्ली प्रशासन के विभिन्न विभागों के कार्यकरण की जांच

1173. **श्री कमला प्रसाद सिंह:**
श्री कमला प्रसाद रावत:

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने परिवहन निदेशालय, दिल्ली प्रशासन के विभिन्न विभागों के कार्यकरण की जांच के

आदेश दिए थे और कदाचारों के संबंध में रिपोर्ट मांगी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और की गई जांच के परिणाम क्या है;

(ग) भविष्य में कदाचार रोकने और परिवहन निदेशालय के कार्यचालन में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सड़क-कर के रूप में कितनी धनराशि वसूल की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) और (ख) परिवहन निदेशालय से इन मामलों की जांच-पड़ताल करने के लिए कहा गया था :—

(I) परिवहन निदेशालय के कार्यालय के बाहर तीन कोरी रसीदों का पाया जाना; और

(II) 9 आटो रिक्शा परमिटों के फोर सीटर साइकल रिक्शा परमिटों में कथित रूप से अनधिकृत कन्वर्शन।

मामले की जांच-पड़ताल की गई थी। रसीद बुकों से कोरी रसीदें बाहर कैसे निकली गई इस बात को संबंधित कर्मचारियों द्वारा संतोषजनक ढंग से स्पष्ट न कर पाने पर संबंधित कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है। जहां तक आटो रिक्शा परमिटों के मोटर साइकल रिक्शा परमिटों में कन्वर्शन का संबंध है, 9 मामलों में से एक वाहन मूलतः आटो रिक्शा के रूप में पंजीकृत था, जिसे 1962 में अन्य राज्य को स्थानांतरित कर दिया गया था, एक वाहन अभिलेखों के अनुसार पंजीकृत नहीं है, तीन वाहन मूलतः एम सी आर के रूप में पंजीकृत थे और शेष चार को टी एस आर से एम सी आर में बदला पाया गया। इन मामलों की जांच-पडताल दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा की जा रही है। तीन संबंधित कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है। इसके अलावा, इस जांच पड़ताल में 14 अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और 19 एम सी आर को भी जब्त कर लिया गया है। जांच-पड़ताल चल रही है।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि किए गए उपायों में छापे मारना, आकस्मिक जांच करना, परिवहन निदेशालय के इन्फोर्समेंट स्टाफ द्वारा सख्त निगरानी रखना, जांच समिति गठित करना, माल रोड पर एक अलग पोलोराइड लाइसेंसिंग यूनिट स्थापित करना, बुरारी में अलग निरीक्षण पिट स्थापित करना, जनकपुरी और शेख सराय में जोनल कार्यालय स्थापित करके कार्यों का विकेन्द्रीकरण करना शामिल है। निदेशालय के कार्यालय में एक सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली भी काम कर रही है जिसके द्वारा आवेदकों को सही प्रक्रिया अपनाने और संबंधित ब्योरों के बारे में सलाह दी जाती है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली प्रशासन द्वारा एकत्र की गई सड़क कर राशि निम्नलिखित है :—

वर्ष	कर (लाख रु०)
1985-86	1018.14
1986-87	1087.50
1987-88	1262.45

भारतीय क्षेत्र में चीन द्वारा घुसपैठ

1174. **श्री सी॰ जंगा रेड्डी:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1962 के पश्चात् भारतीय क्षेत्र में चीन द्वारा घुसपैठ की गई थी; यदि हां, तो कहां-कहां, कब और प्रत्येक बार कितने क्षेत्र पर कब्जा किया गया है;

(ख) क्या प्रधान मंत्री द्वारा हाल की अपनी चीन यात्रा के दौरान इन घुसपैठों पर भारत की चिन्ता व्यक्त की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में चीन की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के॰ नटवर सिंह): (क) 1962 की लड़ाई के बाद से पश्चिम क्षेत्र में और मध्य क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पश्चिम में चीन ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। पूर्वी क्षेत्र में जून, 1986 में अरूणाचल प्रदेश के तवांग जिले की समवो रोंग चू घाटी में चीन की उपस्थिति देखी गई। इस क्षेत्र में भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा की व्याख्या में मतभेद है।

(ख) और (ग) दिसम्बर, 1988 में प्रधान मंत्री की चीन यात्रा के दौरान भारतीय पक्ष ने इस बात की आवश्यकता पर जोर दिया था कि सीमावर्ती क्षेत्रों में दोनों पक्षों को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि कोई वारदात न होने पाये और सीमावर्ती क्षेत्रों में शान्ति और स्थिरता बनाए रखने के लिए भी व्यावहारिक तरीके खोजे जाने चाहिएं और इस बात पर सहमति हुई कि सीमा संबंधी प्रश्नों से सम्बद्ध संयुक्त कार्यकारी दल में इन बातों पर विचार किया जा सकता है।

उड़ीसा में भू-संरक्षण के लिए योजना

1175. **डा॰ कृपासिंधु भोई:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने अनुरोध किया है कि भू-संरक्षण के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत ब्राहमी, उत्तर कोलब, इन्द्रावती और सुवर्णरेखा नदी घाटी को शामिल किया जाये;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन क्षेत्रों मे भू-संरक्षण के लिए किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव):
(क) जी, हां

(ख) और (ग) ब्राहम्णी, अपर कोलाब और इन्द्रावती नदियों के स्रवण क्षेत्रों को नदी घाटी

परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्र में मृदा संरक्षण की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत शामिल करने और सुवर्णरेखा के स्रवण-क्षेत्र को बाढ़-प्रवण नदियों के स्रवण-क्षेत्रों में समेकित जल-विभाजक प्रबंध की योजना के अंतर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शामिल करने पर विचार किया गया था। संसाधन संबंधी कठिनाईयों के कारण यह संभव नहीं हुआ है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत नए स्रवण-क्षेत्रों में निर्माण कार्य शुरू नही किया जा सका।

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अधीन राज्य सरकारों को सहायता

1176. **श्री राधाकांत डिगाल:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अधान विभिन्न राज्यों को कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा के पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों में किए गए स्वच्छता संबंधी कार्यों का ब्यौरा क्या है और उन पर कितनी राशि खर्च की गई?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत 61 पिछड़े और आदिवासी खण्डों को कवर किया गया है। उक्त खण्डों में 7809 घरेलू शौचालयों और 233 संस्थागत शौचालयों के निर्माण के लिए 67.63 लाख रुपये की राशि का उपयोग किया गया था।

विवरण

केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत रिलीज (लाख रु० में)

	1986-87	1987-88	1988-89
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	51.00	32.00	53.00
अरुणाचल प्रदेश	17.00	9.00	
असम	20.00	14.00	
बिहार	15.00	53.00	
गोवा	7.00		

1	2	3	4
गुजरात	15.00	7.00	
हरियाणा	8.00	4.00	9.00
हिमाचल प्रदेश	10.00	30.00	9.00
जम्मू व कश्मीर	40.00	25.00	
कर्नाटक	36.00	23.00	
केरल	15.00	15.00	
मध्य प्रदेश	50.00	41.00	
महाराष्ट्र	23.00	25.00	
मणिपुर	5.00	6.00	2.00
मेघालय	12.00	8.00	
मिजोरम	9.00	3.00	1.80
नागालैंड	8.50	8.00	
उड़ीसा	37.00	23.00	36.00
पंजाब	8.00	5.00	
राजस्थान	31.00	20.00	33.00
सिक्किम	6.00	9.66	3.86
तमिलनाडु	23.00	20.00	63.00
त्रिपुरा	10.00	19.35	5.00
उत्तर प्रदेश	67.00	25.00	75.00
पश्चिम बंगाल	36.00	40.00	
दादरा और नगर हवेली			
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5.00		
लक्षद्वीप			5.00
पांडिचेरी	5.00		
दिल्ली			
दमन और दीव			
चंडीगढ़			
योग :	604.50	465.01	305.66

शीत लहर से हुई मौतें

1177. **श्री शांति लाल पटेल:**

श्री जी॰ एस॰ बासवराजू:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनवरी, 1989 के दौरान शीत लहर के प्रकोप से पूरे देश में अनेक व्यक्तियों की जानें गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस शीत लहर से राज्यवार कुल कितने व्यक्तियों के मरने का पता चला है; और

(ग) बेघर लोगों को मकान मुहैया कराने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव): (क) जनवरी, 1989 माह के दौरान किसी भी राज्य से शीत लहर से कोई मौत होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

गेहूं की सुधरी किस्मों के बीजों के इस्तेमाल से किसानों को अर्जित लाभ

1178. **श्री दिनेश गोस्वामी:**

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यापक अनुसंधान के बाद गेहूं के विभिन्न सुधरी किस्मों के बीज किसानों को बोने के लिए उपलब्ध कराये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या किसानों ने अपने खेतों में गेहूं की इन अच्छी किस्मों की भी बुआई की है;

(ग) सुधरी किस्मों के इन बीजों के इस्तेमाल से किसानों को अपनी पैदावार से कितना लाभ हुआ;

(घ) क्या इनमें से अधिकांश किस्में बेकार सिद्ध हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री): (क) जी हां, विस्तृत अनुसंधान और परीक्षण के बाद ही गेहूं की किस्में आमतौर पर बुआई के लिए रिलीज की जाती हैं।

(ख) जी हां, किसान प्रमुख रूप से गेहूं की अनुमोदित किस्में ही उगाते हैं।

(ग) अनुमोदित गेहूं की किस्मों और उससे संबंधित उत्पादन की तकनीकों को अपना-कर किसान अपने खेतों से अधिक पैदावार (40-50 क्विं/हैक.) ले सकते हैं।

(घ) जी नहीं। गेहूं उगाने वाले विभिन्न राज्यों में किसान बहुत सी अनुमोदित किस्में उगा रहे हैं। भारत में गेहूं का उत्पादन 1950-51 के 6.5 मिलियन टन से बढ़कर 1985-86 में 46.9 मिलियन टन तक पहुंच गया है। उत्पादन में यह बढ़ोत्तरी इन किस्मों को उगाने और सुधरी तकनीकों को अपनाने से ही सम्भव हुई है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में उर्वरक संयंत्र की स्थापना

1179. **श्री मदन पांडे:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में गैस और नेफ्था पर आधारित एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर॰ प्रभु): (क) और (ख) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया (एफ सी आई) ने उत्तर प्रदेश में अपने गोरखपुर एकक में

नेफ्था पर आधारित एक नये 900 टन प्रतिदिन अमोनिया तथा 1000 टन प्रतिदिन यूरिया संयंत्र की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रथम चरण की मंजूरी हेतु सरकार के अनुमोदनार्थ एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। परियोजना की अनुमानित लागत 450 करोड़ रुपए है। इस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले मांग-आपूर्ति अन्तर तथा स्रोत स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव की जांच की जाएगी।

चीन के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की वार्ता के दौरान तिब्बत पर चर्चा

[अनुवाद]

1180. **श्री हेत राम:**
श्री मोहम्मद महफूज अली खां:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री की हाल की चीन यात्रा के दौरान चीन की सरकार को तिब्बत के मामले पर कुछ आश्वासन दिये गये थे;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में चीन की सरकार को क्या आश्वासन दिया गया था;

(ग) क्या दिये गये आश्वासन तिब्बत के प्रश्न पर सरकार की पूर्वनीति से भिन्न हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की नीति में परिवर्तन किये जाने के क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह): (क) से (ग) : प्रधान मंत्री की हाल की चीन यात्रा के दौरान इस बात को दोहराया गया कि सरकार तिब्बत को चीन का एक स्वायत्तशासी क्षेत्र मानती है और भारत की भूमि पर इस स्थिति के प्रतिकूल कार्रवाइयां करने की अनुमति नहीं है। यही हमेशा भारत सरकार की नीति रही है और इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बाल्को में संकट

[हिन्दी]

1181. **डा० प्रभात कुमार मिश्र:**
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही:

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में कोरबा स्थित भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि०, (बाल्को) को, गधंमर्दन खानों से बाक्साइट की सप्लाई के बन्द होने से, संकट का सामना करना पड सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या उपाय कर रही है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार): (क) और (ख): भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि० (बाल्को) कोरबा कम्पलेक्स के अमरकंटक और पूर्वकापहाड (मध्य प्रदेश) स्थित ग्रहीत खनन स्रोत तेजी से समाप्त हो रहे हैं। कोरबा संयंत्र के लिए बाक्साइट की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने जुलाई, 1982 में जिला सम्बलपुर (उड़ीसा) में गधंमर्दन बाक्साइट परियोजना मंजूर की थी। किन्तु स्थानीय आन्दोलन के कारण परियोजना का काम दिसम्बर, 1985 से रुका हुआ

है। गंधमर्दन में बाक्साइट खनन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। गंधमर्दन में अनिश्चितता को देखते हुए, कोरबा संयंत्र को बाक्साइट की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बाल्को समुचित उपाय कर रही है।

[अनुवाद]

दिल्ली में सीमा कर (टर्मिनल टैक्स) को बदलना

1182. **डा॰ ए॰ के॰ पटेल:** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने वर्तमान सीम कर प्रणाली को बदलने के लिए प्रवेश कर प्रणाली के विभिन्न पहलुओं का बड़ी तेजी से अध्ययन किया था; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम प्राप्त हुआ है और दिल्ली में सीमाकर को समाप्त करने के लिए क्या निश्चय किया गया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) जी, हां। अब दिल्ली प्रशासन ने अधिकारियों के एक दल से प्रवेश कर प्रणाली का अध्ययन करवा लिया है।

(ख) इस संबंध में दिल्ली प्रशासन द्वारा अब तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

खाद्यान्नों का उत्पादन

1183. **श्री महेन्द्र सिंह:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस वर्ष खरीफ फसल के खाद्यान्नो का कितना उत्पादन हुआ तथा इस रबी फसल में खाद्यानों का कितना उत्पादन होने का अनुमान है ; और

(ख) इस वर्ष लागू किये गये विशेष खाद्य उत्पादन कार्यक्रम की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव)· (क) वर्ष 1988-89 के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन के अन्तिम अनुमान राज्यों से अभी प्राप्त किए जाने हैं। तथापि, वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार, इस वर्ष खरीफ मौसम में 95 से 96 मिलियन मी॰ टन तथा रबी मौसम में 71.5 से 74.0 मिलियन मी॰ टन की रैंज में खाद्यान्न उत्पादन होने का अनुमान है।

(ख) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम से सरकार इस योग्य बन गयी है कि वह किसानों को बीज उपचार, बीज राजसहायता, मृदा सुधार, वनस्पति रक्षण, खरपतवार नियन्त्रण आदि के लिए और अधिक सहायता मुहैया कर सके। इसके फलस्वरूप, वर्ष 1988-89 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन के 106.51 मिलियन मी॰ टन के लक्षित स्तर को पार कर जाने की आशा है।

बड़े पत्तनों के विकास में गैर-सरकारी क्षेत्र को शामिल करना

1184. **श्री एस॰ एम॰ गुरड्डी:**
श्री विजय एन॰ पाटिल:
श्री टी॰ वी॰ चन्द्रशेखरप्प

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बड़े पत्तनों के विकास और आधुनिकीकरण कार्य में गैर-सरकारी क्षेत्र को शामिल करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या इस बारे में गैर-सरकारी क्षेत्र ने रुचि प्रदर्शित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) पत्तन विकास के सीमित क्षेत्रों में सरकार प्राइवेट पूंजी लगाए जाने को प्रोत्साहित करने के लिए तत्पर है। ऐसे पत्तनों में कंटेनर टर्मिनलों के विकास को जहां ऐसा टर्मिनल पहले से मौजूद है, ऐसे एक क्षेत्र के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है।

(ख) से (घ) कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा सितम्बर/अक्तूबर, 1987 में यह पता करने के लिए टेंडर आमंत्रित किया गया था कि क्या प्राइवेट पार्टियां हल्दिया में कंटेनर टर्मिनल की स्थापना में निवेश के लिए तैयार हैं। दो पार्टियों ने इस मामले में अपनी रुचि दर्शाई है और वे इस संबंध में कलकत्ता पत्तन न्यास के साथ बातचीत कर रही हैं।

भूकम्प से प्रभावित व्यक्तियों के लिये राहत उपाय

1185. **डा॰ गौरी शंकर राजहंस:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के भूकम्प से कई राज्यों में बड़े पैमाने पर मकान ढह गये हैं अथवा क्षतिग्रस्त हो गये हैं और इससे सरकार की आवास योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण कितना वित्तीय नुकसान होने का अनुमान है; और

(ग) सरकार का भूकम्प के कारण बेघर हुए व्यक्तियों को राहत प्रदान करने तथा अन्य आवास योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव): (क) और (ख) बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल ने 21 अगस्त, 1988 को आए भूकम्प के कारण मकानों को क्षति पहुंचने की सूचना दी है। क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या और हुई वित्तीय अनुमानित हानि के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) भूकम्प से क्षतिग्रस्त हुए मकानों की मरम्मत/पुनरुद्धार सहित, भूकम्प राहत हेतु बिहार राज्य के लिए 24.31 करोड़ रुपए की अधिकतम व्यय सीमा स्वीकृत की गई है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 23.56 करोड़ रुपए और 8.49 करोड़ रुपए की अधिकतम व्यय सीमा क्रमशः भूकम्प/बाढ़ राहत हेतु स्वीकृत की गई है।

विवरण

भूकम्प के कारण मकानों को पहुँची क्षति की मात्रा

क्रम सं०	राज्य	क्षतिग्रस्त हुए मकानों की संख्या	अनुमानित वित्तीय हानि (करोड़ रुपये में)
1.	बिहार	149334	108.86
2.	सिक्किम	12806	9.12
3.	पश्चिम बंगाल—बाढ़ों के कारण मकानों को पहुँची क्षति के साथ-साथ मकानों को पहुँची क्षति की जानकारी दी गई है। भूकम्प से मकानों को पहुँची क्षति सम्बन्धी आँकड़ों की सूचना राज्य सरकार द्वारा अलग से नहीं दी गई है।		

[हिन्दी]

तिलहनों का उत्पादन

1186. **श्री हरीश रावतः** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रौद्योगिकी मिशन द्वारा तिलहनों के संबंध में कार्यारंभ के पश्चात तिलहनों के उत्पादन में कोई वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उत्पादन में कितनी वार्षिक वृद्धि हुई तथा इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की कितनी बचत हुई?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री): (क) जी हां। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन ने अपने ढ़ाई वर्षों की कार्य अवधि के दौरान तिलहन उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण की है। हालांकि 7 वीं योजना के शुरू से ही वर्षा की कमी रही और वर्ष 1987 में शताब्दी का सबसे भयंकर सूखा पड़ा। वर्षा तथा तिलहन उत्पादन का तुलनात्मक विवरण नीचे दिया जा रहा हैः

वर्ष	मौसम विज्ञान संबंधी एककों का प्रतिशत जहां सामान्य वर्षा होती है	उत्पादन (लाख टन में)
1985-86	74	108.3
1986-87	60	114.5
1987-88	40	123.8

वर्ष 1983-84 में 72 लाख टन के बेहतर उत्पादन तथा वर्ष 1985-87 के तीन वर्ष के 63 लाख टन की औसत उत्पादन की तुलना में वर्ष 1988 के दौरान 84 लाख टन उत्पादन होने की आशा है जबकि लक्ष्य 86 लाख टन का है। रबी का लक्ष्य 71 लाख टन है, और इसको प्राप्त करने की संभावना है। इस प्रकार वर्ष 1988-89 में करीब 155 लाख टन उत्पादन होने की सम्भावना है। उत्पादन में यह बढ़ोतरी मुख्यतः मिशन के साझेदारों द्वारा अपनायी गयी नीति के कारण होगी। जिसमें किसानों को बेहतर प्रौद्योगिकी निवेश तथा अन्य सेवाएं और समर्थन मूल्य प्रदान किया गया है। वर्ष 1988-89 में मानसून भी बहुत अनुकूल रहा है।

(ख) मिशन की स्थापना के समय से ही संबंधित पूर्व वर्षों के उत्पादन में वार्षिक वृद्धि हुई है। यह वृद्धि वर्ष 1986-87 में 4.4 लाख टन, वर्ष 1987-88 में 11.1 लाख टन, और 1988-89 में 31.2 लाख टन उत्पादन होने का अनुमान है। एस॰ टी॰ सी॰ द्वारा आयात किये गए खाद्य तेल का ब्यौरा नीचे की सारणी में दिया गया है:

वर्ष	मिलियन टन	मूल्य (रु॰ करोड़ में)
1983-84	1.63	1318.99
1984-85	1.37	1122.13
1985-86	1.18	488.95
1986-87	1.50	667.67
1987-88	1.82	1060.00(करीब)

वर्ष 1988-89 के दौरान बहुत बढ़िया फसल होने के परिणामस्वरूप खाद्य तेलों का पिछले वर्ष के स्तर से 50 प्रतिशत कम आयात किये जाने की आशा है इससे देश में 500 करोड़ रु॰ की विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा पूंजी निवेश करने का लक्ष्य

[अनुवाद]

1187. **श्री अमर राय प्रधानः** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने उत्पादन को 150 लाख टन तक बढ़ाने हेतु आगामी 12 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश करने का लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित पूंजी निवेश का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम॰एल॰ फोतेदार): (क) और (ख): स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लि॰ (सेल) ने वर्ष 1987 में एक निगमित योजना बनाई थी, जिसमें 2000 ई॰ तक लगभग 150 लाख टन इस्पात के उत्पादन की परिकल्पना की गई थी। वर्तमान मूल्यों के अनुसार इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये की राशि का अनन्तिम अनुमान लगाया गया था। परियोजना-वार पूंजी निवेशों के बारे में सम्भावना है कि ज्यों-ही उन्हें अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा नागपुर में स्टाकयार्ड की स्थापना

1188. **श्री बनवारी लाल पुरोहितः** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण का, नागपुर में एक आधुनिक स्टाकयार्ड स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस स्टाकयार्ड के स्थापना के लिये कितनी पूंजी लगाने का विचार किया गया है;

(ग) क्या नागपुर में प्रस्तावित इस स्टाकयार्ड के लिये स्थल का चयन कर लिया गया है और उसे आवंटित कर दिया गया है;

(घ) इस स्टाकयार्ड का निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा; और

(ङ) विदर्भ क्षेत्र में स्थित उद्योगों को इससे कितना लाभ होगा?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम॰ एल॰ फोतेदार): (क) "सेल" का नागपुर में पहले से स्टॉक यार्ड है। तथापि, वहां पर एक बड़ा और सुसज्जित स्टाक यार्ड स्थापित करने की योजना है।

(ख) से (घ) स्थल का चयन कर लिया गया है और उसके अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू कर दी गई हैं। अन्तिम रूप से पूंजी निवेश, "सेल" को उपलब्ध कराए जाने वाली भूमि और इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों पर निर्भर करेगा। इस समय यह बता पाना समयपूर्व होगा कि इसके निर्माण पर कितना समय लगेगा।

(ङ) एक बड़े और आधुनिक स्टॉक यार्ड के स्थापित हो जाने के परिणामस्वरूप लोहे तथा इस्पात की उपलब्धता में वृद्धि होगी जिससे विदर्भ क्षेत्र में स्थित उद्योगों को सहायता मिलेगी।

खाद्यान्न उत्पादन

[हिन्दी]

1189. **डा॰ चन्द्रशेखर त्रिपाठी:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष खाद्यान्न उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो कितना खाद्यान्न उत्पन्न होने का अनुमान है और इस वृद्धि के लिये जिम्मेवार कारणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने संभावित उत्पादन को ध्यान में रखते हुये इसके भंडारण और खरीद हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव): (क) जी हां।

(ख) खाद्यान्न उत्पादन के अन्तिम अनुमान सभी राज्यों से प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, वर्तमान अनुमानों के अनुसार वर्ष 1988-89 में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 166.5 से 170.0 मिलियन मीटरी टन के बीच होने की सम्भावना है। इस वर्ष इस वृद्धि में सहयोग देने वाले घटक अनुकूल मानसून, उर्वरकों की अधिक खपत, बेहतर प्रबन्ध व्यवस्था और विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जाना है।

(ग) और (घ) सरकार, निर्धारित विशिष्टताओं को पूरा करने वाले उन सभी धान्यों की खरीद की जिम्मेदारी लेती है जो समर्थन मूल्यों पर बिक्री के लिए प्राप्त होते हैं। खरीद कार्य, भारतीय खाद्य निगम के साथ साथ राज्य सरकारों और उनकी एजेन्सियों द्वारा क्षेत्रों के संबंध में आपस में की गई सहमति से संचालित किए जाते हैं। भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकारों और उनकी एजेन्सियों के पास खाद्यान्नों के लिए उपलब्ध भण्डारण क्षमता, जो 1-1-1989 की स्थिति के अनुसार 25.75 मिलियन मीटरी टन थी, बृहत स्तर पर बफर/प्रचालन भण्डार की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। तथापि, भारतीय खाद्य निगम इस समय 3.46 लाख मीटरी टन की भण्डारण क्षमता का निर्माण कर रहा है।

कलकत्ता और हल्दिया पत्तन के बीच होवरक्राफ्ट सेवा प्रारम्भ करना

[अनुवाद]

1190. **श्री राम प्यारे पनिका:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता और हल्दिया के बीच परिवहन की वर्तमान समस्याओं को हल करने के लिए इन दोनों पत्तनों के बीच होवरक्राफ्ट सेवा शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अत्याधिक यातायात के कारण उत्पन्न परिवहन समस्याओं के समाधान हेतु देश के अन्य भागों में भी ऐसी सेवाएं आरम्भ करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) और (ख): जी, हां। केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम ने कलकत्ता और हल्दिया के बीच होवरक्राफ्ट सेवा चलाने तथा इस प्रयोजन के लिए दो होवरक्राफ्ट खरीदने का प्रस्ताव किया है।

(ग) और (घ): सरकार ने दो प्राइवेट कंपनियों को भावनगर और सूरत के बीच दोनों ओर से प्रचालन के लिए दो होवरक्राफ्ट खरीदने हेतु अनुमति दी है। इन कंपनियों को अभी ये होवरक्राफ्ट खरीदने हैं।

उर्वरकों का आयात

1191. **श्रीमती एन॰ पी॰ झांसी लक्ष्मी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उर्वरकों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए इनका निकट भविष्य में आयात करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों का कितना भंडार था तथा वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान उर्वरकों का कितनी मांग और सप्लाई होने का अनुमान है?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर॰ प्रभु): (क) और (ख): आकलित आवश्यकता और स्वदेशी उपलब्धता के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिये उर्वरकों का आयात किया जाएगा।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों के भण्डार की स्थिति नीचे दी गई है:—

	(लाख टन न्यूट्रिएन्ट्स में)
स्टाक निम्नलिखित को	
1.4.1986	29.62
1.4.1987	38.24
1.4.1988	36.80

वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान सभी प्रकार के उर्वरकों की कुल प्रत्याशित मांग और स्वदेशी आपूर्ति निम्न प्रकार है:—

	(लाख टन न्यूट्रिएन्ट्स के रूप में)	
	1988-89	1989-90
प्रत्याशित मांग	113.31	135.00
प्रत्याशित स्वदेशी मांग	88.50	91.50

तिलहनों की सुधरी हुई किस्म का विकास

[हिन्दी]

1192. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हाल ही के वर्षों में तिलहनों की सुधारी हुई किस्मों का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो विकसित की गई किस्मों का ब्यौरा क्या है और इनसे उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की संभावना है;

(ग) क्या किसानों को इस वर्ष बोने के लिये इन किस्मों के बीज उपलब्ध कराये गये; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मात्रा क्या है और किन-किन राज्यों में इनके बीजों की बिक्री की गई?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री): (क) जी हां।

(ख) अखिल भारतीय समन्वित तिलहन अनुसंधान प्रायोजना के अन्तर्गत विकसित की गई विभिन्न तिलहनों की उन्नत किस्मों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों ने राज्य की एजेंसियों के मार्फत कुछ किस्मों और संकरों के प्रमाणित बीज किसानों में बांटा था। हाल में विकसित की गई किस्मों के प्रजनक बीजों का और आगे सम्बर्धन किया जा रहा है, ताकि उन्हें किसानों को दिया जा सके। इन बीजों का सम्बर्धन आधारी और प्रमाणित बीज की अवस्था में किया जा रहा है। पूरक प्रयास के रूप में भारतीय राज्य फार्म निगम ने इस वर्ष विभिन्न राज्य के किसानों को तोरिया की टी॰ एम-15 किस्म के 243 क्विंटल प्रमाणित बीज का वितरण किया है।

(पंजाब 228 क्विंटल, दिल्ली यू॰ टी॰ 9 क्विंटल, और चंडीगढ़ यू॰ टी॰ 6 क्विंटल)

विवरण

अखिल भारतीय समन्वित तिलहन अनुसंधान प्रायोजना के अन्तर्गत हाल ही में विकसित की गई किस्मों के ब्यौरे, तथा उनके उत्पादन में समन्वित वृद्धि

फसल	विकसित की गई किस्मों की संख्या	किस्मों के नाम	उपज में समन्वित वृद्धि की सीमा (प्रतिशत में)
1	2	3	4
मूंगफली	9	ए॰एल॰आर॰ 1, एम-335, बी॰आर॰आई॰-1 (बी॰जी॰-18), एस॰जी॰-84, आई॰सी॰जी॰एस॰-11, आई॰सी॰जी॰एस॰-44, एम॰ए॰-16, टी॰जी॰-9, सी॰जी॰ सी-4018 (जी॰आई॰आर॰ एन॰एन॰आर-1)	10-20
तोरिया-सरसों सरसों	4	आर॰एल॰-1359, आर॰डब्लू॰-351 (भागीरथी), आर॰डब्लू॰ 85-59 (सरमा), एन॰डी॰आर॰-8501	20

1	2	3	4
तोरिया	5	टी.एल-15, टी.डब्लू.सी-3 (पांचाल), पी.टी-30	10-20
तिल	5	आर; ए.यू.एस.एस-17-4, टी.एन.ए.यू-10, टी.सी.289, जे.एल.टी-7, राजेश्वरी	15-25
अलसी	5	डी.पी.एल.-21 (जीवन), एल.सी.के.-152 (गौरव), आर.एल.सी.-6 (किरण), जानकी, के.एल.-31 (नगरकोट)	11-18
सूरजमुखी	8	एम.एस.एफ.एच-8, एम.एस.एफ.एच-10, एम.एस.एफ.एच.-17, सी.ओ-2, ए.पी.एस. एच-11, एस.एस-56, एल.डी.एम.आर.एस. एच.-1, एल.डी.एम.आर.एस.एच.-3	15-30
कुसुम	2	एच.यू.एस.-305 (मालवीय कुसुम 305) एन.आर.एस-209 (एन.आई.आर.ए.)	10-20
अरण्डी	1	एस.एच.बी-18 (जी.सी.एच.-4)	20-26
रामतिल	3	जी.ए.-10, जी.ए.-5, आर.सी.आर-317	17-20
सोयाबीन	6	पी.के-564, पी.के-472, पी.के-471, बी.एल-सोया-2, जे.एस.80-21, एम.ए.सी.एस-58	15-20

[अनुवाद]

दीदारगंज यक्षिणी

1193. **श्री मोहम्मद महफूज़ अली खां:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "दीदारगंज यक्षिणी" जो विदेशों में आयोजित भारतीय मेले के दौरान प्रदर्शित की गई तथा जो पटना संग्रहालय की सम्पत्ति है, राष्ट्रीय संग्रहालय में क्षतिग्रस्त स्थिति में पड़ी है;

(ख) क्या बिहार सरकार ने इस प्रतिमा को लौटाने का बार-बार अनुरोध किया है और इस प्रतिमा को हुई क्षति के लिये क्षतिपूर्ति का दावा किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रतिमा को पटना संग्रहालय को न लौटाने तथा बिहार सरकार द्वारा किये गये दावे की क्षतिपूर्ति का भुगतान न करने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल.पी.शाही): (क) से (ग): पटना संग्रहालय, पटना से संबंधित दीदारगंज यक्षिणी को भारत महोत्सव के तत्वावधान में संयुक्त राज्य अमरीका में प्रदर्शित किया गया था। वापिस लाए जाने के पश्चात से यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के सुरक्षित संरक्षण में है। इस कला वस्तु को मामूली

सी क्षति (इसके बाएं कपोल का एक इंच के 1/10 भाग के बराबर का टुकड़ा) पहुंची थी। सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने इस क्षति के लिए 6.00 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति की सिफारिश की थी, लेकिन बिहार सरकार ने 6.25 करोड़ रु० की राशि की मांग की है। अतः क्षतिपूर्ति के दावे का अंतिम निर्णय होने तक पूर्ति को यहीं रखा जा रहा है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अध्यक्ष की अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत

1194. **प्रो. पराग चालिहाः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल की केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अध्यक्ष के साथ 28 नवम्बर, 1988 को एक बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या बैठक में लिए गये निर्णयों को अब तक लागू किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० शाही) : (क) से (घ): अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षा संघ के एक शिष्टमण्डल ने 28 नवम्बर, 1988 को केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अध्यक्ष से भेंट की। शिष्टमण्डल की शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के स्थानान्तरण और शिक्षकों के पदोन्नति कोटे में वृद्धि; संगीत शिक्षकों के वेतनमान; प्रयोगशाला सहायकों को अध्यापन भत्ता; केन्द्रीय विद्यालय में प्रयोगशाला-सहायकों के संवर्ग को पुनः चालू करने माध्यमिक तथा सीनियर माध्यामिक स्तरों में ड्राइंग, संगीत आदि जैसे वैकल्पिक विषयों को आरम्भ करना; स्कूल पुस्तकालयों में श्रेणी-IV कर्मचारियों के प्रावधान; केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी बोर्ड में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व और अगस्त, 1984 में सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जाने वाले केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षकों को वेतन के भुगतान से सम्बन्धित मामलों पर प्रारम्भिक चर्चा हुई थी। ऊपर उल्लिखित चर्चा के अनुसरण में, केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने यह निर्णय लिया है कि टर्मिनल बीमारी से ग्रस्त शिक्षकों के स्थानान्तरण के अनुरोधों पर पूरे वर्ष विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वर्ष 1988 में स्नातकोत्तर शिक्षक तथा उपप्रधानाचार्य के रूप में पर्याप्त अनुपात में पदोन्नत/चुने गए शिक्षकों को प्रदान किए गए वर्तमान स्थानान्तरण संबंधी दिशानिर्देशों के अन्तर्गत दूरस्थ राज्यों में उन्होंने अपना कार्य नहीं संभाला है, केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने यह निर्णय लिया है कि इन्हें यथा संभव सीमा में निकटवर्ती राज्यों में नियुक्ति प्रस्ताव प्रदान किए जाऐंगे। सगीत शिक्षकों के वेतनमानों में वृद्धि करने और प्रयोगशाला-सहायकों को अध्यापन भत्ता देने के सुझाव को स्वीकार करना सम्भव नहीं है। प्रयोगशाला सहायकों के संवर्ग को पुनः चालू करने जमा 2 स्तर पर ड्राइंग, संगीत जैसे विषयों को अधिक संख्या में आरंभ करने और स्कूल पुस्तकालय के लिए श्रेणी-IV कर्मचारियों की व्यवस्था को भी स्वीकार्य करना सम्भव नहीं है।

[हिन्दी]

खारा पेयजल

1195. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां पानी में फ्लोराइड की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है और पानी खारा है; जो पीने योग्य नहीं है तथा इसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियां भी पैदा होती हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे क्षेत्रों के राज्यवार नाम क्या हैं; और

(ग) इन क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अन्तर्गत वैकल्पिक जल स्रोत मुहैया कराकर अथवा फ्लोराइड दूर करने के घरेलू कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाकर अथवा प्रभावित क्षेत्रों में फ्लोराइड दूर करने के सामुदायिक संयंत्र लगा कर फ्लोराइड की अनुमेय सीमा सहित स्वच्छ पेयजल सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कदम उठाए गए हैं। कुछ प्रभावित राज्यों में फ्लोराइड दूर करने के 100 संयंत्रों की स्थापना का अनुमोदन किया गया है।

"फ्लोरोसिस पर नियंत्रण" संबंधी उप-मिशन गतिविधियों के अर्न्तगत लोगों को फ्लोराइड युक्त जल का इस्तेमाल न करने के बारे में शिक्षित करने हेतु चिकित्सकों, पैरामैडिकल कार्यकत्ताओं तथा आम आदमी के लिए फ्लोरोसिस से प्रभावित जिलों में प्रशिक्षण व जन जागरुकता शिविर भी लगाए जा रहे हैं।

इसी प्रकार, जल के खारेपन को दूर करने से संबंधित उप-मिशन के अन्तर्गत वैकल्पिक जलस्रोत मुहैया कराकर अथवा खारापन दूर करने के संयंत्रों की स्थापना करके स्वच्छ पेयजल स्रोत उपलब्ध कराए जाते हैं। गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों में पहले से ही कार्य कर रहे आर० ओ० मोबाइल डीसेलीनेशन प्लांट तथा बड़ी संख्या में आर० ओ०/ई० डी० स्टेशनरी के अलावा, प्रभावित राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में खारेपन को दूर करने के 128 संयंत्रों की स्थापना का पहले ही अनुमोदन किया जा चुका है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य / संघ शासित क्षेत्र का नाम	निम्नलिखित से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र	
		फ्लौराइड की अधिकता	खारेपन की अधिकता
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	जिला कुरनूल, प्रकाशम, नलगोंडा, पश्चिमी गोदावरी	कृष्णा, पश्चिमी गोदावरी, पूर्वी गोदावरी, गुंटूर, नैल्लोर, विजयानगरम, प्रकाशम
2.	बिहार	×	×
3.	गुजरात	अमरेली, महसाना	जामनगर, भावनगर, कच्छ आदि
4.	हरियाणा	गुड़गांव, फरीदाबाद, जींद आदि सात जिलों के कुछ क्षेत्र	गुड़गांव
5.	कर्नाटक	धारवाड़, गुलबर्गा, रायचुर	×
6.	केरल	—	—
7.	मध्य प्रदेश	×	×
8.	महाराष्ट्र	चन्द्रपुर जिला तथा अन्य 9 जिले	औरंगाबाद, थाने, अमरावती
9.	पंजाब	×	×
10.	राजस्थान	सभी 27 जिलों के कुछ क्षेत्र	बाड़मेर, चुरु, जोधपुर, नागौर झुनझुनु, बीकानेर भरतपुर, जयपुर
11.	तमिलनाडु	पेरियार	रामानाथपुरम, दक्षिण आरकोट
12.	उड़ीसा	×पता लगाया जा रहा है	×
13.	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर	×
14.	पश्चिम बंगाल	—	रघुनाथपुर, सुन्दरबन, मिदनापुर, 24 परगना
15.	संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप	—	बसे हुए द्वीपसमूहों के कुछ क्षेत्र
16.	संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी	—	संघ शासित क्षेत्र के कुछ इलाके
17.	संघ शासित क्षेत्र दिल्ली	संघ शासित क्षेत्र के कुछ ग्रामीण इलाके	—

× फिलहाल में फ्लोराइड अथवा खारेपन की अधिकता से प्रभावित विशेष क्षेत्रों का पता लगाने के लिए जल गुणवत्ता विश्लेषण किया जा रहा है।

[अनुवाद]

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा शिष्टमण्डलों और सम्पर्क अधिकारियों के चयन हेतु मानदंड / दिशा-निर्देश

1196. **श्री राज कुमार राय:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए विदेश भेजे जाने वाले शिष्टमण्डल के चयन हेतु क्या मानदण्ड और दिशा-निर्देश अपनाए जाते हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे शिष्टमण्डलों से संबद्ध सम्पर्क अधिकारियों के दर्जों और इन शिष्टमण्डलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान शिष्टमण्डलों द्वारा किन-किन देशों मे कार्यक्रम प्रस्तुत किए गये हैं ; और

(घ) प्रत्येक शिष्टमण्डल पर कितनी धनराशि खर्च की जाती है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रो० के० के० तिवारी: (क) प्रतिनिधिमण्डलों की विदेश यात्राओं के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद विदेश स्थित भारतीय मिशनों से प्रस्ताव आमंत्रित करता है । इन्हे वार्षिक कार्य योजना मे शामिल किया जाता है और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष, इसके शासी निकाय तथा इसकी महासभा को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है । मंचीय कलाकार मण्डलियों का चयन संदर्भ सूची से किया जाता है जिसकी सिफारिश नृत्य, संगीत और रंगमंच के क्षेत्रों मे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष द्वारा गठित सलाहकार मण्डल करते है।

बड़े अथवा संयुक्त दलों के साथ ही सम्पर्क अधिकारी भेजे जाते है, प्रत्येक प्रतिनिधिमण्डल के साथ नहीं। सामान्यतः सम्पर्क अधिकारी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद से उस अनुभाग से चुना जाता है, जो उस दल विशेष का काम देख रहा है सम्पर्क अधिकारियों का चयन करते समय प्रतिनिधिमण्डल से संबंधित कार्य के अनुभव को भी सामान्यतः ध्यान मे रखा जाता है ।

(ख) से (घ): यह सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

तमिलनाडु में किसानों की समस्याओं के आकलन के लिये अध्ययन दल

1197. **श्री पी०आर०एस० वेंकटेशन:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि तमिलनाडु में किसानों की समस्याओं का आकलन करने के लिये एक अध्ययन दल भेजा जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अध्ययन दल के निष्कर्ष क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव): (क) तमिलनाडु सरकार ने किसानों की समस्याओं का आकलन करने के लिए वहां एक अध्ययन दल भेजने हेतु कोई अनुरोध नहीं किया है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

उलुबड़िया नगर निगम द्वारा नदी के तलकर्षण के लिए अनुरोध

1198. **श्री हन्नान मोल्लाह:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उलुबड़िया नगर निगम ने कलकत्ता पत्तन न्यास से नदी के नियमित उचित तलकर्षण के लिए अनेक बार अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) और (ख) उलुबड़िया नगर पालिका ने बैंक स्लिपों के कारण नौचालन चैनल से विपरीत दिशा में अपेक्षाकृत उथले क्षेत्रों का निकर्षण करने का अनुरोध किया था। चूंकि अनेक वर्षों के जलीय सर्वेक्षण चार्टों के अध्ययन से पत्तन के निकर्षण की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई, इसलिए उलुबड़िया नगरपालिका को कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट ने तदनुसार सूचित कर दिया। उलुबड़िया की ओर नौचालन चैनल के निकर्षण की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहां हमेशा नौचालन अपेक्षाओं से अधिक डुबाव रहा है। नौचालन चैनल का और भी निकर्षण करने से डुबाव बढ़ने के कारण स्लिपों को नुकसान हो सकता है।

फसल बीमा योजना

1199. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 के लिये फसल बीमा योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में किसानों को फसल बीमा दावों की कितनी राशि का भुगतान किया गया तथा कितनी राशि का भुगतान अभी किया जाना है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव): 1987-88 के संबंध में वृहत फसल बीमा योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में 1328.62 लाख रुपये के दावे देय हैं, जिनमें से 9.61 लाख रुपये की राशि का भुगतान कर दिया गया है। उड़ीसा में 1988-89 के लिए वृहत फसल बीमा योजना के अन्तर्गत देय क्षतिपूर्ति दावों का ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है।

लन्दन स्थित भारतीय उच्चायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन

1200. **डा० दत्ता सामंत:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 22 जनवरी, 1989 को लन्दन स्थित भारतीय उच्चायुक्त कार्यालय के बाहर हुये प्रदर्शन की जानकारी है जिसमें "खालिस्तान" बनाने के पक्ष में नारे लगाये जा रहे थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह): (क) जी, हां।

(ख) यू० के० में विभिन्न सिख उग्रवादी संगठनों ने लन्दन में 22 जनवरी, 1989 को एक प्रदर्शन किया था। चार-पांच हजार लोगों ने लन्दन की मुख्य सड़कों पर जुलूस निकाला और वे इंडिया हाऊस के बाहर इकट्ठे हो गये। ये लोग तख्तियाँ लिए हुए थे, जिन पर भारत विरोधी नारे लिखे हुए थे, केहर सिंह और सतवंत सिंह की जय-जयकार कर रहे थे और खालिस्तान समर्थक नारे लगा रहे थे। ब्रिटेन की पुलिस ने इस बात का सुनिश्चय किया था कि जुलूस के दौरान कोई हिंसा न होने पाए लेकिन सामान्य उपद्रव कार्य व्यवहार करने के कारण चार लोगों को गिरफ्तार किया गया

पटसन की खेती के लिए विशेष पैकेज योजना

1201. **श्री जी॰ एस॰ बासवराजु:**
श्री शांतिलाल पटेल:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पटसन की खेती का विकास करने के लिए पश्चिम बंगाल को प्रधान मंत्री के विशेष पैकेज के एक हिस्से के रूप में 25 करोड़ रुपये उपलब्ध करने की घोषणा की गई थी:

(ख) क्या अब तक इस राशि का उपयोग किया जा चुका है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या पटसन की खेती में सुधार लाने के लिए कोई विशेष समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव): (क) प्रधान मंत्री के विशेष पैकेज के एक हिस्से के रूप में 25 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने की घोषणा पश्चिम बंगाल सहित पटसन/मेस्ता का उत्पादन करने वाले 8 बड़े राज्यों में पटसन की खेती का विकास करने के लिए घोषित की गई थी।

(ख) और (ग): विशेष पटसन विकास कार्यक्रम तीन वर्षों, अर्थात् 1987-88 से 1989-90 तक, के लिए स्वीकृत किया गया है। इस राशि का उपयोग किया जा रहा है।

(घ) पटसन उत्पादन में सुधार करने के लिए प्रत्येक राज्य में क्रियान्वयन हेतु एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत संस्कृत के बारे में ज्ञापन

1202. **प्रो॰ नारायण चन्द्र पराशर:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार, 10+2 प्रणाली तथा नई शिक्षा नीति के कार्यक्रम के अन्तर्गत संस्कृत की पढ़ाई में गतिरोध आने के कारण देश में शिक्षा संस्थाओं में संस्कृत को उचित दर्जा दिए जाने के लिए संस्कृत विद्वानों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने उक्त ज्ञापन पर क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि इस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई/निर्णय नहीं लिया गया है, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृत विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल॰ पी॰ शाही): (क) से (घ): राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में रा॰ शि॰ नी॰ 1968 में यथा प्रतिपादित त्रिभाषा सूत्र का समर्थन किया गया है। दोनों वर्षों अर्थात् 1968 तथा 1986 की नीतियों पर संसद में विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी थी और इन्हें संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में उल्लिखित त्रिभाषा सूत्र को विभिन्न स्तरों पर काफी विचार-विमर्श के

पश्चात् तैयार किया गया है और यह देशभर को सर्वसम्मति का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें यह निर्धारित किया गया है कि माध्यमिक स्तर पर, हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा एक आधुनिक भारतीय भाषा अधिमानतः एक दक्षिणी भाषा और अहिन्दी भाषी राज्यों में क्षेत्रीय भाषा तथा अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी पढ़ायी जानी चाहिए। केन्द्रीय सरकार ने राज्यों से हमेशा से यह सिफारिश करती रही है कि वे त्रिभाषा सूत्र का ईमानदारी से कार्यान्वयन करें। स्कूली शिक्षा की देखभाल मुख्यतः राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। राज्यों की अपनी एजेंसियां हैं जो उनके स्कूलों द्वारा अपनाई जा रही अध्ययन की योजना को तैयार करती हैं तथा निर्धारित करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान का विश्वसनीय रूप से कड़ाई से लागू करने को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सितम्बर, 1988 में माध्यमिक परीक्षा के लिए अध्ययनों की योजना को संशोधित किया है। इसमें माध्यमिक स्कूल परीक्षा तक हिन्दी, अंग्रेजी तथा एक आधुनिक भारतीय भाषा का शिक्षण अपेक्षित है। हिन्दी "ए" पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में संस्कृत पढ़ायी जाएगी। इसके अतिरिक्त एक अतिरिक्त विषय सहित संस्कृत को शामिल करके छात्र सात प्राचीन तथा यूरोपियन भाषाओं में से एक ले सकते हैं।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सितम्बर, 1988 में माध्यमिक बोर्ड स्तर पर भाषाओं के अध्ययन की संशोधित योजना की घोषणा करने के बाद, अनेक लोगों ने अपनी आशंका व्यक्त करते हुए लिखा है कि इस व्यवस्था से स्कूलों में संस्कृत के अध्ययन में कमी आयेगी। इस सम्बन्ध में यह नोट किया जाए कि संस्कृत के महत्व को कम करने का कोई भी इरादा नहीं है। अध्ययन की संशोधित योजना में, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली माध्यमिक परीक्षा में बैठने वाले अधिकांश छात्रों द्वारा हिन्दी "क" पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में संस्कृत का अध्ययन किया जाएगा। छात्र और अधिक परिपक्व आयु में इसका अध्ययन करेंगे और चूंकि यह बोर्ड परीक्षा के योग्य बन जाएगी इसलिए इसका अध्ययन अधिक गंभीरता से किया जाएगा।

भेड़ और भेड़ उत्पाद विकास निगम को स्थापित करने की स्वीकृति

1203. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यरः** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कर्नाटक में भेड़ और भेड़ उत्पादों के विकास हेतु एक निगम स्थापित करने का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास दो वर्षों से विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक स्वीकृति प्रदान की जायेगी?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव):

(क) जी, नहीं

(ख) और (ग): प्रश्न ही नहीं उठते।

तिब्बती महिलाओं से ज्ञापन

1204. **श्री पी० एम० सईदः** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को तिब्बती महिला संघ से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें तिब्बतियों की समस्या का समाधान करने के लिये एक गुट निरपेक्ष देश के रूप में सहायता की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह): (क) और (ख) सरकार को तिब्बती महिला संघ द्वारा भेजे गये ज्ञापन की जानकारी है। इस ज्ञापन में चीन और तिब्बत के बीच संबंधों के बारे में मसले उठाए गए हैं।

(ग) सरकार तिब्बत को चीन का स्वायत क्षेत्र मानती है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के कटक-भुवनेश्वर खंड को चार लेनें बनाना

1206. **श्रीमती जयन्ती पटनायक:** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसाधनों में रुकावट के कारण कटक और भुवनेश्वर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 की चार लेनों के निर्माण कार्य में अधिक प्रगति नहीं हुई है; और

(ख) सातवीं योजना के दौरान उक्त सड़क-खण्ड की चार लेनों के निर्माण के लिए कितनी धनराशि के परिव्यय की मंजूरी दी गई है, कितनी धनराशि जारी की जा चुकी है और कितनी धनराशि प्रदान किए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) जी, नहीं। लगभग एक कि.मी. लम्बी सड़क पहले से ही चौहरी लेन वाली है और शेष के लिए सातवीं योजना में प्रावधान है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बाढ़ से प्रभावित राज्यों को केन्द्रीय सहायता

1207. **श्री डी० बी० पाटिल:**
श्री अजय विश्वास:
श्री चिंतामणि जेना:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाढ़ से प्रभावित राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने केन्द्रीय सरकार से सहायता का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो 31 जनवरी, 1989 तक केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को वास्तव में कितनी-कितनी सहायता प्रदान की है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव): (क) और (ख) 1988 के दक्षिण-पश्चिमी मानसून के दौरान बाढ़ों, भारी वर्षा, आदि से प्रभावित 21 राज्यों में से 18 राज्यों ने राहत के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग करते हुए ज्ञापन भेजे थे। इन राज्यों के लिए 31-1-1989 तक 539.79 करोड़ रुपए की अधिकतम व्यय सीमा स्वीकृत की गई थी। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1988 की मानसून बाढ़ों के दौरान बाढ़ों, भारी वर्षा के लिए स्वीकृत व्यय सीमा का राज्यवार ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	राज्य	राशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	28.76
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.45
3.	असम	85.36
4.	गुजरात	27.02
5.	हरियाणा	32.14
6.	हिमाचल प्रदेश	33.40
7.	जम्मू और कश्मीर	34.79
8.	कर्नाटक	15.38
9.	केरल	10.55
10.	महाराष्ट्र	21.97
11.	मेघालय	1.88
12.	मिजोरम	1.30
13.	पंजाब	150.30
14.	राजस्थान	2.14
15.	सिक्किम	8.49
16.	त्रिपुरा	1.96
17.	उत्तर प्रदेश	40.80
18.	पश्चिम बंगाल	37.10
		योग—539.79

उड़ीसा में स्पंज आयरन संयंत्र की स्थापना

1208. **श्री बल्लभ पाणिग्राही :**
श्री हरिहर सोरन :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) का दैतारी, उड़ीसा में 10 लाख टन क्षमता के एक स्पंज आयरन संयंत्र की स्थापना करने का विचार है;

(ख) क्या स्पंज आयरन के संयंत्र को सातवीं योजनावधि के दौरान स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने क्या कार्यवाही की है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम. एल. फोतेदार): (क) से (ग) सेल" इस समय देश के विभिन्न

स्थानों पर जिनमें उड़ीसा स्थित दैतारी भी सम्मिलित है, स्पंज लोहा स्थापित करने की व्यवहार्यता की जांच कर रही है।

"नान फार्मल" शिक्षकों को वेतन

1209. **श्री सैफुद्दीन अहमद:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नान-फार्मल शिक्षकों के मासिक भत्ते (वेतन) कितने निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या नान-फार्मल शिक्षकों को नियमित कक्षाओं में सुबह दस बजे से शाम 5 बजे तक पर्याप्त पारिश्रमिक के बिना पढ़ाना पड़ता है; और

(ग) क्या उनके भत्तों में कोई वृद्धि करने पर विचार किया जा रहा है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल॰पी॰ शाही): (क) प्राईमरी स्तर के गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों में, अनुदेशकों को 105 रु॰ प्रति माह और अपर प्राईमरी स्तर के गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों में 125 रु॰ प्रति माह का मानदेय दिया जाता है।

(ख) जी, नहीं। इस योजना में, यह परिकल्पना की गई है कि स्थानीय समाज के निष्ठावान व्यक्ति गैर-औपचारिक शिक्षा अनुदेशकों के रूप में काम करेंगे। जिसके लिए उन्हें केवल मानदेय ही दिया जाएगा। गैर-औपचारिक केन्द्रों के काम के घंटे निर्धारित नहीं हैं लेकिन वे कभी-कभी एक दिन में लगभग दो घंटे के लिये कार्य करते हैं जो नौसीखियों के लिए उपयुक्त होते हैं।

(ग) जी, नहीं।

वारापूजा पुल का डिजाइन

1210. **प्रो॰ के॰ बी॰ थामस:** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोचीन में वारापूजा पुल के डिजाइन को मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो पुल पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो डिजाइन को अंतिम रूप देने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हालांकि पुल की रूपरेखा (डिजाइन) तैयार कर ली गई है, फिर भी परियोजना को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका क्योंकि इसमें दोनों ओर पहुंचमार्ग के एलाइनमेंट और अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण को अंतिम रूप दिया जाना शामिल है। अन्वेषणों से पता चला है कि चूंकि मिट्टी खराब है और ऊंचे बांध को सहारा देने में असमर्थ है, इसलिए दोनों ओर वायाडक्ट का प्रावधान करना होगा जिसके लिए डिजाइन को भी अंतिम रूप दिया जाना है।

कृषि के अन्तर्गत क्षेत्र

1211. **श्री के॰ पी॰ उन्नीकृष्णन:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 में भारत के विभिन्न राज्यों में कुल कितनी भूमि पर कृषि होती थी; और

(ख) इसी अवधि के दौरान कुल सिंचित भूमि कितनी थी तथा कुल सिंचित क्षेत्र की तुलना में बुआई क्षेत्र का प्रतिशत कितना है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव): (क) और (ख) निवल बोये गये क्षेत्र, कुल सिंचित क्षेत्र और 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के लिए निवल बोए गए क्षेत्र की तुलना में इसकी प्रतिशतता पर एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क्षेत्र हजार हैक्टेयर में)

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	निवल बोया गया क्षेत्र			निवल सिंचित क्षेत्र			निवल बोए गए क्षेत्र की तुलना में निवल सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता		
	82-83	83-84	84-85	82-83	83-84	84-85	82-83	83-84	84-85
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	11034	11436	10486	3527	3878	3522	32.0	33.9	33.6
अरुणाचल प्रदेश	118	118	118	24	22	22	20.3	18.6	18.6
असम	2696	2696	2706	572	572	572	21.2	21.2	21.1
बिहार	7530	7580	7643	2319	2517	2795	31.0	33.2	36.6
गुजरात	9583	9583	9617	2240	2240	2271	23.4	23.4	23.6
हरियाणा	3596	3600	3616	2356	2190	2189	65.5	60.8	60.5
हिमाचल प्रदेश	571	593	580	93	94	95	16.3	15.9	16.4
जम्मू व कश्मीर	724	729	735	318	321	309	43.9	44.0	42.0
कर्नाटक	10356	10605	10549	1486	1590	1693	14.3	15.0	16.0
केरल	2180	2180	2184	259	266	271	11.9	12.2	12.4
मध्य प्रदेश	19027	19223	19205	2656	2772	3010	14.0	14.4	15.7
महाराष्ट्र	18302	18302	18185	1964	1964	1876	10.7	10.7	10.3
मणिपुर	140	140	140	65	65	65	46.4	46.4	46.4
मेघालय	193	193	193	50	50	50	25.9	25.9	25.9
मिजोरम	65	65	65	8	8	8	12.3	12.3	12.3
नागालैंड	165	185	183	66	68	50	40.4	36.8	27.3
उड़ीसा	5990	5990	6288	1845	1845	1466	30.8	30.8	23.3
पंजाब	4202	4212	4189	3550	3609	3621	84.5	85.7	86.4
राजस्थान	15660	16234	15215	3218	3276	3204	20.5	20.2	21.1
सिक्किम	76	78	78	12	12	16	15.8	15.4	20.5
तमिलनाडु	5259	5846	5788	2255	2618	2640	42.9	44.8	45.6
त्रिपुरा	246	246	249	29	29	29	11.8	11.8	11.6
उत्तर प्रदेश	17226	17273	17248	9884	9879	9879	57.4	57.2	57.3
पश्चिम बंगाल	5565	5341	5341	1834	1980	1980	33.0	37.1	37.1
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	33	33	33	—	—	—	—	—	—
चंडीगढ़	3	3	3	—	—	—	—	—	—
दादर और नगर हवेली	24	24	24	1	1	1	4.2	4.2	4.2
दिल्ली	65	63	60	52	51	50	80.0	81.0	83.3
गोवा, दमन और दीव	133	143	147	13	13	13	9.8	9.1	8.8
लक्षद्वीप	3	3	3	—	—	—	—	—	—
पांडिचेरी	29	29	29	25	25	25	86.2	86.2	86.2
अखिल भारत	140794	142746	140900	40721	41955	41722	28.9	29.4	29.6

आठवीं योजना के दौरान खुले विश्वविद्यालय स्थापित करना

1212. **श्री हुसैन दलवाई:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं योजना अवधि के दौरान कितने खुले विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार किया गया है;

(ख) इन्दिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय द्वारा पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रमों का ब्योरा क्या है; और

(ग) इन्दिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय द्वारा दूरस्थ स्थानों में रहने वाले अपने छात्रों को शिक्षा देने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही): (क) आठवीं योजना अवधि के दौरान राज्य सरकारों द्वारा मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित करने के किसे प्रस्ताव के बारे में जानकारी विभाग में नहीं है।

(ख) इस समय विश्वविधालय द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम निम्नलिखित हैं:-

1. सुदूर शिक्षा में डिप्लोमा
2. प्रबन्ध में डिप्लोमा (माड्यूल I और माड्यूल II)
3. अंग्रेजी में सृजनात्मक लेखन में डिप्लोमा
4. ग्रामीण विकास में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
5. खाद्य और पोषण में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
6. बी० ए० और
7. बी० काम०

(ग) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने अपने विद्यार्थियों को मुद्रित पाठों, आडियो और वीडियो कैसट्स द्वारा शिक्षा प्रदान करने के लिए एक बहु-माध्यम शैक्षिक नीति अपनायी है। देश के विभिन्न भागों में स्थित विश्वविद्यालयों के 115 अध्ययन केन्द्रों में व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रमों के लिए शिक्षकों / सलाहकारों द्वारा आमने सामने प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है।

भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड को घाटा

1213. **श्री भट्टम श्रीराममूर्ति:** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड को वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान घाटा हुआ है, यदि हां, तो प्रतिवर्ष कितना घाटा हुआ है;

(ख) क्या भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड को उन एककों का उत्पादन बन्द करने के आदेश दिये गये है जिनमें भारी घाटा हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड को पिंडों, छड़ों (राइस-रोल्ड) उत्पादों में कितना घाटा हुआ है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम॰ एल॰ फोतेदार): (क) और (ख): जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

बेरोजगार युवक

1214. **श्री प्रतापराव बी॰ भोसले:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार की ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार युवकों को खेती के प्रति आकर्षित करने के लिए कौन सी अतिरिक्त सुविधाएं देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) 1. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 38 वें दौर के अनुसार मार्च, 1985 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के बेरोजगारों की अनुमानित संख्या 8.77 मिलियन थी जिसमें से 4.67 मिलियन बेरोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में थे।

2. अनुषंगी स्तर (समायोजित) में श्रमिकों को छोड़कर समान्य स्तर के अनुसार बेरोजगारों (15 वर्ष और उससे अधिक आयु के) की ग्रामीण पुरूषों और ग्रामीण महिलाओं के लिए शिक्षा का विशिष्ट प्रतिशत क्रमशः संलग्न विवरण-1 और विवरण-2 में दिया गया है।

(ख) और (ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई॰आर॰डी॰पी॰) के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 4800 रुपए वार्षिक से कम की आय वाले परिवारों की प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, बागवानी, रेशमकीट पालन, तथा पशुपालन, द्वितीय क्षेत्र में बुनाई, हस्तशिल्प आदि जैसी अनेक गतिविधियों और तृतीय क्षेत्र में सेवा तथा व्यवसाय गतिविधियों में स्व-रोजगार धन्धे शुरू करने के लिए सहायता दी जाती है। 1987-88 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थियों में से 41 प्रतिशत ने प्राथमिक क्षेत्र में आर्थिक कार्य शुरू किये।

ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राइसेम) के अन्तर्गत 4800 रुपए वार्षिक से कम की आय वाले परिवारों के ग्रामीण युवाओं को तकनीकी कुशलता प्रदान की जाती है ताकि वे कृषि तथा सम्बद्ध कार्यों, उद्योगों, सेवाओं और व्यवसाय कार्यों के विस्तृत क्षेत्रों में स्व-रोजगार शुरू कर सकें। लक्षित समूह में 4800 रुपए वार्षिक से कम आय वाले परिवारों के 18-35 वर्ष की आयु वर्ग के ग्रामीण युवा आते हैं। प्रशिक्षण अवधि के दौरान, प्रशिक्षार्थियों को वजीफा तथा निःशुल्क औजार किट आदि दिए जाते हैं और प्रशिक्षण पूरा करने के बाद स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए उन्हें सबसिडी और ऋण के रूप में सहायता दी जाती है। परियोजना सम्पर्कों के मामलों में मजदूरी रोजगार शामिल करने के लिए ट्राइसेम योजना के उद्देश्य में विस्तार किया गया है।

कृषि, अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कृषि विज्ञान केन्द्र कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण सहायता देता है।

विवरण-I

शिक्षा-अनुषंगी स्तर (समायोजित) में श्रमिकों को छोड़कर सामान्य स्तर के अनुसार बेरोजगारों (15 और उससे अधिक वर्ष के) का विशिष्ट प्रतिशत ग्रामीण युवा

राज्य / संघ शासित क्षेत्र	अशिक्षित	प्राथमिक स्तर तक शिक्षित	माध्यमिक	सैकेन्ड्री	स्नातक और ऊपर	कुल
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	0.09	0.93	2.05	4.79	15.84	0.88
असम	0.61	0.41	2.48	7.58	4.53	1.58
बिहार	0.36	0.93	1.42	4.92	10.45	1.11
गुजरात	0.45	0.11	0.76	1.71	5.53	0.55
हरियाणा	0.17	3.38	2.94	8.84	2.44	2.41
हिमाचल प्रदेश	0.17	1.01	0.95	5.07	4.19	1.23
जम्मू व कश्मीर	0.13	0.63	0.77	2.97	5.16	0.57
कर्नाटक	0.02	0.39	1.72	3.07	11.51	0.71
केरल	0.90	2.74	9.61	13.45	7.22	5.78
मध्य प्रदेश	0.11	0.27	0.41	4.35	4.67	0.24
महाराष्ट्र	0.02	0.41	2.56	3.48	5.03	0.85
मणिपुर	-	-	0.68	2.37	-	0.43
मेघालय	-	0.39	1.25	1.73	-	0.39
उड़ीसा	0.69	0.61	3.48	6.80	9.53	1.39
पंजाब	0.36	2.42	2.15	6.91	6.85	1.89
राजस्थान	0.20	0.06	1.10	0.21	2.25	0.40
सिक्किम	0.48	-	8.32	-	-	0.83
तमिलनाडु	0.33	1.23	5.25	7.97	19.90	2.09
त्रिपुरा	0.46	0.37	0.39	5.04	2.51	1.14
उत्तर प्रदेश	0.15	0.42	1.76	2.66	6.13	0.71
पश्चिम बंगाल	0.42	1.29	3.88	6.67	4.56	1.83
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.95	3.31	5.04	4.94	12.54	2.98
चंडीगढ़	-	-	5.08	11.२8	-	2.92
दादरा और नगर हवेली	0.83	1.57	-	-	-	0.90
दिल्ली	-	-	8.03	3.06	-	1.94
गोवा, दमन और दीव	-	0.19	-	-	-	0.06
मिजोरम	-	-	-	2.31	-	0.06
पांडिचेरी	-	2.01	1.65	9.05	-	1.88
अखिल भारत	0.24	0.90	2.83	5.14	7.46	1.23

विवरण-II

शिक्षा-अनुषंगी स्तर (समायोजित) में श्रमिकों को छोड़कर सामान्य स्तर के अनुसार बेरोजगारों (15 और उससे अधिक वर्ष के) का विशिष्ट प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं

राज्य / संघ शासित क्षेत्र	अशिक्षित	प्राथमिक स्तर तक शिक्षित	माध्यमिक	सैकेन्ड्री	स्नातक और ऊपर	कुल
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	0.03	-	2.58	1.50	11.46	0.12
असम	0.31	-	0.44	4.59	9.44	0.39
बिहार	0.06	-	-	3.86	-	0.08
गुजरात	0.07	0.08	-	1.00	8.43	0.11
हरियाणा	-	-	1.69	-	31.32	0.10
हिमाचल प्रदेश	-	0.21	-	4.71	15.86	0.36
जम्मू व कश्मीर	-	-	-	3.66	4.87	0.09
कर्नाटक	0.04	0.21	0.32	7.86	15.65	0.30
केरल	0.23	1.29	6.54	13.93	19.86	3.64
मध्य प्रदेश	0.01	0.14	-	4.76	-	0.04
महाराष्ट्र	-	-	0.65	1.58	9.13	0.07
मणिपुर	-	-	-	-	-	-
मेघालय	-	-	0.77	-	-	0.07
उड़ीसा	0.13	-	0.33	3.15	-	0.16
पंजाब	0.32	-	2.13	5.46	17.22	0.73
राजस्थान	0.06	-	-	-	-	0.06
सिक्किम	-	-	-	17.23	-	0.28
तमिलनाडु	0.24	0.40	2.09	11.32	20.83	0.70
त्रिपुरा	-	-	1.49	25.86	11.67	1.56
उत्तर प्रदेश	-	-	0.28	0.79	-	0.02
पश्चिम बंगाल	0.12	0.18	1.87	7.70	23.79	0.49
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.21	0.57	2.60	6.72	——	0.87
चंडीगढ़	-	-	-	-	-	-
दादरा और नगर हवेली	-	2.14	-	-	-	0.24
दिल्ली	-	-	-	-	-	-
गोवा, दमन और दीव	-	6.22	-	-	-	1.30
मिजोरम	-	-	-	-	-	-
पांडिचेरी	0.49	-	-	3.36	100.00	1.60
अखिल भारत	0.07	0.27	2.02	6.68	13.31	0.35

महाराष्ट्र में पेयजल सप्लाई की योजनायें

1215. **प्रो॰ मधु दंडवते:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सूखा प्रवण क्षेत्रों में पाइपों से पेयजल सप्लाई करने की छः योजनाओं का प्रस्ताव किया है जिन पर 49.50 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है; और

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान की जायेगी?

कृषि मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) जी हां।

(ख) 28.0 करोड़ रुपये की लागत की चार योजनायें अनुमोदित कर दी गई हैं और 21.50 करोड़ रुपये की लागत वाली शेष दो योजनाओं की तकनीकी जांच की जा रही है।

महाराष्ट्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने हेतु सर्वेक्षण

1216. **श्री प्रकाश वी॰ पाटिल:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में ऐसे स्थानों के निर्धारण हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है जहां गैर सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना व्यवहार्य है तथा जिनके लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में किन-किन खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए पूर्ण तकनीक उपलब्ध है;

(घ) किन-किन खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु विदेशी सहयोग के बारे में बातचीत की जा रही है; और

(ङ) ऐसे उद्योगों से कितने लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होगा?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) और (ख). खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने महाराष्ट्र में ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ग) से (ङ). सामान्यतया खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के बारे में स्वदेशी प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। तथापि, उच्च श्रेणीकरण अथवा आधुनिकीकरण अथवा निर्यात सम्भाव्यता को बढ़ाने के लिए कभी-कभी प्रौद्योगिकी का आयात किया जाता है। यद्यपि संयुक्त क्षेत्र सहयोग की सम्भावनाओं के बारे में इस समय कभी-कभी विचार-विमर्श किया जाता है जब विदेशों से व्यापार शिष्टमंडल इस देश में आते हैं, लेकिन सामान्यतया प्राइवेट सेक्टर में यूनिट स्थापित करने के लिए विदेशी सहयोग के बारे में बातचीत उद्यमियों द्वारा स्वयं की जाती है।

केरल द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत धन का उपयोग

1217. **श्री मुल्लापल्ली रामचरन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने वर्ष 1987-88 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत उस राज्य को आवंटित धनराशि का कोई हिस्सा व्यपगत हो जाने दिया है;

(ख) यदि हां, तो आवंटित की गई एवं उपयोग में लाई गई धन राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या वर्ष 1988-89 के दौरान इस धनराशि का उपयोग करने के लिए कोई अनुदेश जारी किए गए हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०) के अंतर्गत वर्ष 1987-88 के दौरान उपयोग के लिए केरल सरकार के पास 3825.01 लाख रुपए के कुल संसाधन उपलब्ध थे जिनमें गत वर्ष की खर्च न की गई बकाया राशि, केन्द्रीय नकद सहायता, राज्य का अंश और रियायती दरों पर खाद्यान्नों का मूल्य शामिल है। राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार उपयोग 2640.73 लाख रुपए बैठता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम की मार्गदर्शिकाओं में 25 प्रतिशत निधियों को एक वर्ष से दूसरे वर्ष में ले जाये जाने की अनुमति है। सीमा से अधिक निधियों को अगले वर्ष ले जाने के कारण वर्ष 1988-89 के दौरान राज्य को की गई रिलीजों में से 255.87 लाख रुपये की कटौती की गई थी।

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की मार्गदर्शिकाओं में अगले वर्ष में ले जाई गई निधियों के उपयोग के लिए आवश्यक निर्देश निहित हैं। इसलिए इस उद्देश्य के लिए अलग से कोई निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

पाकिस्तान द्वारा फ्रॉन्स से परमाणु ऊर्जा संयंत्र और ट्राइटियम की खरीद

1218. **श्री वी० तुलसी राम:**
श्री बालासाहिब विखे पाटिल:
श्री के० प्रधानी:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 फरवरी, 1989 के "इन्डियन एक्सप्रैस" में "पाक में बाई फ्रेन्च एन-पावर प्लांट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि दो देशों के बीच परमाणु ऊर्जा संयंत्र की खरीद को बातचीत चल रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान ने अपनी परमाणु क्षमता बढ़ाने के लिए पश्चिमी जर्मनी से ट्राइटियम प्राप्त कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इन मामलों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह): (क) जी हां।

(ख) सरकार ने अखबारों में इस आशय की खबरें देखी हैं।

(ग) पाकिस्तान के प्रच्छन्न अस्त्रोन्मुख नाभिकीय कार्यक्रम को देखते हुए, पाकिस्तान को नाभिकीय प्रौद्योगिकी सामग्री तथा संघटकों का अंतरण सरकार के लिए गंभीर चिन्ता का विषय है।

हल्दिया परियोजना का अधिग्रहण

1219. **श्री वी॰ तुलसी राम:**
श्री बालासाहिब विखे पाटिल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लि॰ की हल्दिया परियोजना का अधिग्रहण करने के लिये के॰ आर॰ आई॰ बी॰ एच॰ सी॰ओ॰, आई॰ एफ॰ सी॰ ओ॰, एन॰ एफ॰ एल॰ और राष्ट्रीय कैमीकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स की हाल में एक बैठक आयोजित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) हल्दिया परियोजना का अधिग्रहण करने के बारे में सरकारी क्षेत्र की कौन-कौन सी उर्वरक कम्पनियां सहमत हो गई हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संयंत्र को पुनः खोलने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर॰ प्रभु): (क) से (घ). जी, हां। योजना आयोग की सलाह पर नेशनल फर्टिलाइजर्स लि॰ (एन॰ एफ॰ एल॰) इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लि॰ (इफको), कृषक भारती कोआपरेटिव लि॰ (कृभको) और राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि॰ (आर॰ सी॰ एफ॰) के मुख्य कार्यकारियों की एक बैठक बुलाई गई थी ताकि हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन की हल्दिया परियोजना का लगभग 500 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर पुनरूद्धार तथा पुनर्वास करने के लिये उनमें से किसी एक कम्पनी द्वारा उसे हाथ में लिया जा सके जैसा कि परामर्शदाताओं ने सुझाव दिया था। अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

तिलहनों का खरीद मूल्य

1220. **श्री मोहन भाई पटेल:** क्या **कृषि** मंत्री यह बत॰ की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तिलहनों का खरीद मूल्य निर्धारित कि॰ है, और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक किस्म के तिलहन का निर्धारित किये ये मूल्य का ब्योरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में ॰ य ॰ (श्री श्याम लाल यादव): (क) और (ख). फसल वर्ष 1988-89 के लिए उचित औ अ॰ ़स्म के विभिन्न तिलहनों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य नीचे प्रदर्शित किए गए हैं:—

(रूपये प्रति क्विंटल)

1.	मूंगफली छिलके सहित	430
2.	सोयाबीन (काली)	275
3.	सोयाबीन (पीली)	320
4.	सूरजमुखी बीज	450
5.	तोरिया तथा सरसों	460
6.	तोरिया	430
7.	कुसुम	440

उड़ीसा में नलकूप

1221. **डा० कृपासिंधु भोई:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत लगाये गये नलकूपों में से 30 प्रतिशत नलकूप खराब पड़े हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन नलकूपों की मरम्मत कराने अथवा इन्हें बदलने के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(ग) इस संबंध में राज्य सरकारों को क्या निर्देश दिये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव): (क) जी, नहीं। आदिवासी क्षेत्रों में 472 नलकूपों में से सिर्फ 74 नलकूप खराब पड़े हैं।

(ख) और (ग). उड़ीसा सरकार अप्रचलित नलकूपों को ठीक करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

शिशु दुग्ध आहार और स्तन पान छुड़ाने वाले शिशु आहारों का उत्पादन

1222. **डा० जी० विजय रामाराव:** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1985 और 1986 के दौरान शिशु दुग्ध आहार और स्तन पान छुड़ाने वाले विभिन्न शिशु आहारों का एकक-वार कितना वार्षिक उत्पादन किया गया;

(ख) क्या शिशु दुग्ध आहार और स्तन पान छुड़ाने वाले विभिन्न शिशु आहारों के उत्पादन में वर्ष 1987 के आंकड़ों की तुलना में वर्ष 1988 के आंकड़ों में कोई गिरावट हुई है; और

(ग) यदि हां, तो वह कितने प्रतिशत है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) 1985 और 1986 के वर्षों के दौरान शिशु दुग्ध आहार तथा स्तन पान छुड़ाने वाले विभिन्न शिशु आहारों के यूनिट-वार अनुमानित उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

1985 और 1986 के वर्षों के दौरान शिशु दुग्ध आहार और स्तनपान छुड़ाने वाले विभिन्न शिशु आहारों का यूनिटवार अनुमानित वार्षिक उत्पादन

क' शिशु दुग्ध आहार का उत्पादन

(आंकड़े मीटरी टन में)

क्रम सं०	यूनिट का नाम	स्थान	शिशु दुग्ध आहार का उत्पादन	
			1985	1986
सरकारी/सहकारी/निजी क्षेत्र				
1.	मै० आंध्र प्रदेश डेरी डेवलपमेंट कारपोरेशन (फेडरेशन)	प्रोड्डुटुर	190	69
2.	-वही-	विजयवाड़ा		163
3.	मै० कैरा डिस्ट्रिक्ट कोआप० मिल्क प्रोड्यूशर्स यूनियन लि०	आनंद	11560	11250
4.	मै० मेहमाना डिस्ट्रिक्ट कोआप० मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लि०	मेहमाना	12915	13700
5.	मै० साबरकंठा डिस्ट्रिक्ट कोआप० प्रोड्यूसर्स यूनियन लि०	साबरकंठा	5885	6905
6.	मै० होशियारपुर कोआप० मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लि०	होशियारपुर	61	—
7.	मै० पंजाब स्टेट डेरी डवलपमेंट कारपोरेशन (फेड०) लि०	लुधियाना	10	45
8.	मै० दोआबा को-आप० मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लि०	जालंधर	—	—
9.	मै० ग्लिन्डिया लि०	अलीगढ़	1581	1568
10.	मै० लिएन (इंडिया) लि०	एटा	431	262
11.	मै० मिल्कफूड लि०	बहादुरगढ़ (पंजाब)	821	816
12.	मै० फूड स्पेशलिटिज लि०	मोगा	11709	10605
13.	मै० हरियाणा मिल्क फूड	पेहवा	919	876
14.	मै० डेम्प डेरी इंडस्ट्रीज लि०	बीजापुर (कर्नाटक)	31*	28*
15.	मै० डालमिया डेरी इंडस्ट्रीज लि०	भरतपुर	1351	2067
16.	मै० फोरमोस्ट इंडस्ट्रीज लि०	सहारनपुर	417	270
17.	मै० इन्डाइन इंडस्ट्रीज लि०	मुजफ्फरनगर	1006	1964
18.	मै० गपटाकोम ब्रेट एण्ड कं० लि०	बम्बई	1950	1854
	जोड़		50837	52442

*इसमें स्तनपान छुड़ाने वाले विभिन्न शिशु आहार शामिल हैं।

ख. स्तनपान छुड़ाने वाले शिशु आहारों का उत्पादन

(आंकड़े मीटरी टन में)

क्रम सं०	यूनिट का नाम	स्थान	स्तनपान छुड़ाने वाले शिशु आहारों का उत्पादन	
			1985	1986
	सहकारी/निजी क्षेत्र			
1.	कैरा डिस्ट्रिक्ट को-आप० मिल्क प्रोड्यूसर्स लि०	आनन्द	7	18
2.	मै० ग्लिन्डिया लि०	अलीगढ़	2455	2613
3.	मै० फूड स्पेशलिटिज लि०	मोगा	4786	5116
4.	मै० रापटाकोस ब्रेट० एंड कं० लि०	बम्बई	11	31
		जोड़	7259	7778
		कुल जोड़ : (क+ख)	58096	60220

केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए आवंटन

1223. **श्री वी० एस० विजयराघवन:** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए वर्ष 1988-89 हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई और कितनी धनराशि दी गई;

(ख) क्या वित्तीय बाधाओं के कारण तत्काल किए जाने वाले किसी कार्य में रुकावट आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वार्षिक आवंटन बढ़ाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) अब तक 339.38 लाख रुपए रिलीज किए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ). 1988-89 की शेष अवधि के दौरान और भी 113.69 लाख रुपए रिलीज किए जा रहे हैं।

छोटे और सीमांत किसानों को लाभ

1224. **श्री वी० एस० विजयराघवन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान छोटे और सीमांत किसानों को दिये गये लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन लाभों से उन्हें वास्तव में कितनी सहायता मिली है; और

(ग) भविष्य में उनके लिये क्या कदम उठाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव): (क) और (ख). छोटे और सीमांत किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित सहायता के अन्तर्गत 1985-86 से 1987-88 तक के दौरान सभी राज्यों और संघ क्षेत्रों को 205.49 करोड़ रुपये की राशि केन्द्रीय भागीदारी के रूप में निर्मुक्त की गयी है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 4.82 लाख कुओं / खुदे कुओं / नलकूपों का निर्माण किया गया और 4.09 लाख पम्पसैट / डीजल इंजन / विद्युत मोटर छोटे और सीमांत किसानों के खेतों में लगाए गए थे। लगभग 1.76 लाख हैक्टयर क्षेत्र-भूमि विकास संबंधी कार्यों के अन्तर्गत शामिल किया गया था और तिलहनों दालों और मोटे आनाजों के 110.43 लाख मिनिकिट वितरित किए गए थे।

(ग) योजना 1989-90 के दौरान जारी रहेगी।

केरल में नारियल की खेती का विकास

1225. **प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में नारियल की खेती के विकास के लिये चल रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक हुए कार्य का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक कुल कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ग) इससे संबंधित आगामी योजना का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव): (क) और (ख). सातवीं योजना के दौरान केरल में नरियल बोर्ड योजनाओं के ब्यौरे तथा उनके वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य और उनकी उपलब्धियों के ब्यौरे प्रदर्शित करने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) टी × डी संकर पौधों के उत्पादन और वितरण पर परियोजनाएं, डी × टी संकर के उत्पादन के लिए संकर बीज उद्यानों की स्थापना, उत्पादकता बढ़ाने के लिए नारियल की छोटी जोतों में समेकित कृषि करना, सिंचाई सुविधाओं के लिए सहायता प्रदान करना, राजसहायता प्रदान करके क्षेत्र विस्तार, प्राथमिक प्रोसेसिंग और विपणन बढ़ाने की परियोजना और नारियल तकनीकी विकास केन्द्र की स्थापना वर्तमान योजना की शेष अवधि में चालू रहेंगी।

विवरण

केरल राज्य में चल रही सातवीं योजना की स्कीमें

(रुपये लाख में)

क्रम सं॰	योजना का नाम	7 वीं योजना आवंटन	वास्तविक लक्ष्य	उपलब्धि	
				वास्तविक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6
1.	टी × डी संकर पौधों का उत्पादन और वितरण	20.439	2,50,000 पौधे	1,35,000	15.110
2.	टी×डी संकरों के उत्पादन के लिए संकर बीज उद्यानों की स्थापना	13.155	200 है॰	200 है॰	15.456

1	2	3	4		5	6
3.	नारियल की छोटी जोतों की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए समेकित कृषि (1987-88 में प्रारंभ की गयी)	28.388	1 प्रचालन क्षेत्र-	10,000 है॰	11,000 है॰	13.23
			2 हटाए जाने वाले रोगी, जराजीर्ण और अनुत्पादक ताड़ों की संख्या	12,500		
			3 वितरित किए जाने वाले संकर पौधों की सं॰	12500		
			4 विकसित किए जाने वाले सिंचाई के स्रोत	100		
			5 पम्प सैट वितरण	200		
			6 बहुमसालों के अंतर्गत शामिल किए जाने वाला क्षेत्र	1000 है॰		
			7 गहन उर्वरक उपयोग	2000, है॰		
4.	नारियल उत्पादकों को सिंचाई संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहायता	11.875	2375 पम्प सैट		1786	9.675
5.	नारियल के लिए पैकेज योजना (1985-86 केवल)	9.50	शामिल किया गया क्षेत्र हैक्टेयर		37500 है॰	11.416
6.	रोग्रग्रस्त और अनुत्पादक नारियल के जोतों का नवीकरण (1985-86 केवल)	10.002	आवृत्त क्षेत्र; संकर पौधों का वितरण:	11,000 2 लाख	11.000 है॰ 2 लाख	10.002
7.	केरल में (1985-86 केवल) नारियल उत्पादकों को जड़ मुर्झान प्रभावित पामों को हटाने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराना।	16.500	हटाए जाने वाले प्रभावित पामों की संख्या	44,000 हटाए गए प्रभावित पामों की संख्या	44.000	16.500
8.	नई पौध रोपण राजसहायता मुहैया करके नारियल के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार की योजना	84.321		3315 है॰	4991 हैक्टेयर	75.142
9.	मुख्य नारियल उगाने वाले राज्यों में सूत्रं से प्रभावित नारियल जोतों की पुर्नप्रतिष्ठा के लिए योजना	7.750	1 पम्प सैटों का रियायती वितरण:	650	यह योजना 1988 में ही मंजूर की गई है।	
			2 ड्रिपसिंचाई एकक	350		

टिप्पणी: उपरोक्त परियोजनाओं के अतिरिक्त, केरल में प्राथमिक परिसंस्करण और विपणन संबंधी कार्यकलापों को बढ़ावा देने के

लिए परियोजना के अंतर्गत सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की गयी थी और केरल में कारीगरों के लिए नारियल तकनीक विकास केन्द्रों की स्थापना संबंधी परियोजना इस प्रकार है:—

(राशि : लाख रुपए में

वर्ष	समितियां लाभानुभोगी		लाभानुभोगी कारीगर	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1985-86	3	1.850	3	0.15
1986-87	5	3.975	5	0.25
1987-88	6	3.863	1) कारीगर-4	0.20
			2) नारियल उद्योगों को सहायता-2	0.50

"वेस्ट कोस्ट केनाल" के विकास के लिए योजना

1226. **प्रो० पी० जे० कुरियन:**
श्री वक्कम पुरुषोत्तमन:
श्री ए० चार्ल्स:

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "वेस्ट कोस्ट केनाल" को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने इस जलमार्ग के विकास के लिए एक योजना प्रस्तुत की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसे कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) जी, हां। प्रस्ताव में कोचीन क्वीलन खण्ड, चंपाकारा केनाल और उद्योग मंडल केनाल शामिल हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान लागू करना

1227. **प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सभी विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान लागू कर दिये गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो किन-किन राज्यों ने इन वेतनमानों को लागू नहीं किया है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल॰ पी॰ शाही): (क) से (ग): **वेतनमानों के संशोधन की योजना उन सभी विश्वविद्यालयों के** लिए राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जानी है। जिनका अनुरक्षण-व्यय उनके द्वारा वहन किया जाता है। अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार, वे राज्य सरकारें, जिन्होंने इस योजना को कार्यान्वित करने का निर्णय किया है, इस प्रकार है: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व काश्मीर, कर्नाटक, मणिपुर, मध्य प्रदेश, नागालैण्ड, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश। बताया जाता है कि योजना के कार्यान्वयन पर बिहार, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों द्वारा विचार किया जा रहा है। केवल केरल सरकार को योजना के कार्यान्वयन के बारे में अपने निर्णय से अभी अवगत कराना है। यह योजना सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा भी कार्यान्वित की जा चुकी है।

"पाक में अक्सेप्ट एन-सेफगार्ड्स" शीर्षक से समाचार

1228. **श्री कृष्ण सिंह:** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 फरवरी, 1989 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "पाक में अक्सेप्ट एन-सेफगार्ड्स" शीर्षक से प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें पाकिस्तान द्वारा अपनी सभी परमाणु सुविधाओं पर सम्पूर्ण सुरक्षोपाय स्वीकार कर लिये जाने के बदले में अमरीकी निर्मित परमाणु रिएक्टरों को सप्लाई करने संबंधी अमरीकी योजना के बारे में बताया गया है: और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के॰ नटवर सिंह): (क) इस आशय की खबरें हैं कि पाकिस्तान के कतिपय प्राधिकारियों ने ऐसी किसी व्यवस्था की स्वीकार्यता के बारे में अमरीकी कांग्रेस के सदस्य श्री स्टेफेन सोलर्ज को सूचित किया है। तथापि पाकिस्तान के सरकारी प्रवक्ता ने पाकिस्तान द्वारा ऐसे किसी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का खण्डन किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लीबिया के रासायनिक कारखाने को नष्ट करने की अमेरिका की धमकी

1229. **श्री कृष्ण सिंह:** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अमेरिकी प्रशासन द्वारा लीबिया के उस रासायनिक कारखाने को नष्ट करने के लिए दी गई धमकी की जानकारी है, जोकि कथित रूप से रासायनिक हथियारों में प्रयोग हेतु जहरीली गैस के निर्माण के लिए तैयार थी; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ के॰ के॰ तिवारी): (क) जी हां।

(ख) सरकार रासायनिक अस्त्रों के निर्माण के विरुद्ध है। इस प्रकार के अस्त्रों के निर्माण की सभी रिपोर्टों की जांच-पड़ताल करना आवश्यक है और अगर जांच-पड़ताल से यह साबित हो कि ऐसा किया जा रहा है तो राजनयिक बातचीत के माध्यम से सभी सरकारों को इस तरह के अस्त्रों का निर्माण करने से रोकने के लिए राजी करना आवश्यक है।

"महिला विषयक वर्तमान मुद्दे" पर अन्तर्राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी

1230. **श्री कृष्ण सिंह: क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फरवरी, 1989 में नई दिल्ली में "महिला विषयक वर्तमान मुद्दे" पर एक विचार-गोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई मुख्य टिप्पणियां और सुझाव क्या हैं; और

(ग) उसके अनुसरण में क्या कदम उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): (क) महिला एवं बाल विकास विभाग को इसकी जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय विद्यालय संख्या-2 आगरा के विरुद्ध शिकायतें

1231. **श्री मुहीराम सैकिया: क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आगरा छावनी में केन्द्रीय विद्या॰ संख्या—2 में कुछ अनियमितताओं के बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है/ करने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल॰ पी॰ शाही): (क) और (ख). केन्द्रीय विद्यालय न॰ 2, आगरा कैन्ट के प्रिंसिपल के विरुद्ध निम्नलिखित को आरोपित करने के लिए शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(I) कक्षा XI (विज्ञान) में अनियमित दाखिला

(II) खरीद प्रक्रिया का अनुपालन न करना

(III) स्काउटिंग और गाइडिंग के लिए वर्दी खरीदने के लिए स्काउट मास्टर को 250/-रु॰ का भुगतान करने के लिए इंकार करना;

(IV) एक ऐसी पत्रिका के लिए चन्दा देना जो कि छात्रों के लिए उपयोगी नहीं है।

(V) एक शिक्षक को शिक्षण भत्ता न देना; और

(VI) समय पर, स्टाफ को वेतन की अदायगी न करना।

(ग) प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर, जो दो अभियोग मामलों अर्थात कक्षा XI (विज्ञान) में दाखिले में अनियमितता और खरीद प्रक्रिया का पालन न करने के लिए प्रिंसिपल के विरुद्ध प्रत्यक्ष मामले बनते हैं, के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने विभागीय कार्रवाई आरंभ की गई है।

इस्लामाबाद में आयोजित "दक्षेस" शिखर सम्मेलन

1232. **श्री ई॰ अय्यपु रेड्डीः** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिसम्बर, 1988 में इस्लामाबाद में आयोजित दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ (दक्षेस) शिखर सम्मेलन में, फीजी में एशियाई लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति तथा फिलिस्तीनियों द्वारा स्वतंत्र देश हेतु संघर्ष के संबन्ध "दक्षेस" देशों के लिए कोई समान विदेश नीति तैयार की है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या भारत का रंगभेद और मानव अधिकारों के हनन के विरुद्ध "दक्षेस" देशों द्वारा इस प्रकार की कोई समान विदेश नीति तैयार करने हेतु कार्यवाही करने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के॰ नटवर सिंह): (क) और (ख). जी, नहीं।

आन्ध्र प्रदेश में खानें

1233. **श्री जी॰ भूपति :** क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में चल रही खानों का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा उनके विकास के लिए क्या-क्या सुविधाएं दी गई हैं ; और

(ग) कौन-कौन सी खानें अपने सामान का निर्यात करती हैं और यह निर्यात किन-किन देशों को किया जाता है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम॰ एल॰ फोतेदार) : (क) आन्ध्र प्रदेश में कार्यरत खानों का खनिज-वार और जिला-वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है ।

(ख) इस समय आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न भागों में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और खनिज गवेषण निगम लिमिटेड द्वारा खनिजों की खोज जारी है । भारतीय खान ब्यूरो द्वारा राष्ट्रीय खनिज सूची रखी जा रही है, जिसमें खनिज निक्षेपों के स्थल, अयस्क नमूनों के भौतिक व रासायनिक गुणों और भंडारों की मात्रा का उल्लेख रहता है । यह जानकारी 500/-रु॰ प्रति खनिज प्रति-जिला की दर से उद्यमियों को सुलभ कराई जाती है । खान ब्यूरो खनिज निक्षेपों के मूल्यांकन और गवेषण, क्षेत्र सर्वेक्षण, साध्यता अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने, उपयुक्त खनन उपकरणों के चयन आदि के बारे में, निर्धारित शुल्क की अदायगी पर, तकनीकी परामर्श भी देता है । खानों के निरीक्षण के दौरान, ब्यूरो के अधिकारी खनिजों के संरक्षण एवं क्रमिक विकास के बारे में पट्टाधारी को उपयुक्त सलाह देते हैं । ब्यूरो के नागपुर, बंगलौर तथा अजमेर स्थित प्रयोगशालाओं तथा प्रायोगिक संयंत्रों में विभिन्न खनिजों के संबंध में अयस्क विश्लेषण, परिष्करण, तथा प्रायोगिक संयंत्र अध्ययन की सुविधाएं सुलभ हैं ।

(ग) भारतीय खान ब्यूरो को 1987 में प्रस्तुत विवरणी के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश में लौह अयस्क की 4 खानों, मैंगनीज की 8 खानों तथा एक बेराईट खनन प्रोजेक्ट से निर्यात हेतु किया गया प्रेषण क्रमशः 119, 114 टन, 19,058 टन तथा 69,908 टन था । इसके अलावा, यहां 43 अभ्रक खानें भी हैं , जिनसे 1987-88 के दौरान मद्रास पत्तन की मार्फत 1270 टन अभ्रक का निर्यात किया गया । लौह अयस्क की निर्यात जापान, दक्षिण कोरिया, चीन और जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को, मैगनीज अयस्क का निर्यात दक्षिण कोरिया को, बेराइट का संयुक्त राज्य अमेरिका और मध्य-पूर्व देशों को तथा अभ्रक का निर्यात मुख्यतः सोवियत रूस, जापान और बेल्जियम को किया जाता है ।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश में 1987 में कार्यरत खानें

(जिला-वार)

खनिज	जिला	खानों की संख्या
1	2	3
धात्विक खनिज		
क्रोमाइट	कुल/खम्माम	1/1
तांबा अयस्क	कुल/खम्माम	1/1
स्वर्ण	कुल/अनन्तपुर	1/1
लौह अयस्क	कुल/अनन्तपुर	27/4
	खम्माम	6
	कृष्णा	6
	कुरनूल	10
	नेल्लोर	1
सीसा सान्द्र	कुलगुंटूर	1/1
मैगनीज अयस्क	कुल/आदिलाबाद विजयनगरम	27/7
		20
गैर-धात्विक खनिज		
एपेटाइट	कुल/विशाखापटनम	1/1
एस्बेस्टेस	कुल/कुडप्पा	11/11
चिकनीमिट्टी	कुल/प०गोदावरी	10/10
बैराइटिस	कुल/कुडप्पा	23/18
	खम्माम	2
	नेल्लोर	1
	प्रकाशम	2
कैल्साइट	कुल/अनन्तपुर	3/2
	विशाखापटनम	1
मिट्टी (अन्य)	कुल/अनन्तपुर	12/8
	कृष्णा	1
	कुरूनूल	3
कोरण्डम	कुल/अनन्तपुर	3/2
	खम्माम	1
डोलोमाइट	कुल/अनन्तपुर	7/2
	करीमनगर	3
	प०गोदावरी	2

खनिज	जिला	खानों की संख्या
1	2	3
फ़ेल्सपार	कुल/नेल्लौर	5/1
	रंगा-रेड्डी	2
	(प॰ गोदावरी)	2
तापसह मिट्टी	कुल/आदिलाबाद	12/1
	पू॰ गोदावरी	8
	प॰ गोदावरी	3
गार्नेट (अपधर्षी)	कुल/	8
	खम्माम नेल्लौर	7
		1
ग्रेफाइट	कुल/पू॰ गोदावरी	4/3
	खम्माम	1
काओलिन	कुल/आदिलाबाद	17/9
	कुडप्पा	2
	पू॰ गोदावरी	1
	कुरूनूल	5
चूनापत्थर	कुल/आदिलाबाद	90/24
	अनन्तपुर	4
	कुडप्पा	3
	गुन्टूर	15
	करीमनगर	1
	कृष्णा	6
	कुरूनूल	22
	नालगोन्डा	10
	रंगा-रेड्डी	1
	विशाखापटनम	1
	प॰ गोदावरी	3
चूना कंकड़	कुल/करीमनगर	13/1
	विजयनगरम	12
चूना शेल	कुल/नेल्लौर	7/6
	विशाखापटनम	1
अभ्रक	कुल/खम्माम	43/1
	नेल्लौर	34
	विशाखापटनम	8

1	2	3
ओकर	कुल/अनन्तपुर	6/1
	कुरूनूल	4
	विशाखापटनम	1
क्वार्टज	कुल/कुड्डपा	49/1
	गुन्टूर	4
	खम्माम	1
	कृष्णा	1
	मेढक	7
	नालगोन्डा	2
	नेल्लौर	8
	प्रकाशम	2
	रंगा-रेड्डी	16
	श्रीकाकुलम	2
	विजयनगरम	3
	प० गोदावरी	2
सिलिका बालू	कुल/नेल्लौर	19/10
	प्रकाशम	9
माउल्डिंग बालू	कुल/नेल्लौर	1/1
बालू (अन्य)	कुल/करीमनगर	5/2
	खम्माम	3
फूकसाइट क्वार्टजाइट	कुल/अनन्तपुर	2/2
सलेट	कुल/गुन्टूर	2/2
स्टेयाइट	कुल/अनन्तपुर	10/2
	कुरूनूल	8
वर्मिकुलाइट	कुल/नेल्लौर	6/6

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों को अध्ययन के लिए छुट्टी प्रदान करना

1234. **श्री जी॰ भूपतिः**
श्री मानिक रेड्डीः

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन में कार्यरत अध्यापक को उच्च शिक्षा छुट्टी के लिए अध्ययन के लिए वेतन सहित का पात्र बनने हेतु न्यूनतम 10 वर्ष नौकरी करना आवश्यक है;

(ख) क्या ऐसी अध्ययन छुट्टी के लिए अन्य सरकारी विभागों में केवल पांच वर्षों की नौकरी करना ही पर्याप्त है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय विद्यालय संगठन में भिन्न नियम का क्या औचित्य है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल॰ पी॰ शाही): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, एक स्वायत्त संगठन होने के नाते संगठन के हितों को मद्दे नजर रखते हुए शासी बोर्ड को नीतियां और मार्गदर्शी रूप रेखाएं तैयार करने का ही अधिकार दिया गया है।

फिलिस्तीन को भारतीय सहायता

1235. **श्री जी॰ भूपतिः**
श्री मानिक रेड्डीः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत फिलिस्तीन लोगों के न्यायोचित प्रयोजन हेतु वित्तीय सहायता दे रहा है या उनकी किसी अन्य रूप से सहायता कर रहा है;

(ख) भारत के साथ फिलिस्तीन के राजनयिक संबंध किस प्रकार के हैं; और

(ग) भारत में विशेषतः हैदराबाद में कितने फिलिस्तीनी छात्र अध्ययन कर रहे हैं तथा ये छात्र किन-किन पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ के॰ के॰ तिवारी): (क) निकट पूर्व में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी के लिए भारत 2.25 लाख रुपये का वार्षिक अंशदान देता है। भारत ने उन अपंग फिलिस्तीनियों के उपचार की पेशकश की है जो अधिकृत प्रदेशों के मौजूदा विद्रोह में घायल हुए हैं। कुछ दवाएं और कपड़े भी भेजे जा रहे हैं।

(ख) नई दिल्ली में 1980 से फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन का एक राजदूतावास कार्य कर रहा है। भारत उन देशों में से एक है जिन्होंने फिलिस्तीनी राज्य को सबसे पहले मान्यता प्रदान की थी।

(ग) विदेश मंत्रालय स्व-वित्त पोषित विदेशी छात्र योजना का ही काम देखता है। इस योजना के अन्तर्गत नामित फिलिस्तीनी छात्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है। हैदराबाद में स्थित संस्थानों में नामांकन इसमें दिखाया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 1984-85 से 1988-89 के दौरान 51 छात्रवृत्तियां प्रदान की गयी थीं और पाठ्यक्रमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है, इनमें से कोई भी छात्रवृत्ति हैदराबाद के किसी संस्थान के लिए नहीं थी।

इन दोनों योजनाओं के अतिरिक्त भी भारत में और बहुत से फिलिस्तीनी छात्र हैं जो अपना

पैसा खुद खर्च करके पढ़ रहे हैं। इस बात के आंकड़े नहीं रखे जाते कि भारत में कुल कितने विदेशी छात्र हैं।

विवरण-1

विदेश मंत्रालय की स्व-वित्त पोषित विदेशी छात्र योजना

बी॰ ई॰/इन्जीनियरी डिप्लोमा पाठ्यक्रम/एम॰ बी॰ बी॰ एस॰/बी॰ डी॰ एस॰ पाठ्यक्रमों के लिए नामित फिलिस्तीनी छात्रों की संख्या

1. बी॰ ई॰ पाठ्यक्रम

वर्ष	नामित छात्रों की संख्या
1985-86	17
1986-87	20
1987-88	27
1988-89	20
योगः	84

उक्त 84 छात्रों में से केवल एक छात्र को जे॰ एन॰ टी॰ यू॰ इन्जीनियरिंग कालेज, हैदराबाद के लिए नामित किया गया था।

2. इन्जीनियरी/डिप्लोमा पाठ्यक्रम

वर्ष	नामित छात्रों की संख्या
1986-87	8
1987-88	शून्य
1988-89	5
योगः	13

उक्त 13 छात्रों में से 4 छात्रों को नेहरू गवर्नमेंट पोलिटेक्निक, हैदराबाद में नामित किया गया था।

3. एम॰बी॰बी॰एस॰/बी॰डी॰एस॰ पाठ्यक्रम

वर्ष	नामित छात्रों की संख्या
1984-85	1
1985-86	2
1986-87	2
1987-88	1
1988-89	2
योगः	8

उक्त 8 छात्रों में से कोई भी छात्र हैदराबाद स्थित संस्थान के लिए नामित नहीं किया गया।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में बी० टेक० पाठ्यक्रम के लिए चुने गये फिलिस्तीनी छात्रों की संख्या

वर्ष	चुने गये छात्रों की संख्या
1985-86	9
1986-87	9
1987-88	11
1988-89	14
योग:	43

हैदराबाद में कोई भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नहीं है।

विवरण-2

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना

1984-85 से 1988-89 के दौरान प्रदान की गयी छात्रवृत्तियां	51
पाठ्यक्रम	(क) पी० एच० डी० —— कामर्स, व्यावसायिक प्रशासन, रसायन शास्त्र, भूविज्ञान, अर्थशास्त्र। (ख) बी० एस० सी० (इन्जीनियरी) और बी० आर्किटैक्चर (ग) एम० बी० बी० एस०, बी० डी० एस० और फार्मेसी (घ) एम० डी०

दिल्ली में बूचड़खानों की अस्वास्थ्यकर स्थिति

1236. **श्री बनवारी लाल पुरोहित:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में पशु कल्याण संगठनों के प्रतिनिधि मंडल ने राजधानी में बूचड़खानों में विद्यमान अस्वास्थ्यकर स्थिति से सरकार को अवगत कराया है तथा पशुओं के प्रति क्रूरता को समाप्त करने के लिये विद्यमान विनियमों को कठोरता से लागू करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव): (क) जी हां। एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) इस ज्ञापन की जांच की जा रही है।

फसलों की रिकार्ड पैदावार

1237. श्री वी॰ कृष्ण राव:
श्री प्रकाश चन्द्र:
श्री धर्मपाल सिंह मलिक:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में चालू कृषि वर्ष के दौरान लगभग सभी फसलों की रिकार्ड पैदावार होने की आशा है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक फसल के संबंध में निर्धारित किये गये लक्ष्य क्या हैं और उन्हें कहां तक पूरा किया जा सका है; और

(ग) जिन फसलों के संबंध में लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके, उसके कारण क्या हैं तथा सरकार द्वारा लक्ष्यपूर्ति हेतु कौन से उपचारात्मक उपाय किये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग). 1988-89 के लक्ष्य और संभावित उपलब्धियां दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। अधिकांशतया, उत्पादन लक्ष्य प्राप्त ही नहीं किए जा रहे हैं बल्कि लक्ष्यों से अधिक उत्पादन हो रहा है। पटसन और मेस्ता के अलावा सभी फसलों के मामले में नए रिकार्ड स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें कमी का कारण मौसम संबंधी परिस्थितियां और मण्डी की गतिविधियां हैं।

पटसन/मेस्ता का उत्पादन बढ़ाने के लिए पटसन/मेस्ता उगाने वाले मुख्य राज्यों में एक विशेष पटसन विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

विवरण

(उत्पादन मिलियन मीटरी टन/गांठों में)

क्रम सं॰	फसल	पहले का रिकार्ड उत्पादन (वर्ष)	उत्पादन		1988-89	
			1986-87	1987-88	लक्ष्य	संभावित उत्पादन
1.	चावल (खरीफ)	59.40 (1985-86)	53.56	48.76	61.50	60.5–51.5××
	रबी	7.00 (1986-87)	7.00	7.67×	6.45	7.5–8.0
	(कुल)	63.83 (1985-86)	60.56	56.43	67.95	68.0–69.5××
2.	गेहूं	47.05 (1985-86)	44.32	45.10	52.32	51.0–52.0××
3.	मोटे धान्य (खरीफ)	28.81 (1983-84)	22.45	20.77	26.50	28.0–28.5
	(रबी)	6.82 (1967-68)	4.38	5.08	6.50	6.0–6.5
	(कुल)	33.91 (1983-84)	26.83	25.85	33.00	34.0–35.0×
4.	दलहन (खरीफ)	5.37 (1983-84)	4.20	4.36	4.50	5.0–5.5
	(रबी)	8.82 (1985-86)	7.51	6.68	8.80	8.5–9.0
	(कुल)	13.36 (1985-86)	11.71	11.04	13.30	13.5–14.5×
5.	खाद्यान्न (खरीफ)	89.23 (1983-84)	80.20	73.89	92.50	93.5–95.5×
	(रबी)	65.19 (1985-86)	63.22	64.52	74.07	73.0–75.5×
	(कुल)	152.37 (1983-84)	143.42	138.41	166.57	166.5–171.0

क्रम सं०	फसल	पहले का रिकार्ड उत्पादन (वर्ष)		उत्पादन		1988-89	
				1986-87	1987-88	लक्ष्य	संभावित उत्पादन
6.	मूंगफली (खरीफ)	6.10	(1975-76)	4.43	4.01	5.60	6.0-6.5
	(रबी)	1.81	(1983-84)	1.45	1.66	2.10	2.0-2.5
	(कुल)	7.22	(1981-82)	5.88	5.67	7.70	8.0-9.0××
7.	तोरिया तथा सरसों	3.07	(1984-85)	2.60	3.37×	3.50	3.5-3.75××
8.	सूरजमुखी	0.44	(1984-85)	0.42	0.61×	0.84	
9.	सोयाबीन	1.02	(1985-86)	0.89	0.98	1.43	
10.	तिलहन (खरीफ)	7.21	(1983-84)	6.38	6.28	8.55	8.0-8.5××
	(रबी)	5.90	(1984-85)	4.89	6.10×	7.10	6.5-7.0××
	(कुल)	12.95	(1984-85)	11.27	12.38	15.65	14.5-15.5××
11.	गन्ना	189.51	(1982-83)	186.09	196.72×	195.00	196.0-200.0
12.	कपास ×××	8.73	(1985-86)	6.91	6.43	9.78	9.0-9.5××
13.	पटसन तथा मेस्ता ××××	12.65	(1985-86)	8.63	6.78	9.20	7.0-7.2
14.	आलू	12.74	(1986-87)	12.74	14.14×		
15.	लहसुन	0.27	(1984-85)	0.21	0.29×		
16.	धनिया	0.23	(1977-78)	0.18	0.24×		

×. वर्ष 1987-88 के दौरान प्राप्त रिकार्ड उत्पादन दर्शाता है।
××. 1988-89 में संभावित रिकार्ड उत्पादन दर्शाता है।
×××. प्रत्येक 170 कि० ग्रा० की मिलियन गांठें।
××××. प्रत्येक 180 कि० ग्रा० की मिलियन गांठें।

केरल की मत्स्य-पालन के विकास के लिये सहायता

1238. **श्री टी० बशीर:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल को राज्य में मत्स्य-पालन के विकास के लिये वर्ष 1988-89 में कितनी वित्तीय तथा अन्य सहायता दी गई अथवा देने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव): केरल राज्य में मात्स्यिकी के विकास के लिए 1988-89 के दौरान केन्द्र की सहायता प्राप्त कार्यक्रमों के अंतर्गत केरल को जारी की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

	कार्यक्रम का नाम	दी गई धनराशि (लाख रुपए में)
1.	मछली पालक विकास एजेन्सी	2.000
2.	छोटे पत्तनों पर मत्स्यन जलयानों को ठहराने और लंगर डालने की सुविधाएं	246.680
3.	बड़े पत्तनों पर मत्स्यन जलयानों को ठहराने और लंगर डालने की सुविधाएं (कोचीन मत्स्यन बन्दरगाह)	31.320

4.	पारंपरिक जलयानों में मोटर लगाना	5.625
5.	सक्रिय मछुआरों के लिए समूह दुर्घटना बीमा योजना	7.260
6.	राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण निधि	9.360
7.	अंतर्देशीय मात्स्यिकी सांख्यिकी का विकास	0.250
	योग:	302.495

वित्तीय सहायता के अलावा भारत सरकार और नार्वे किंगडम के बीच केरल और कर्नाटक में अध्ययन करने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे ताकि 2,850,000 नार्वेकिआई क्रोनरों को लागत पर यंत्रीकृत मत्स्यन नौकाओं और मोटरकृत पारम्परिक मत्स्यन जलयानों के लिए एक ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम तैयार किया जा सके। 1,39,000 अमरीकी डालर को लागत पर मत्स्यन जलयान विकास चरण-2 परियोजना के लिए भारत सरकार और खाद्य तथा कृषि संगठन के बीच एक अन्य करार पर हस्ताक्षर किए गए। खारे पानी में झींगा पालन के लिए केरल मात्स्यिकी विकास परियोजना (चरण-1) के लिए भारत सरकार और अरब आर्थिक विकास, हेतु कुवैत निधि की ओर से उप-महा-निदेशक (प्रचालन) के बीच 7 मिलियन कुवैती दीनार (लगभग 35 करोड़ रुपए) के ऋण के लिए एक करार पर भी हस्ताक्षर किए गए।

भारत में अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगितायें

1239. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1989 के दौरान भारत में कुछ अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इनके लिये कोई तैयारी भी प्रारंभ की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों मे राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय वायुसेना के विमानों द्वारा चीनी हवाई सीमा का उल्लंघन करने का कथित आरोप

1240. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन ने वर्ष 1988 के अन्तिम महीनों के दौरान भारतीय वायु-सेना के विमानों द्वारा उनकी वायु-सीमा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन आरोपों के तथ्यों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गयी थी;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) इन आरोपों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के॰ नटवर सिंह): (क) नवम्बर में और दिसम्बर, 1988 के शुरू में चीन की सरकार ने भारत की सरकार को कुछ अभ्यावेदन किए थे जिनमें भारतीय विमानों द्वारा चीन के वायु क्षेत्र का उल्लंघन करने के आरोप लगाये गये हैं।

(ख) और (ग). चीन के अभ्यावेदनों की विस्तृत रूप से जांच की गई थी। जांच से यह निष्कर्ष निकला है कि भारतीय विमानों द्वारा चीन के वायु क्षेत्र का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है, सिवाय एक मामले के जिसमें यह संभव है कि अग्रिम क्षेत्र में अपने कार्मिकों को सामान गिराने के काम में लगा एक परिवहन विमान घने बादलों की वजह से गलती से चीन के वायु क्षेत्र में चला गया हो।

(घ) सरकार ने राजनयिक स्तर पर चीन को उपयुक्त प्रत्युत्तर भेज दिया है। सरकार ने अपनी निष्ठापूर्ण वचनबद्धता दोहराई है कि वह चीन के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखना चाहती है और यह भी चाहती है कि सीमा पर अगर कोई समस्या पैदा हो तो उसे शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण बातचीत करके तय कर लिया जाए।

भारत और पाकिस्तान के बीच मुनाबाव-खोकड़ापार रेल मार्ग को पुनः खोलना

1241. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रनः** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच मुनाबाव-खोकड़ापार सड़क मार्ग को पुनः चालू करने का कोई प्रस्ताव था; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के॰ नटवर सिंह): (क) और (ख) सरकार इस संबंध में बल देती रही है कि खोकड़ापार-मुनाबाव मार्ग शीघ्र खोला जाए। इस सम्बन्ध में पाकिस्तानी पक्ष का कोई सकारात्मक उत्तर अभी प्राप्त होना है।

अमरीका द्वारा लीबिया के विमान का मार गिराया जाना

1242. **श्री एस॰एम॰ गुरड्डीः**
श्री शांति लाल पटेलः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 4 जनवरी, 1989 को भूमध्य सागर के ऊपर अमरीकी नौसेना द्वारा लीबिया के दो विमानों को मार गिराये जाने से संबंधित ब्यौरा प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो यह ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ के॰के॰ तवारी): (क) से (ग). इस घटना का पूरा ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। दोनों सरकारों ने कहा है कि यह घटना अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में हुई यद्यपि लीबिया ने यह कहा है कि उनके विमान पर उस समय हमला किया गया जब वह नेमी सर्वेक्षण गश्त पर था। लेकिन अमरीका सरकार की प्रारम्भिक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि लीबिया के

विमान को मार गिराये जाने की कार्रवाई आत्म रक्षा के लिए की गई थी। भारत सरकार के सरकारी प्रवक्ता ने इस घटना पर निम्नलिखित वक्तव्य दिया है:—

"अमरीकी नौसेनिक जेट विमानों द्वारा 4 जनवरी, 1989 को भूमध्य-सागर के ऊपर लीबिया के 2 विमानों को मार गिराये जाने की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार का टकराव खतरनाक है और इनसे इस क्षेत्र में शांति की संभावनाओं के लिए जोखिम ही पैदा होगा जबकि हाल ही में इस क्षेत्र में आशा की स्पष्ट किरणें नजर आई थीं"।

दिल्ली दुग्ध योजना तथा मदर डेयरी द्वारा दूध की सप्लाई

[हिन्दी]

1243. **श्री दिनेश गोस्वामी:**

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली दुग्ध योजना तथा मदर डेयरी को किन स्रोतों से दूध की सप्लाई होती है;

(ख) विभिन्न स्रोतों से प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में दुग्ध प्राप्त होता है;

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेयरी द्वारा बेचे जाने वाले दूध की गुणवत्ता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ग्रामीणों से प्राप्त दूध की गुणवत्ता इसी प्रकार की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसकी गुणवत्ता का ब्यौरा क्या है तथा उन्हें दूध की क्या कीमत दी जाती है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव): (क) दिल्ली दुग्ध योजना तथा मदर डेयरी ताजे दूध की अपनी सप्लाई राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाण के राज्य सहकारी डेयरी संघों से प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त दिल्ली दुग्ध योजना दिल्ली की सहकारी डेयरी समितियों से तथा मदर डेयरी गुजरात के राज्य सहकारी डेयरी संघ से दूध की सप्लाई प्राप्त करती हैं।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना तथा मदर डेयरी द्वारा विभिन्न राज्य सहकारी डेयरी संघों से, उनके सामने लिखी अवधियों में प्राप्त दूध की मात्रायें इस प्रकार हैं:—

(लाख कि० ग्राम में)

राज्य सहकारी डेयरी संघ का नाम	दिल्ली दुग्ध योजना 1.1.88 से 31.12.88 तक	मदर डेयरी 1.1.88 से 31.12.88 तक
राजस्थान	70.04	1,53.53
पंजाब	37.81	1,08.82
उत्तर प्रदेश	42.77	82.88
मध्य प्रदेश	19.50	30.69
हरियाणा	3.14	12.96
गुजरात	—	2,42.18
दिल्ली के सहकारी डेयरी संघ	5,53.90	—

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना तथा मदर डेयरी जो टोन्ड दूध बेच रही है उनमें 3 प्रतिशत वसा तथा 8.5 प्रतिशत एस० एन० एफ० है।

(घ) और (ङ). दिल्ली दुग्ध योजना तथा मदर डेयरी ताजे दूध की सप्लाई राज्य डेयरी सहकारी संघों से प्राप्त करती हैं जो यह सप्लाई ग्रामीण दुग्धशालाओं से प्राप्त करते हैं। वर्तमान करार के अनुसार ताजे दूध की सप्लाई के लिये इन राज्य डेयरी संघों को देय खरीद मूल्य और वसा की मात्रा का ब्यौरा इस प्रकार है:—

(रुपए / कि० ग्रा०)

दूध की किस्म	वसा की मात्रा	मंदी के मौसम में	मध्यवर्ती मौसम में	अधिकता के मौसम में
-मिश्रित दूध	6.5%	6.61	6.04	5.58
-गाय का दूध	4%	5.04	5.04	5.04

"44 परसेंट स्कूल्स हैव नो ब्लैक बोर्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

1244. **श्री दिनेश गोस्वामी:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 फरवरी, 1989 को "दि ट्रिब्यून" में "40 परसेंट स्कूल हैव नो ब्लैक बोर्ड" शीर्ष से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या देश के 40 प्रतिशत स्कूलों में ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था नहीं है और 35 प्रतिशत स्कूलों में केवल एक ही अध्यापक है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार एक समयबद्ध योजना तैयार करने और इन स्कूलों को अपेक्षित सुविधाओं वाले स्कूलों के समकक्ष लाने के कार्य को प्राथमिकता देने और राज्यों से इसे लागू करने का आग्रह करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही): (क) जी, हां।

(ख) रा० शै० अनु० प्र० परि० द्वारा 30 सितम्बर, 1986 की संदर्भ तारीख के अनुसार, संचालित पांचवें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार, प्राइमरी स्कूलों की 37.75 प्रतिशत कक्षाओं में ब्लैक बोर्ड नहीं है और 27.96 प्रतिशत प्राइमरी स्कूलों में एकल शिक्षक वाले स्कूल थे।

(ग) से (ङ). वर्ष 1987-88 में आरम्भ की गई आपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना का लक्ष्य 30 सितम्बर, 1986 तक खोले गए सभी प्राइमरी स्कूलों में भौतिक सुविधाओं में चरणबद्ध रूप से पर्याप्त सुधार करना है। इस योजना के दो प्रमुख घटक इस प्रकार हैं (क) सभी एकल शिक्षक वाले स्कूलों में दूसरे शिक्षक की व्यवस्था करना; और (ख) ब्लैक बोर्डों सहित अनिवार्य अध्यापन अध्ययन उपकरणों

की व्यवस्था करना। वर्ष 1987-88 के दौरान 24 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों के 20 प्रतिशत खंडों / नगर क्षेत्रों में 113417 प्राइमरी स्कूलों को योजना द्वारा शामिल किया गया था। 110.61 करोड़ रुपए अर्थात एकल शिक्षक वाले स्कूलों में 36891 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 29.48 करोड़ रु० और ब्लैक बोर्ड सहित उपकरणों के लिए 81.13 करोड़ रु० मुक्त किए गए थे। चालू वर्ष में 30 प्रतिशत खण्डों / नगर क्षेत्रों में सभी प्राइमरी स्कूलों को शामिल किए जाने का लक्ष्य है। 30 सितम्बर, 1986 के बाद खोले गए सभी प्राइमरी स्कूलों को कम-से-कम उप स्तर तक शिक्षक तथा उपस्कर उपलब्ध कराये जाने हैं जिनकी आपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिकल्पना की गयी है।

प्राथमिक विद्यालयों में बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की समस्या

1245. **श्री दिनेश गोस्वामी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राथमिक विद्यालय स्तर पर भारी संख्या में बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या का पता लगाने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या तथा प्रतिशतता कितनी है; और

(घ) इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान क्या विशेष कदम उठाये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही): (क) से (ग): वर्ष 1983-84 से सम्बन्धित नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में प्राइमरी स्तर (कक्षा I-V) पर बीच में पढ़ाई छोड़ जाने वाले बच्चों का औसत 50.26% था। पूर्ववर्ती तीन वर्षों में बीच में पढ़ाई छोड़ जाने वाले बच्चों की अनुमानित वार्षिक संख्या तथा प्रतिशतता निम्न प्रकार से है:—

वर्ष	पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वाले बच्चों की वार्षिक अनुमानित संख्या	पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वाले बच्चों की अनुमानित प्रतिशतता
1981-82	1,01,47,908	15.83
1982-83	1,14,18,379	17.31
1983-84	1,18,19,439	17.17

(घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अर्न्तगत निम्नलिखित को आरंभ करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाएं आरंभ कर दी गयी हैं, अर्थात्:—

(i) "आपरेशन ब्लैक बोर्ड" के जरिए प्राइमरी स्कूलों को आवश्यक सुविधाएं मुहैय्या करना;

(ii) पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वाले बच्चों, स्कूल रहित बस्तियों के बच्चों तथा पूरे दिन स्कूल में उपस्थित न हो सकने वाली लड़कियों तथा कामकाजी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने वाले गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाना तथा उनका पुनःगठन करना;

(iii) शिक्षकों की दक्षता को बढ़ाने तथा उन्हें शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए जिला

शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करके शिक्षक शिक्षा को पुर्नगठन करना तथा उसकी पुनःसंरचना करना;

(iv) रा०शै०अ०एवं प्र० परि० द्वारा समयबद्ध कार्यक्रम में प्रारंभिक स्तर तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसार नई पाठ्य पुस्तकें तैयार की जा रही हैं और राज्य सरकारों से इसका अनुसरण करने की आशा की जाती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रोत्साहन कार्यक्रम जैसे—छात्राओं के लिए निःशुल्क वर्दी मुहैय्या करना, निःशुल्क मध्यकालीन भोजन, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा उपस्थिति छात्रवृत्तियाँ भिन्न-भिन्न कवरेज सम्बंधी क्षमता सहित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा लागू किए जा रहे हैं।

बालिकाओं के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्र

1246. **श्री दिनेश गोस्वामी: क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों, अर्थात् वर्ष 1986, 1987 और 1988 के दौरान ऐसे कितने केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ग) क्या इन केन्द्रों में, विशेषकर जो आदिवासी क्षेत्रों में स्थित हैं, अध्यापिकाओं का कार्य सन्तोषजनक है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में तैयार की गई योजना के अनुसार ऐसे सभी केन्द्रों में इन अध्यापिकाओं की नियुक्ति कब तक किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही): (क) जी, हां, गैर-औपचारिक शिक्षा की योजना के अन्तर्गत, भारत सरकार केवल लड़कियों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्र स्थापति करने तथा उन्हें चलाने के लिए राज्य सरकारों को 90 प्रतिशत सहायता प्रदान करती है।

(ख) लड़कियों के उन केन्द्रों की संख्या, जिनके लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा अनुदान मुक्त किए गए थे, निम्न प्रकार से हैं:—

वर्ष	उन केन्द्रों की संख्या जिनके लिए अनुदान मुक्त किए गए
1986-87	20,500
1987-88	54,271
1988-89 (20-2-89 तक)	66,144

(ग) और (घ): भारत सरकार के ध्यान में कोई भी प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं आई है।

(ङ) गैर-औपचारिक शिक्षा की योजना में निहित मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार, केवल लड़कियों के केन्द्रों में अनुदेशक अधिमानतः महिलाएं होनी चाहिए और अनुदेशकों के रूप में नियुक्ति के लिए महिलाओं को, यदि वे उपलब्ध हों तो, प्राथमिकता दी जाती है।

[अनुवाद]

तिलहनों का उत्पादन

1247. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर:**
श्री बालासाहेब विखे पाटिल:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्यमान सापेक्ष स्थिति में अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए देश में तिलहनों की भारी फसल होने की आशा है;

(ख) यदि हां, तो 156.5 लाख टन तिलहन उत्पादन के लक्ष्य की तुलना में वर्ष 1988-89 के दौरान तिलहनों का वास्तविक उत्पादन कितना है;

(ग) क्या तिलहनों के बढ़े हुए उत्पादन से तिलहनों के आयात और देश में इनके मूल्यों पर प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1988-89 के दौरान तिलहनों के उत्पादन के अन्तिम अनुमान अभी राज्यों से प्राप्त किए जाने हैं। तथापि, वर्तमान अनुमानों के अनुसार इस वर्ष तिलहनों का उत्पादन 145 से 155 लाख मीटरी टन के बीच होने की आशा है।

(ग) जी, हां।

(घ) वर्ष 1988-89 में हुए अच्छे उत्पादन के कारण, पिछले वर्ष के 18 लाख मीटरी टन के मुकाबले आधे से भी कम आयात किए जाने की संभावना है।

आत्म निर्भरता को गति प्रदान करने के लिए सरकार ने पहले ही तिलहनों के उत्पादन, आयात, वितरण तथा मूल्य निर्धारण के बारे में एक समेकित नीति की घोषणा की है। समेकित नीति में थोक मूल्यों पर विचार किया गया है,जो किसानों तथा उपभोक्ताओं दोनों के लिए उपयुक्त होगी मूल्यों के संचालन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को बाजार हस्तक्षेप एजेंसी के रूप में नियुक्त किगा गया है। इससे किसानों को कटाई के तुरत बाद प्रोत्साहन मूल्य स्थिर रखने तथा उपभोक्ताओं के लाभ के लिये कमी के मौसम में बाजार में माल भेजने से कीमतें नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी।

अनिवासी भारतीयों द्वारा गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

1248. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के लिये अनिवासी भारतीयों को प्रोत्साहित करने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कौन-कौन से स्थानों का चयन किया गया है और ऐसे उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के लिए किन-किन अनिवासी भारतीयों को लाइसेंस दिया गया है?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर॰ प्रभु): (क) और (ख) गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के लिये प्रवासी भारतीयों के आवेदनपत्रों पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है । शाहजहांपुर स्थित गैस पर आधारित उर्वरक परियोजना के कार्यान्वयन के लिये एक प्रवासी भारतीय श्री स्वराज पाल को एक आशयपत्र जारी किया गया था। 20-2-1988 के बाद आशयपत्र की वैधता की अवधि नहीं बढ़ाई गई थी, क्योंकि प्रवर्तक द्वारा परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाये गये थे।

उर्वरक संयंत्रों का आधुनिकीकरण

1249. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर:** क्या कृषि मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि:

(क) क्या देश में उर्वरक संयंत्रों को आधुनिक बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो आधुनिकीकरण के लिए किन-किन उर्वरक संयंत्रों को चुना गया है; और

(ग) आधुनिकीकरण कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और इस कार्यक्रम पर कितनी लागत आएगी?

कृषि मंत्रालय में, उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर॰ प्रभु): (क) से (ग): जी, हां ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:—

आधुनिकीकृत/पुनरुद्धार की जा रही/की जाने के लिए प्रस्तावित कम्पनी और संयंत्र का नाम	लागत (रु॰ करोड़)	आधुनिकीकरण योजना के ब्यौरे
1. राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि॰ ट्राम्बे-1		
अमोनिया संयंत्र	रु॰ 65.39	प्रचालनों में सुधार लाने तथा ऊर्जा बचाने के लिए विद्यमान आंशिक आक्सीडेशन प्रक्रिया को स्टीम गैस रिफारमेशन प्रक्रिया से प्रतिस्थापित करना।
2. मद्रास फर्टिलाइजर्स लि॰		
(i) यूरिया संयंत्र	रु॰ 2.24	प्रदूषण नियंत्रण उपाय के रूप में यूरिया हाइड्रोलाइजरस्ट्रिपर सिस्टम की स्थापना।
(ii) अमोनिया संयंत्र	रु॰ 4.93	प्रचालन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने तथा ऊर्जा बचाने के लिए वर्तमान अमोनिया सिन्थीसि कन्वर्टर का एस 200 रेडियल कन्वर्टर में बदलना।

(iii) अमोनिया-II, यूरिया और एन पी के संयंत्र		सरकार ने एम एफ एल के इन संयंत्रों के पुनरुद्धार के लिए इनके सम्पूर्ण सर्वेक्षण को भी अनुमोदित किया है।
3. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन लि॰		
दुर्गापुर	रु॰ 171.3	विदेशी परामर्शदाताओं द्वारा इन एककों के पुनरुद्धार की सिफारिश की गयी है ताकि इन की क्षमता उपयोगिता में वृद्धि की जा सके।
बरौनी	रु॰ 156.9	
नामरूप-II	रु॰ 142.9	
नामरूप-I	रु॰ 19.2	
4. फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि॰		
(i) गोरखपुर संयंत्र	रु॰ 66.65	600 टन प्रति दिन के नए यूरिया संयंत्र की स्थापना तथा वर्तमान अमोनिया स्ट्रीमों का पुनरुद्धार
(ii) रामागुण्डम संयंत्र	रु॰ 101.36	40 मेगावाट के पटिव पावर संयंत्र की स्थापना तथा रामागुण्डम चरण-I पुराने रेक्टिन इंटरट्रांसप के स्थान पर मोलक्यूलर सीव सिस्टम आफ ए॰ एस॰ यू॰ सहित।
(iii) तालचर संयंत्र	रु॰ 74.01	30 मेगावाट केपटिव पावर संयंत्र की स्थापना तथा संशोधित ए॰ एस॰ यू॰ सिस्टम की स्थापना।
(iv) सिन्दरी संयंत्र	रु॰ 89.70	30 मेगावाट केपटिव पावर संयंत्र की स्थापना तथा संयंत्र के विभिन्न चालू सेक्शनों में पुनरुद्धार।
5. फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि॰		
(i) उद्योग मंडल	रु॰ 253.00	वर्तमान पुराने अमोनिया संयंत्रों का आधुनिकीकरण।
(ii) अम्बलामुगल	रु॰ 31.00	यूरिया संयंत्रों का आधुनिकीकरण।
	रु॰ 19.70	अमोनिया संयंत्रों का आधुनिकीकरण।
6. इफको		
(i) फूलपुर	रु॰ 29.48	वर्तमान अमोनिया, यूरिया और एन पी के संयंत्रों का आधुनिकीकरण।
(ii) कलोल	रु॰ 56.16	वही
(iii) कांडला	रु॰ 28.77	वही

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में गोदामों के निर्माण के लिए सहायता

1250. **श्री हरीश रावत:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों के निर्माण के लिए विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की गई है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988-89 के दौरान कितनी सहायता राशि प्रदान की गई और राज्य में कितने गोदामों का निर्माण किया गया तथा उनकी कुल क्षमता कितनी है?

कृषि मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1988-89 के दौरान, राष्ट्रीय सरकारी विकास निगम ने प्रत्येक 100 मीटर टन की क्षमता वाले 190 ग्रामीण गोदामों के निर्माण के लिए आई॰डी॰ए॰ (विश्व बैंक) द्वारा सहायता प्राप्त एन॰सी॰डी॰सी॰-3 कोआपरेटिव स्टौरेज प्रोजेक्ट के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि॰ को 85.50 लाख रुपए की ऋण सहायता की पहली किश्त प्रदान की है। इन गोदामों का निर्माण कार्य शीघ्र ही आरम्भ किए जाने की आशा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को दी गई धनराशि

1251. **श्री हरीश रावत:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को वर्ष 1988-89 के लिए कितनी धनराशि और देना नियत किया था और अब तक कितना-कितना दिया गया है; और

(ख) इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य को अधिक धनराशि प्रदान करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) उत्तर प्रदेश के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1988-89 के दौरान निधियों और खाद्यान्नों का आबंटन और अभी तक की गई रिलीज निम्न प्रकार है:—

नकद निधियां और केन्द्रीय अंश (लाख रुपये में)		खाद्यान्न (मीटरी टन)	
आबंटित	रिलीज की गई	आबंटित	रिलीज किए गए
7398	7398	87480	87480

(ख) चालू वर्ष के दौरान राज्य को निधियों अथवा खाद्यान्नों की और रिलीज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियर्स द्वारा आयोजित परीक्षाओं का माध्यम

1252. **प्रो॰ मधु दंडवते:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियर्स द्वारा एसोसिएट मेम्बर आफ इन्स्टीट्यूट आफ इंजीनियर्स की परीक्षा केवल अंग्रेजी माध्यम से ही ली जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या विवाद से बचने के लिए प्रश्न पत्र का हिन्दी में उत्तर लिखने वाले किन्हीं छात्रों को पास कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन के संबंधित आंदोलन सहित इस समस्या को सुलझाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल॰ पी॰ शाही): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मूंगफली के बीजों की किस्म में सुधार

1253. **श्री मोहनभाई पटेल: क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग ने मूंगफली के बीज की एक बढ़िया किस्म विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन बीजों की किसानों को सप्लाई की गई थी; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) मूंगफली का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों, विशेषकर गुजरात राज्य के किसानों को इस किस्म के बीजों का उत्पादन बढ़ाकर इसकी सप्लाई करने हेतु कया कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) दिनांक 24-3-1988 को रिलीज की गई किस्म के बीज का सरकारी फार्मों में संवर्धन किया जा रहा है । इन बीजों को प्रमाणित बीज के रूप मे किसानों को सप्लाई करने से पहले उन्हें बीज-संवर्धन की दो अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है यानी प्रजनक तथा आधारी बीज तैयार करने के बाद ही उनकी सप्लाई की जाती है ।

(घ) मूंगफली का उत्पादन बढ़ाने के लिए गुजरात सहित विभिन्न राज्यों में उनके बीजों का संवर्धन किया जा रहा है ।

पुराने जलपोतों की खरीद

1254. **श्री बनवारी लाल पुरोहित: क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का स्टील री-रोलिंग उद्योग हेतु पुराने जलपोतों की खरीद करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो पुराने जलपोत खरीदने हेतु कितना पूंजी निवेश करने का विचार है;

(ग) क्या री-रोलिंग उद्योग कच्चे माल की कमी के कारण संकट मे चल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो पुराने जलपोतों की खरीद से री-रोलिंग उद्योग को कितनी राहत मिलेगी?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार): (क) जी, हां।

(ख) माध्यम अभिकरण, मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी उपलब्धता के आधार पर कुछेक शर्तों के अधीन पुराने जहाज खरीदती है।

(ग) और (घ) सामान्य रूप से पुनर्बेलन सामग्री की कमी के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए है। चालू वर्ष में लगभग 300,000 टन भार के पुराने जहाज खरीदे जा चुके है। इससे पुनर्बेलन उद्योग में पुनर्बेलन सामग्री की उपलब्धता में वृद्धि हुई है।

[हिन्दी]

इन्दिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय को विदेशी सहायता की प्राप्ति

1255. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इन्दिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय को विदेशों से वित्तीय सहायता मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो ब्रिटेन से मिली सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ब्रिटेन चालू वर्ष मे भी सहायता प्रदान कर रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सहायता राशि का तथा इससे संबंधित शर्तों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे शिक्षा तथा संस्कृति विभागों मे राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) विश्वविद्यालय की स्थापना के पश्चात् ऐसी सूचना मिली थी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को इंग्लैंड सरकार / ब्रिटिश मुक्त विश्वविद्यालय कुछ सहायता देने को तैयार है । विचार-विमर्श करने के पश्चात् ब्रिटिश प्राधिकारी इं० गां० रा० मु० वि० के स्थापना के प्रारंभिक चरण मे इं०गां० रा० मु० वि० के कार्मिकों हेतु इंग्लैंड मे 30 प्रशिक्षण / अध्ययन दौरे, दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों, विषय सामग्री के विकास आदि पर प्रशिक्षण / कार्यशालाओं में सहायता के लिए ब्रिटिश मुक्त विश्वविद्यालय विशेषज्ञों को 8 परामर्श कार्यों तथा कुछ पुस्तकों व दृश्य श्रव्य कैसेट की सप्लाई के लिए तैयार है । जनवरी, 1986 तथा मार्च, 1988 के बीच प्राप्त सहायता की कुल लागत करीब 324500 पौंड थी।

इसी बीच, ब्रिटिश प्राधिकारियों द्वारा ब्रिटिश ओवरसीज विकास प्रशासन की मूल्यांकन दल की सिफारिशों पर आगे विचार विमर्श किया गया था, इंग्लैंड सरकार अप्रैल, 1988 से मार्च 1990 की अवधि मे 3.356 मिलियन पौंड की सहायता देने को सहमत है । इस सहायता का उपयोग, मीडिया उपकरण तथा संबंधित सुविधाओं, मेनफ्रेम कम्प्यूटर तथा साफ्टवेयर, मुद्रण और पैकेजिंग उपकरण तथा पुस्तके प्राप्त करने के साथ-साथ मुक्त विश्वविद्यालय पद्धति के संयोजन के विभिन्न पहलुओं पर ब्रिटिश परामर्शदाताओं के दौरे हेतु वित्तीय खर्च करने तथा इं० गां० रा० मु० वि० की मानवशक्ति के प्रशिक्षण और इं० गां० रा० मु० वि० के व्यक्तियों के इंग्लैंड में अध्ययन दौरे हेतु किया जाएगा । इस पहलू का कार्यान्वयन प्रगति पर है।

[अनुवाद]

वर्ष 1989 के दौरान रबी फसल का उत्पादन

1256. **श्री वी० तुलसीराम:**
श्री बालासाहिब विखे पाटिल:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1989 के दौरान रबी फसल का कितना उत्पादन होने का अनुमान है तथा यह वर्ष 1988 की तुलना में कितना कम या अधिक होगा;

(ख) खरीफ फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये है; और

(ग) क्या सातवीं योजना के लिए खाद्यान्न उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किये जाने की संभावना है तथा क्या देश में खाद्यान्न का अतिरिक्त भंडार बन जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव): (क) रबी फसलों के उत्पादन के अंतिम अनुमान अभी राज्यों से प्राप्त होने हैं। मौजूदा अनुमानों के अनुसार 1988-89 के दौरान रबी खाद्यान्न फसलों का उत्पादन 1987-88 के 645 लाख मीटरी टन की तुलना में 715 से 740 लाख मी॰ टन की सीमा के बीच होने की आशा है। 1988-89 के दौरान रबी तिलहन का उत्पादन गत वर्ष के 61 लाख मी॰ टन की तुलना में 60 से 65 लाख मी.टन की सीमा के बीच होने की आशा है।

(ख) खरीफ 1988-89 के दौरान उत्पादन को बढ़ाने के लिये किये गये उपाय नीचे दिये गये है:—

(1) 14 चुनींदा राज्यों में विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम

(2) 6 लाख अतिरिक्त उथले ट्यूबवैलों/डगवैलों की मंजूरी

(3) उर्वरक खपत को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त खुदरा बिक्री केन्द्रों को खोलना।

(4) विपणन और मूल्य समर्थन संबंधी कार्य।

(5) कीट निगरानी को मजबूत बनाना।

(6) ऋण की सामयिक उपलब्धता।

(ग) यदि सातवीं योजना के अंतिम वर्ष में वर्षा और मौसम की परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं तो खाद्यान्न उत्पादन के लिये नियत किये लक्ष्यों को प्राप्त कर लिये जाने की आशा है। योजना लक्ष्य सामान्यतया मांग और आपूर्ति के अनुकूल होते हैं।

फसल बीमा योजना

1257. **श्री वी॰ तुलसी राम:**
श्री बाला साहिब विखे पाटिल:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में फसल बीमा योजना सफल रही है;

(ख) यदि नहीं, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां यह योजना विफल हो गई है;

(ग) प्रत्येक राज्य में वर्ष 1988-89 के लिए किसानों की फसलों के संबंध में उन्हें बीमे की कितनी धनराशि का भुगतान किया जाना है/भुगतान बकाया है; और

(घ) सरकार ने उनके दावों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव): (क) देश में 1 अप्रैल, 1985 से लागू की गई वृहत फसल बीमा योजना सफल रही है। इससे किसानों को वित्तीय सहायता मिली है तथा विभिन्न प्राकृतिक आपदायें आने के परिणामस्वरूप फसल की हानि/खराब होने की दशा में ऋण प्राप्त करने के लिए उनकी पात्रता बहाल हुई है। इसके अलावा, वृहत फसल बीमा योजना ने अनाजों, दालों और तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने में भी मदद दी है।

(ख) वृहत फसल बीमा योजना किसी भी राज्य में असफल नहीं रही है।

(ग) वर्ष 1988-89 के लिए बीमाकृत फसलों के वास्ते किसानों को देय क्षतिपूर्ति के दावों की धनराशि का राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(घ) वृहत फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के दावों के शीघ्र निपटान के लिए यह निर्धारित किया गया है कि राज्य सरकार बीमाकृत फसलों के लिए अधिसूचित क्षेत्रों में अपेक्षित संख्या

में फसल काटने के प्रयोग करेगी और हर मौसम के अंत में चार मास की अवधि में ऐसे प्रयोगों के आधार पर निकाले गये पैदावार संबंधी आंकड़े भारतीय साधारण बीमा निगम को प्रस्तुत कर देंगे। उसके बाद भारतीय साधारण बीमा निगम पैदावार संबंधी आंकड़े प्राप्त होने के दो मास के अन्दर हर राज्य में संबंधित किसानों को देय क्षतिपूर्ति के दावों की रकम का हिसाब लगाकर ऐसे दावों का ब्यौरा अनुमोदन के लिए सरकार को भेजेगा।

आन्ध्र प्रदेश में स्पंज लोहे की नयी परियोजना

1258. **श्रीमती एन॰ पी॰ झांसी लक्ष्मी:** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में स्थापना हेतु स्पंज लोहे की एक नयी परियोजना को मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम॰ एल॰ फोतेदार): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नही उठता।

आंध्र प्रदेश में मत्स्यपालन उद्योग का विकास

1259. **श्रीमती एन॰ पी॰ झांसी लक्ष्मी:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश के विशाखापतनम में समुद्री मत्स्यपालन उद्योग के लिये एक अनुसंधान परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

बीजों का विकास

1260. **श्री बलवंत सिंह रामूवालिया:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीजों की उन्नत किस्म विकसित करने और उन्हें किसानों को सप्लाई करने के लिये सरकार द्वारा विशेष प्रयास किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में किये गये प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रयासों के परिणामस्वरूप मिली सफलता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) किसानों को खेती के उन्नत तरीके सिखाने और कृषि वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किये गये उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल करने के बारे में उन्हें जानकारी देने में सरकार को कितनी सफलता मिली है?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री): (क) जी, हां।

(ख) हाल के वर्षों में विभिन्न फसलों की अनेक सुधरी हुई किस्में विकसित की गयी हैं। गत् चार वर्षों में विकसित / जारी / अधिसूचित महत्वपूर्ण सुधरी किस्मों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

राज्यों की एजेंसियों के जरिये सुधरी हुई किस्मों के बीजों को समय पर किसानों तक ही पहुंचाने की जिम्मेवारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है। मगर इस दिशा में राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में राष्ट्रीय बीज निगम और भारतीय राज्य फार्म निगम जैसी राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा मदद की जा रही है। ये एजेंसियां राष्ट्रीय महत्व के बीजों की किस्मों का उत्पादन और उनकी आपूर्ति की व्यवस्था करती हैं।

(ग) वर्ष 1987-88 के दौरान विभिन्न फसलों के प्रमाणित / अच्छी क्वालीटी के लगभग 56.30 लाख क्विं० बीज वितरित किये गये हैं।

(घ) बड़े पैमाने पर सुधरी हुई किस्मों और उत्पादन की नयी टेक्नोलोजी के प्रदर्शनों के फलस्वरूप धीरे-धीरे वर्षों पुरानी परम्परागत किस्मों के बीजों के स्थान पर नई सुधरी किस्मों को अपनाया जाने लगा है और इससे विभिन्न फसलों की उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि हुई है।

विवरण

गत चार वर्षों (1985—88) के दौरान फसलों की विकसित / जारी की गयी/अधिसूचित महत्वपूर्ण सुधरी किस्में

फसल	1985	1986	1987	1988
1	2	3	4	5
1. चावल	मानसरोवर, प्रसन्ना, सभा, महसूरी, सेशु, श्रीनिवास, बिरसाधान-104, बिरसाधन-202, सी० आर-202 अभिलाष, अविनाश, महावीर, स्वर्णप्रभा, रत्नगिरी—I, रत्नगिरी—II, एस० सी० एल-6, स्ये 75, गौरी, नीला, पथारा, सरवा, उदय, रम्भा, भारती, दशन, ए०एस०डी० 16, परमा कुदी, टीपीएस-1, सफेद फोनी, मनहोर	महेन्द्र, प्रतिभा, पुल्कल, सोनसली, वक्रम, खमात, विक्रमार्य, हिमालय-741, मध्य विजय; भाग्य, ओनम, एसीके-5, पीआर 108, पीआर 109, नरेन्द्र 80, पन्त धान-6 आश्वन्त, मन्दिरा, आगेन, सविता।	अन्नदा, वीएल धान-163 एचसीआर 120, पूसा 205, जवाहर धान-75	हरी, शालिवाहन, तुलसी, सुरक्षा, सत्या, सलीम, मन्द्या विजय एचसीआर-120, नरेन्द्र धान-118, वीएल-धान 163, पीआर-109, अन्नदा, आई.ई.टी-7191.
2. गेहूं	एच.डी. 2273, डब्लु.एच. 201, कुन्दन, प्रगति, एच डब्लु 741, पी.ई.डब्लु 34, एच.डी 2307, राज 1972 एच.डी. 2327, राज 2184, एच.यू.डब्लु 206, एच.यू.डब्लु 213, वी.डब्लु 120, एच.यू.डब्लु 234, वी.एल. 616	त्रिवेणी (के 8020), एचआई-1077, पीबीडब्लू 154, पीबीडब्लू 175, एचडी-2428, एच.एस. 207, एच.डी. 2380	पंत गेहूं 1109, बी डब्ल्यू-II	एच डी 2402, एच आई 977. पी बी डब्ल्यू 154

1	2	3	4	5
3. ज्वार	वर्षा, एस.पी.वी. 297, एसपीवी-504, एसवी-905, एसपीवी-245, एसपीवी-96, सीओ-21, सीओ-22, सीजे-9	सी.जे.-36, के-4, सी.एस.एच-10, सी एच.एस-II, सी.एस.एच- 18, सीएसएच-201, एसपीवी-462	सी जे-37	एस ए आर-I सी एस वी-13
4. मक्का	फर्म समारी प्रताप-I	एन.एल.डी सफेद, हेमनत	एन सी यू-508 अरुण, वी एल मक्का-41	अरुण, वी एल मक्का-41, किरण, सरताज, हर्ष-कम्पो, वी एल मक्का-88, प्रभात, गुजरात मक्का-I, धवल, गंगा-II, पूसा कम्पोसिट-1, पूसा कम्पो-2, सूर्य
5. जौ	लाखन, जागृति, बीएल जौ-1	पीएल-172, कादर, बीएचएस-169	कोरन-16,बीएचसी-169	
6. बाजरा	एचएचबी-45, आईसीएमएस-7793, आरबीसी-2, पीआईएच-47	पीसीबी-15, एमएच-179, एमएच-180, एमएच-182, संगम, सीओ-7	एमबीएच-130, एचएमबी-50, पूसा-23	आईसीएमएच 423, आईएम-124, एचएमबी-60
छोटे अनाज				
रागी	रतनगिरी, पाईयुर-I, पीईएस-110	केबीआर-1	इन्डाफ-9	
	बारयार्ड आरएयू-3 मिलेट			गुजरात नागली-2, इमली-9
	प्रोसेमि-सीओ-2 लेट	सी ओ-3		बीएलमदिरा-29'
कोडो मिलेट		पीएससी-1, जवाहर कोडो-41,जवाहर कोडो -62		
	साँवा	पीआरसी-3	जवाहर कुलकी-8 जवाहर कुलकी-2	
	माईनर-मिलेट	गुजरात बनती-1		
दलहन फसलें				
अरहर	एसए-1, सीओ-2, सोओ-3, पूसा-84 मनक, यूपीएएस-120	बाहर, प्रगति, मारूती	पूसा-33, टीटीबी-7	टी-7, पूसा-33, टीटीबी-7

1	2	3	4	5
लोबिया	एस-288	यूपीसी-5287, बिर्सस्वेता	पूसा कमल, आरसी-19, टीवीएक्स-लोबिया, केजीसी-1	छनोडी, यूपीसी-287, केजीसी-1, टीवी एक्स लोबिया-
मसूर		मलिका		एलएल-147
चना	पूसा-244, पूसा-256, पूसा-408, पूसा-413, पूसा-417,	विश्वास	पूसा-267,	पूसा-267, गोरा हिसारी, पीबीजी-1
मूंग	सीओ-2, सीओ-3, पंत मूँग-3	—	एमएल-267, पूसा-105, पीडीएम-11, पीडीएम-54	
कुलथी		डपोली-1		डपोली
मटर			आरपीजी-3 जेपी-179, पंत पी-5	मालवीय मटर-2 अपर्णा
राईसबीन			आरबीएल-1	
उड़द			जवाहर उड़द-2, जवाहर उड़द-3 पंत यू-35	
राजमाह	वीएल-बौनी बीन-1	प्रिया	उदय	

चारे की फसलें

रिजका	एलएल कम्पोसिट-3		
ज्वार	आरसी-2		
बरसिम	एसएल-10	एच्सी-260, एचसी-171	— बीएल-22
गिनी घास			— पीजीसी-9
दीनानाथ घास			— बुन्देल-1

रेशे वाली फसलें

जूट/मेस्ता	जेआरसी-3690
सीसल	सीसल-लीला
	रामी-आर-67-34

1	2	3	4	5
व्यवसायिक फसलें				
तम्बाकू				बव्या, हेमा
घास	बीसी-76 डीएस-1 गोदावरी (एनएचएच-1)		कन्चन सविता	
गन्ना		सीओएस-767	कोल्क 8001 कोल्क 7901	
तिलहन				
मूँगफली	कौशल, वाई वार्ड-2, चित्रा यूएफ-70-103 किशान, टीसी-17, एम-197	सीओ-2, आईसीजीएस-11	जवाहर एसजी-84, टीजी-3	एम-335, जीसी-11, वीआरआई-1 आईसीजीएस-44, गिरनार-1
तोरिया एवं सरसों	पीटी-303, आरएच-30, पूसा बोल्ड, आईजीएफ-76, टीएल-15	भवानी	पीटी-30, सौरभ	पाँचाली, आरएस-359, आरसीआर-317
सोयाबीन	पीके-308, एमएसीएस-13, मोनेटा, वीएल सोया-1	पीके-416, पीके-472	जेएस-75-46, एसएल-96, पूसा-16, पूसा-24	पूसा-20
अलसी	हिमालिनी, पूसा-2 पूसा-3, जवाहर-23 सुभद्रा, स्वेता, प्रिमा		लक्ष्मी-27, गौरव	किरण, जीवन
तिल	कालीकट, टीएमवी-4		टीएमवी-3	टीसी-289, तापी, जेएल-7-7
अरण्डी	टीएमवी-5	जीसीएच-2		जीसीएच-4
सूरजमुखी		सीओ-2	एमएसएफएच-1 एमएसएफएच-8	एपीएसएच-11 एमएसएफएच-10
कुसुम्भ			जवाहर, कुसुम्भ, नीरा	सागर-मुत्यालु, मालवीय कुसुम-305
रामतिल	आईजीपी-76			आरसीआर-317

संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाओं के पदों पर भारतीयों की नियुक्ति

[अनुवाद]

1261. **श्री सैयद शाहबुद्दीन:** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 जनवरी, 1989 की स्थिति के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाओं में नियुक्त भारतीय व्यक्तियों की संख्या का संस्थावार और श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1988 के दौरान भारतीय नागरिकों की संस्थावार कितने विशेष अथवा अल्पाधिक पदों पर नियुक्तियां की गई; और

(ग) भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन-कौन सी संस्थाओं तथा एजेंसियों के राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय कार्यालय हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे यथा संभव शीघ्र सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

(ग) भारत में स्थित संयुक्त राष्ट्र संगठनों और अभिकरणों के नामों की संयुक्त राष्ट्र सूचना केन्द्र द्वारा यथा प्रकाशित सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय और उनसे सम्बद्ध विशिष्ट अभिकरण

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष
विश्व खाद्य कार्यक्रम
संयुक्त राष्ट्र सूचना केन्द्र
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र (अंकटाड/गाट)
भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य प्रेक्षक दल
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष.
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन
संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन
विश्व स्वास्थ्य सगठन
विश्व बैंक
अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम
संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन

राष्ट्रीय खनिज नीति

1262. **श्री सैयद शाहबुद्दीन:** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गैर-ईंधन तथा गैर-परमाणु खनिजों के लिये "प्रारूप राष्ट्रीय खनिज नीति" को अन्तिम रूप देने में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) प्रारूप नीति कब तक संसद के समक्ष रखी जायेगी?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार): (क) और (ख). गैर-ईंधन तथा गैर-परमाणु खनिजों के लिए राष्ट्रीय खनिज नीति प्रारूप पर सरकार फिलहाल विचार कर रही है।

अतिरिक्त भूमि को भूमिहीन कृषकों में वितरित करना

1263. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1987 के दौरान भूमिहीनों को वितरित की गयी अतिरिक्त भूमि की तुलना में वर्ष 1988 के अन्त तक निर्धारित लक्ष्य, यदि कोई हो, के संदर्भ में कितने हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि भूमिहीनों को वितरित की गयी और इससे कितने लोगों को लाभ हुआ;

(ख) किन-किन राज्य सरकारों ने भूमिहीनों को अतिरिक्त भूमि के वितरण में निराशाजनक

प्रगति की है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का देश में अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों में वितरित करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अधिकतम सीमा कानून में, यदि कोई विसंगतियां हैं, तो उन्हें दूर करने हेतु पूरे मामले की पुनरीक्षा करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) वित्तीय वर्ष 1987-88 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकतम सीमा से फालतू 109539 हैक्टेयर भूमि के लक्ष्य के मुकाबले 33265 हैक्टेयर भूमि वितरित की गई है। चालू वर्ष 1988-89 के दौरान 91655 हैक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले जनवरी, 1989 के अंत तक 32132 हैक्टेयर भूमि वितरित की गई है। इस कार्यक्रम के आरम्भ होने से लेकर 41.72 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, मणिपुर, पंजाब, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, दादरा व नागर हवेली, दिल्ली तथा पांडिचेरी का निष्पादन संतोषजनक नहीं है। हालांकि, असम और पंजाब ने इसका कारण बाढ़ राहत कार्य में कार्यान्वयन तंत्र का लगा होना बताया था लेकिन अन्य राज्यों ने इस असंतोषजनक प्रगति के लिए कोई कारण नहीं बताया है।

(ग) और (घ). भूमि की अधिकतम सीमा कानूनों के कार्यान्वयन और अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के वितरण को न केवल 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत मानीटर किया जाता है बल्कि राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में भी इसकी समीक्षा की जाती है। मई, 1985, नवम्बर, 1986 और दिसम्बर, 1988 में हुए राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में हुई आम राय के सन्दर्भ में राज्यों को भूमि की अधिकतम सीमा कानूनों के कार्यान्वयन में सुधार करने तथा भूमिहीनों को फालतू भूमि के वितरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए विभिन्न विधायी और प्रशासनिक उपाय सुझाए गए थे। इसके अनुसरण में राज्यों से अन्य उपायों के साथ-साथ, अधिकतम सीमा सम्बन्धी मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु संविधान के अनुच्छेद 323-ख के अंतर्गत ट्रिब्यूनल गठित करने, अधिकतम सीमा कानूनों की खामियों को दूर करने, बेनामी और फर्जी लेन-देन का पता लगाने तथा प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक तंत्र को सक्रिय बनाने आदि पर विचार करने का अनुरोध किया गया है।

कृषि मूल्य तथा लागत आयोग के प्रधान के रूप में एक किसान की नियुक्ति

1264. **श्री पी० कुलनदईवेलु:**

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृषि मूल्य तथा लागत आयोग के प्रधान के रूप में एक किसान की नियुक्ति करनेको मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव): (क) कृषि लागत और मूल्य आयोग के प्रमुख के रूप में एक किसान को नियुक्त करने के संबंध में कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् द्वारा सृजित किए गए पद

1265. श्री राज कुमार राय: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् द्वारा वर्ष 1988-89 के दौरान सृजित किये गये विभिन्न श्रेणी के पदों और उनके वेतन मानों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या इनमें से कोई पद रिक्त पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के. के. तिवारी): (क) से (ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1988-89 के दौरान भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् में विभिन्न श्रेणियों में सृजित किए गए तथा रिक्त पदों का ब्यौरा

क्रम सं०	पद	वेतनमान (रु० में)	पदों की संख्या	
			सृजित किए गए	रिक्त
1.	सहायक सम्पादक	2200-4000	1	—
2.	सहायक कार्यक्रम अधिकारी	1640-2900	8	8
3.	सहायक	1400-2300	1	1
4.	वरिष्ठ सहायक	1200-2040	3	3
5.	वरिष्ठ आशुलिपिक	1200-2040	3	1
6.	लिपिक	950-1500	6	2
7.	स्टाफ कार ड्राइवर	950-1500	1	—
8.	दफ्तरी	775-1025	1	1
9.	चपरासी/फोटोकापियर मशीन ऑपरेटर	750-940	6	—

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् द्वारा श्रव्य-दृश्य एकक का व्यावसायिकरण

1266. श्री राज कुमार राय: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् ने श्रव्य-दृश्य का व्यावसायिकरण किया है और उसके लिए एक पृथक एकक स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय नृत्यों के कैसेटों की बिक्री से कुल कितनी आय हुई और श्रव्य-दृश्य एकक की स्थापना पर किये गये व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) श्रव्य-दृश्य एकक के लिए जापान और अमरीका से खरीदी गई सामग्री का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी): (क) जी, नहीं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् में जून, 1986 में श्रव्य-दृश्य एवं संदर्भ अनुसंधान के लिए एक ए०वी०आर० यूनिट की स्थापना की गई थी। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् इस यूनिट से किसी तरह का वाणिज्यिक लाभ नहीं उठाता।

(ख) आमदनी का प्रश्न नहीं उठता। ए०वी०आर० यूनिट की स्थापना पर हुए खर्च का

विवरण इस प्रकार है:—

उपस्कर का ब्यौरा	खर्च (रुपये)
1. वीडियो मोनीटर (महानिदेशक के कार्यालय में लगाया गया है)	36,375.65
2. वीडियो, कैसेट रिकार्डर (महानिदेशक के कार्यालय में लगाया गया है)	21,714.30
3. टी॰वी॰ (पुस्तकालय में रखा गया है)	11,300.00
4. वीडियो कैसेट रिकार्डर (पुस्तकालय में रखा गया है)	15,500.00
5. पुस्तकालय में ओडिओ डेक	3,960.00

(ग) भारतीय मिशनों के माध्यम से अमरीका और जापान से खरीदी गई सामग्री का ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है:

देश	खरीदी गई सामग्री	खर्च (रुपये)
अमरीका	660 वी॰एच॰एस॰ टेप	43,139.38
जापान	70 यू-मैटिक टेप	21,880.06

जनजातीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण हेतु तमिलनाडु को धनराशि

1267. **श्री पी॰आर॰एस॰ वेंकटेशन:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण हेतु तमिलनाडु को धनराशि का आवंटन किया था; और

(ख) यदि हां, तो सातवीं योजना के दौरान अब तक कितनी धनराशि दी गई है?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) जी हां।

(ख) 41.36 लाख रुपए।

तमिलनाडु में खाद्य प्रसंस्करण एकक स्थापित करने का प्रस्ताव

1268. **श्री पी॰आर॰एस॰ वेंकटेशन:** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को तमिलनाडु सरकार से अपने राज्य में खाद्य प्रसंस्करण एकक स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के पास इस संबंध में तमिलनाडु सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ दिखाई नहीं देता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

तमिलनाडु में नारियल बागानों का विकास

1269. **श्री पी॰आर॰एस॰ वेंकटेशन:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में तमिलनाडु में नारियल बागान के विकास हेतु उस राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय किया है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

तमिलनाडु में गन्ने का विकास

1270. **श्री पी. आर. एस. वेंकटेशन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में गन्ने के विकास के संबंध में अब तक क्या उपाय किए गए हैं और कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान कुल कितने क्षेत्र पर गन्ने की खेती की गई है;

(ग) क्या तमिलनाडु में गन्ने के विकास के लिए कोई नई योजना तमिलनाडु सरकार से प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव): (क) राज्य में कार्यान्वित की जा रही गन्ना विकास निधि योजना में बीज पौधशाला कार्यक्रम, सुरक्षात्मक सिंचाई योजनाओं, कीट नियंत्रण उपायों के माध्यम से गन्ने का विकास करने और कृषकों को उन्नत गन्ना किस्मों को अपनाने हेतु प्रोत्साहन देने की व्यवस्था है।

राज्य में 16 चीनी मिलों के लिये 31.1.89 तक इस गन्ना विकास निधि योजना के तहत स्वीकृत ऋण धनराशि 30.36 करोड़ रुपये है।

(ख) वर्तमान वर्ष के दौरान अर्थात जनवरी, 1989 तक लगभग कुल 1,60,000 हैक्टयर क्षेत्र गन्ने की खेती के तहत लाया गया है।

(ग) और (घ) तमिलनाडु में सात फैक्टरियों में गन्ने का विकास करने के लिये योजना प्राप्त हुई है और इस पर कार्यवाही की जा रही है।

भारतीय खेलों के विकास में बाधाएं

1271. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के समक्ष भारतीय खेलों के विकास में आने वाली मुख्य बाधाएं क्या हैं;

(ख) सरकार ने इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या नीति अपनाने का विचार किया है; और

(ग) सरकार का विचार बीजिंग में होने वाले ग्यारहवें एशियाई खेलों में भागीदारी को सफल बनाने हेतु खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाने का है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) अधिकतर शैक्षिक संस्थानों में खेलों के प्रति उदासीनता और उपेक्षा, पर्याप्त खेल अवस्थापनाओं का अभाव और अपर्याप्त अच्छा प्रशिक्षण ही मुख्य बाधाएं हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने खेलों के विकास के लिए छठी योजना में 14 करोड़ रुपये का योजनाबद्ध परिव्यय चालू (सातवीं) योजना में 200 करोड़ तक बढ़ाया है। केन्द्रीय सरकार तथा

भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेल अवस्थापन के विकास, छोटी आयु में खेल प्रतिभा का पता लगाने और पोषण, भारतीय प्रशिक्षकों और खेल वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण, जहां आवश्यकता हो, वहां हमारे खिलाड़ियों के विकास और प्रशिक्षण के लिए विदेशी प्रशिक्षकों और विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए कई योजनाएं भी शुरू की हैं।

(ग) बीजिंग एशियाई खेलों के लिए प्राथमिक खेल विषयों का पता लगाया गया है । ऐसे खिलाड़ी जिनसे खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने की सम्भावना है उनका पता लगाया गया है और उन्हें भारतीय तथा जहां आवश्यक है वहां विदेशी प्रशिक्षकों और खेल विज्ञान विशेषज्ञों के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत प्रशिक्षण शिविरों में गहन प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन की नियमित तौर पर देख-रेख की जाती है और उन्हें सबसे अच्छे सम्भव खेल उपस्कर, पौष्टिक भोजन और उच्च कोटि की प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय से प्रस्ताव

1272. **श्री सोमनाथ रथ: क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सातवीं योजना अवधि के दौरान ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को क्या योजनायें भेजी;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सातवीं योजना अवधि के दौरान अब तक ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय के लिये विभिन्न योजनाओं हेतु योजनावार कितनी धनराशि स्वीकृत की और अब तक कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है ; और

(ग) ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय के कौन-कौन से प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में अभी तक विचाराधीन हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही): (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन राज्य विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिन्हें सामान्य विकास और विशिष्ट योजनाओं के लिए विशेष सहायता के वास्ते विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा-12-ख के अंतर्गत उपयुक्त घोषित किया गया है । सामान्य विकास के लिए ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय को सातवीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के लिए अनुमोदित और जारी किये गये अनुदानों के ब्यौरे नीचे दर्शाए गए हैं ;—

(रुपये लाखों में)

मदें	अनुमोदित अनुदान	दिया गया अनुदान
पुस्तकें	25.37	25.37
उपस्कर	50.00	46.00
भवन	66.79	41.79
स्टाफ	41.94	38.94

विशेष सहायता की योजना के अन्तर्गत प्रस्तावों से संबंधित ब्यौरे एकत्रित किए जा रहे हैं। आयोग द्वारा विश्वविद्यालय से अनुदानों की उपयोगिता के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है।

उड़ीसा को रियायती दामों पर कागज़ उपलब्ध कराना

1273. **श्री राधाकांत डिगाल: क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य सरकार को रियायती दाम वाले कागज़ का कुल कितना कोटा दिया गया;

(ख) क्या राज्य सरकार के लिये आवंटित रियायती दर वाले कागज़ के कोटे में कमी हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) रियायती दाम वाले कागज़ के आवंटन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ताकि राज्य सरकार को ऐसे कागज़ की कमी के कारण समस्या का सामना न करना पड़े?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल॰ पी॰ शाही): (क) उड़ीसा राज्य को पिछले तीन वर्षों के दौरान सफेद मुद्रण कागज़ की निम्नलिखित मात्रा आवंटित की गई थी:—

(1)	1986—	5,295 मीट्रिक टन
(2)	1987—	2,729 मीट्रिक टन
(3)	1988—	2,298 मीट्रिक टन

(ख) से (घ): कागज़ (उत्पादन का नियंत्रण) आदेश, 1978 के अन्तर्गत, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में शैक्षणिक क्षेत्र के लिए वर्ष 1986 के दौरान आवंटित सफेद मुद्रण कागज़ की कुल मात्रा लगभग 1.50 लाख मीट्रिक टन थी। तथापि, मिलों द्वारा की गई वास्तविक आपूर्ति किए गए आवंटनों की मात्रा 50% थी।

शैक्षणिक क्षेत्र के कागज़ की समय पर पूर्ति करने को सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए, 24 करोड़ रुपये के वार्षिक बजट के साथ एक वैकल्पिक सहायता योजना जनवरी, 1987 से कागज़ नियंत्रक आदेश को रद्द करके शुरू की गई है। प्रति मीट्रिक टन सहायता राशि चूंकि 3000 रुपये है, इसलिए मात्र 80,000 मीट्रिक टन एक वर्ष में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वितरण करने के लिए उपलब्ध करायी जा सकती है।

वर्ष 1986 में, उपर्युक्त उल्लिखित के अनुसार, वास्तविक आपूर्ति किए गए आवंटनों की मात्राओं का लगभग आधा थी। वर्ष 1987 तथा 1988 में, आपूर्तियां किए गए आवंटनों की मात्राओं के लगभग बराबर रही हैं। अतः जनवरी, 1987 से कागज़ नियंत्रक आदेश को रद्द करने के बाद राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को कागज़ की उपलब्धता में व्यावहारिक रूप से कोई भी कमी नहीं की गयी है।

इसके अतिरिक्त, यदि किसी भी क्षेत्र से कोई अतिरिक्त कागज़ बच जाता है तो इसे जरूरतमंद राज्यों को पुनः आवंटित कर दिया जाता है। इन्हीं कमियों के कारण ही उड़ीसा राज्य को क्रमशः वर्ष 1987 तथा 1988 के दौरान 581 मीट्रिक टन और 150 मीट्रिक टन तक कागज़ का अतिरिक्त आवंटन दिया गया था।

पर्वतीय राज्यों में नवोदय विद्यालय

1274. **प्रो॰ नारायण चन्द पराशर**: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेष श्रेणी के राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, मणिपुर, नागालैंड तथा सिक्किम को सातवीं योजना के दौरान नवोदय विद्यालय खोलने के मामले में कोई प्राथमिकता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इनमें से प्रत्येक राज्य में सभी जिलों में ऐसे विद्यालय खोले गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है तथा अब तक किन जिलों में ये विद्यालय खोले जा चुके हैं तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष के दौरान ये विद्यालय राज्य-वार, किन जिलों में खोले जायेंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). नवोदय विद्यालय योजना के अनुसार, राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों को विद्यालय चलाने के लिए प्रथमतः पर्याप्त रिक्त भवनों के साथ निःशुल्क 30 एकड़ उपयुक्त भू-खंड प्रदान करने की आवश्यकता होती है। अब तक जम्मू और काश्मीर को छोड़कर प्रश्न के भाग (क) में निर्दिष्ट राज्यों के सभी जिले शामिल नहीं किये गये हैं। असम राज्य ने योजना को अभी तक नहीं अपनाया है। आज की तारीख तक क्रमानुसार राज्यों के जिलों में जहां नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए हैं, के नामों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। शेष जिलों के संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि वित्तीय बाधाओं के कारण, नवोदय विद्यालय समिति की कार्यकारिणी समिति द्वारा हाल ही में निर्णय लिया गया है कि सातवीं योजना के अंतिम वर्ष अर्थात् वर्ष 1989-90 के दौरान नवोदय विद्यालय खोले जाने की गति को धीमा कर दिया जाना चाहिए।

विवरण

क्रम सं०	राज्य		जिला
1	2		3
1.	हिमाचल प्रदेश	1.	मंडी
		2.	शिमला
		3.	चम्बा
		4.	सिरमौर
		5.	कांगड़ा
		6.	किन्नौर
		7.	ऊना
		8.	हमीरपुर
2.	जम्मू व काश्मीर	1.	पुलवामा
		2.	कुपवाड़ा
		3.	बारामुल्ला
		4.	लद्दाख
		5.	उधमपुर
		6.	राजोरी
		7.	डोडा
		8.	अनन्तनाग
		9.	श्री नगर
		10.	बड़गाम
		11.	कठुआ
		12.	पुंछ
		13.	करगिल
		14.	जम्मू

1	2		3
3.	अरुणाचल प्रदेश	1.	दिबांग वला
		2.	लोहित
		3.	तिरप
		4.	अपर सुबानसिरी
		5.	पूर्वी कामेंग
4.	त्रिपुरा	1.	पश्चिमी जिला
5.	मेघालय	1.	पश्चिमी गारो हिल्स
		2.	पूर्वी गारो हिल्स
		3.	पूर्वी खासी हिल्स
6.	मिजोरम	1.	आइजवाल
		2.	लुंगले
7.	मणिपुर	1.	थौबल
		2.	बिशनपुर
		3.	चुड़ाचांदपुर
		4.	सेनापति
		5.	इम्फाल
		6.	चंदेल
		7.	उखरूल
8.	नागालैंड	1.	कोहिमा
9.	सिक्किम	1.	पश्चिमी जिला
10.	असम		अभी तक इस योजना को नहीं अपनाया।

बंगलौर में नेहरू युवा केन्द्र

1275. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बंगलौर शहर में नेहरू युवा केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 1988-89 के दौरान ऐसे कितने केन्द्र खोले गये; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): (क) से (ग) बंगलौर शहर में अब तक कोई नेहरू युवा केन्द्र नहीं खोला गया है। तथापि वर्ष 1987-88 में स्थापित नेहरू युवा केन्द्र संगठन का क्षेत्रीय कार्यालय बंगलौर में स्थित है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सभी जिलों में एक नेहरू युवा केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

कोलार स्वर्ण खदान क्षेत्र में सोने की नई खानों का पता लगाना

1276. **श्री वी॰ एस॰ कृष्ण अय्यर:** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोलार स्वर्ण खदान क्षेत्र में चेम्पियन चट्टान और मेसूर चट्टान के बीच ग्लीन शाफ्ट के निकट सोने की नई खानों का पता लगाया गया है;

(ख) क्या खान का पूरा विकास किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो नई खान में कितने मूल्य का सोना उपलब्ध होने की संभावना है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम॰ एल॰ फोतेदार): (क) कोलार गोल्ड फील्ड्स के चैम्पीयन रीफ खान के ग्लीन अवस्क शूट क्षेत्र में मुख्य अयस्क शूट के समानांतर एक अयस्क शूट होने का पता चला है।

(ख) और (ग): गवेषणी विकास कार्य आरंभ किया जा रहा है और गवेषण कार्य पूरा होने के बाद ही, अयस्क पिंड की क्षमता तथा उसकी आर्थिक उपादेयता का आकलन करना संभव होगा।

न्यायाधीशों और सांसदों को "दक्षेस" पासपोर्ट जारी करना

1277. **श्री वी॰ एस॰ कृष्ण अय्यर:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने न्यायाधीशों और सांसदों को "दक्षेस" पासपोर्ट जारी करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो कितने न्यायाधीशों और सांसदों को ये पासपोर्ट जारी किए गए;

(ग) क्या इन न्यायाधीशों में जिला सत्र न्यायालयों और अन्य निचली न्यायालयों के न्यायाधीश भी शामिल हैं;

(घ) क्या भूतपूर्व विधान सभा सदस्यों को भी पासपोर्ट जारी किए गए हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार का देश में सभी भूतपूर्व विधायकों और सभी न्यायालयों के न्यायाधीशों को उपरोक्त पासपोर्ट जारी करने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के॰ नटवर सिंह): (क) और (ख) इस्लामाबाद में चौथे सार्क शिखर सम्मेलन में राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने सार्क के लोगों के बीच घनिष्ठ और जल्दी-जल्दी सम्पर्क की आवश्यकता पर बल दिया। शुरूआत के तौर पर उन्होंने निर्णय लिया कि प्रत्येक सदस्य राज्य के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा राष्ट्रीय संसदों के सदस्यों को एक विशेष सार्क यात्रा दस्तावेज दिया जाएगा जिसमें उन्हें वीजा से छूट प्राप्त होगी।

इस निर्णय पर अमल करने के तौर-तरीके तय किये जा रहे हैं।

(ग) से (च): शिखर सम्मेलन में मंत्रि-परिषद को यह निदेश दिया गया है कि वह इस बात की जांच करे कि अन्य किन वर्गों के लोगों को यह सुविधा दी जानी चाहिए और यह भी कहा है कि इस संबंध में वह अपनी सिफारिश पेश करे।

खारा जल मत्स्यन एजेंसियां

1278. **श्रीमती जयन्ती पटनायक:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में खारा जल मत्स्यन क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा और अन्य राज्यों में कितनी खारा जल मत्स्य पालन विकास एजेंसियां स्थापित की गई हैं;

(ग) देश में कुल कितने हैक्टेयर खारा जल क्षेत्र का विकास किया गया है; और

(घ) चालू वर्ष के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राज्यवार स्वीकृत खारा जल मत्स्य पालक विकास एजेन्सियों, प्रत्येक खारा जल मत्स्य पालक विकास एजेन्सी द्वारा कवर किए जाने वाला क्षेत्र तथा चालू वर्ष के दौरान सहित अब तक निर्मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य का नाम	जिले का नाम/खारा जल मत्स्य पालक विकास एजेंसियों की स्वीकृति की तिथि	प्रत्येक खारा जल मत्स्य पालक विकास एजेंसी द्वारा प्रति वर्ष विकसित किया जाने वाला क्षेत्र (हैक्टेयर)	तारीख/भारत सरकार द्वारा निर्मुक्त की गई धनराशि
गुजरात	वलसाद 15.12.88	50	31.1.89 1.90 लाख रुपये
महाराष्ट्र	थाणे 15.12.88	50	31.1.89 1.90 लाख रुपये
कर्नाटक	उत्तरखंड 30.5.88	50	17.6.88 7.63 लाख रुपये
केरल	इरनाकुलम 12.5.87	50	16.12.87 1.90 लाख रुपये
आंध्र प्रदेश	कृष्णा 12.5.87	50	16.12.87 1.90 लाख रुपये
उड़ीसा	कटक 12.5.87	50	16.12.87 1.90 लाख रुपये
	गंजम 15.12.88	50	31.1.89 1.90 लाख रुपये
पश्चिम बंगाल	उत्तरी 24 परगना 15.12.88	50	31.1.89 1.90 लाख रुपये
	दक्षिणी 24-परगना 15.12.88	50	31.1.89 1.90 लाख रुपये
	मिदनापुर 15.12.88	50	31.1.89 1.90 लाख रुपये

उड़ीसा में छोटे और सीमान्त किसानों को सहायता

1279. **श्रीमती जयन्ती पटनायक:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छोटे और सीमान्त किसानों को कृषि के विकास के लिए सहायता दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1988-89 के दौरान उड़ीसा राज्य सरकार को कितनी राशि दी गई: और

(ग) कितने छोटे और सीमान्त किसानों को सहायता दी गई?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1988-89 के दौरान उड़ीसा के लिए अभी तक निर्मुक्त की गई अनुदान सहायता तथा विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अधीन लाभान्वित हुए किसानों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 1988-89 के दौरान उड़ीसा सरकार को अब तक निर्मुक्त की गई अनुदान सहायता तथा विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अधीन लाभान्वित किसानों की संख्या

	योजना का नाम	निर्मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता (लाख रुपयों में)	लाभान्वित किसानों की संख्या
1.	कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे तथा सीमांत किसानों को सहायता देने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
	(क) सामान्य कार्यक्रम के लिए	66.15	46802 (दिसम्बर, 88 तक)
	(ख) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम हेतु उथले नलकूप/खुदाई वाले कुओं के कार्यक्रम के लिए	723.54	2860 (अक्तूबर, 88 तक)
2.	विशेष पशु प्रजनन कार्यक्रम	41.50	2182 (दिसम्बर, 88 तक)
3.	किराए भाड़े हेतु कृषक कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना तथा उन्नत कृषि उपकरणों एवं हाथ के औजारों के प्रचार की केन्द्रीय प्रायोजित योजना	3.25	सूचित नहीं की गई
4.	प्रयोगशाला के प्रयोगों को भूमि तक पहुंचाने का कार्यक्रम	0.89	450 कृषक परिवार अपनाए गए

इसके अतिरिक्त, वर्ष 1988-89 के दौरान उड़ीसा सरकार को विभिन्न केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अधीन भी सहायता प्रदान की गई है जिसके अधीन छोटे तथा सीमान्त किसानों को भी शामिल किया जाता है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के पास उड़ीसा सरकार के लंबित प्रस्ताव

1280. **श्रीमती जयन्ती पटनायक:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के पास उड़ीसा सरकार के अनेक प्रस्ताव लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा इन प्रस्तावों को शीघ्रता से निपटाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव): (क) से (ग) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को उड़ीसा सरकार से पिछले तीन वर्षों के दौरान 1278 सहकारी यूनिटों/सोसायटियों को वित्तीय सहायता देने के प्रस्ताव मिले। इन प्रस्तावों में 2321.700 लाख रुपए की कुल लागत निहित थी, जिसमें से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का हिस्सा 1562.222 लाख रुपए का था। राज्य सरकार से अतिरिक्त सूचना न मिलने के कारण राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम 762.775 लाख रुपए को कुल लागत के केवल 13 प्रस्तावों पर विचार नहीं कर सका, जिसमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का हिस्सा 441.35 लाख रुपए का था।

लवण से प्रभावित भूमि

1281. **श्री डी० बी० पाटिल:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में लवणीय भूमि वाले क्षेत्रों का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये देश में कितने अनुसंधान केन्द्र अनुसंधान कार्य कर रहे हैं;

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल द्वारा किए गए अनुसंधान कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(घ) लवणीय भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए अनुसंधान कार्य का कितना उपयोग किया गया है और वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के लिए इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री): (क) केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल के अनुमान के अनुसार गंगा-सिन्धु के मैदान, अन्तस्थलीय शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों तथा तटवर्ती इलाकों में क्रमशः 2.5, 2.4 और 2.1 मिलियन हैक्टयर क्षेत्र की मिट्टियां लवण से प्रभावित हैं;

(ख) लवण से प्रभावित मिट्टियों के प्रबंध तथा खेती में लवणीय जल के प्रयोग संबंधी अनुसंधान के लिए अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजना के तहत सात अनुसंधान केन्द्र चल रहे हैं और केन्द्रीय मृदा लवणीयता अनुसंधान संस्थान के अन्तर्गत एक क्षेत्रीय स्टेशन काम कर रहा है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय मृदा लवणीयता अनुसंधान संस्थान, करनाल ने लवण से प्रभावित

विभिन्न प्रकार की मिट्टियों जैसे क्षारीय, अन्तःस्थलीय लवणीय और तटवर्ती लवणीय मिट्टियों के प्रयोग के लिए टेक्नोलाजी विकसित की है। क्षारीय मिट्टियों के सुधार की टेक्नोलाजी में प्रमुख रूप से पानी को तलाब में इकट्ठा करके लवण-रहित करना, मिट्टी के पी० एच० के अनुसार जिप्सम का प्रयोग और सुधार की प्रारम्भिक अवस्थाओं में कम संवेदनशील फसलों जैसे धान को उगाना शामिल है। जिसके लिए विशेष सस्य क्रियाओं का विकास किया गया है।

गंगा-सिन्धु के मैदानों की क्षारीय मिट्टियों में पेड़ और घासें उगायी जा सकती है। इसके लिए पौधे लगाने की तकनीकों का मानकीकरण किया गया और उपयुक्त प्रजातियों का पता लगाया गया है।

अन्तः स्थलीय लवणीय मिट्टियों के लिए संस्थान ने ऐसी टेक्नोलाजी विकसित की है, जिससे कि भूतल के जल स्तर को नियंत्रित किया जा सके और उप सतह (सब सर्फेस) में आड़ी नालियों से जल के निकास की व्यवस्था के जरिये लवणीयता को रोका जा सके। बहुत सी क्षारीय मिट्टियों में मृदा लवणता को काफी हद तक कम किया जो सकता है, यदि जल स्तर को 2 मीटर गहराई से अधिक न बढ़ने दिया जाए।

तटीय लवणीय मिट्टियों के लिए एक विशेष उपाय विकसित किया गया है जिससे कि ज्वार-भाटे के समय समुद्री जल को अन्दर आने से रोका जा सके।

मिट्टी की लवणीयता को रोकने का एक दूसरा तरीका यह भी है कि वर्षा के अतिरिक्त पानी को खोदे गए तालाबों में इकट्ठा कर लिया जाए और उसे नालियां बनाकर खेतों तक पहुंचाया जाए। तटवर्ती लवणीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त फसल की किस्मों, विशेषरूप से धान की किस्मों का भी पता लगाया गया है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्यों की क्षारीय मिट्टियों के सुधार के लिए एक केन्द्र संचालित योजना शुरू की गई, जिसका उद्देश्य 21.00 करोड़ रु० के खर्च से 1.32 लाख हैक्टयर क्षेत्र का सुधार करना था। तीनों राज्यों में जो राशि हर वर्ष रिलीज की गई और जितने क्षेत्र में सुधार किया गया वह इस प्रकार है:—

वर्ष	रिलीज की गई राशि (रु० लाखों में)	सुधार किया गया क्षेत्र (हैक्टर में)
1986-87	395.50	27856
1987-88	200.00	29369
1988-89	386.50	28063

उड़ीसा में डेरी विकास

1282. **डा० कृपासिंधु भोई:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) क्या सातवीं योजना के दौरान उड़ीसा में डेरी विकास के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी;

(ख) उसमें से उड़ीसा राज्य सरकार को अब तक कितनी धनराशि दी गयी है, और

(ग) खर्च की गयी धनराशि और 31 जनवरी, 1989 तक उस राज्य में डेयरी विकास के लिए किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव): (क) सातवीं योजना के दौरान आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के अंतर्गत उड़ीसा में डेयरी विकास के कार्यान्वयन के लिये 14.99 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

(ख) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने जनवरी, 1989 तक उड़ीसा दुग्ध संघ को 10.68 करोड़ रुपये की कुल रकम दी है।

(ग) सूचना मिली है कि उड़ीसा दुग्ध संघ ने दिसम्बर, 1988 तक 10.93 करोड़ रुपये इस्तेमाल कर लिये हैं। उड़ीसा में आपरेशन फ्लड के अंतर्गत दिसंबर, 1988 तक की प्रगति इस प्रकार है:—

संगठित ग्राम सोसायटियां	543
किसान सदस्य	30,087
दूध की खरीद (हजार कि० ग्रा० प्रतिदिन)	31.95
दुग्ध परिसंस्करण की क्षमता (हजार लीटर प्रतिदिन)	90
दुग्ध विपणन (हजार लीटर प्रतिदिन)	49.23

गन्ने के लिये समेकित योजना

1283. **श्री राधाकांत डिगाल:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गन्ने और इसके उप-उत्पादों के लिए एक समेकित योजना तैयार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना नीति को कब से लागू करने का विचार है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव): (क) जी नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) यह प्रश्न नहीं उठते।

भूमि जोत

1284. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और योजना आयोग द्वारा किए गए सर्वेक्षण तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त कृषि योग्य भूमि के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सीमान्त/लघु/अर्द्ध मध्यम/मध्यम बड़ी श्रेणियों में उपलब्ध कृषि योग्य भूमि का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव): (क) और (ख) : योजना मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (37वां दौर—जनवरी से दिसम्बर, 1982) और कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा किए गए कृषि संगणना 1980-81 पर आधारित श्रेणीवार परिचालनात्मक कृषि जोतों के उपलब्ध नवीनतम अनुमान संलग्न विवरण में दिये गये है।

विवरण

परिचालनात्मक जोतों की अनुमानित संख्या-अखिल भारत

श्रेणी	परिचालनात्मक जोतों की संख्या (000")	
	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 37वां दौर	कृषि संगणना 1980-81
सीमान्त	44,420	50,122
छोटे	14,206	16,072
अर्द्ध मध्यम	10,514	12.455
मध्यम	6,351	8,063
बड़े	1,400	2,166
कुल	76,891	88,883

टिप्पणी:

(1) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़े कृषि वर्ष 1981-82 के मुख्य फसल मौसम से संबंधित हैं, जबकि कृषि संगणना के आकड़े पूरे कृषि वर्ष 1980-81 से संबंधित है।

(2) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण में स्वीकार की गई आकार श्रेणियों को उपरोक्त पांच श्रेणियों के लगभग समतुल्य करने के लिए मिला दिया गया है।

प्रमुख खाद्यान्नों तथा नकदी फसलों की खेती

1285. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1985-86, 1986-87 तथा 1987-88 में विभिन्न राज्यों तथा "घ" राज्य क्षेत्रों में राज्यवार कितनी भूमि पर प्रमुख खाद्यान्नों तथा नकदी फसलों की खेती की गई; और

(ख) इन फसलों का कुल उत्पादन, इन फसलों की प्रति हैक्टेयर उपज तथा अन्तर्राष्ट्रीय उपज की तुलना में प्रति हैक्टेयर उपज से संबंधित आंकड़ों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग मे राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव): (क) विभिन्न राज्यों में खेती के तहत सामान्यतः वही फसले उगाई जा रही है जो वर्षों से चली आ रही है। अतः विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में खेती के तहत प्रमुख अनाजों और नकदी फसलों के नाम संलग्न विवरण-1 में दिये गये हैं।

(ख) भारत में गत तीन वर्षों और विश्व में वर्ष 1985, 1986 और 1987 के लिये प्रमुख अनाजों और नकदी फसलों की प्रति हैक्टेयर उपज के साथ इनके कुल उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-1

विभिन्न राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में खेती के तहत प्रमुख अनाज और नकदी फसलें

राज्य / संघ शासित क्षेत्र	फसलें
1	2
आंध्र प्रदेश	चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, कपास, मूंगफली, गन्ना, प्याज, तम्बाकू, नारियल, मिर्चें हल्दी और धनियां।
अरुणाचल प्रदेश	चावल, मक्का और तोरिया और सरसों
असम	चावल, गेहूं, तोरिया और सरसों, गन्ना, जूट, आलू और नारियल
बिहार	चावल, गेहूं, मक्का, रागी, तोरिया-सरसों, गन्ना, जूट, आलू और प्याज
गोवा	चावल और नारियल
गुजरात	चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, गेहूं, मूंगफली, तोरिया और सरसों, कपास, गन्ना, आलू, प्याज, तम्बाकू, लहसुन
हरियाणा	चावल, गेहूं, बाजरा, तोरिया-सरसों, कपास, गन्ना, आलू और प्याज
हिमाचल प्रदेश	चावल, गेहूं, मक्का और आलू
जम्मू और कश्मीर	चावल, मक्का, तोरिया और सरसों
कर्नाटक	चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, मूंगफली, कपास, गन्ना, आलू, प्याज, तम्बाकू, नारियल, मिर्च, इलाइची
केरल	चावल, नारियल, काली मिर्च, अदरक, इलाइची
मध्य प्रदेश	चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तोरिया तथा सरसों, कपास, गन्ना, आलू, प्याज, धनियां और लहसुन
महाराष्ट्र	चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, मूंगफली, कपास गन्ना, आलू, प्याज, नारियल, मिर्च, लहसुन
मणिपुर	चावल
मेघालय	चावल, आलू और लहसुन
मिजोरम	चावल
नागालैंड	चावल
उड़ीसा	चावल, गेहूं, मक्का, रागी, मूंगफली, तोरिया और सरसा, गन्ना, जूट, आलू, प्याज, नारियल, मिर्च, हल्दी, धनियां लहसुन
पंजाब	चावल, गेहूं, मक्का, मूंगफली, तोरिया और सरसों, कपास, गन्ना और आलू
राजस्थान	चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का जौ, मूंगफली, तोरिया और सरसों, गन्ना, कपास, प्याज, मिर्च, धनियां
सिक्किम	चावल, गेहूं और इलाइची
तमिलनाडु	चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, मूंगफली, कपास, गन्ना, आलू, प्याज, तम्बाकू, नारियल, मिर्च, हल्दी और धनियां
त्रिपुरा	चावल
उत्तर प्रदेश	चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, जौ, मूंगफली, तोरिया और सरसों गन्ना, आलू, प्याज, तम्बाकू और मिर्च
पश्चिम बंगाल	चावल, गेहूं, मक्का, तोरिया और सरसों, जूट, आलू, तम्बाकू, नारियल, मिर्च और लहसुन

1	2
अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	चावल और नारियल
दादर और नगर हवेली	चावल
दिल्ली	गेहूं
दमन और दीव	चावल
पांडिचेरी	चावल और नारियल
लक्षद्वीप	नारियल

विवरण-2

भारत और विश्व में प्रमुख अनाजों और नकदी फसलों का उत्पादन और उत्पादकता

फसल	भारत						विश्व		
	उत्पादन (मिलियन मीटरी टनों में)			उत्पादकता (कि. ग्रा. / हेक्टेयर)			उत्पादकता (किलोग्राम / हेक्टेयर)		
	1985-86	1986-87	1987-88	1985-86	1986-87	1987-88	1985	1986	1987
चावल (धान)	95.82	90.78	84.54	2329	2205	2206	3272	3267	3221
गेहूं	47.05	44.32	45.10	2046	1916	1995	2193	2352	2342
मोटे अनाज	26.20	26.83	25.84	664	675	713	2490	2487	2411
कुल अनाज	169.07	161.93	155.48	1632	1556	1600	2552	2602	2552
मूंगफली	5.12	5.88	5.68	719	841	842	1130	1126	1108
गन्ना	170.65	186.09	196.72	59889	60444	59850	58438	58771	58435
कपास*	8.73	6.91	6.43	197	169	169	512	482	510
पटसन और पटसन जैसे रेशे वाली फसलें**	12.65	8.62	6.78	1524	1454	1272	1614	1404	1314

* - उत्पादन प्रत्येक 170 किलोग्राम की मिलियन गांठों में

** - उत्पादन प्रत्येक 180 किलोग्राम की मिलियन गांठों में

समुद्री उत्पादों का निर्यात

1286. **श्री के॰पी॰ उन्नीकृष्णन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्री उत्पादों (मछली, "माउजैल्स" तथा अन्य सहायक समुद्री उत्पाद आदि) के उत्पादन में विभिन्न राज्यों के योगदान का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान कितने मूल्य की मछली पकड़ी गई; और

(ग) कितने मूल्य की मछलियों का निर्यात किया गया था, उत्पादन बढ़ाने के लिए और मछुआरों तथा समुद्री खाद्यान्न तथा मत्स्यन में संलग्न अन्य संगठनों को सहायता हेतु यदि कोई कार्यक्रम बनाया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव): (क) और (ख): मोलुसेस, क्रस्टेसीन, समुद्री शैवाल आदि सहित समुद्री मछली उत्पादन के लिए

विभिन्न राज्यों का योगदान तथा वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान पकड़ी गई मछली का मूल्य संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई मछली तथा मत्स्य उत्पादों का मूल्य नीचे दिया गया है :

वर्ष	निर्यात (करोड़ रुपये)
1985-86	398.00
1986-87	460.67
1987-88	531.20

मछली का उत्पादन बढ़ाने तथा मछुआरों की सहायता आदि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रम निम्न प्रकार हैं :

(i) 7वीं योजना के दौरान 5000 परम्परागत मत्स्यन यानों को मोटरीकृत करने तथा 202 उन्नत किस्म के तट अवतरण यानों को आरम्भ करने के लिए राज्यों को सहायता;

(ii) देशी, आयातित तथा किराये के मत्स्यन यानों को उचित मात्रा में रखकर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले बेड़े को बढ़ाना;

(iii) अवतरण तथा गोदी सुविधाओं का प्रावधान;

(iv) समेकित खारे पानी के मछली फार्म विकास के कार्यान्वयन के जरिए फार्म में पैदा की जाने वाली श्रिम्प/मछलियों का उत्पादन बढ़ाना;

(v) क्रियाशील मछुआरों तथा माडल मछुआरा ग्रामों के विकास के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना का कार्यान्वयन;

(vi) हमारे एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में समुद्री मत्स्य संसाधनों के समन्वेषी सर्वेक्षण को सुदृढ़ करना तथा मत्स्य कार्मिकों का प्रशिक्षण।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने, संयुक्त उद्यम, खारे पानी में प्रान पैदा करने आदि के मामलों में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण भी सहायता प्रदान करता है।

विवरण

समुद्री मछली उत्पादन तथा समुद्री मछली का मूल्य

	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	समुद्री मछली उत्पादन (मीटरी टन में)			समुद्री मछली का मूल्य (करोड़ रुपये)		
		वर्ष			वर्ष		
		1985-86	1986-87	1987-88	1985-86	1986-87	1987-88
1	2	3	4	5	6		8
1.	आंध्र प्रदेश	126848	137550	139399	131.3	157.8	उ.न.
2.	गोवा	39927	44783	34644	12.4	11.4	15.0
3.	गुजरात	288500	307844	327203	153.1	173.6	192.7
4.	कर्नाटक	200828	151778	137303	52.9	48.4	48.1
5.	केरल	295339	325741	292458	117.8	132.0	उ.न.

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	महाराष्ट्र	386088	337884	310387	150.3	163.2	167.5
7.	उड़ीसा	49205	54376	57000	39.3	43.8	45.0
8.	तमिलनाडु	257000	256352	219000	76.4	81.1	89.9
9.	पश्चिम बंगाल	39350	58000	61800	52.4	82.9	62.0
10.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	6304	9698	10951	3.8	6.5	6.9
11.	लक्षद्वीप	4676	7489	3609	2.5	3.7	2.9
12.	पांडिचेरी	19913	21168	20241	33.2	24.9	उ.न.

उ० न० - उपलब्ध नहीं

प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में दाखिला लेने वाले तथा छोड़ने वाले छात्र

1287. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन: क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में वर्ष 1984-85, 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी; और

(ख) पहली कक्षा से पांचवीं कक्षा तक तथा छठी कक्ष से दसवीं तक विभिन्न स्तरों पर स्कूल छोड़ने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही): (क) और (ख). स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों में कुल दाखिला और I से V कक्षाओं तथा VI से X तक की कक्षाओं के बीच में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की दरें दर्शाने वाला विवरण-1 और विवरण-2 संलग्न है।

विवरण-1

स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर कुल दाखिला—1984-85

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्राथमिक (1-5)	मिडल (6-8)	माध्यमिक (9-10)	उच्चतर माध्यमिक (11 तथा ऊपर)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	6411608	1655414	752814	358944
2.	असम	2325000	870000	566276	99352
3.	बिहार	7734984	1783086	694500	324089
4.	गुजरात	4850000	1276000	593000	273500
5.	हरियाणा	1526484	563289	228210	60132
6.	हिमाचल प्रदेश	620457	263679	102192	18979
7.	जम्मू एवं कश्मीर	640000	220000	87000	32800
8.	कर्नाटक	4125316	1479122	922212	138103

1	2	3	4	5	6
9.	केरल	3160545	1729374	822843	191029
10.	मध्य प्रदेश	6108629	1658465	√	1035005+
11.	महाराष्ट्र	9125961	2929088	1194333	523601
12.	मणिपुर	236150	68137	32240	17140
13.	मेघालय	202729	58945	34313	9494
14.	नागालैंड	141120	66001	12129	1537
15.	उड़ीसा	3006269	6888839	293000	113324
16.	पंजाब	1984961	705367	√	371078+
17.	राजस्थान	3798752	975790	485223	99196
18.	सिक्किम	60821	13423	3165	928
19.	तमिलनाडु	7043855	2318800	851792	331572
20.	त्रिपुरा	344260	81684	32888	14973
21.	उत्तर प्रदेश	11707354	3723272	1671819	917798
22.	प॰ बंगाल	7550139	2432787	882396	436076
23.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	33975	12812	5593	2469
24.	अरुणाचल प्रदेश	78402	15605	5484	2184
25.	चण्डीगढ़	30353	15640	6467	22503
26.	दादरा एवं नागर हवेली	14034	3294	1043	348
27.	दिल्ली	756125	383368	185485	100740
28.	गोवा, दमन एवं दीव	131756	85131	56887	10322
29.	लक्षद्वीप	7595	2816	1213	408
30.	मिज़ोरम	86647	30853	15139	2836
31.	पाण्डिचेरी	88423	43064	15098	5902
	भारत	83952704	26153145	10554754	5516362

टिप्पणी:- + उच्चतर माध्यमिक में 10+2 पद्धति पुरानी पद्धति, इन्टरमिडिएट/जूनियर कालेज पूर्व डिग्री/पूर्व विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम शामिल है।

√ इसमें उच्चतर माध्यमिक (पुरानी पद्धति) शामिल है।

स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर कुल दाखिला—1985-86

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ शासित प्रदेश	प्राइमरी (1-5)	मिडल (6-8)	माध्यमिक (9-10)	उच्चतर माध्यमिक (11 तथा ऊपर)
1	2	3	4	5	6
1.	अरुणाचल प्रदेश	6698983	1327253	1279655	366108
2.	असम	2761000	1141000	479288	147582
3.	बिहार	7946568	1844271	722454	328691

1	2		4	5	6
4.	गुजरात	4893000	1565000	614000	292000
5.	हरियाणा	1575553	587557	231181	54252
6.	हिमाचल परदेश	629505	286351	98603	22116
7.	जम्मू एवं कश्मीर	650000	230000	86000	35800
8	कर्नाटक	4049450	2033135	763564	462404
9.	केरल	3232596	1697636	614890	200140
10.	मध्य प्रदेश	6857778	1915878	+	968515
11.	महाराष्ट्र	9360000	3087000	1210000	500000
12.	मणिपुर	238650	77967	39179	18103
13.	मेघालय	207670	62353	37998	9894
14.	नागालैण्ड	140200	36300	15500	3716
15.	उड़ीसा	3254000	794000	417000	110973
16.	पंजाब	2038097	735553	239088	144290
17.	राजस्थान	4013892	1109778	455562	114843
18.	सिक्किम	63141	14818	4064	1000
19.	तमिलनाडु	7193409	2467322	915406	356096
20.	त्रिपुरा	308260	81684	32888	14973
21.	उत्तर प्रदेश	11086224	3760790	1815442	681351
22.	पश्चिम बंगाल	7951195	2581905	1018089	360783
23.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	35125	14332	6354	3019
24.	अरुणाचल प्रदेश	79947	23909	5484	2274
25.	चण्डीगढ़	30353	15640	6467	22503
26.	दादरा एवं नागर हवेली	14269	3677	1200	169
27.	दिल्ली	827600	459900	241470	109400
28.	गोवा, दमन एवं दीव	133885	88413	59719	12199
29.	लक्षद्वीप	7092	2975	1266	430
30.	मिजोरम	96686	34108	16004	2984
31.	पाण्डिचेरी	91053	44251	16447	6390
	भारत	86465180	28124756	11617262	5352998

+ उच्चतर माध्यमिक पुरानी पद्धति में शामिल ।

विभिन्न स्तरों पर दाखिला —1986-87

क्र० सं०	राज्य/संघशासित प्रदेश	प्राइमरी (1-5)	मिडिल (6-8)	माध्यमिक (9-10)	उच्चतर माध्यमिक (11 तथा ऊपर)
1.	आंध्र प्रदेश	6924592	1396069	1355326	375385
2.	असम	2790002	1151744	517570	136615
3.	बिहार	8030064	1873304	750366	337391
4.	गुजरात	5068000	1398000	613000	276000

1	2	3	4	5	6
5.	हरियाणा	1599406	643190	223460	96484
6.	हिमाचल प्रदेश	644482	301571	100895	40315
7.	जम्मू एवं कश्मीर	667000	245000	86000	42800
8.	कर्नाटक	4835006	2033135	763564	195200
9.	केरल	3210857	1696673	809927	215571
10.	मध्य प्रदेश	7090432	1955980	312588	574221
11.	महाराष्ट्र	9465000	3228000	1423000	635000
12.	मणिपुर	239150	78750	45320	18940
13.	मेघालय	207923	63905	39388	10245
14.	नागालैंड	140232	36300	15500	4623
15.	उड़ीसा	3326000	802000	441911	111973
16.	पंजाब	1996597	754563	245514	144922
17.	राजस्थान	4151429	1158662	499362	117307
18.	सिक्किम	65623	16110	4247	1187
19.	तमिलनाडु	7328105	2616015	970216	361662
20.	त्रिपुरा	308260	81684	32888	14973
21.	उत्तर प्रदेश	12332663	3951904	1869905	681373
22.	प० बंगाल	8205355	2640063	1056656	532538
23.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	35110	15696	6836	3213
24.	अरुणाचल प्रदेश	91482	21339	7214	2507
25.	चण्डीगढ़	30353	15640	6467	22503
26.	दादरा एवं नागर हवेली	14475	3753	1552	182
27.	दिल्ली	833034	441599	211253	120530
28.	गोवा, दमन एवं दीव	163862	83146	35155	13184
29.	लक्षद्वीप	8139	3009	1203	422
30.	मिजोरम	97084	27721	9530	3062
31.	पाण्डिचेरी	93329	45574	17119	6536

विवरण—2

कक्षा I-V में पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वालों की दर

राज्य/संघ शासित प्रदेश	1981-82			1982-83			1983-84		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	58.5	62.9	60.3	57.69	63.67	60.24	58.14	64.20	60.73
असम	59.4	66.6	62.5	60.23	67.58	63.42	55.97	64.13	59.51
बिहार	67.8	73.7	69.6	65.98	70.86	67.49	65.17	68.99	66.34
गुजरात	53.2	56.7	54.5	52.54	56.18	54.05	45.43	51.17	47.84
हरियाणा	18.0	29.2	21.8	29.02	36.86	31.77	27.07	34.30	29.64
हिमाचल प्रदेश	28.7	30.7	29.6	30.24	32.81	31.34	26.27	27.67	26.87
जम्मू और कश्मीर	38.5	46.1	41.3	41.53	50.30	44.85	37.69	45.03	40.48
कर्नाटक	54.1	68.6	60.8	50.86	66.00	57.89	49.97	63.59	56.29
केरल	9.4	10.7	10.1	1.98	4.34	3.13	5.24	6.77	5.98
मध्य प्रदेश	48.7	59.8	52.6	46.18	56.71	49.78	47.48	59.30	51.61
महाराष्ट्र	50.0	61.0	54.9	47.90	58.95	52.89	46.26	57.72	51.50

1	2	3	4	5 —	6	7	8	9	10
मणिपुर	80.1	82.3	81.1	74.00	78.38	76.02	68.52	73.63	70.90
मेघालय	75.1	76.8	76.0	70.62	72.79	71.66	71.72	76.51	74.04
नागालैंड	71.1	71.5	71.3	71.02	70.12	70.63	71.26	69.05	70.27
उड़ीसा	63.4	63.3	63.4	47.23	54.87	50.32	40.55	45.98	42.81
पंजाब	58.2	62.2	60.1	55.55	59.34	57.31	53.65	56.76	55.10
राजस्थान	46.6	55.3	48.8	47.8	54.1	49.3	47.67	52.80	48.93
सिक्किम	61.5	66.5	63.6	59.64	65.14	61.97	55.04	60.42	57.33
तमिलनाडु	30.7	38.2	34.2	19.61	27.60	23.29	18.94	25.45	21.95
त्रिपुरा	55.9	55.4	55.7	58.31	55.29	57.07	64.51	64.05	64.31
उत्तर प्रदेश	40.8	52.3	44.5	39.33	50.16	42.89	36.74	48.56	40.58
पश्चिम बंगाल	58.9	61.8	60.1	63.21	69.39	65.86	62.50	64.15	63.16
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	33.1	40.6	36.5	23.92	34.11	28.76	23.91	31.85	27.64
अरुणाचल प्रदेश	74.6	72.2	73.9	70.83	70.64	70.77	70.20	65.49	68.70
चंडीगढ़	25.4	31.9	28.3	30.30	40.59	35.06	28.17	38.25	32.90
दादरा और नागर हवेली	68.1	73.3	70.1	61.58	75.27	67.56	44.25	65.37	53.31
दिल्ली	18.1	26.8	22.1	20.54	28.22	24.20	10.91	20.07	15.30
गोवा, दमन और दीव	20.6	28.6	24.4	30.44	33.81	31.99	13.99	22.15	17.86
लक्षद्वीप	0.3	16.7	7.9	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
मिजोरम	65.2	69.7	67.3	57.52	64.51	60.92	64.36	68.04	68.16
पांडिचेरी	0.0	6.23	6.2	3.16	7.42	5.14	-9.09	-1.85	-5.67
भारत	51.1	57.3	53.5	49.4	56.3	52.1	47.83	53.96	50.26

वर्ष के दौरान प्राइमरी स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वालों की दर।

$$\frac{\text{पूर्ववर्ती 4 वर्षों में कक्षा-I में दाखिला — वर्ष के दौरान कक्षा V में दाखिला}}{\text{पूर्ववर्ती 4 वर्षों में कक्षा V में दाखिला}} \times 100$$

कक्षा VI-X में स्कूल छोड़ जाने वालों की दर—1981-82

क्र० सं०	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	लड़के	लड़कियां	कुल
1.	आन्ध्र प्रदेश	25.42	37.45	29.54
2.	असम	38.28	42.43	39.86
3.	बिहार	41.28	62.26	46.09
4.	गुजरात	34.50	42.22	37.35
5.	हरियाणा	41.89	46.71	43.10
6.	हिमाचल प्रदेश	53.49	59.88	55.45
7.	जम्मू और कश्मीर	49.90	51.37	50.36
8.	कर्नाटक	31.20	57.70	41.25
9.	केरल	40.44	34.13	37.46
10.	मध्य प्रदेश	55.51	59.21	56.44
11.	महाराष्ट्र	41.30	53.86	45.92
12.	मणिपुर	36.85	10.36	28.09
13.	मेघालय	54.23	59.70	56.89
14.	नागालैण्ड	70.73	78.37	74.03

15.	उड़ीसा	42.27	49.95	44.64
16.	पंजाब	52.88	51.47	52.34
17.	राजस्थान	38.82	45.87	40.16
18.	सिक्किम	58.66	54.37	57.39
19.	तमिलनाडु	55.64	58.85	56.84
20.	त्रिपुरा	39.63	44.07	41.40
21.	उत्तर प्रदेश	32.54	55.70	37.48
22.	पश्चिम बंगाल	28.40	40.68	32.77
23.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	54.46	54.04	53.14
24.	अरूणाचल प्रदेश	45.98	46.84	46.21
25.	चण्डीगढ़	42.90	59.10	50.20
26.	दादर एवं नागर हवेली	61.35	41.04	55.80
27.	दिल्ली	25.10	26.06	25.51
28.	गोवा, दमन एवं दीव	52.60	49.89	51.45
29.	लक्ष द्वीप	42.03	48.93	44.75
30.	मिजोरम	65.76	71.34	68.30
31.	पांडिचेरी	49.03	31.85	50.18
	भारत	39.97	48.94	42.91

कक्षा VI—X में स्कूल छोड़ जाने वालों की दर-1982-83

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	लड़के	लड़कियां	कुल
1.	आन्ध्र प्रदेश	27.00	37.45	30.57
2.	असम	52.74	58.06	54.86
3.	बिहार	39.40	59.92	44.11
4.	गुजरात	39.34	46.21	41.92
5.	हरियाणा	39.56	44.05	40.70
6.	हिमाचल प्रदेश	34.57	39.40	36.06
7.	जम्मू और कश्मीर	53.63	51.21	52.88
8.	कर्नाटक	32.38	58.52	42.65
9.	केरल	37.87	29.98	34.16
10.	मध्य प्रदेश	54.89	59.85	56.15
11.	महाराष्ट्र	40.10	53.32	45.04
12.	मणिपुर	19.68	20.82	20.14
13.	मेघालय	38.45	43.21	40.79
14.	नागालैण्ड	62.52	75.09	68.20
15.	उड़ीसा	24.01	44.56	30.58
16.	पंजाब	49.27	48.73	49.06
17.	राजस्थान	39.60	45.36	40.69
18.	सिक्किम	50.27	56.10	52.25
19.	तमिलनाडु	56.20	60.68	57.88
20.	त्रिपुरा	39.23	40.34	39.68
21.	उत्तर प्रदेश	26.33	51.05	31.74
22.	पश्चिम बंगाल	11.09	36.91	21.10
23.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	48.66	45.30	47.27
24.	अरुणाचल प्रदेश	32.08	39.21	34.15
25.	चण्डीगढ़	47.24	54.21	50.35
26.	दादरा एवं नागर हवेली	35.29	29.67	33.49
27.	दिल्ली	32.96	29.14	31.37
28.	गोवा, दमन व दीव	50.01	50.23	50.11

29.	लक्षद्वीप	49.63	47.26	48.71
30.	मिजोरम	56.46	46.57	51.85
31.	पांडिचेरी	49.67	55.15	51.85
	भारत	37.59	48.61	41.25

कक्षा VI—X में स्कूल छोड़ जाने वालों की दर—1983-84

क्रम सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	लड़के	लड़कियां	कुल
1.	आन्ध्र प्रदेश	22.70	28.37	24.64
2.	असम	47.17	48.54	47.71
3.	बिहार	36.18	55.90	40.70
4.	गुजरात	39.44	45.27	41.66
5.	हरियाणा	38.80	48.47	41.43
6.	हिमाचल प्रदेश	37.30	44.17	39.50
7.	जम्मू और कश्मीर	50.77	51.73	51.08
8.	कर्नाटक	34.34	59.04	43.76
9.	केरल	37.88	30.32	34.28
10.	मध्य प्रदेश	53.54	59.69	55.11
11.	महाराष्ट्र	38.26	52.69	43.70
12.	मणिपुर	7.05	6.58	6.86
13.	मेघालय	55.67	59.75	57.65
14.	नागालैण्ड	48.18	62.95	54.73
15.	उड़ीसा	20.35	40.39	26.95
16.	पंजाब	48.81	46.82	48.04
17.	राजस्थान	38.36	44.90	39.60
18.	सिक्किम	56.87	60.33	57.99
19.	तमिलनाडु	54.03	58.38	55.68
20.	त्रिपुरा	43.78	48.39	45.71
21.	उत्तर प्रदेश	35.02	57.48	40.10
22.	पश्चिम बंगाल	13.32	31.35	19.88
23.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	50.68	45.80	48.69
24.	अरूणाचल प्रदेश	35.77	38.45	36.52
25.	चण्डीगढ़	46.20	52.29	48.92
26.	दादरा एवं नागर हवेली	37.79	30.70	35.59
27.	दिल्ली	31.11	28.88	30.17
28.	गोआ, दमन व दीव	49.10	45.10	47.37
29.	लक्ष द्वीप	39.14	41.23	-39.85
30.	मिजोरम	56.60	59.88	58.13
31.	पांडिचेरी	51.09	56.40	53.27
	भारत	37.58	46.40	40.51

विश्वेश्वरैया लोहा तथा इस्पात लिमिटेड को अधिकार में लेना

1288. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियरः** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का कर्नाटक के विश्वेश्वरैया लोहा तथा इस्पात लिमिटेड को वर्ष 1989-90 में अपने अधिकार में लेने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड तथा विश्वेश्वरैया लोहा तथा इस्पात लिमिटेड द्वारा पूरी की जाने वाली औपचारिकताओं का ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम॰ एल॰ फोतेदार): (क) और (ख) सरकार "सेल" द्वारा विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड का अधिग्रहण करने की व्यवहार्यता की जांच कर रही है। निर्णय लिए जाने के पश्चात् ही औपचारिकताओं को पूरा करने का प्रश्न उठेगा।

कोकिंग कोल के रख-रखाव के लिए विशाखापत्तनम पत्तन के "जनरल कार्गो बर्थ" का उपयोग

1289. **श्री भट्टम श्रीराममूर्तिः** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कोकिंग कोल के रख-रखाव के लिए विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के जनरल कार्गो बर्थ के विशिष्ट उपयोग, वहां उपलब्ध कराई जाने वाली भंडारण सुविधाओं और प्रदूषण नियंत्रण के उपायों के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एशियाई विकास बैंक से गंगावरम में एक उपग्रह पत्तन की स्थापना किए जाने के संबंध में अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) एशियाई विकास बैंक को सिर्फ पत्तनों और नौवहन विषयक सेक्टोरल अध्ययन का काम सौंपा गया है और उनसे अंतिम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

फूलों का निर्यात

1290. **श्री प्रतापराव बी॰ भोसलेः** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या फूलों की कुछ किस्मों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो निर्यात किये गये फूलों का किस्म-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का फूलों की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव): (क) और (ख) फूलों का निर्यात लाइसेंस को किसी औपचारिकता के बिना ही अनियंत्रित आधार पर अनुमत हैं। कोकम फूल, कृत्रिम फूल, तराशे हुए फूल तथा फूलों के डोडे आदि, निर्यात किए जाते हैं। निर्यात किए जा रहे फूलों की किस्मों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न, है।

(ग) और (घ) पहली अक्तूबर, 1988 से प्रभावी नई बीज रीति फूलों की खेती करने वालों के लिये उपयुक्त आनुवंशिक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। इससे किसान फूलों की स्वीकार्य क्वालिटियां उगा सकेंगे, उत्पादन-कार्यों में आदर्श कृषि पद्धतियां अपना सकेंगे और फूलों की खेती के लिए कांच गृह तैयार कर सकेंगे।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

निर्यात किए जाने वाली पुष्प किस्मों की सूची

गुलाब
केसु पंखड़ी
केक्लोसस पुष्प
कमल
ताड़ पुष्प
सोला पुष्प
गुलदाबदी
बाकू पुष्प
साइडर रोज
कपास पुष्प
कनक चंपा
कंचन
कुसुम
मेस्थ रैड
ट्यूलिप
फ्रीसिया
लिली
एन्थूरियम
लाइलैक
आर्किड

निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को और अधिक सुविधाएं

1291. **श्री प्रतापराव बी० भोसले:** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को विद्यमान सुविधाओं के अतिरिक्त कुछ और सुविधाएं देने पर भी विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के उद्देश्यों में साथ-साथ और अधिक निर्यात करने के लिए मूल्य और गुणवत्ता के अनुरूप पर्याप्त अधिशेष का सृजन करना सुनिश्चित करना और निर्यात के लिए

उत्पादन बढ़ाने हेतु उद्योगों को आवश्यक आदान मुहैया कर देश के लिए मूल्यवान विदेशी मुद्रा अर्जित करना है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों का उद्देश्य और अधिक निर्यात करने सहित इन उद्देश्यों को प्राप्त करना है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए पहले से उपलब्ध की गई सुविधाओं के अलावा, लोक सभा में 28.2.1989 को प्रस्तुत किए गए बजट प्रस्तावों में मुर्गी दाने के कुछ संघटकों पर आयात शुल्क कम करना, रेफ्रीजैरेटेड परिवहन के लिए मशीनरी पर उत्पाद-शुल्क कम करना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों आदि के लिए कुछ उपकरणों पर उत्पाद शुल्क कम करना शामिल किया गया है। आशा है कि इन उपायों से अन्य बातों के अलावा संसाधित खाद्य पदार्थों के निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा।

प्रवक्ताओं की नियुक्ति के लिए एक समान मानदंड

1292. **श्री हरिहर सोरन:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पूरे देश में प्रवक्ताओं की नियुक्ति के लिए एक समान मानदंड अपनाने का विचार है;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन मानदंडों को विभिन्न विश्वविद्यालयों को भेज दिया है;

(ग) यदि हां, तो उन पर विभिन्न राज्यों और विश्वविद्यालयों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) प्रवक्ताओं की नियुक्ति के लिए एक समान मानदंड कब से अपनाये जायेंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल॰ पी॰ शाही): (क) से (घ). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में लेक्चररों, रीडरों और प्रोफेसरों के पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताओं के विनियमों को अधिसूचित किया है जो 1-1-1983 से लागू होंगे। उपर्युक्त विनियमों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित अर्हताओं को सामान्यतया समूचे राष्ट्र में विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाया गया है। विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में शिक्षकों के वेतनमानों के संशोधन और 22-7-1988 को राज्य सरकारों को संप्रेषित उच्च शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण के अन्य उपायों की योजना में लेक्चररों की नियुक्ति के लिए नियुक्त शर्तों तथा अर्हताओं को निर्धारित किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन प्रावधानों को निगमित करने वाले संशोधित विनियमों को अंतिम रूप दे रहा है।

महाराष्ट्र के आदिवासियों में शिक्षा का प्रसार

1293. **श्री प्रकाश बी॰ पाटिल:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र के आदिवासी छात्रों में शिक्षा का प्रसार करने हेतु सातवीं योजना में आदिवासी उप-योजना के लिए कितनी धनराशि का नियतन किया गया है;

(ख) इन क्षेत्रों में शिक्षा प्रसार हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ग) क्या लक्ष्य प्राप्त किये गये; और

(घ) यदि नहीं, तो लक्ष्यों को पूरा न करने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल॰ पी॰ शाही): (क) और (ख). सातवीं योजना अवधि के लिए महाराष्ट्र की जनजातीय उपयोजना के अधीन 2013.03 लाख रुपये का आबंटन किया गया है। वर्ष 1989-90 के अंत तक प्राप्त किए जाने वाले प्रत्याशित वित्तीय लक्ष्य 2491.70 लाख रुपये है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए वास्तविक लक्ष्यों में विभिन्न योजनाओं के अधीन 15,31.800 छात्रों को प्रोत्साहन देना, 21,008 नए संस्थानों/विस्तार केन्द्रों को खोलना; शिक्षकों के 1460 पदों का सृजन करना तथा 165 बालवाड़ियां खोलना शामिल है।

(ग) और (घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों की उपलब्धियों में 6,98,910 छात्रों को शामिल करना, 7894 नई संस्थाएं/केंद्रों को खोलना, शिक्षकों के 2,578 पदों का सृजन करना और 465 बालवाड़ियां शुरू करना शामिल है।

शिक्षकों के पदों और बालवाड़ियों को खोलने के संबंध में लक्ष्य पहले ही बढ़ गये हैं। अन्य कार्यक्रमों के संबंध में यह आशा की जाती है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाएंगे।

केरल में मत्स्य पत्तन का निर्माण

1294. **श्री टी० बशीर:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने हाल ही में राज्य में मत्स्य पत्तन के निर्माण के लिए कोई योजना प्रस्तुत की है और उसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत केरल के लिए पेयजल की योजना

1295. **श्री सुरेश कुरुप:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गांवों में पेयजल संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन तथा संबंधित जल प्रबंध के अंतर्गत केरल के लिए कोई योजना आरंभ करने का सुझाव दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) जी, हां।

(ख) केरल के पालघाट जिले को राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत मिनी मिशन परियोजना क्षेत्र के रूप में लिया गया है। 3.52 करोड़ रुपए की लागत वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमोदित की गई है और गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए 1.75 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की जा चुकी है। 34.195 लाख रुपए की लागत से वर्षा जल के एकत्रीकरण ढांचों, चैक डैम आदि के निर्माण की योजनाएं आरंभ की गई हैं। समस्याग्रस्त गांवों को पेयजल की सुविधाओं के अंतर्गत कवर करने हेतु केंद्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अधीन 9.21 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की गई है।

सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में अध्यापकों को सामान्य भविष्य निधि राशि पर ब्याज की दर

1296. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री दिल्ली के अध्यापकों को भविष्य निधि राशि पर ब्याज की दर के बारे में 21 अप्रैल, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7721 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नियुक्त अध्यापकों की सामान्य भविष्य निधि राशि पर ब्याज की दर को दिल्ली प्रशासन के स्कूलों के अध्यापकों को उपलब्ध दर के समकक्ष लाया जा चुका है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस कार्य को कब तक किये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल॰ पी॰ शाही): (क) जी, नहीं।

(ख) इस मामले में अन्तिम निर्णय लेने के लिए दिल्ली प्रशासन को कुछ और समय लग जाने की सम्भावना है।

पड़ोसी देशों से आये शरणार्थियों की वापसी

1297. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 जनवरी, 1989 की स्थिति के अनुसार विभिन्न पड़ोसी देशों से भारत आये शरणार्थियों की देश-वार संख्या कितनी थी;

(ख) 1 जनवरी, 1989 की स्थिति के अनुसार इन देशों के कितने नागरिक भारत में स्थायी रूप से रह रहे थे ;

(ग) क्या वर्ष 1988 के दौरान कुछ शरणार्थियों को उनके मूल देश में भेज दिया गया है; यदि हां, तो उनकी देश-वार संख्या कितनी है ;

(घ) क्या शेष शरणार्थियों की स्वदेश वापसी के मामले पर संबंधित सरकारों के साथ अथवा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के माध्यम से बातचीत की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में चल रही वार्ता की देश-वार वर्तमान स्थिति क्या है और इन सभी शरणार्थियों की वापसी देश-वार स्वदेश-वापसी कब तक होने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ के॰ के॰ तिवारी): (क) श्रीलंका: 89,407

बंगलादेश: 44,600 चकमा शरणार्थी

बर्मा: 221

पाकिस्तान: कोई नहीं।

अफगानिस्तान: भारत में रहने वाले अफगान राष्ट्रिकों को सरकार शरणार्थी नहीं मानती।

नेपाल और भूटान: कोई नहीं। इन दोनों देशों के साथ लगने वाली भारत की सीमा एक खुली सीमा है इसलिए भारत और नेपाल तथा भारत और भूटान की सीमाओं के आर-पार लोगों के आने-जाने पर पासपोर्ट/वीजा नियम लागू नहीं होते।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(ग) शरणार्थियों का प्रत्यावर्तन नीचे लिखे अनुसार है:-

श्रीलंका: 24,813

बंगलादेश: शून्य

बर्मा: शून्य

पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान: प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ)• श्रीलंका. जुलाई, 1987 के भारत-श्रीलंका समझौते के तहत भारत में श्रीलंका के शरणार्थियों को अपने मूल देश को वापिस जाना है। चूंकि शरणार्थियों का लौटना स्वैच्छिक है, यह प्रकिया तभी पूरी होगी जबकि शरणार्थी इसके लिए आगे आएं और उन्हें भेजने के प्रबंध आदि तय हो जाएं। खराब मौसम के कारण अक्तूबर, 1988 से श्रीलंका के शरणार्थियों की वापसी का कार्य स्थगित कर दिया गया है। उम्मीद है कि जहाज चलना शीघ्र शुरू हो जाएगा।

बंगलादेश: शरणार्थी वापिस नहीं लौटना चाहते हैं। सरकार, बंगलादेश की सरकार के साथ इस कोशिश में बराबर सम्पर्क बनाए हुए है कि उसे ऐसे आवश्यक कदम उठाने के लिए राजी करे जिनसे बंगलादेश के चटगांव पहाड़ी क्षेत्रों में स्थिति सामान्य हो जाए और ऐसी आवश्यक परिस्थितियां पैदा हों जिनमें ये शरणार्थी अपने घरों को लौट जाएं।

बर्मा: चूंकि बर्मा में राजनैतिक अशांति के कारण शरणार्थियों को भारत में ठहरने की इजाजत दे दी गई है इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि जैसे ही वहां स्थिति सामान्य हो जाएगी अथवा उनके अपने देश में उन्हें अपनी सुरक्षा के बारे में कोई खतरा नहीं रहेगा, वे वापस चले जायेंगे।

पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान: प्रश्न नहीं उठता।

महिलाओं संबंधी राष्ट्रीय संदर्शी योजना की सिफारिशों के संबंध में निर्णय

1298. **श्री सैयद शहाबुद्दीन:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महिलाओं संबंधी राष्ट्रीय संदर्शी योजना में की गई सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं;

(ख) कौन सी सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई हैं;

(ग) कौन सी सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं; और

(घ) शेष सिफारिशों के संबंध में कब तक निर्णय किया जायेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): (क) से (घ)- सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

बिहार में जूट की पैदावार

[हिन्दी]

1299. **श्री काली प्रसाद पांडेय:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत पांच वर्षों से बिहार में जूट की पैदावार घटती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या जूट उत्पादक किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने हेतु कोई प्रभावी कदम उठाये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव): (क) जी, नहीं। लेकिन बिहार में पटसन के उत्पादन में पिछले पांच वर्षों के दौरान उतार-चढ़ाव आता रहा है।

(ख) और (ग) उत्पादन में वृद्धि करने के लिए पटसन उत्पादकों को विशेष पटसन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त उन्हें अपने उत्पादन से लाभप्रद आय प्राप्त करने में उनको मदद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य भी घोषित किया जा रहा है।

कृषि वैज्ञानिकों द्वारा आत्महत्या का कथित समाचार

1300. **श्री काली प्रसाद पांडेय**: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जनवरी, 1989 के जनसत्ता में "कृषि वैज्ञानिकों की आत्महत्याएं" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कृषि वैज्ञानिकों द्वारा आत्महत्या किए जाने के संबंध में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं या किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री): (क) से (घ) जहां तक कृषि वैज्ञानिकों का संबंध है, दिनांक 30 जनवरी, 1989 के जनसत्ता में प्रकाशित "कृषि वैज्ञानिकों की आत्महत्याएं" शीर्षक समाचार आत्महत्या के पुराने मामलों से संबंधित है। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा की गई आत्महत्याओं के सभी मामलों की जांच की गई थी। पुलिस तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई. सी. ए. आर.) द्वारा की गई जांच से पता चला कि एक को छोड़कर बाकी सभी मामलों में ऐसा सख्त कदम उठाने के कारण निजी या घरेलू रहे हैं। एक मामले में वैज्ञानिक ने 5 मई, 1972 को आत्महत्या की, जिसका मुख्य कारण यह था कि जिस पद के लिए उन्होंने आवेदन किया था और उस पर उनका चयन नहीं हुआ।

इस मामले की जांच के लिए डा० पी० बी० गजेन्द्रगडकर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, जिसने दूसरे उम्मीदवार के चयन को सही बताया था। इस वैज्ञानिक की अन्य शिकायतें अन्तः प्रभागीय मामलों से संबंधित थी तथा इसके बारे में विधि मंत्रालय ने राय दी थी । कि इस मामले में मृतक के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी और न मनमानी ही की गयी थी। गजेन्द्रगडकर समिति ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कार्मिक नीतियों को बुद्धि संगत बनाने की सिफारिशें की थी। इन सिफारिशों पर दिनांक 1 अक्तूबर, 1975 से अमल किया गया है।

भारत-बंगलादेश सीमा वार्ता

[अनुवाद]

1301. **श्री प्रतापराव बी. भोसले**: क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवम्बर, 1988 में चिटगांव में भारत-बंगलादेश की बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में भाग लेने वालों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या बैठक में कुछ सिफारिशें की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार का इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह): (क) से (ङ) दोनों देशों के सीमा प्राधिकारियों की एक नेमी बैठक सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक और बंगलादेश राइफल्स के उप-महानिदेशक के स्तर पर नवंबर 1988 में चिटगांव (बंगलादेश) में हुई थी। यह बैठक उन नियमित बैठकों की श्रृंखला में ही एक थी जो सीमा प्राधिकारियों के लिए संयुक्त भारत-बंगला देश मार्ग निदेशों के अन्तर्गत आयोजित की जाती है। इस बैठक में कोई विशिष्ट सिफारिशें नहीं की गई।

सातवीं योजना के दौरान प्राथमिक शिक्षा का विकास

[हिन्दी]

1302. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए 1460 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1988 की अवधि तक उक्त राशि में से कुल कितनी राशि दी गई है;

(ग) क्या इस धनराशि का उपयोग करने के लिए कोई वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थीं; और

(घ) यदि हां, तो योजना के पहले दो वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी धनराशि व्यय की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) (क) से (घ). प्रारंभिक शिक्षा के लिए, सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1963.70 करोड़ रु० की राशि (वर्ष 1985—90 के लिए केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत 233.25 करोड़ रु० और राज्य सेक्टर के अंतर्गत 1730.45 करोड़ रु०) का आवंटन किया गया। प्राइमरी शिक्षा के लिए कोई अलग से आवंटन नहीं किया गया था। योजना आयोग के अनुसार, इस योजना के निम्नलिखित प्रथम चार वर्षों के दौरान राज्य और संघ शासित प्रदेशों के लिए 1471 करोड़ रु० अनुमोदित किए गए थे:—

वर्ष	(करोड़ रुपयों में)
1985-86	237.00
1986-87	329.00
1987-88	406.00
1988-89	499.00
कुल	1471.00

योजना के प्रथम दो वर्षों में खर्च किया गया व्यय निम्नलिखित है:

1985-86	240 करोड़ रु०
1986-87	347 करोड़ रु०

सातवीं योजना के प्रथम दो वर्षों में खर्च किए गए व्यय और केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत किए गए वार्षिक आवंटन के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:—

वर्ष	अनुमोदित परिव्यय राशि (रुपए लाखों में)
1985-86	5049.00
1986-87	5015.00
1987-88	22000.00
1988-89	25440.00

वर्ष	वास्तविक खर्च (रुपये लाखों में)
1985-86	2750.00
1986-87	3246.15

[अनुवाद]

कपास का उत्पादन

1303. **श्रीमती जयन्ती पटनायक:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1988-89 के लिए कपास के उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) इस वर्ष कपास का वास्तविक रूप में कितना उत्पादन हुआ;

(ग) गत वर्ष की तुलना में वर्ष 1988-89 में कपास के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई; और

(घ) वर्ष 1989-90 में कपास की कितनी मांग होने का अनुमान है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव): (क) वर्ष 1988-89 के लिए कपास उत्पादन के 170-170 कि० ग्राम को 97.80 लाख गांठों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

(ख) प्राथमिक मूल्यांकनों के अनुसार इस वर्ष कपास का अखिल भारतीय उत्पादन 90 से 95 लाख गांठों के बीच होने की आशा है।

(ग) वर्ष 1988-89 के दौरान कपास के उत्पादन में 40 से 48 प्रतिशत की वृद्धि होने की आशा है।

(घ) वर्ष 1989-90 के दौरान कपास की मिलों की घरेलू मांग 95 लाख गांठें होने की संभावना है।

गरीबी उन्मूलन योजनाओं के लिये संयुक्त रूप से वित्त व्यवस्था करना

1304. **श्री अनन्त प्रसाद सेठीः** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के गरीबी उन्मूलन योजनाओं के लिये व्यापारिक तथा औद्योगिक घरानों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त व्यवस्था की जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में इन घरानों ने किस तरह अपना सहयोग देने का विचार किया है?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) केन्द्रीय सरकार ने "राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष" नामक एक योजना तैयार की है जिसका संचालन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत व्यावसायिक और औद्योगिक घरानों सहित सभी करदाता और अन्य लोग ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में भाग ले सकते हैं।

(ख) "राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष" की स्थापना मंत्रिमण्डल सचिवालय, भारत सरकार के दिनांक 10 फरवरी, 1984 के संकल्प संख्या 82/1/4/83— मंत्रिमण्डल के तहत की गई है। व्यावसायिक और औद्योगिक घरानों सहित सभी करदाता और अन्य व्यक्ति कोष में दान देने के पात्र हैं। ये सभी दान आयकर से पूर्ण रूप से मुक्त हैं और सभी दानदाता आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी के अन्तर्गत दिए अपने दान पर आयकर कटौती का दावा (क्लेम) कर सकते हैं। इस योजना के आरम्भ होने से लेकर अब तक, कोष में प्राप्त हुई कुल 219 लाख रुपए की राशि में से 61.4 लाख रुपए की राशि निजी व्यावसायिक घरानों से प्राप्त हुई है।

आदिवासियों को उनकी मातृ-भाषा में शिक्षा देना

1305. **श्री हरिहर सोरनः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कुछ आदिवासियों ने उन्हें अपनी मातृ-भाषा में शिक्षा दिये जाने की मांग की है;

(ख) क्या उड़ीसा, बिहार, असम तथा पश्चिम बंगाल में रह रहे संथाल आदिवासी अपने बच्चों को, अपनी मातृभाषा "औलचिकी" में शिक्षा देने की मांग कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में संबंधित राज्य सरकारों को क्या अनुदेश दिये गये हैं; और

(घ) क्या प्राथमिक स्तर तक उन्हें उनकी मातृ-भाषा में शिक्षा दिये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही): (क) जी, हां।

(ख) और (ग): औलचिकी को ही मात्र गैर-लिपिबद्ध भाषा के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(घ) भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को मातृ-भाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करने की सलाह दी है।

पाकिस्तान को अमरीका से हथियारों की सप्लाई

1306. **श्री वी॰ तुलसीराम:**
श्री बालासाहिब विखे पाटिल:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमरीकी प्रशासन निकट भविष्य में पाकिस्तान को एफ-16 लड़ाकू विमानों हेलीकाप्टरों तथा टैंकों की सप्लाई के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान को सप्लाई किए जाने वाले ऐसे हथियारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे पाकिस्तान की सैनिक शक्ति भारत की तुलना में कितनी अधिक हो जायेगी;

(घ) इससे भारत की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) इस स्थिति से निपटने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के॰ नटवर सिंह): (क) जी हां।

(ख) पाकिस्तान ने हथियारों की सप्लाई के लिये जो भी अनुरोध किये थे, उन सभी की सूची पिछले प्रशासन ने कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत अपनी वार्षिक रिपोर्ट में दी है। यह रिपोर्ट गोपनीय है और इसका ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। इन आस्थगित अनुरोधों पर वर्तमान सरकार ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ग) से (ङ) चूंकि विशिष्ट शस्त्र आपूर्ति पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिये इसके बारे में अभी सरकार कोई टिप्पणी नहीं कर सकती।

(व्यवधान)

12.00 **मध्याह्न**

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): पश्चिमी बंगाल विधान सभा में जो कुछ हुआ है। उसकी पूरे सदन को निन्दा करनी चाहिए। जहां राज्यपाल श्री नूरुल हसन का अपमान किया गया है। **(व्यवधान)** कांग्रेसी सदस्यों ने राज्यपाल के साथ हाथापाई की। यह अभूतपूर्व है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: सदन में शांति बनाए रखिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हैं।

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

आप क्या कर रहे हैं। अपने-अपने स्थान पर बैठिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि आप एक दूसरे से निपटना चाहते हैं, तो बाहर जा कर कीजिए। यहां मत चिल्लाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: देखिये, मैं नहीं जानता हूं। यदि इस ओर से कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो आप कहेंगे कि राज्य का कोई विषय यहां नहीं उठाया जाए। और अब आप राज्य का विषय उठा रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप फिर चिल्ला रहे हैं। आप राज्य सरकार की निन्दा कर रहे हैं कि यह अयोग्य है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे नहीं मालूम। मैं नहीं समझता कि पश्चिम बंगाल सरकार इतनी कमजोर और अयोग्य है कि...... की रक्षा भी नहीं कर सकती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे नहीं मालूम। यह ता राज्य सरकार को देखना है। आप यहां पर कुछ नहीं कर सकते हैं। परसों जब उन्होंने यही प्रश्न यहां पर उठाया था, तो मैंने यही बात कही थी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सोच समझकर बोलिये, श्री आचार्य। आप को मालूम होना चाहिए कि मैंने इस पक्ष के सदस्यों को भी रोका था जब वे यही प्रश्न उठा रहे थे जो आप अब उठा रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: राज्य विधान मण्डल स्वाधीन है। मैंने कल और परसों भी आपको बताया था कि आप अपने नियमों की जानकारी प्राप्त कीजिए आपको अपनी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। राज्य सरकार ज़िम्मेवार है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: राज्य विधानमण्डल स्वाधीन है। हम राज्य सरकार से कुछ नहीं कह सकते है। न ही हम राज्य विधानमण्डलों से कुछ कह सकते हैं। वे स्वाधीन हैं। वे अपनी देखभाल कर सकते हैं और इन्हें अपनी देखभाल स्वयं करनी भी चाहिए। आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मुझे भी इसकी चिन्ता है। जब मैंने इन बातों के संबंध में पढ़ा तो मुझे भी उतनी ही चिन्ता हुई जितनी इस समय है। आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो वही कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप चिल्ला रहे हैं मैंने एक बार आपको अनुमति दी थी। आप अब भी वही कर रहे हैं। आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मानवेन्द्र सिंह (मथुरा): आपने श्री देवी लाल की बहू से सम्बन्धित मामला सदन में उठाने की अनुमति क्यों दी थी?

अध्यक्ष महोदयः नहीं, मैंने किसी भी बात की अनुमति नहीं दी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मेरी बात रिकॉर्ड में है। मैंने इसकी अनुमति नहीं दी आप असत्य बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः राज्यों के बारे में कोई बात कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं होगी। राज्य स्वायत्त हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मुझे चिन्ता है। आप आज जो कर रहे हैं। उसकी आप को भी चिन्ता होनी चाहिए।

12.04 म०प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखे और कार्यकरण की समीक्षा आदि।

राष्ट्रीय सहकारी तम्बाकू उत्पादक परिसंघ लिमिटेड, आनन्द का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

कृषि मंत्री (श्री भजनलाल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1987 - 88 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 7409 / 89]

(3) (एक) राष्ट्रीय सहकारी तम्बाकू उत्पादक परिसंघ लिमिटेड, आनन्द के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय सहकारी तम्बाकू उत्पादक परिसंघ लिमिटेड, आनन्द के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 7410 / 89]

केरल कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम का वर्ष 1986-87 का प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा; तमिलनाडु कृषि उद्योग निगम लिमिटेड मद्रास का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल रखता हूं—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) केरल कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केरल कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 7411 / 89]

(ख) (एक) तमिलनाडु कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) तमिलनाडु कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 7412 / 89]

(ग) (एक) पश्चिम बंगाल कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पश्चिम बंगाल कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 7413 / 89]

(घ) (एक) पंजाब कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 7414 / 89]

(ङ) (एक) हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, शिमला का वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, शिमला का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 7415 / 89]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 7415 / 89]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: राज्य विधानमण्डल स्वायत्त है। आप चिल्लाते ही जा रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): जब संसदीय लोकतन्त्र को खतरा हो तो आप को कुछ टिप्पणी करनी चाहिए.......

अध्यक्ष महोदय: मैंने की थी। यदि आप न सुन सकते हैं और न ही समाचार पत्रों में पढ़ सकते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं न केवल यहां, परन्तु अध्यक्षों के सम्मेलन में भी, इस सदन के अन्दर और बाहर भी पूरे जोर से कहता रहा हूं कि यह केवल आज का प्रश्न नहीं है किन्तु भविष्य की समस्या भी है। आप उस आधार को ही नष्ट कर रहे हैं जिस पर यह संस्था आधारित है। जब भी सदन में बातचीत और चर्चा के अतिरिक्त कोई सदस्य अथवा कोई दल कोई बात करते हैं तो मैं उसकी निन्दा करता हूं चाहे वह कुछ भी हो। मैंने कभी एक दल और दूसरे दल में भेदभाव नहीं किया है।

दूसरे, मैं यह भी कहता हूं कि हमारे सभी सदस्यों को भी ठीक व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार का व्यवहार आप को नहीं करना चाहिए। मैं इसकी भी निन्दा करता हूं। हम सभी को भद्र व्यवहार करना चाहिए। नियम भी तो है। मैं ऐसी कोई चर्चा नहीं रोकूं 177 जिसकी संविधान अथवा नियमों के अंतर्गत अनुमति दी गई है। मैंने कभी ऐसा नहीं किया है और न ही कभी ऐसा करूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम स्वरूप राम (गया): अध्यक्ष महोदय। जहानाबाद जिले के अहिरा ग्राम में 50 घर हरिजनों के जला दिये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप लिख कर दीजिये, पता करा लेते हैं।

श्री राम स्वरूप राम: उस गांव से सारे हरिजन भाग गये है.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: राम स्वरूप राम जी, आप लिख कर दीजिये।

श्री राम स्वरूप राम: वहां का अंचल प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है। अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं की गयी है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने कहा न, आप लिख कर दीजिये.......

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य अब जो कुछ कहेंगे वह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होगा। आपको जो कुछ कहना है मुझे लिखकर दीजिए। मैं पता लगाऊंगा और फिर देखेंगे कि क्या हो सकता है।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा): अध्यक्ष महोदय, मणिपुर की कुछ महिलाएं बोट क्लब पर धरने पर बैठी हैं। उनकी मांग है कि इथायी बैराज के कारण 35 हजार गांव जलप्लावित हो गये हैं, जिससे वहां काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने प्रधान मंत्री से बचाव के लिये हस्तक्षेप करने की मांग की है।

अध्यक्ष महोदय: आप लिख कर दीजिये।

[अनुवाद]

डा० वी० वैंकटेश (कोलार): खुले बाजार में सोने की बिक्री के कारण 20 करोड़ रुपये मूल्य का सोना कोलार की सोने की खानों में बिना बिक्री के पड़ा है। कर्मचारियों को वेतन का भुगतान ऋण लेकर किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय: आप मुझे लिखित में दे सकते हैं। इस तरह से शोर मत मचाइये अब अपना स्थान ग्रहण करें।

डा० वी० वैंकटेश: यह गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये।

डा० वी० वैंकटेश: आप सरकार को इस विषय में कुछ कहने का निदेश दें। कृपया उन्हें निदेश दें।

अध्यक्ष महोदय: मैं देखूंगा कि क्या यह मामला विचारणीय है या नहीं किन्तु इस तरह नहीं। कृपया बैठ जाइए।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (पदरौना): अध्यक्ष महोदय, मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ जब मैंने कल की कार्यवाही जानने के लिए रिकार्ड पढ़ा तो मैंने देखा कि मैंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के बारे में जो कुछ कहा था वह रिकार्ड से निकाल दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय: मेरी अनुमति के बिना जो कुछ कहा जाता है वह रिकार्ड का अंग नहीं बनेगा।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह: मैंने कोई आरोपपूर्ण या निन्दनीय बात नहीं कही थी। मैं ऐसे ही खड़ा होकर कभी असंसदीय बातें नहीं कहता। मैं सदन के अनुशासन में ही कार्य करता हूं। कृपया मेरी बात सुनिए।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: अब आप वही कर रहे हैं। मैंने यही कहा है कि मेरी आज्ञा के बिना इन सज्जन ने या आपने जो कुछ कहा है वह रिकार्ड का अंग नहीं बनता।

(व्यवधान)**

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह: मैंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जो गैर-संसदीय हो।

अध्यक्ष महोदय: मुझे यह कहना पड़ रहा है और मैं इसे सदा के लिए स्पष्ट कर देता हूं कि मेरी अनुमति के बिना जो कुछ भी कहा जाएगा वह कभी रिकार्ड का अंग नहीं बनेगा। मैंने इसे नहीं काटा है। जो कुछ मैंने काटा है वह गैर-संसदीय होता है। किन्तु मेरी अनुमति बिना जो कुछ कहा जाता है वह रिकार्ड का अंग नहीं बनेगा। पहले आपको मेरी अनुमति लेनी होगी और यदि अध्यक्ष अनुमति दे तभी यह रिकार्ड में जाएगा। यह साधारण सी बात है।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह: मैंने तो वैज्ञानिकों की प्रशंसा ही की थी।

अध्यक्ष महोदय: आपने ऐसा ही किया होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह: महोदय, आपकी अनुमति से—

अध्यक्ष महोदय: मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी। अब यह भी रिकार्ड का अंग नहीं बनेगा।

(व्यवधान)**

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह: मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप मुझे लिखित में दे सकते हैं। इस तरह नहीं। आपको किसी नियम के अन्तर्गत ही ऐसा करना चाहिए।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह: मैं कुछ और निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: यह कोई तरीका नहीं है। सदन के समक्ष कोई मामला नहीं है। मैं आपको किसी भी बात की अनुमति दे सकता हूं किन्तु इस तरह नहीं। आप मुझे बताएं कि आप किस नियम के अन्तर्गत निवेदन करना चाहते हैं।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह: मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपने कल जो कुछ किया है उस पर पुनः विचार करें।

अध्यक्ष महोदय: इसमें ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह: मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जो गैर-संसदीय हो।

अध्यक्ष महोदय: आप किसी बात में भेद क्यों नहीं कर सकते? मेरा अधिकार, विषय और जिम्मेवारी सदन की कार्यवाही का संचालन करना है और बोलने की अनुमति देने के लिए ही अध्यक्ष मौजूद है।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह: क्या आपने कभी गैर-संसदीय बातों की अनुमति नहीं दी है जो सदन की कार्यवाही का रिकार्ड बन चुकी है?

अध्यक्ष महोदय: नहीं कभी नहीं। मैंने केवल यह कहा है कि मेरी अनुमति के बिना जो कुछ कहा जाएगा वह कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, मैं अब आपसे और अधिक बहस नहीं करूंगा।

[हिन्दी]

श्री मानवेन्द्र सिंह (मथुरा): सर बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। बैंक्स जो है किसानों को फाइनेंस करने के लिए मना कर रहे हैं।

[अनुवाद]

वे किसानों को वित्त प्रदान करने के लिए मना कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: मुझे कुछ लिखित में दीजिए। इस तरह नहीं। आप इस मामले को बजट पर चर्चा के दौरान उठा सकते हैं।

श्री मानवेन्द्र सिंह: आप वित्त मंत्री से तत्काल कार्रवाई करने के लिए कह सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: जी नहीं, मैं नहीं कह सकता।

[हिन्दी]

श्री मानवेन्द्र सिंह: साहब, फसल का मौका है, क्रॉप्स कटने वाली है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं नहीं कह सकता।

श्री मानवेन्द्र सिंह: क्यों नहीं महोदय?

अध्यक्ष महोदय: क्योंकि यह नियमानुसार नहीं है? उन्होंने इसके लिए अनुमति नहीं ली है।

(व्यवधान)*

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी): राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का उत्तर कब दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: माधव जी ने मुझे एक संदेश भेजा है कि उन्हें और अधिक समय की आवश्यकता है क्योंकि विपक्ष के अनुपस्थित होने के कारण वे वाद-विवाद में भाग नहीं ले सके। मैंने उसे स्वीकार कर लिया है और मैं उन्हें और अधिक समय दे रहा हूं। हमें उत्तर कल मिलेगा क्योंकि हम चर्चा चाहते हैं। हम एक-तरफा बात नहीं चाहते। हम दो-तरफा बात चाहते हैं। इसीलिए मैंने इसे स्वीकार किया है। मैं अधिक समय दे रहा हूं। मेरे विचार से सदन की भी यही राय है।

सभापटल पर रखे गए पत्र — [जारी]

महापत्तन न्यास अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और पोत परिवहन विकास निधि समिति का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन आदि

जल भू-तल परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री॰ पी॰ नामग्याल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(एक) सा॰ का॰ नि॰ 15 (अ), जो 9 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कान्डला पत्तन न्यास (जलयान करस्थम या बंदी बनाना और विक्रय) विनियम, 1988 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा॰ का॰ नि॰ 39 (अ), जो 19 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तूतीकोरिन पत्तन न्यास (जलयान करस्थम या बंदी बनाना और विक्रय) विनियम, 1988 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा॰ का॰ नि॰ 1171 (अ), जो 12 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन (निवास का आवंटन) पहला संशोधन विनियम, 1988 का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिये संख्या एल॰ टी॰ 7416 / 89]

(2) पोत परिवहन विकास निधि समिति के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिये संख्या एल॰ टी॰ 7417 / 89]

12.11 म॰ प॰

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति
52वां प्रतिवेदन

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन (अलप्पी): मैं इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड-कार्यकरण के परिणामों के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का बावनवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.11½ म॰ प॰

कार्य मंत्रणा समिति
66 वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 1 मार्च, 1989 को सभा में प्रस्तुत किये गये 66वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 1 मार्च, 1989 को सभा में प्रस्तुत किये गये 66वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.12 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) ऋण मेलों के माध्यम से जनता को ऋण देने में बैंकों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री अख्तर हसन (कैराना): मैं सरकार का ध्यान बैंक लोन प्रणाली में पनप रहे भ्रष्टाचार की ओर दिलाना चाहता हूं जो रुपया सरकार गरीब किसानों व पिछड़े वर्गों के आर्थिक विकास के लिए देती है वह रुपया उन्हें न मिल कर बिचौलियों व कुछ भ्रष्ट बैंक कर्मचारियों की जेब में चला जाता है। जाली नामों से अपने व अपने रिश्तेदारों के लिए कर्जा मंजूर करना व किसी को लोन देने के लिए उससे भारी रिश्वत लेना बैंकों में अब आम बात हो गई है। केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने भी लोन मेलों में हुए इसी तरह के भ्रष्टाचार को स्वीकार किया है और सबूत भी इकट्ठे किए हैं। कमजोर व पिछड़े वर्गों की उन्नति व देश का आर्थिक विकास खास कर बैंक लोन प्रणाली पर ही निर्भर करता है। इस प्रकार का भ्रष्टाचार देश व समाज के आर्थिक विकास में बहुत बड़ी बाधा है।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि समाज के खासकर गरीब किसानों व पिछड़े वर्गों के आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर बैंक लोन प्रणाली में पनप रहे इस भ्रष्टाचार को तुरन्त समाप्त कराए जाने के सुधारात्मक कदम उठाए जाने पर बल दें।

(दो) जोकाडिहा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा सरकार को वित्त सहायता दिए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर): ब्रिटिश काल के दौरान उड़ीसा में जोकाडिहा नामक स्थान पर ब्रह्माणी नदी पर एक अयाकुट (पुल) का निर्माण किया गया था। अब यह पुल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। रेंगाली बहुउद्देशीय परियोजना के बनने के बाद जोकाडिहा क्षेत्र में वर्ष भर पर्याप्त मात्रा में पानी का प्रवाह रहता है। जब रेंगाली परियोजना पर चर्चा हो रही थी तो जोकाडिहा में भी बहु-राष्ट्रीय परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया गया था। किन्तु यह बहुत ही दुःख की बात है कि अभी तक इस परियोजना का कार्य शुरू नहीं किया गया है। यदि जोकाडिहा अयाकुट का नवीकरण किया जाए तो इससे कटक जिले के कोरई, रसूलपुर, बाड़ी और जाजपुर खण्डों में लगभग एक लाख हैक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। मैं भारत सरकार से चालू वित्तीय वर्ष में जोकाडिहा परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए धन प्रदान करने की मांग करता हूं।

(तीन) गोआ राज्य के लिए एक पृथक राज्य संवर्ग बनाए जाने की मांग

श्री शान्ताराम नायक (पणजी): महोदय, 30 मई, 1987 को गोवा एक राज्य बन गया। इसके फलस्वरूप कुछ उपाय किए जाने थे जिनमें से एक उपाय गोवा राज्य के लिए पृथक राज्य संवर्ग की स्थापना करना था। संवैधानिक तौर पर

मूलतः उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

यह आवश्यक है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार के परामर्श से इस संवर्ग की स्थापना करे।

इस मामले में गोवा की जनता और संबंधित अधिकारियों को भी अंधेरे में रखा गया है। राज्य सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के साथ संयुक्त संवर्ग बनाने का विचार कर रही है। इससे पहले गोवा के समाचार पत्रों में यह खबर थी कि राज्य सरकार संघ शासित क्षेत्रों के संवर्ग को ही जारी रखना चाहती है या उत्तर-पूर्वी राज्यों के संवर्ग के साथ गोवा संवर्ग को शामिल करना चाहती है। जो भी हो आश्चर्य है कि इस प्रकार के मामले पर शीघ्र निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा है। मैं केन्द्र सरकार से नम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और गोवा सरकार की राय लेकर गोवा राज्य के लिए स्वतंत्र संवर्ग बनाने के लिए तत्काल कदम उठाएं।

(चार) पहाड़ी स्थानों तथा अधिक ऊंचाई पर स्थित तीर्थ-स्थलों के लिए अधिक पर्यटकों को आकर्षित किये जाने के लिए वहाँ बिजली की नियमित आपूर्ति तथा अच्छी आवास सुविधा सुनिश्चित किये जाने की मांग

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़): महोदय, हिमालय की ऊँची पहाड़ियों पर बहुत से हिल स्टेशन और धार्मिक स्थल हैं। मई से अक्टूबर तक विदेशी पर्यटकों समेत बहुत मे पर्यटक और तीर्थयात्री इन स्थानों पर घूमने के लिए आते हैं। लेकिन उन्हें इन स्थानों पर बिजली की नियमित आपूर्ति न होने के कारण बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कम वोल्टेज तथा बिजली फेल होने के कारण जल तथा कमरे को गर्म रखने जैसी सुविधाएँ नहीं दी जा सकती, जो इन स्थानों पर अत्याधिक जरूरी हैं। अच्छी आवास व्यवस्था तथा नियमित रूप से बिजली की सप्लाई होने से पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की कठिनाइयाँ ही दूर नहीं होंगी, वरन इससे देश को और अधिक विदेशी मुद्रा की आय होगी।

इसलिए, मैं सरकार से इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

12.18 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(पाँच) आन्ध्र प्रदेश के दंगापीड़ित लोगों को तत्काल वित्तीय सहायता दिये जाने की मांग

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : महोदय, मैं 377 के अधीन एक वक्तव्य देना चाहूंगा। केन्द्रीय सरकार को मालूम है कि दिसम्बर, 1988 के आखिरी सप्ताह में आन्ध्र प्रदेश में एक कांग्रेस विधायक की हत्या के कारण व्यापक रूप से दंगे हुए थे। जिसमें काफी जानें गई।

दुकानें, शिक्षण संस्थाएं, मेडीकल स्टोर, क्लीनिक, प्रयोगशालाऐं, सिनेमा हाल आदि लूटे गये तथा नष्ट कर दिये गये थे। जे० के० सी० कालेज, पी सेतरमैया हाई सकूल, गुंटूर और गुंटूर और विजयवाड़ा में विद्यार्थियों के हास्टल समाज विरोधि तत्वों द्वारा नष्ट कर दिये गये थे। कृष्णा जिले के जयपुरम गाँव और तटीय आन्ध्र प्रदेश में अन्य शहरों तथा गुंटूर, विजयवाड़ा, इलरू, राजामंडरी और गुडीवाड़ा में बहुत सी दुकानें तथा घर भी नष्ट कर दिये गये थे। एक अनुमान के अनुसार उन दंगों में लगभग 200 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी और निजी सम्पत्ति नष्ट हुई थी।

इस भारी संपत्ति की हानी को देखते हुए, सरकार को दंगे के शिकार लोगों की उदारता से

सहायता करनी चाहिऐ ताकि वे अपना काम-काज फिर से शुरु कर सके तथा अपनी आजीविका कमा सकें।

इन दंगों में अन्य मारे गये लोगों और शोकसंतप्त परिवारों को मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं।

(छ:) बिहार में जनता में साम्प्रदायिक घृणा फैलाने वाले लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने की माँग

[हिन्दी]

श्री कृष्ण प्रताप सिंह (महाराजगंज): उपाधयक्ष महोदय, बिहार प्रान्त के रांची एवं जमशेदपुर में हुए दंगों से साम्प्रदायिक भावनायें उभर रही हैं। वैसे इस क्षेत्र में पहले से ही क्षेत्रीय भावनाऐ काम कर रही हैं। अलग पृथक राज्य की मांग चल रही है। वह क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। कई बार अस्त्र-शस्त्र के साथ प्रदर्शन हो चुका है। रांची एवं जमशेदपुर में कर्फ्यू लागू है। आग्रह है कि गृह मंत्री इन साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाले तत्वों के खिलाफ कार्यवाही करें और अलग राज्य की मांग करने वाले तत्वों से बातचीत कर उन्हें समझाऐ तथा इस सम्बंध में वस्तु स्थिति से सदन को अवगत करायें।

(सात) चित्तूर और नैदूपेट के बीच तिरुपति होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 और 5 को जोड़े जाने की मांग

[अनुवाद]

श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी (चित्तूर): राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 जो मद्रास से बंगलौर के बीच है चित्तूर से होकर गुजरता है और मद्रास से कलकत्ता को जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 नेल्लोर जिले में नैदूपेट से होकर गुजरता है। कोयम्बटूर जिले और सेलम के लोगों को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर पहुंचने के लिए, मद्रास से होकर चक्करदार मार्ग से गुजरना पड़ता है। तिरुपति से होते हुए नैदूपेटा जाने के लिए और नैदूपेटा से चितूर आने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर पहुँचना आसान है। तिरुपति से चितूर मार्ग पर यातायात बहुत अधिक ट्रैफिक है क्योंकि इस मार्ग का इस्तेमाल बहुत से तीर्थयात्रियों द्वारा किया जाता है। इस यातायात के अतिरिक्त सलेम, कोयम्बटूर और तमिलनाडू के कृष्णागिरी जिले के लोग और कर्नाटक के लोग भी नैदूपेटा पहुंचने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 का इस्तेमाल करते हैं। वे चितूर आते हैं और तिरुपति और नैदूपेटा जाते हैं। इन स्थानों के बहुत से भारी वाहन इस मार्ग से होकर निकलते हैं। इस मार्ग पर बहुत से मोड़ हैं और यह सड़क बहुत छोटी है। भारी यातायात के कारण रोजाना बहुत सी दुर्घटनाएं होती हैं। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 को चितूर और नैदूपेटा के बीच तिरुपति होकर जोड़ा जाये और सड़क को चौड़ा किया जाये तथा मोड़ कम किये जायें।

(आठ) बिहार के गोपालगंज जिले में आसपास के क्षेत्रों के औद्योगिक कर्मकारों तथा श्रमिकों के लाभ के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल खोले जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री काली प्रसाद पाण्डेय (गोपालगंज): उपाध्यक्ष महोदय, उत्तरी बिहार के सीवान, सारण,

गोपालगंज, पश्चिमी एवं पूर्वी चम्पारण आदि जिलों के मध्य में गोपालगंज जिला मुख्यालय स्थित है। इस क्षेत्र में कार्ड-बोर्ड, पेपर मिल, गन्ना मिल, डिस्टिलरी, बीडी उद्योग एवं अनेक बड़े उद्योग स्थित हैं, जिनमें करीब 20-25 हजार से अधिक मजदूर कार्यरत हैं।

श्रम विभाग ने मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच-पडताल एवं इलाज के लिए अनेक क्षेत्रों में अस्पताल चालू किये हैं। इस दृष्टि से गोपालगंज में 100 शैय्या वाला एक अस्पताल श्रम मंत्रालय द्वारा शीघ्र खोले जाने की आवश्यकता है।

अतः सदन के माध्यम से माननीय श्रम मंत्री जी से प्रार्थना है कि इस सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही कर उत्तरी बिहार के उपर्युक्त जिलों में कार्यरत श्रमिकों व अन्य मजदूरों के इलाज के लिये 100 शैय्या (बेड) का एक अस्पताल गोपालगंज में अति शीघ्र स्थापित कराने की कृपा करें।

(नौ) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा इस कारखाने के पुनरुद्धार के लिए भेजी गई योजना को मंजूरी दिए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): उपाध्यक्ष महोदय, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड का मामला लम्बे समय से अटका पड़ा है। सरकार द्वारा 5 करोड़ रुपये की सहायता दिये जाने पर इसे फिर से चालू करने के लिए कर्मचारियों ने चार साल पहले एक योजना भेजी थी; परन्तु सम्बंधित अधिकारियों ने इस सम्बंध में किसी प्रकार की बातचीत नहीं की है। वर्ष 1985 से बिना काम के कर्मचारियों के वेतन पर 120 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हो चुके हैं। न तो इस कारखाने का कुशलता से प्रबन्ध किया जा रहा है और न ही इसे फिर से चलाये जाने की कोई आशा दिखाई देती है। यह स्पष्ट नहीं है कि सरकारी धन का अपव्यय क्यों किया जा रहा है और सरकारी क्षेत्र की इस इकाई की बदनामी क्यों की जा रही है। कर्मचारियों द्वारा भेजी गई योजना बहुत ही कारगर है और यदि इसे स्वीकृति प्रदान कर दी जाए तो यह कारखाना शीघ्र लाभ देने लगेगा और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान करने लगेगा। सरकार को इस सम्बंध में शीघ्र निर्णय लेना चाहिए और इस कारखाने को फिर से चलाना चाहिए और इसके कर्मचारियों को दिशानिर्देशित करने के लिए कुशल व कारगर प्रबंध की व्यवस्था की जानी चाहिए जो इसे पुनः-चालू करने में बहुत रुचि रखते हैं।

मैं मंत्री जी से स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड से सम्बंधित सरकार के प्रस्तावों पर सभा में वक्तव्य दिए जाने का अनुरोध करता हूं।

12.24 म० प०

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव— [जारी]

उपाध्यक्ष महोदयः सदन अब श्री बी० एन० गाडगिल द्वारा 23 फरवरी, 1989 को पेश किये गये तथा श्री रघुनन्दन लाल भाटिया द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित प्रस्ताव पर और आगे विचार करेगा:

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये:—

'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 21 फरवरी, 1989 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं'"

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): उपाध्यक्ष महोदय मैं माननीय अध्यक्ष को इस अवसर पर बोलने का मौका देने के लिए धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्ययक्ष स्वीकार करें कि प्रधानमंत्री जी ने समूचे विपक्ष के विरुद्ध जो कुछ सहज भाव से कहा था और जो नहीं कहना चाहिए था, उसके लिए विपक्ष का इस सदन से बाहर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था । यहां तक कि विपक्ष पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और राष्ट्र विरोधी होने का आरोप भी लगाया गया है। महोदय, हम इस की कड़ी भर्त्सना करते हैं संसदीय लोकतन्त्र के सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए हमने इस की भर्त्सना की है हम महसूस करते हैं कि विपक्ष ······

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा): श्री चटर्जी, क्या आप मुझे एक मिनट बोलने देंगे।

[हिन्दी]

अपोजीशन की यह भी ड्यूटी है, यह तो ठीक है कि प्रधान मंत्री ने कुछ कहा, उस विषय में उनकी क्या राय है, मैं उस विषय में कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन जिस सदस्य ने, चाहे यह राज्य सभा के ही मैम्बर हों, खालिस्तान का समर्थन किया है, वह सारे अखबारों में छपा है। अपोजीशन की यह भी ड्यूटी है कि उसको कण्डैम करे, यहां हाऊस में, उसके लिए साहस दिखाये।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा): जो खालिस्तान का समर्थन करता है, हम उसको कण्डैम करते हैं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: हम प्रधानमंत्री जी से और श्री हरीश रावत दोनों से कोई प्रमाणपत्र नहीं चाहते। मेरी पार्टी और विपक्ष से अधिक किसी ने इसकी भर्त्सना नहीं की है। प्रधानमंत्री जी ने पंजाब में आतंकवाद से निपटने में मेरी पार्टी की भूमिका को अनिच्छा से स्वीकार किया था और हमने किस तरह बलिदान दिये हैं।

हमने यह कहा है कि अगर हमें इस देश में संसदीय लोकतन्त्र को बनाये रखना है तो प्रधानमंत्री को विपक्ष के विरुद्ध असहयोग या अंहकार का रवैया नहीं अपनाना चाहिए। महोदय, देश के व्यापक हित में मैं महसूस करता हूं कि सदन के विचार विमर्श में हिस्सा लेना हमारा कर्तव्य है लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से सदन में जो कुछ हुआ है उसके विरोध में और आपत्ति की कड़ी भावना को व्यक्त किये बिना मैं मुख्य मुद्दे पर अपना भाषण शुरू नहीं कर सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पहले ही खेद प्रकट किया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: उसी आधार पर हम आये हैं और हमने अपने वक्तव्य में भी यह कहा है।

महोदय आज देश विभिन्न प्रकार के तनावों से घिरा हुआ है, माननीय गृह मंत्री जी ने भी कल इस बारे में जिक्र किया था और यह दुःख की बात है जिसके कारण प्रदेशों के बीच और लोगों के बीच मतभेद व फूट पड़ गई है। महोदय, आज इस देश के लोगों के बीच मतभेद और अलगाव की भावना के लिए प्रधानमंत्री और भारत सरकार जिम्मेदार है।

महोदय राष्ट्रपति के भाषण में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सरकार के तथा कथित संकल्प का जिक्र किया गया है। यह एक खोखली घोषणा है। भारत सरकार की नीतियों के कारण देश में आतंकवाद की जड़ें मजबूत हो रही हैं। एक भी राजनीतिक कार्यवाही नहीं की जा

रही है और वे अर्धसैनिक बलों और पुलिस तथा बंदूक की सहायता से पंजाब की स्थिति को नियंत्रित करना चाहते हैं इस समस्या का समाधान करने के लिए मनमाने ढंग व बिना कोई राजनीतिक निर्णय लिये जो कार्य किये गये हैं उसके कारण जनता में परायापन आ गया है। जोधपुर के कैदी अभी भी जेल में हैं। दिल्ली में मारे गये सिक्खों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है, लोंगोंवाल समझौते के क्रियान्वयन के लिए कोई लाभप्रद कार्यवाही नहीं की गई है! इसलिए, तनाव अभी भी जारी है और इसीलिए वे आतंकवाद को रोकने में असमर्थ हैं। विपक्षी नेताओं के साथ कोई बैठक नहीं की गई है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के पास इसके लिए समय नहीं है या उन्हें विपक्ष पर विश्वास नहीं है। लेकिन उन्हें स्वीकार करना पड़ा है कि विपक्ष, वामपंथी दल बहुत कारगर कार्यवाही कर रहा है वे सरकार में न होकर भी आतंकवाद को समाप्त करना चाहते हैं। महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं—श्री हरीश रावत अपनी शिष्टता दिखा सकते हैं—कि हमने भर्त्सना की है हम अभी भी भर्त्सना करते हैं और हम किसी भी व्यक्ति की भर्त्सना करेंगे जो खालिस्तान या आतंकवाद को किसी भी तरह सहायता देंगे। इस सम्बंध में किसी व्यक्ति को बचाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत: लेकिन जनता दल का क्या होगा, जिस पार्टी के वह सदस्य हैं?

श्री मोहम्मद महफूज अली खां (एटा): रस्साकशी तो आपके यहां भी है। जनता दल को छोड़िये, पहले आप अपने आपको तो देखिये।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण इस सरकार के कार्यनिष्पादन के समान ही निरर्थक और निस्तेज है। राष्ट्रपति के अभिभाषण द्वारा बताया जाता है कि सरकार की उपलब्धि क्या है, कितनी सफलता प्राप्त की गयी है और विधायी प्रस्तावों सहित भविष्य में सरकार की क्या नीतियां रहेंगी। दोनों ही दृष्टिकोणों से अभिभाषण में किसी भी बात का उचित रूप से जिक्र नहीं किया गया है। महोदय, हम लोगों को इस दिशा में कोई जानकारी नहीं मिली है कि आगामी वर्षों में सरकार की नीतियां क्या रहेंगी। दोनों ही अर्थों में, सरकार की नीतियों को बताने में यह अभिभाषण असफल रहा है।

जहां तक अभिभाषण का प्रश्न है, मुझे दुःख है कि हमारे राष्ट्रपति जी को एक निरर्थक और उत्साहहीन संकलन पढ़ना पड़ा। उन्हें सरकार को 'मेरी सरकार' कहने की भी अनुमति नहीं दी गयी थी जो कि सामान्य प्रक्रिया थी। पहली बार हम लोगों ने सिर्फ 'सरकार' शब्द पाया। यह सरकार अपना आधार खो बैठी है और सभी क्षेत्रों में असफल रही है। आज यह आम जनता से और दूर हो गयी है जैसा कि विभिन्न विधान सभाओं के चुनावों के परिणामों से स्पष्ट होता है। तमिलनाडु विधानसभा के ताजा परिणाम बताते हैं कि केन्द्र में सत्तारूढ़ दल ने स्वयं को जनता से पूर्णतः दूर कर लिया है और यद्यपि प्रधानमंत्री ने अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी थी। फिर भी तमिलनाडु के लोगों ने प्रधानमंत्री को अस्वीकार कर दिया है।

यह अभिभाषण स्पष्ट रूप से उस सरकार का अंतिम गान प्रतीत हुआ है जोकि अपने आखरी चरण में है, वह सरकार जो कि अब एक अकर्मण्य और अकुशल सरकार साबित हो चुकी है, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुये हैं, जो अपनी पार्टी में मतभेद के कारण अस्थिर हो रही है और जो कि अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के कारण लड़खड़ा रही है।

जहां तक सरकार के कार्यों का संबंध है, यदि आप अभिभाषण को पढ़ें तो आप पायेंगे कि

यह किसी बात को बताने की अपेक्षा छिपाता अधिक है। लेकिन यह सामान्य रूप से सामान्योक्ति और परम्परिक बातों के रूप में ही कुछ जानकारी देता है। यह अचंभित करने वाली बात है कि अभिभाषण में यूनियन-कार्बाईड मामले के निपटान का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी के लालच का शिकार हो चुके इतनी बड़ी तादाद में इस देश के लोगों के साथ ऐसा धोखा पहले कभी नहीं हुआ है। उन्हें उस सामान्य सुरक्षा से भी वंचित कर दिया गया है जिससे वे लोग इस देश के नागरिक होने के नाते हकदार हैं। इस कार्य के कारण सरकार का अब एक मिनट भी सत्ता में बने रहना उचित नहीं है। यह दुर्भाग्य की बात है कि देश की सर्वोच्च न्यायपालिका भी सरकार द्वारा बिछाये जाल में फंस गयी है जिसकी बहुराष्ट्रीय लूटमार करने वालों के साथ सांठ-गांठ है। सरकार ने इस तर्क पर नगण्य राशि स्वीकार कर ली है कि यह परामर्श न्यायपालिका ने दिया है और यह तर्क दिखावटी है कि यह मामले पर शीघ्र कार्यवाही करेगी। भोपाल गैस विभीषिका (दावा-कार्यवाही) अधिनियम वर्ष 1985 में पारित किया गया है जिसके अन्तर्गत अभियोग संबंधी कार्यवाही और नियंत्रण का उत्तरदायित्व केन्द्र सरकार को सौंपा गया है। कोई भी पीड़ित व्यक्ति अकेले किसी भी प्रकार की अभियोग संबंधी कार्यवाही नहीं कर सकता है। यद्यपि अधिनियम के अनुसार सरकार पीड़ित व्यक्तियों के अधिवक्ताओं की मदद ले सकती है, लेकिन इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया है। अब वे लोग इस कानून को भी लागू कर देंगे जिसके तहत सहायता के लिये दी जा चुकी राशि में से मुआवजे के लिये लंबित पड़ी राशि, अन्तिम रूप से दी जाने वाली राशि में से काट ली जायेगी। स्थिति यह है कि लोग अभी भी शारीरिक पीड़ा झेल रहे हैं और महिलाएं तथा बच्चे विभिन्न प्रकार की व्याधियों के शिकार हो रहे हैं। भारी संख्या में लोग मारे गये हैं। लेकिन इस सरकार ने बिना किसी उत्तरदायित्व और स्पष्टीकरण दिये ही यह राशि स्वीकार कर ली है। इस प्रकार सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी के असंख्य पीड़ितों को भयंकर क्षति पहुंचायी है।

यह नाटक किस प्रकार खेला गया था। मैं आरोप लगाता हूं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा राशि के निर्णय से पूर्व ही सरकार ने यूनियन कार्बाईड के साथ समझौता कर लिया होगा। अन्यथा न्यायाधीशों ने किसी विवरण के प्राप्त किये बिना इस राशि का निर्धारण कैसे कर दिया? उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई भी निर्धारण नहीं लिया गया था और अचानक ही एक राशी तय कर दी गयी। मुझे कोई शक नहीं है कि सरकार ने न्यायालय के बाहर यूनियन कार्बाईड से समझौता कर उन्हें बहुत बड़ी सहायता प्रदान की है, यद्यपि वे बहुत अधिक धनराशि देने के लिये तैयार थे, जैसा कि श्री सैफुद्दीन चौधरी ने बताया था; लेकिन ऐसा नहीं किया गया इस देश के नागरिकों के साथ यह सबसे भयंकर क्षतिपूर्ण कार्यवाही है और इस षड़यंत्र में इस सरकार की भी भागीदारी है।

केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में केन्द्र सरकार द्वारा दरार और कटु-संबंध उत्पन्न करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख भी अभिभाषण में नहीं किया गया है। राज्यपालों की हाल में ही की गई नियुक्तियाँ और उनका स्थानान्तरण स्पष्ट रूप से यह बताते है कि सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संसद में वाद-विवाद होने के पूर्व ही सरकार ने उनका पालन न करने का विचार कर लिया है। सरकार का यह रवैया हमारी संवैधानिक व्यवस्था के अर्द्धसंघीय स्वरूप को भी नष्ट करने का है। यह और कुछ नहीं बल्कि राज्य सरकारों के प्रति अमित्रतापूर्ण व्यवहार है। राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति से पूर्व उनसे नाममात्र का भी परामर्श नहीं किया जाता है। स्थानान्तरण की अवधारणा भी कर ली गई है और राज्यपालों को उनकी अवधि पूर्ण होने के पहले ही एक राज्य से

दूसरे राज्य में स्थानान्तरित कर दिया जाता है यद्यपि उनकी कार्यवाहियों के विरुद्ध कोई आरोप नहीं होता है अपितु सिर्फ इसलिये कि यहां के सत्तारूढ़ दल के सदस्यों द्वारा राज्यपाल की गतिविधियों के विरुद्ध बहुत ही अनुचित भाषा का प्रयोग किया जाता रहा है। आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में क्या हुआ। एक निर्दोष चरित्र और विद्वान व्यक्ति के साथ कैसा सलूक किया गया? पश्चिम बंगाल विधान सभा में क्या हुआ? मुझे विश्वास है कि हर वह व्यक्ति, जो इस देश में संसदीय प्रजातंत्र की सफलता चाहता है, शर्म से अपना सिर नीचा कर लेगा सरकार का ऐसा तो रवैया है। जब नुरुल हसन की तरह के राज्यपाल के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया है और सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने उनका अनादर किया तथा राज्यपाल की गाड़ी पर नाचने लगे, तो गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री ने अपनी परम्परा और इस सरकार की परम्परा के मुताबिक बिल्कुल ठीक कार्यवाही की। स्पष्टतः केन्द्र से ही ऐसे निर्देश मिले हैं! मैं आरोप लगाता हूं कि केन्द्र सरकार ने ही इसे करवाया है। अवैध और अनुचित स्थानान्तरण आदेश का औचित्य ठहराने के लिए जानबूझकर यह अपमान किया गया है। ऐसा महसूस किया जा रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार यह समझती है कि भिन्न-भिन्न राज्यों के राज्यपाल उनके एजेंट हैं। कुछ राज्यपाल विभिन्न राज्यों में और विशेषकर विपक्ष द्वारा शासित राज्यों में सत्ताधारी दल के हितों को उपकृत करने, उनके हितों को साधने तथा उनके हितों की रक्षा करने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहते हैं। वे जानबूझकर कठिनाईयाँ उत्पन्न कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यह सरकार और इसके प्रधान मंत्री और श्री देव भी इस बात की परवाह ही नहीं करते कि इस देश का संविधान क्या कहता है। उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया था—वे यूनियन कार्बाइड के आदेश के बाद उच्चतम न्यायालय का पक्ष ले रहे हैं—कि राज्यपाल केन्द्र सरकार के एजेंट नहीं हैं। वे केन्द्र सरकार के ताबेदार नहीं होते। केन्द्र सरकार उन लोगो को कोई निदेश नहीं दे सकती जो संवैधानिक पद ग्रहण किए हुए हैं। यहाँ तक कि वे किसी निदेश का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं। अब क्या हो रहा है? विभिन्न राज्यों में राज्यपाल के कार्यालय का उपयोग सत्ताधारी दल के प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है और इससे इस देश की संवैधानिक व्यवस्था में अत्यधिक तनाव उत्पन्न हो रहा है। सरकार, वस्तुतः इसकी भी परवाह नहीं करती है। आखिरकार वे यह जानते हैं कि उनका समय लगभग समाप्त हो चुका है; वे कुछ दिन के ही मेहमान हैं। इसलिए, वे अब सभी प्रकार की असावधानियाँ और अनुचित व्यवहारों में लिप्त हो सकते हैं। किन्तु मुझे विश्वास है कि इस देश की जनता इसे नहीं भूलेगी और उचित समय पर अपना निर्णय सुनाएगी।

इसका एक उदाहरण है जिससे यह स्पष्ट होगा कि यह सरकार, उन क्षेत्रों में जहाँ राज्य सरकारों के पास असंदिग्ध अधिकार है, किस प्रकार राज्य सरकारों के कार्यों में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रही है। अभिभाषण में पंचायती राज को लाने और जनता को अधिकार प्रदान करने के लिए कानून बनाने की सरकार की इच्छा का उल्लेख किया गया है। इसमें "निचले स्तर पर योजना कार्यों में लोगों की वास्तविक भागीदारी की आवश्यकता" के बारे में कहा गया है।

जब ये कांग्रेसी लोग या यह सरकार पंचायती राज व्यवस्था लाने की बात करते हैं तो यह कुछ और नहीं बल्कि एक भद्दा मजाक और पाखंड लगता है। उन राज्यों को देखो जहाँ कांग्रेस सरकारें हैं। क्या उन्होंने पिछले वर्षों में पंचायतों या नगर पालिकाओं के चुनाव कराये हैं? सन 1977 में बंगाल में वामपंथ की सरकार सत्ता में आई। इससे पहले, जब कांग्रेस 15 या 16 वर्ष तक सत्ता में थी, तो पंचायतों के कोई चुनाव नहीं कराये गए। नगर पालिकाओं के लिए भी कोई

चुनाव नहीं हुआ। दूसरी ओर, सन् 1972 में जिस दिन वे मुख्य मंत्री सिद्धार्थ शंकर राय के नेतृत्व में सत्ता में आए तो उनकी पहली कार्रवाई निर्वाचित कलकत्ता नगर निगम को भंग करना थी जिसका कम से कम दो वर्ष का कार्यकाल शेष था।

अब उन्होंने, चुनाव व्यवस्था और चुनावों को पूर्णतः प्रदूषित करने और चुनावों में चालबाजी करने के बाद त्रिपुरा में क्या किया? उन्होंने क्या किया? उचित-अनुचित तरीके से सत्ता में आने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने त्रिपुरा मे सभी निर्वाचित पंचायतों को भंग कर दिया। अब वे पंचायती संस्था की बात कर रहे हैं। बंगाल में वर्ष 1978 से अब तक तीन बार पंचायत के चुनाव हो चुके हैं। अब, पंचायतें योजना में शामिल है और योजना खण्ड (ब्लाक) स्तर पर की जाती है और उन्हें अधिकार दिए जा रहे हैं। केवल कागजों पर ही विकेन्द्रीयकरण नहीं किया गया है। पंचायती राज के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में और अन्य गैर-कांग्रेस (इ) राज्यों में सत्ता का विकेन्द्रीयकरण किया गया है।

अब पूर्ण उद्देश्य केन्द्र के हाथ में सत्ता बरकरार रखने, अधि-केन्द्रीयकरण करने और पंचायती राज व्यवस्था को विकेन्द्रीकृत न करने का है ताकि वे निचले स्तर को दिल्ली से जोड़ने का प्रयास कर सकें और पंचायती राज को मजबूत बनाने के नाम पर वे उन राज्यों के कार्य में कठिनाई उत्पन्न करना चाहते हैं। वे वहाँ राज्य सरकार को पूर्णतः अधिकार रहित बनाना चाहते हैं। यह इस देश में तथाकथित पंचायती राज व्यवस्था को पुनः कायम करने के पीछे छिपा गलत इरादा है। मैं यह जानना चाहूँगा कि किस कांग्रेस (इ) शासित राज्य में पंचायतों की योजना बनाने, राज्य योजना या जिला योजना बनाने में भागीदारी है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव): गुजरात और महाराष्ट्र में।

श्री सोमनाथ चटर्जी: राज्य सरकारें कभी इस व्यवहार को स्वीकार नहीं करेंगी; और पंचायत सम्मेलनों के नाम पर हो रहे तमाशों के बावजूद जनता कांग्रेस के हाथों में सत्ता के इस अधिकेन्द्रीयकरण के प्रयास को रद्द कर देगी।

मुझे इस बात पर भी आश्चर्य है कि वे सत्ता अपने हाथ में रखने के लिए इतने उत्सुक क्यों है। क्योंकि शीघ्र ही उनके पास सत्ता नहीं होगी और उन्हें केन्द्र से बाहर खदेड़ दिया जाएगा। **(व्यवधान)**

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सरकार के इस दृढ़ संकल्प का जिक्र किया है कि सरकार "धर्म को राजनीति से अलग" करेगी और उन्होंने संकुचित विचारधारा की उग्रराष्ट्रीयता वाली' उन ताकतों को चेतावनी दी जिसके धार्मिक कट्टरता, साम्प्रदायिक और जातिगत, क्षेत्रीय और भाषायी आदि विभिन्न रूप हैं।

क्या यह सरकार अपने उपदेशों पर अमल करती है? क्या इस देश की सताधारी पार्टी केन्द्र में, का यह विश्वास है कि वह वास्तव में धर्म को राजनीति से अलग करने या दूर रखने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है।

क्या सत्ताधारी पार्टी ने कट्टरतावादी संगठनों, साम्प्रदायिक दलों के साथ चुनावी गठजोड़ नहीं किया है? मिजोरम में क्या हुआ? मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि श्री सन्तोष मोहन देव यहाँ उपस्थित है। एक घोषणा-पत्र जारी किया गया था। मेरे पास इसका कुछ भाग है। मिजोरम में कांग्रेस पार्टी ने बड़ी निर्लज्जता से एक चुनावी घोषणा-पत्र जारी किया जो ईसाई धर्म को मानने वाली बहुसंख्यक जनता की धार्मिक भावनाओं को छुने वाला था। कांग्रेस (इ) के लिए वोट डालने

का अनुरोध करने वाले स्टिकर और पर्चे लोगों में बांटे गए क्योंकि कांग्रेस सरकार ईसाई सरकार बनाएगी। मैं इसे यहाँ लाया हूं। पार्टी घोषणा-पत्र मे यह कहा गया है कि "ईसाई होने के नाते ईसाई-धर्म की उद्घोषणा करना हमारा पूर्ण उत्तरदायित्व है" और यह कि "इसलिए यह उचित ही है कि ईसाई जनता को कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए।" घोषणा पत्र मे कहा गया है "कांग्रेस (इ) की समाजवाद की नीति बाईबल के उपदेशों पर आधारित है," और पार्टी मिजो संस्कृति और ईसाई सिद्धान्तों के आधार पर विद्यालय पाठ्यक्रम मे संशोधन करने का वायदा करती है और यदि पार्टी सत्ता मे आएगी तो, पार्टी "पवित्र भूमि के लिए तीर्थ-यात्रा का आयोजन करेगी"।

"ईसाईयत के लिए वोट, कांग्रेस (इ) को वोट" वाले वाक्य लिखे हुए बिल्ले बांटे गए। इसी पार्टी ने भाषण तैयार किया है और, यह जानते हुए भी कि यह सरासर झूठ है और यह भाषण इस देश की जनता को गुमराह करने के लिए जानबूझकर किया गया एक प्रयास है? हमारे राष्ट्रपति जी के पास इसे पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

यह सरकार बड़ी निर्लज्जता से कट्टरपंथी ताकतों के आगे झुक गई है। हम जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय का शाहबानो निर्णय कैसे बदल दिया गया था। किस प्रकार रुढ़िवादी ताकतों की कट्टरतापंथी और साम्प्रदायिक माँगों को मानने के लिए एक कानून बनाया गया। इस वर्तमान सरकार के शासन काल के दौरान धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा और रुढ़िवादी ताकतों पर आधारित सभी पृथकतावादी ताकतों ने अपने सिर उठा लिए है जबकि इससे पहले उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी। आज भी बाबरी मस्जिद-राम जन्म भूमि विवाद बरकरार है। ऐसा इस सरकार की अकुशलता और सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव के कारण हो रहा है और इसलिए साम्प्रदायिक और पृथकतावादी ताकतों की खूब छन रही है और वे लोग मजे में हैं। केन्द्र में इस सरकार की इन्ही नीतियों के कारण इस देश के लिए खतरा पैदा हो गया है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में "चार वर्षों के रचनात्मक कार्यों" का हवाला दिया गया है और यह दावा किया गया है कि "अभूतपूर्व आर्थिक विकास हुआ है" और यह कि "पिछले चार वर्षों के दौरान अत्यधिक आर्थिक उपलब्धियाँ हुई है"। अभिभाषण में कहा गया है कि "राष्ट्र इस बात से आश्वस्त हो सकता है कि हम गरीबी का उन्मूलन कर देंगे और बेरोजगारी समाप्त कर देंगे"। ये वास्तविकता से दूर झूठे दावे है। इस्पात, कोयला, सीमेंट और खाद्यान्नों जिन्हे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जाता है की निर्धारित कीमतों में वृद्धि सहित कीमतों में निरन्तर वृद्धि होने, रेल भाड़े में वृद्धि होने, यहाँ तक कि सामान्य बजट के प्रभावों से भी बेरोजगारी, औद्योगिक रुग्णता, पहले से ही काम पर लगे लोगों का काम छूट जाना, सरकारी उपक्रमों का बंद होना आदि में वृद्धि हुई है । औद्योगिक उपक्रमों की रुग्णता मे वृद्धि जो अब 1,70,000 कारखाने और औद्योगिक स्थापनाओं तक पहुँच गई है। उपर्युक्त सभी कारणों से देश अब पूर्णतः ऋण के जाल में फंस चुका है। आन्तरिक और बाहय ऋण अपनी उच्चतम सीमा पर पहुँच गया है। इन सब बातों पर विचार करने के बाद अभिभाषण में किए गए दावे स्पष्टतः निरर्थक है। इससे अधिक और क्या कहा जा सकता है या कहे जाने की आवश्यकता है? देश की जनता के पास जाओ और यह देखो कि देश से बेरोजगारी और गरीबी हटाने के आपके तथाकथित प्रयासों के बावजूद भी वे क्या सोचते हैं।

महोदय, हमें रोजगार के मुददे को लेना चाहिए। मार्च 1987 के अन्त तक 30.5 लाख लोग रोजगार की तलाश में हैं। उनके नाम रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं। एक वर्ष के दौरान बेरोजगारी में 13 प्रतिशत वृद्वि हुई है और ये आकड़े यह दर्शाते हैं कि बेरोजगारी में भारी वृद्धि हुई है। परन्तु राष्ट्रपति के अभिभाषण में रोजगार के बारे में ऊंचे सब्जबाग दिखाए गए हैं।

अर्थव्यवस्था में औद्योगिक और कृषि निवेश तथा उत्पादन में वृद्धि के सरकार के दावे के बावजूद रोजगार निर्माण/उत्पादन रोजगार की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह बात अत्यन्त महत्वपूर्ण है। योजना आयोग ने एक चेतावनी दी है कि रोजगार की उपलब्धता में प्रतिवर्ष औसतन लगभग 5 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के नये अवसर उत्पन्न करने के बजाए यदि लगभग 100 लाख रोजगार के नये अवसर उत्पन्न नहीं किये जाते हैं तो आठवीं योजना में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या अनियन्त्रित हो जायेगी। रोजगार के अवसरों को 5 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ किया जाना चाहिए। योजना आयोग ने यह चेतावनी दी है।

अभिभाषण में इस बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि गरीबी को कैसे दूर किया जायेगा। अभिभाषण में इस बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान कैसे किया जायेगा। और जब रोजगार उत्पन्न किये जा सकते हैं तो वे परियोजनाओं अथवा नये प्रस्तावों को स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। हल्दिया पेट्रो-कैमिकल्स कम्पलैक्स, जिससे इस देश के 1,50,000 युवकों को अपनी आजीविका कमाने के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किये जा सकते हैं, को स्वीकृत देने में जानबूझकर देरी की जा रही है। तुच्छ राजनैतिक कारणों से इसे जानबूझकर स्वीकृति नहीं दी जा रही है। और वे इस तरीके से इस देश की बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने जा रहे हैं।

युवकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के बारे में काफी चर्चा की गई थी और उन्होंने वर्ष 1987-88 के लिए केवल 1,25,000 युवकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा था। फिर भी सम्पूर्ण वर्ष के दौरान वे 1,25,000 व्यक्तियों के लक्ष्य से काफी कम 49,663 व्यक्तियों के लिए ही स्व-रोजगार की व्यवस्था कर सके।

जैसा कि मैंने कहा है राष्ट्रपति महोदय से घिसी-पिटी और थोथी बातें कहलवाई गई हैं। अभिभाषण में औद्योगिक क्षेत्र और मूलभूत क्षेत्र में वृद्धि दर का उल्लेख किया गया है और इसमें यह उल्लेख किया गया है कि उनके कारण देश प्रगति कर रहा है। ये बातें कागज पर बहुत प्रभावशाली हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: केवल 5 मिनट का समय बाकी है। कृपया समाप्त कीजिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी: परन्तु मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि इस देश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है अथवा इस देश के युवकों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के बारे में क्या स्थिति है और कितने व्यक्तियों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है। इस अभिभाषण में ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है।

इस अभिभाषण में कम से कम यह उल्लेख तो किया गया है कि कीमतों में वृद्धि हो रही है। परन्तु इसमें यह उल्लेख नहीं किया गया है कि कीमतों में किस सीमा तक वृद्धि हो रही है और न ही इसमें यह उल्लेख किया गया है कि इस मूल्य-वृद्धि को नियन्त्रित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है। इससे यह जाहिर होता है कि सरकार की नीतियां बिल्कुल खोखली हैं। सरकार यह नहीं जानती है कि इस अति गम्भीर समस्या के समाधान के लिए क्या करना चाहिए।

अच्छी कृषि फसल के बावजूद भी वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है। कुछ समय के लिए खाद्य तेल के मूल्य को छोड़कर सभी आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्यान्न फल, सब्जी, दूध, दूध उत्पाद और अन्य उपभोक्ता उत्पादों के मूल्यों में अनियन्त्रित वृद्धि हुई है और थोक मूल्य सूचकांक, जोकि वर्ष 1986-87 में 377.1 था वर्ष 1988-89 में बढ़कर 432.6 हो गया है।

जहां तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का सम्बंध है उसकी स्थिति और भी निराशाजनक है और

इससे स्थिति की गम्भीरता जाहिर होती है। सितम्बर 1988 में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की अखिल भारतीय औसत 806 थी जब कि यह औसत वर्ष 1985 में 619, वर्ष 1986 में 676 और वर्ष 1987 में 745 थी। इससे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अत्यधिक वृद्धि जाहिर होती है।

अब वे मनमाने ढंग से और अनुचित तरीके से औद्योगिक श्रमिकों के लिए एक नया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आरम्भ करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वे इस देश के लोगों के सामने गुमराह करने वाली तस्वीर प्रस्तुत कर सकें। इस देश के लोगों के लिए उनकी दैनिक आवश्यकताओं की व्यवस्था करने में यह सरकार पूर्णतः विफल रही है। अभिभाषण में जन वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के बारे में कहा गया है। परन्तु आप कैसे ऐसा कर सकते हैं? आपका कार्य जन वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किये जाने वाले दूध और चावल की कीमतों में वृद्धि करना रहा है। महोदय, वे जन वितरण प्रणाली को किस प्रकार मजबूत करेंगे? हम यह मांग करते रहे हैं कि समाज के कमजोर वर्ग के लिए सम्पूर्ण भारत में 13 अथवा 14 आवश्यक वस्तुएं जन वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित की जानी चाहिए और केन्द्रीय सरकार ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकार करती रही है। हम यह जानना चाहेंगे कि सरकार कैसे जन वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने जा रही है जिसके बारे में उन्होंने अभिभाषण में उल्लेख किया है।

महोदय, एक अन्य मुद्दा, जिसके बारे में हम बजट चर्चा के दौरान अधिक सुस्पष्ट तरीके से बल देंगे, परन्तु मैं उसके उल्लेख को टाल नहीं सकता, वह है ऋण जाल है। सार्वजनिक ऋण की कुल राशि लगभग 1,50,000 करोड़ रुपये बनती है। इसमें से 65,000 करोड़ रुपये का बाह्य ऋण और 6,658 करोड़ रुपये के विपरीत वर्ष 1988-89 में भुगतान सन्तुलन में 8,300 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है। इससे यह जाहिर होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था पूर्णतः गड़बड़-घोटाले में है। और इस पृष्ठभूमि में, इस बात का उल्लेख किये बिना कि कैसे इस गम्भीर समस्या का समाधान किया जाना चाहिए, उन्होंने गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी-उन्मूलन, इस देश में उद्योग और तथाकथित औद्योगिक विकास को एक नई दिशा देने का उल्लेख किया है। ये सभी वक्तव्य जानबूझकर गुमराह करने वाले हैं जिन्हें इस अभिभाषण में सम्मिलित किया गया है और इसका उद्देश्य केवल लोगों को गुमराह करना है।

महोदय, अर्थव्यवस्था की गम्भीर स्थिति यह दर्शाती है कि सरकार अपना आधार खो चुकी है और उद्देश्यहीन हो रही है। गैर-आवश्यक वस्तुओं को इस देश में आयात करने की अनुमति देने की सरकार की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए यह स्थिति और बदतर होगी।

महोदय, अभिभाषण में गरीबी पर आक्रमण जारी रखने के सरकार के इरादे का उल्लेख किया गया है। यदि आप अभिभाषण को सावधानीपूर्वक पढ़ते हैं तो इस बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

इसमे सरकारी क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। अभिभाषण में यह कहा गया है कि सरकारी क्षेत्र का कार्य-निष्पादन अच्छा रहा है। परन्तु सरकारी क्षेत्र के लिए इस सरकार का विरोधी रवैया प्रख्यात है। सरकारी क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों को बन्द किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार के प्रबन्धन में चलाई जा रही औद्योगिक इकाइयों को बन्द कर दिया गया है। भारत सरकार स्टेशनरी आफिस को बन्द कर दिया गया है। बिको लारी, जोकि एक केन्द्रीय सरकार का उपक्रम है, को बन्द करने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार मुद्रणालय को बन्द करने का निर्णय लिया गया है।

बंगाल पौटरी और मोहिनी मिल को बन्द कर दिया गया है। ऐसे बहुत से उदाहरण है और इस सन्दर्भ में यह कहना कि सरकारी क्षेत्र का कार्य-निष्पादन अच्छा रहा है और वे सरकारी क्षेत्र को मजबूत बनाना जारी रखेंगे लोगों को गुमराह करने के लिए दिया गया एक गलत वक्तव्य है।

महोदय, माननीय राष्ट्रपति जी ने संस्कृति को संरक्षित करने के लिए की जा रही कार्यवाही का उल्लेख किया है। हम जानते है कि यह सरकार और सत्तारूढ़ दल कैसे इस देश में संस्कृति को संरक्षित कर रहे हैं। हम जानते है कि कांग्रेस-आई के गुंडों ने कैसे निर्दयतापूर्वक सफदर हाशमी की हत्या की थी और सत्तारूढ़ दल की ओर से उसका कोई विरोध अथवा निन्दा नहीं की गई थी।

1.00 म० प० ____

शिक्षा नीति इस देश के मुट्ठी भर उच्चवर्ग के लिए हैं। वे इस देश के थोड़े से विद्यार्थियों के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं। शिक्षा के सर्वव्यापीकरण को भुला दिया गया है।

यह अभिभाषण इस देश के कुछ ज्वलन्त मुददों और समस्याओं का उल्लेख करने में बुरी तरह विफल रहा है। इसमें उच्च-स्तरों पर व्याप्त भ्रष्टाचार का उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें अनिराकरणीय बोफोर्स घोटाले और एच० डी० डब्ल्यू० पनडुब्बी घोटाले का उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें काले धन का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसमें देश की महिलाओं और कमजोर वर्गों की समस्याओं का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः यह अभिभाषण इस सरकार के कार्य निष्पादन की भांति उद्देश्यहीन निरर्थक और फीका है।

देश की विदेश नीति का श्रेय लिया जा रहा है। विदेश नीति इस सरकार की विदेश नीति नहीं है वरन् इस देश की है। निसन्देह हमने इस सरकार की सभी सार्थक कार्यवाहियों का समर्थन किया है और हम उनका समर्थन करेंगे। और हमने विदेशी मामलों के बारे में अपना समर्थन व्यक्त किया है। जिनके बारे में सरकार ने उचित रवैया अपनाया है। परन्तु इस देश की विदेश नीति के लिए व्यक्तिगत श्रेय लेना इस देश की विदेश नीति के विकास की ऐतिहासिक प्रक्रिया को पूर्णत नकारना है।

अन्त में, यह अभिभाषण एक ऐसी सरकार का उत्पाद है जोकि अपने देश पर शासन करने की क्षमता खो चुकी है। यह सरकार इस देश के लोगों में विरोध और फूट पैदा कर रही है। विरोधी दलों के विरुद्ध प्रधान मंत्री उस कथन से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है जोकि पूर्णत असराहनीय है और मैं उनका विरोध करता हूं।

1.02 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई

2.06 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.06 म० प० पर पुनः समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बालकवि बैरागी बोलेंगे।

श्री एन० वी० एन० सोमू (मद्रास उत्तर): उपाध्यक्ष महोदय, पिछले तीन दिन से कांग्रेस सदस्यों का एकाधिकार था। आप विपक्ष को मौका क्यों नहीं देते?

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं उन्हें एकाधिकार नहीं देना चाहता। दोनों पक्षों में प्रतियोगिता होनी चाहिए। हम कांग्रेस (आई) की तरफ से एक ही समय 2 या 3 प्रश्न रखने के बजाये एक प्रश्न रखेंगे। हम एक-एक प्रश्न रखेंगे। मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि वे संक्षेप में बोलें क्योंकि हमें आज ही चर्चा समाप्त करनी है। प्रत्येक सदस्य अधिकतम दस मिनट ले सकता है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार मानता हूं कि आपने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का मुझे अवसर दिया। मैं उस भाषण के समर्थन में कुछ बातें आपसे कहूंगा।

गये दो-तीन दिन से इस पर बहस चल रही है, उसे मैंने सुना है और आज प्रतिपक्ष के विद्वान सदस्यों ने जो कुछ कहा, उस पर भी मैंने ध्यान दिया है। यह 20 पृष्ठों का भाषण, जिसमें 51 बिन्दु हैं, वस्तुतः एक दस्तावेज है, जिस पर हमारे और हमारे बाद भी बातचीत चलती रहेगी, इस पर विचार होगा।

माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने इस अभिभाषण में विगत 4 वर्षों के कामों को रेखांकित किया है, बीते साल की उपलब्धियों पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की है और यह बताया है कि अगला वर्ष चुनौतियों का है, इसको भी उन्होंने इसमें शामिल किया है। राष्ट्रपति जी का मैं बहुत आभारी हूं।

मैं अपनी बात शुरू करूं, उससे पहले दो का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा कि हम नेहरू शताब्दी के उपलक्ष्य में इस भाषण के श्रोता हैं और साथ ही साथ सातवीं पंचवर्षीय योजना का यह अंतिम वर्ष है, इस नाते भी राष्ट्रपति जी की कई बातें विशेष ध्यान योग्य हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना की हम दहलीज पर खड़े हैं और अपने सपनों को आकार दे रहे हैं। इस वक्त एक अनुभवी राष्ट्रपति और एक जागरूक सरकार जो कुछ बातें इस देश के सामने रखना चाहें उस पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

प्रतिपक्ष ने, ठीक है कि हमारे देश में जैसा कि प्रतिपक्ष का चरित्र है, उसने इसकी आलोचना की है और कमियों के नाम पर आलोचना की है। आज तो एक दिलचस्प स्थिति सामने है जब कि एक रिकार्ड कायम करने के बाद बजट प्रस्तुतीकरण के समय अनुपस्थिति के बाद जनता की बात कहने के नाम पर हमारा प्रतिपक्ष वापस लौटकर आया है। ऐसा लगता है कि प्रतिपक्ष जनता की बात यहां बैठकर कहने से जनता पर कोई उपकार कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है मैं इसे जनता पर उपकार नहीं मानता। हम यहां जनता की बात कहकर जनता पर उपकार नहीं कर रहे हैं बल्कि जनता की सेवा कर रहे हैं।

मुझे याद आया जो बहाना प्रतिपक्ष का था। शायद मैं इन चार पंक्तियों के माध्यम से कुछ ठीक कह सकूं। यहां पर हमारे प्रतिपक्ष के जो मित्र बैठे हैं वह मेरी कही बात को उन तक अवश्य पहुंचायें। उन्होंने प्रधान मंत्री की एक टिप्पणी पर नाराज होकर वायकाट किया और फिर जनता की भलाई के नाम पर हमारे मित्र लोग सदन में आये। मैं अपनी शैली में और अपने अंदाज में इस बात को कहना चाहता हूं और उस ओर पूरे सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा। इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता हूं।

"साकी से रूठ कर ये मयखाना छोड़ते हैं,
लगती है जब तलब तो पैमाना तोड़ते हैं,

तौबा भी कर रहे हैं फिर तोड़ भी रहे हैं,
ये लड़खड़ाने वाले ऐसा ही दौड़ते हैं।"

मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि हमारे इस देश में इस प्रजातांत्रिक देश में प्रजातंत्र में हमारे प्रतिपक्ष के साथी कैसे हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अपने दायरे में बड़ी शालीनता के साथ संकेत किये लेकिन प्रतिपक्ष ने इस बात को किस तौर पर लिया, सब मित्र मेरे अगर यहां होते तो मैं उनसे पूछता कि यदि आपका सचिवालय हमारी मदद नहीं करे तो हम को यह पता नहीं लगे कि कौन सा सदस्य किस दल में बैठा हुआ है, कौन किस प्रार्टी का मैम्बर है और कौन किस पार्टी में चला गया है। सुबह के अखबार में कुछ होता है और शाम के अखबार में कुछ और होता है। ऐसा लगता है कि बारात चली जा रही है लेकिन उसमें दुल्हे का पता नहीं है। हमने वैसे तीन लोगों पर नजर टिकायी थी और उससे ऐसा लग रहा था कि इस देश में वैकल्पिक प्रधान मंत्री वह बनेगा, या फिर वह बनेगा। उत्तर प्रदेश वाले ने तो कह दिया कि मैं सन्यास ले लूंगा लेकिन प्रधान मंत्री नहीं बनूंगा, दक्षिण भारत वाले ने कहा कि मैं पहले ही गेरुआ वस्त्र पहनता हूं और मुझे कुछ लेना-देना नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, एक और हरियाणा में उठे थे हमारे बाबा उन्होंने कहा कि मैं इस काबिल नहीं हूं कि प्रधानमंत्री बनूं। यह मित्र हमारे ऐसे हैं जो बैंड-बाजा बजा कर अपनी शादी का ऐलान तो कर देते हैं और बारात भी ले जाते हैं लेकिन दुल्हन के घर पहुंचते-पहुंचते बिखर जाते हैं। एक विचित्र सी उनकी स्थिति है। —(**व्यवधान**)— हम डटकर काम करते हैं और आगे भी करेंगे। मैं पीयूष भाई से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस बारात का कोई मतलब नहीं है जो कि बैंड तो बजाये लेकिन शाम को बिखर जायें। मैं और ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि सब भाई मेरे से बड़े हैं। इतिहास और अखबार में जो फर्क होता है वह तो सब को मालूम ही है। मैंने पहले भी कहा था और आज फिर यह कह रहा हूं।

महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने सही संकेत किया है चुनाव सुधारों पर 18 वर्ष की उम्र के बच्चों, नौजवानों और किशोरों को इस देश के राज्य में भागीदार किया, संघीय व्यवस्था में भागीदार किया, संसद में भागीदार किया और विधान सभाओं में भागीदार किया। अब तक यह व्यवस्था केवल पंचायतों में थी। अखबार में इसका यश किसी के नाम पर भी लिख दीजिए लेकिन इतिहास में इसका यश केवल राजीव गांधी जी के नाम पर लिखा जायेगा। अखबार और इतिहास का फर्क हमारे प्रतिपक्ष के भाइयों को समझ लेना चाहिए। अगर वह नहीं समझेंगे तो इतिहास इन्हें समझायेगा।

गये चार साल सूखे के संदर्भ में अगर याद करें तो हमारी पीढ़ियों को कंपकंपी आ जाती है। सूखा पड़ने के बाद भी हम लड़खडाये नहीं और इस देश के किसानों, मजदूरों और कृषि के वैज्ञानिकों ने जो परिश्रम किया उसी के दम पर आज हमारा देश सिर ऊंचा करके चल रहा है। आज हम अन्नदाताओं की स्थिति में पहचाने जाते हैं, भिखमंगों की स्थिति में नहीं। यह सब हमारे किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और मजदूरों की मेहनत का फल है इसका श्रेय उन सब को ही जाना चाहिये वरना हम लड़खड़ा जाते।

आज जो स्थिति है उससे हमारी विकास की दर में वृद्धि हो रही है और रिकार्ड फसल हो रही है। इस रिकार्ड फसल पर जैसा कि मेरे बड़े भाई थोड़ी देर पहले बोले थे और उन्होंने कहा कि देश की घरेलू नीतियों पर बड़ा झगड़ा है, पर विदेश नीति सरकार की नीति नहीं है वह तो देश की नीति है। वह एक तरफ उसे देश की नीति कहते हैं और घर की नीतियों में भागीदार नहीं बनना चाहते हैं। जब घर की नीतियों पर बात होती है तो बाहर आंगन में जाकर बैठ जाते हैं, कोपभवन में चले जाते हैं और सड़कों पर खड़े हो जाते हैं। घर की नीतियों पर बात करने की जरूरत महसूस

नहीं करते हैं तो फिर रूठ कर मनाने का त्योहार-मनुहार करते हैं। आज प्रतिपक्ष एक दोहरा मापदंड और मानदंड लेकर चल रहा है।

मैं सदन में यह बात बहुत नम्रता से कहना चाहता हूं कि हमारी समस्या यह नहीं है कि कहां पर क्या हो रहा है? इस देश में प्रजातंत्र का और कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यह है कि कांग्रेस को एक विकल्पविहीन प्रजातंत्र को चलाना पड़ रहा है। आज विकल्पविहीन प्रजातंत्र को चलाना कितना कठिन काम है, कोई इतिहासकारों से पूछे, विधिवेत्ताओं से पूछे, वह बतायेंगे। इनमें से एक भी व्यक्ति या एक भी पार्टी इस काबिल नहीं कि इस देश को संभाल सके। ऐसे मैं इस देश को संभालना 103 वर्ष पुरानी पार्टी की तपस्या हमारे नेताओं के पुण्य और शहीदों के प्रताप से ही हो सका है। इन चारों वर्षों में कौन सा वर्ष है जब राजीव गांधी की सरकार के सामने कोई ऐसी चुनौती नहीं आई हो, जिसका सामना हमने नहीं किया हो, युद्ध को छोड़कर बाकी सारी चुनौतियां इन चार वर्षों में आई हैं और राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने और इस सरकार ने डटकर हर चुनौती का मुकाबला किया है और वक्त पर सही जवाब दिया है और हम इस बात पर गर्व और संतोष कर सकते हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री की चीन यात्रा का मजाक करने का क्या कोई औचित्य है? क्या सोवियत संघ की भूमिका पर कोई अंगुली उठा सकता है, क्या पाकिस्तान में लौटते हुए प्रजातंत्र पर कोई उपहास कर सकता है, क्या माले में हमारी सेनाओं और हमारे नेतृत्व की भूमिका की किसी किस्म की कोई आलोचना की जा सकती है, क्या श्रीलंका में हमारी भूमिका पर हमको गर्व नहीं है? इससे हटकर मैं एक बात कहना चाहता हूं, राजीव गांधी के नेतृत्व संभालने के पश्चात् इस देश में ही नहीं, समूचे एशिया में और भारत से लगे हुए, समूचे पड़ौसी देशों में एक ऐसा काम हुआ है, हर देश को आप देखियेगा, जहां पर औसत लीडरशिप की औसत उम्र, एवरेज एज आफ लीडरशिप कम हुई है और जवानों के हाथों में पूरे एशिया का ब्लाक चला आ रहा है। यह परिवर्तन इस देश में राजीव गांधी के आगमन के पश्चात् होता है, इसका स्वागत हो सके तो हमारे विपक्ष को करना चाहिए। यह एक अच्छा शगुन है कि हमारी जवानियां सही दिशा में डैमोक्रेटिक सैट-अप में आगे बढ़ती जा रही हैं।

मैं निवेदन करूं, हमारे मित्र तमिलनाडू पर हमसे बड़ा उपहास कर रहे हैं। लॉबी में भी छेड़छाड़ करते हैं, भीतर भी कहते हैं। हम इनसे कहना चाहते हैं भई त्रिपुरा की भी बात करो, मिजोरम की भी बात करो, नागालैण्ड की भी बात करो, तो बोले वह तो पूरब में है, हम तो दक्षिण की बात करते हैं। मैं इन दक्षिणपंथी मित्रों से कहना चाहता हूं कि पूरब को देखना सीखो, उजाला पूरब की ओर से भी होता है और तमिलनाडु में अगर कांग्रेस पहली बार अपने पैरों पर खड़ी हो कर चुनाव लड़ती है तो उसमें परिणाम का यदि एनेलेसिस किया जायेगा तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं भी वहां से हैं, आप खुद अंदाज लगाऐंगे कि यह घाटे का मामला नहीं है।

मैं एक निवेदन आपसे और करूंगा। सन् 1980 के बाद से मैं सारे सदन में आपके माध्यम से एक विशेष बात इस देश तक पहुंचाना चाहता हूं। गये कल के नवभारत टाइम्स (हिन्दी) का सम्पादकीय राजेन्द्र माथुर का लिखा हुआ यदि कोई पढ़कर देखे तो पहली बार एक बुद्धिवादी सम्पादक ने यह कहने की कोशिश की है कि सन् 1980 के बाद से इस देश की अर्थव्यवस्था में निरन्तर सुदृढ़ता आई है। सन् 1980 से पहले जो गिरावट थी, उन समूचे वर्षों को इन 10 वर्षों में, 9 वर्षों में सुदृढ़ता के साथ इस देश ने जिया है। आप किसी भी विभाग का, किसी भी

कारपोरेशन का, किसी भी भूमिका का सन् 1977 से 1980 का चार्ट उठाकर देख लीजिएगा, आप पायेंगे, उसमें गिरावट थी। सन् 1977 से 1980 के बीच में सब कुछ गिरावट थी। इन्दिरा गांधी की वापसी के बाद और राजीव गांधी के आगमन के पश्चात् इस देश में यह 10 साल, हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा दशक हमारे अर्थवेत्ताओं ने माना है, विश्व बैंक ने माना है, सबने माना है। उसके बावजूद भी हमारे मित्रों की नजर उन प्रश्नों पर नहीं पड़ती है तो मुझे थोड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन्हें कौन से स्कूल में हम लोगे भर्ती करवायें कि जहां जाकर यह भी ये सीख सकें। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, वह स्कूल तो प्रजातंत्र का मंदिर है, इसी स्कूल में सब देखना पड़ेगा। वे नामे की तरफ देखने की कोशिश करते हैं, जमा की तरफ देखने की कोशिश कब करेंगे? खाते में दोनों पक्ष होते हैं।

एक वाक्य और कहकर और आपको धन्यवाद देकर मैं बैठ जाऊंगा। आप लाख कहें, हजार बहाने कर लें, कितने ही उदाहरण दे दें लेकिन इतिहास और हमारा वर्तमान इस बात का गवाह है कि हमारे उद्योगों में निरन्तर सुधार हुआ है और उस का प्रमाण इस बजट में आपके सामने आया है। जब बजट पर और रेलवे बजट पर मुझे आप बोलने का अवसर देंगे तब मैं अलग से बात करूंगा लेकिन माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के इस भाषण पर हमें गर्व है, हमारी पीढ़ी को गर्व है, हमारे वर्तमान को गर्व है और मेरा निश्चित विश्वास है कि राजीव गांधी के नेतृत्व में जो कुछ यहां पर इस सरकार ने 4 सालों में किया है, इस साल कर रही है और अगले साल करने जा रही है, उस सब पर इतिहास को भी गर्व रहेगा, संतोष रहेगा और हम सब लोग सिर ऊंचा करके अपनी जनता से संवाद कर सकेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस अभिभाषण का समर्थन करता हूं और राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूं।

श्री विजय कुमार यादव (नालंदा): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि इतना बेजान अभिभाषण राष्ट्रपति जी का है। 1980 से मैं यहां पर हूं, उससे पहले की जानकारी मुझे नहीं है, शायद इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। और यही वजह है कि सत्ता पक्ष के लोगों के चार वर्षों का इतिहास, पूरा अभिभाषण में मालूम हो गया है जो कि एक वर्ष के कामों का लेखा-जोखा, आगे आंने वाले दिनों में सरकार की नीतियों का स्पष्टीकरण अभिभाषण में हुआ करता है।

अभिभाषण में एक बड़ा हिस्सा लिया गया है वैदेशिक नीतियों के बारे में लेकिन मुझे दुःख है कि हिन्दुस्तान को जिससे गहरा सरोकार अभी है, अफगानिस्तान के मामले में जो चर्चा इसमें की जानी चाहिए थी वह चर्चा नहीं की गई है। अफगानिस्तान के अन्दर जेनेवा समझौते के अन्तर्गत सोवियत फौजों की वापसी के बाद जिस तरह से फौजियों का जमाव वहां हो रहा है और जिस तरह से जेनेवा समझौते का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन पाकिस्तान और अमरीका की तरफ से किया जा रहा है और इससे जो वहां खतरा पैदा हुआ है, चूंकि इस क्षेत्र में हिन्दुस्तान एक बड़ा देश है और यह सही है अभी हमारे सम्बन्ध अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार से अच्छे हैं, मित्रता के सम्बन्ध हैं लेकिन वहां जिस तरह से कट्टरपंथियों की ओर से इस्लामिक राज्य की स्थापना की कोशिश हो रही है और इसके लिए पाकिस्तान और अमरीका की तरफ से जो मदद दी जा रही है, मैं समझता हूं उनका यह प्रयत्न हिन्दुस्तान के लिए खतरे की बात हो सकती है। इस बात का जिक्र अभिभाषण में होना चाहिए था लेकिन नहीं है। सरकार इस मामले में क्यों चुप है? सरकार कहती है कि हम लिखकर देते हैं, विरोध करते हैं लेकिन अफगानिस्तान में अमरीका की ओर से जेनेवा समझौते का उल्लघंन कर जो वहां षडयन्त्र किया जा रहा है उसका इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। सरकार की

ओर से भी यह बात नहीं कही गई है। इसका जिस तरह से विरोध किया जाना चाहिए था वह नहीं किया गया और मैं समझता हूं सरकार घुटने टेक रही है उन लोगों के सामने, दिलेरी और बहादुरी के साथ खुद अपनी रक्षा के लिए सामने नहीं आ रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जो राजनीतिक संकट है उस राजनीतिक संकट का कोई जिक्र राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं है। आज हो क्या रहा है? आपने राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात की चर्चा की है कि मौजूदा सरकार जनादेश के आधार पर पावर में आई है, हुकूमत में आई है—यह बात तो सही है, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं लेकिन पिछले पांच वर्षों में जो राजनीतिक तब्दीलियां आई हैं, जो सत्ता पक्ष के खिलाफ जाती हैं, उनका जिक्र राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं किया गया है। पिछले वर्षों में जो भी चुनाव हुए हैं उनमें सत्ता पक्ष की लगातार करारी हार हुई है। उसका जिक्र भी इसमें होना चाहिए था। पिछले चार वर्षों में जितनी बार मंत्रिमण्डल में आपने हेर फेर किया है वह जबसे देश आजाद हुआ और केन्द्रीय सरकार बनी किसी भी पार्लियामेंट में चार-पांच, वर्षों के अन्दर इतनी बार हेर-फेर नहीं किया गया होगा। पूरे देश में मुख्य मंत्रियों में भी इतने बड़े पैमाने पर आपने इन चार वर्षों में जो हेर-फेर किया है उसका भी कोई इतिहास नहीं मिलेगा। आप यहां से मुख्य मंत्रियों का नामिनेशन करते हैं और फिर जनतन्त्र की बात भी करते हैं। लेकिन यहां हो क्या रहा है? जो राज्य की ताकत है, जो एम एल एज़ की ताकत है उस ताकत को केन्द्र छीन करके यहां से अपने आदमी भेजता है और फिर आप चाहते हैं कि सोल्यूशन निकले। आज बिहार में क्या हालत हो रही है? वहां पर असैम्बली का सेशन बुलाया गया, फिर बीच में असैम्बली का सेशन बन्द हो गया और आज तलाश की जा रही है मुख्य मंत्री की लेकिन अभी तक मुख्य मंत्री नहीं मिल रहा है। आज बिहार का शासन और प्रशासन पूरी तरह से ठप्प है । आप वहां के एम एल एज़ को अधिकार नहीं दे रहे हैं। इसी प्रकार से हिन्दुस्तान के कई कांग्रेस-शासित राज्यों की हालत लगातार खराब होती जा रही है। आज जो राजनीतिक संकट पूरे देश में है उसका जिस तरीके से हल ढूंढना चाहिए आप वैसा हल न ढूंढ कर पूरी तरह से उस शक्ति को केन्द्र के मातहत रख करके उसका हल ढूंढना चाहते हैं यह कभी भी सम्भव नहीं हो सकता है इसका नतीजा क्या है? एक जमाना था जब हिन्दुस्तान में कांग्रेस की मोनोपोली थी- चाहे राज्य हों या केन्द्र हो- लेकिन आज एक एक करके सारे राज्य आपके हाथ से निकलते जा रहे हैं। हर राज्य में आपकी हालत बुरी होती जा रही है और गैर-कांग्रेसी पार्टियों की हुकूमतें बनती जा रही हैं। इस संकट को भी इसमें देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया। यह सही है जनादेश से आप यहां पर आए हैं लेकिन जनादेश अब बिल्कुल उलट गया है, आज देश की जनता चाहती है कि मौजूदा कांग्रेस की सरकार नये सिरे से चुनाव कराए। और नया जनादेश ले कर जो सरकार आवे, वही सरकार कल्याण कर सकती है लेकिन आप उस जनादेश की अवहेलना कर रहे हैं।

कांग्रेस की ओर से और सरकार की ओर से देश के अन्दर साम्प्रदायिकता की बात कही जाती है। देश के अन्दर विघटनकारी तत्व सिर उठा रहे हैं, इस बात की चर्चा की जाती है लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में, साम्प्रदायिकता का जहर जितने बड़े पैमाने पर देश में फैल रहा है और देश की एकता और अखण्डता को आज जितना जबरदस्त खतरा पैदा हो रहा है साम्प्रदायिकता से, उस के हिसाब से जिक्र नहीं किया गया है। एकाध शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अभी कुंभ के मेले में, आप को सुन कर ताज्जुब होगा एक निर्णय जो लिया गया, वह इतना खतरनाक है कि वह देश को खून में डबोने वाला निर्णय है। वह निर्णय

यह है कि हिन्दुस्तान के तमाम गांवों से एक एक ईंट लाई जाएगी और पूजा कर के उस को पवित्र किया जाएगा और वे सारी ईंटें अयोध्या लाई जाएंगीं और वहां पर राम जन्म भूमि पर मंदिर का निर्माण होगा। इस तरह से पूरे देश के अन्दर साम्प्रदायिकता की आग को, उसकी ज्वाला को भड़काने की बात की जा रही है और यह काम उस समय किया जाएगा जब चुनाव का समय नजदीक होगा। देश के अन्दर साम्प्रदायिक तत्व चाहे वे हिन्दू तत्व हों या मुस्लिम तत्व हों, दोनों तरफ के लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि देश में किसी तरह से साम्प्रदायिकता की आग को जलाया जाए और यह जो इतनी भयंकर स्थिति पैदा हो रही है, उस स्थिति का जिक्र राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिस तरह से किया जाना चाहिए था, उस तरह से नहीं किया गया।

सूखे की चर्चा बहुत की जाती है और यह कहा जाता है कि हमारा जो आर्थिक नियमन है, हमने जो व्यवस्था की है, उस की वजह से सूखे पर कामयाबी हासिल करने में मदद मिली है। उपाध्यक्ष महोदय, आप को याद होगा कि जब सूखा पड़ा था और जब सूखा पड़ता है, तो उस समय सरकार कहती है कि मैं क्या करूं प्रकृति ने हमको धोखा दिया है, प्रकृति ने हमारा साथ नहीं दिया है। सूखे ने इस बात को साबित कर दिया है कि 40 वर्षों के कांग्रेसी राज में सरकार सिंचाई के मामले में पूरी तरह से असफल हुई है और आज इसके लिये कितना ढोल पीटा जा रहा है। यदि एक साल सूखा पड़ने के बाद दूसरे साल भी सूखा पड़ जाता, तो क्या हालत होती। आप की जो आर्थिक व्यवस्था है, वह लड़खड़ा जाती । आप इस बात को नहीं मानते कि सिंचाई के मामले में जो व्यवस्था की जानी चाहिए थी, वह व्यवस्था आप नहीं कर पाए और आज भी हिन्दुस्तान की कृषि वर्षा पर निर्भर करती है, प्रकृति पर निर्भर करती है। आज भी आप उस की उपेक्षा कर रहे हैं। किसाम एक ही मांग करता है कि हमको पानी दो और आप उस को पानी नहीं दे रहे हैं। प्रकृति का उपकार हो जाए और वर्षा हो जाए, तो फ़सल अच्छी हो जाती है वरना नहीं।

इस सिलसिले में दूसरी बात कहना चाहता हूं। पंचायत राज के बारे में बहुत लम्बी-चौड़ी बातें कही गई हैं और प्रधान मंत्री जी ने भी इस बात की घोषणा की है और राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इस बात की चर्चा की है। एक बात समझ में नहीं आती है। सरकारिया कमीशन ने रिपोर्ट दी कि राज्यों को ज्यादा अधिकार दिये जांए। आप उन को अधिकार नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम पंचायतों को अधिकार देंगे। आप ने कलक्टरों की मीटिंग की। हिन्दुस्तान की आजादी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने कलक्टरों की मीटिंग बुलाई हो, मुखियाओं की मीटिंग बुलाई हो। देखने में यह लगता है कि प्रधान मंत्री के साथ संबंध कलक्टरों का हो रहा है, जिलों का हो रहा है, मुखिया का हो रहा है और पंचायतों का हो रहा है। यह बात तब हो रही है जब पूरा देश आप के खिलाफ उठ रहा है और आप पर से लोगों का विश्वास उठ रहा है। आप कलक्टरों को अगले चुनावों को देखते हुए साथ ले रहे हैं लोगों पर असर डालने के लिए। जब आप राज्यों के अधिकार छीन रहे हैं, तो आप पंचायतों और मुखिया को कैसे अधिकार देंगे, यह बात समझ में नहीं आती है।

एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। यह किसानों का सवाल है और खेत मजदूरों का सवाल है। 40 वर्षों की हुकूमत में अभी भी फायदा बड़े बड़े पूंजीपतियों को और बड़े बड़े साहूकारों को हो रहा है और जो अन्नदाता है, जो देश के लोगों को खिलाता है, उस की हालत बुरी है। सिंचाई के अलावा किसान चाहता है कि उस को उसकी पैदावार का लाभकर मूल्य दिया जाए। अगर आप उस की इस बात को नहीं मानेंगे तो निश्चित तौर पर अगले चुनाव में वह आप को पराजित करेगा।

आज खेत मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी पूरे देश के अन्दर एक समान नहीं है। हिन्दुस्तान में करीब-करीब चालीस लाख से ज्यादा बीड़ी मजदूर हैं, बहुत सारे असंगठित हैं, उनको आप समान मजदूरी नहीं दे पाते, न्यूनतम मजदूरी नहीं दे पाते। कहीं 10 रुपये मिलती है तो कहीं पर 11 रुपये मिलती है, लेकिन खेत मजदूरों को तो 11 रुपये भी नहीं मिल पाती है। हमारे बिहार में यही हाल है। इनके लिए आप केन्द्रीय कानून बनाइये।

मैं आखिर में एक बात और कहना चाहता हूं। बेरोजगारी दूर करने का नारा दिया गया है। यह बहुत अच्छी बात है। पहले गरीबी दूर करने का नारा दिया गया था, गरीबी दूर नहीं हुई तो अब बेकारी दूर करने की बात करते हैं। सेंट्रल इंटरप्राईजेज में केन्द्र सरकार के माध्यम से चाहे वह पब्लिक सेक्टर हो या सरकारी विभाग हों, नौकरी देने का यह सबसे बड़ा जरिया है केन्द्र सरकार के पास। लेकिन आपने नौकरियों पर आजकल प्रतिबन्ध लगा रखा है, वह अभी तक नहीं उठाया है तो आप कैसे नौकरी देंगे। एक लाख सत्तर हजार कारखाने बन्द पड़े हैं आप उनको नहीं खोलेंगे तो लोगों को काम कैसे देंगे। आज बड़े पैमाने पर आप कम्प्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, कम्प्यूटर्स के इस्तेमाल करने से बेरोजगारी बढ़ेगी, कुछ उद्योगों में इसका उपयोग सही हो सकता है, लेकिन सभी जगह इसको लागू कर दिया तो बेरोजगारी बढ़ेगी। भूमि-सुधार एक बहुत बड़ा जरिया है लोगों को रोजी-रोटी देने का, लेकिन आपने भूमि-सुधार कानून को तिलांजलि दे दी है। जब तक इन कामों को आप नहीं करेंगे बेकारी दूर नहीं होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत असमर्थ हूं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने में, क्योंकि वह भाषण राष्ट्र के और उसकी नीतियों के अनुकूल न होकर सत्ताधारी दल और चुनावों को ध्यान में रखकर दिया गया है।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक): उपाध्यक्ष महोदय, श्री गाडगिल जी ने राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव सदन में रखा है उसका मैं अनुमोदन करता हूं। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूं सरकार को और राजीव गांधी जी को जिन्होंने इस देश में सभी धर्मों को मिलाकर, सभी धर्मों के लोगों को एक साथ एक रास्ते पर ले जाने की कोशिश की। देश के सभी लोगों को एक ही रास्ते पर ले जाने का नारा कांग्रेस के नेताओं ने ही दिया है, धर्मनिरपेक्षता का नारा भी कांग्रेस के नेताओं ने दिया है और सब लोग सभी धर्मों को समान रूप से मान सकते हैं इस सोच को बढ़ावा दिया। सब को यह अहसास कराया कि वह इस देश के नागरिक हैं और देश की उन्नति में उनका हिस्सा है। अगर हम अपने देश में सब लोगों को तरक्की के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं तो सब को साथ लेकर चलना होगा तभी हम अपने देश को मजबूत कर सकते हैं, यह सोच भी कांग्रेस की देन है और उसके नेताओं की देन है। मैं यह खुलकर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के शासनकाल में चाहे पण्डित नेहरूजी का शासन रहा हो, चाहे इन्दिरा गांधी जी का रहा हो, चाहे शास्त्री जी का रहा हो या चाहे आज राजीव का हो इनके शासनकाल में हमने यह कोशिश की कि हम अपनी नीतियों पर अटल रहें और आपस के किसी भी टकराव में किसी का साथ न दें। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे लोग हमारे इस काम में रोड़े अटका रहे हैं और उन्होंने कोशिश की है लोगों को भड़काने की और यह अहसास दिलाने की कि तुम हिन्दू हो, मुसलमान हो, सिख हो या इसाई हो। उन्होंने कोशिश की कि हम तभी कामयाब हो सकते हैं जब हम लोगों के बीच दीवार खड़ी कर देंगे, नफरत पैदा कर देंगे उनके दिलों में एक दूसरे के प्रति जिससे वे लोग भड़कें, लड़ें और एक दूसरे के बदन से खून निकले और लोगों की सारी भावनायें टूट जायें। लोगों के दिलों में जो भाईचारे की भावना है वह खत्म हो जाये, हिन्दुस्तान

में ऐसी बातें करने की कोशिशें इन लोगों ने कीं और फूट डालने की कोशिश की। मैं ज्यादा मिसाल नहीं देना चाहता उनके काले-कारनामों की जिन्होंने लोगों को आपस में भड़काने में कोई कसर नहीं रखी। वे पंजाब में गये तो वहां सिखों को भड़काने की कोशिश की, मुसलमानों के बीच जाते हैं तो उनकी बात करते हैं और इमाम साहब के पैरों पर सिर देकर बैठ जाते हैं और उनकी बात करते हैं। इससे ज्यादा गिरावट की बात और क्या हो सकती है कि एक राजनीतिक पार्टी के नेता ने यहां तक कहा कि हमें यह कहने में कोई हरज नहीं है कि हम हिन्दू हैं....

क्या इससे दुखपूर्ण दूसरी कोई बात हो सकती है। आज के हिन्दुस्तान में सब लोग समान रूप से एक साथ रह रहे हैं। हम उनके बीच भाई चारा कायम रखना चाहते हैं लेकिन इस देश के कुछ लोग चन्द वोटों के लिये एक भाई को दूसरे भाई से लड़वाना चाहते हैं, उनमें फूट डालना चाहते हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार अपनी नीति पर अटल रहेगी, लोगों के बीच भाईचारा बनाए रखेगी ताकि हम अपने देश को इन लोगों की किसी चाल में न आने दें, लोगों को इनके षडयंत्र में न फंसने दें, खाई में न गिरने दें। हमें अपने देश को मजबूत बनाये रखना है। मैं सरकार को धन्दवाद देना चाहता हूं कि उसकी नीतियां गरीबों के घर तक जाती हैं, गरीबों की थाली तक जाती हैं, गरीबों की छत तक जाती हैं। हमने बराबर अपने कार्यक्रमों को गरीबों के साथ जोड़ कर चालू किया। सरकार ने जो भी नीति बनायी, यही सोचकर बनायी कि इस देश से गरीबी कैसे दूर हो सकती है, किन कार्यक्रम्मों से बेरोजगार नौजवानों को काम मिल सकता है और किन कार्यक्रमों से रोजगार अधिक उपलब्ध हो सकता है। हमारी नीति हर घर में रोटी पहुंचाने की है। सरकार की ओर से जब रोटी-कपड़ा और मकान का नारा दिया गया था तो यही सोच कर दिया था कि हम किसी तरह से गरीबों से अलग न हो जायें। कांग्रेस पार्टी हमेशा से गरीबों के हक में काम करती आयी है, चाहे पण्डित जवाहर लाल नेहरू का समय हो, इन्दिरा गांधी जी का समय हो। इन्दिरा जी ने सभी गरीब लोगों को साथ लेकर गरीबी हटाओ का नारा दिया था। सारा देश उनके पीछे था। जब हमारे विरोधी भाई नारा लगाते थेः इन्दिरा हटाओः तो हमारी नेता कहती थीः गरीबी हटाओ। हमने हमेशा इस देश से गरीबी मिटाने की कोशिश की। हमने लोगों की भलाई के लिए कार्यक्रम बनायें, जो सड़कों पर बैठते हैं, जो झुग्गी-झोंपड़ियों में रहते हैं, जो स्लम्स में रहते हैं या जो पटरी पर बैठ कर सामान बेचते हैं। इस देश का हर गरीब आज कांग्रेस की तरफ देख रहा है, सरकार की तरफ देख रहा है। राजीव गांधी जी ने उनके हित में नीतियां बनाने में कोई कमी नहीं की। उनकी हमेशा कोशिश रही कि इस देश में फैली गरीबी दूर हो और हमारे सारे कार्यक्रम गरीबी हटाने वाले हों, जिसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। आजादी के इतने सालों बाद राजीव गांधी ने पहली बार इस देश के कलाकारों की ओर देखा जो इस देश की संस्कृति से जुड़े हुए हैं, हमारी परम्पराओं से जुड़े हुए हैं और देश के कोने कोने में फैल कर जिन्होंने इस देश की पुरातन संस्कृति को जीवित रखा, परम्पराओं को बनाये रखा। राजीव जी ने अपना उत्सव के माध्यम से उन सब को एक मंच पर इकट्ठा किया चाहे अपना उत्सव दिल्ली में मनाया गया, बम्बई में मनाया गया या विदेशों में मनाया गया। सभी कलाकारों को एक राष्ट्रीय मंच पर आने का मौका दिया। उन कलाकारों ने कभी हड़ताल नहीं की, कोई मांग नहीं की और कभी किसी चीज़ से परेशान नहीं हुए। हमेशा उनके होठों पर मुस्कान बनी रही। वे भूखे पेट रहकर भी सभ्यता से जुड़े रहे। चाहे उनकी भाषाएं अलग थीं, प्रान्त अलग थे, राजीव जी ने उन्हें राष्ट्रीय मंच पर लाकर एक नई दिशा दी, नई सभ्यता दी, उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा किया। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 18 साल की उम्र में वोट देने का अधिकार प्रदान करके नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका

दिया। अब नौजवान इस देश के बारे में सोच सकता है, कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकता है, जो इस देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने वाले हैं, उनमें अपनी पुरजोर ताकत लगा सकेगा। आज का नौजवान बच्चा नहीं है। अट्ठारह वर्ष का नौजवान समझता है कि उसे कौन सा रास्ता अपनाना है, दुनिया में कौन सा रास्ता विकास की नई ऊंचाईयों पर ले जाने वाला है, देश को किस रास्ते पर ले जाना है, किस रास्ते से देश मजबूत हो सकता है। मैं राजीव गांधी जी को मुबारक देना चाहता हूं कि उन्होंने हिन्दुस्तान के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा, नौजवानों को देश की मुख्यधारा से जोड़ा ताकि वे भी देश के लिए सोच सकें।

मैं सरकार को और राजीव जी को नई शिक्षा नीति के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं जिसके माध्यम से, नई विचारधारा के साथ हम इस देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस देश में रहने वाला कोई बच्चा निरक्षर नहीं रहेगा और उसे शिक्षा के माध्यम से नई ऊंचाईयों तक ले जाया जा सकेगा।

आज के इस मौके पर, क्योंकि मैं दिल्ली वाला हूं, इसलिए दिल्ली की बात जरूर करूंगा। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं प्रधान मंत्री महोदय और सरकार को कि उन्होंने नैशनल कैपीटल प्लानिंग बोर्ड बनाकर दिल्ली में बढ़ती हुए यातायात और बढ़ती हुई आबादी को चारों तरफ फैलाने के लिए एक नैशनल कैपीटल रीजन की स्थापना की। आप जानते हैं कि दिल्ली की हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। दिल्ली एक छोटे हिन्दुस्तान की तरह है जहां सब तरफ से लोग रोजगार के लिए यहां आते हैं। झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए काम किया है, दिल्ली को खूबसूरत बनाने के लिए काम किया गया है, दिल्ली में सहूलियत देने के लिए नैशनल कैपीटल रीजन की स्थापना की गई है। यहां सन् 2000 तक 4 करोड़ की आबादी हो जाएगी। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जो राशि सरकार ने रखी है, उसको और बढ़ाया जाए क्योंकि बिना राशि के बढ़ाए काम नहीं हो सकता है। मैं आशा करता हूं कि प्रधान मंत्री जी इस ओर ज्यादा ध्यान देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया और मैं आशा करता हूं कि सब लोग इस देश की सोंच के साथ चलेंगे। कमजोर कदमों से चलने वाले लोग कभी तरक्की के रास्ते पर नहीं पहुंच सकते हैं। तरक्की के रास्ते पर वे ही ले जा सकते हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां की हैं।

श्री तेजा सिंह दर्दी (भटिंडा): उपाध्यक्ष महोदय, हम बैठे हुए हैं और हाउस चल रहा है, लेकिन हाउस में कोरम ही नहीं है........

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कोरम के लिए घंटी बजाई जाये। अब कोरम है। श्री पीयूष तिरकी.....

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ बातों को छोड़कर मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। केन्द्र सरकार के पास न तो सच्चाई को देखने के लिए आंखें हैं न सुनने के लिए कान और न बोलने के लिए जबान। यहाँ पर प्रस्तुत संकल्पों में भारत में हो रही घटनाओं का उल्लेख नहीं किया गया है। सर्वप्रथम, मैं सरकार का ध्यान पाकिस्तान की प्रधानमंत्री श्रीमती बेनजीर भुट्टो के कथन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सियाचिन ग्लेशियर पर भारत द्वारा जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है और उन्होंने शिमला समझौते का उल्लंघन किया है। सरकार और राष्ट्रपति जी ने श्रीमती भुट्टो के इस वक्तव्य पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है।

लोग बंगलादेश से शरणार्थियों की तरह अभी भी आ रहे है। पूर्वी क्षेत्र बहुत समस्याप्रधान क्षेत्र है। बंगलादेश से लगातार लोगों के आने के कारण पूर्वी क्षेत्र के क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था अस्तव्यस्त हो गई है और इस बारे में जिक्र नहीं किया है। जो लोग बंगलादेश से आ रहे है उनको पुनः बसाने के लिए कोई योजना नहीं है। यह अभी भी संदेहजनक है पूर्वी क्षेत्र में लोग विदेशी राष्ट्रिक हैं या भारतीय।

अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि हमारी अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक धन खतरनाक स्थिति में है। हमारा देश विश्व में सबसे गरीब देश है। भारत को अभी भी विश्व के गरीब देशों में गिना जाता है।

अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि हमारे देश में ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार् व्याप्त है। उच्च पदों पर भी भ्रष्टाचार है। लोग इस बात से परेशान हैं सरकार और सत्ता प्राप्त लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। जबकि गरीबों को रोजी रोटी के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है।

रुग्ण उद्योगों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। हम देश विदेश से धन प्राप्त करके और अधिक उद्योग लगाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन जो उद्योग अभी तक हमारे पास है वह रुग्ण है और बेरोजगारी बढ़ रही है लोग यह नहीं जानते कि वे भविष्य में क्या करेंगे।

मैं साम्प्रदायिक दंगो के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा। हम यही सोचते थे कि स्वतन्त्रता के दौरान जब पाकिस्तान हिन्दुस्तान विभाजन हुआ था साम्प्रदायिक दंगे केवल तभी हुए थे। लेकिन स्वतन्त्रता के 40 वर्षों के पश्चात भी साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं और बिना वजह लोगों को मारा जा रहा है और सरकार इस समस्या से निपटने के लिए गम्भीरता से विचार नहीं कर रही है।

हमने भूमि सुधार के बारे में काफी कुछ बोला है । लेकिन हम देख सकते है कि यहाँ तक कि कांग्रेस (आई) द्वारा शासित राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि, में भी भूमि सुधार कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया है और अभी भी बड़े जमींदारों और पूंजीपतियों के पास काफी भूमि है । सरकार को नीति परक मामले पर विचार करना चाहिए और सभी राज्यों में चाहे वह कांग्रेस (आई) शासित राज्य हो या वामपंथी शासित राज्य हो सभी राज्यों में भूमि सुधार किया जाना चाहिए।

समूचे भारत में उथल-पुथल है। आदिवासी लोग अशान्त हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया कि बोडो आदिवासियों को केवल इसलिए निर्दयता से मारा जा रहा है कि वे लोग अपने अधिकारों के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए आन्दोलन कर रहे हैं। इसी तरह अन्य स्थानों जैसे छोटा नागपुर क्षेत्र आदिवासी अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं । हमें समझना चाहिए कि आदिवासी दया नहीं चाहते, वे इस देश के स्वतंत्र नागरिक के रूप में अपने अधिकार चाहते हैं । उनकी अपनी संस्कृति, भाषाएँ और परम्पराएँ हैं उनकी रक्षा की जानी चाहिए । सरकार की नीति यह है कि उनकी भाषा, संस्कृति, जीवन को संरक्षण दिया जाना चाहिए लेकिन राष्ट्रपति अभिभाषण में इन बातों का जिक्र नहीं किया गया है। उसके लिए मुझे दुःख है ।

स्वतन्त्रता के पश्चात् आदिवासियों की सभी आशाएं समाप्त हो गई हैं। आसाम में जिन 50 लाख आदिवासियों ने आसाम के विकास के लिए कार्य किया उन्हें आदिवासियों के रूप में पहचान नहीं दी गई । उन्हें सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से वंचित रखा गया । इस बात पर यथाशीघ्र ध्यान दिया जाना चाहिए।

मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि अगर ये कदम शीघ्र न उठाये गये और अगर सरकार का यह विश्वास है कि पुलिस कार्यवाही या पुलिस अत्याचारों से इस आन्दोलन को समाप्त किया जा सकता है तो यह सरकार का सोचना गलत है। वे लोग स्वाभिमानी लोग हैं महाजनों, ठेकेदारों तथा अन्य लोगों द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है । आदिवासी सोच रहे थे कि केन्द्र सरकार देखेगी कि उनके हित सुरक्षित हैं और वे भारत के अन्य नागरिकों की तरह मुख्य धारा में आयेंगे लेकिन दुर्भाग्य से, ऐसा नहीं हुआ है ।

आर्थिक मुद्दे पर बोलते हुए दो वर्ष पूर्व इन बंद इकाइयों को, जिनमें करदाताओं की खून पसीने की कमाई के 60 हजार करोड़ डूब गए, 117 करोड़ रुपये की हानि हुई है। वास्तव में नुकसान इससे कहीं अधिक अर्थात् लगभग 2000 करोड़ रुपये है। सरकार द्वारा कर इकट्ठा करने का क्या फायदा है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम प्रति वर्ष घाटे में चल रहे हैं। सार्वजनिक धन की हानि हो रही है।

इसके अलावा, सातवीं योजना के पहले चार वर्षों के दौरान सार्वजनिक ऋण 75174 करोड़ रुपये से बढ़कर 139944 करोड़ रुपये हो गया है जो कि 86 प्रतिशत अधिक है। यह सरकार की असफलता है।

मार्च 1987 के अंत तक सरकार की कुल देयता सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 64.3 प्रतिशत थी और कुल देयताएं 1665.46 करोड़ रुपये की थी लेकिन यह पता चला है कि देयताएं मार्च 1989 के अन्त तक लगभग 225000 करोड़ हो सकती है। यह सरकार की स्थिति है।

जब ऐसी स्थिति में भी सरकार ने भारत महोत्सव, नेहरू शताब्दी दौड़ जैसे आयोजनों में करोड़ों रुपया खर्च किया है और अब भी कर रही है। हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है। मेरे विचार से सरकार को इन बातों से कोई फायदा होने वाला नहीं है। सरकार को भारत के लोगों की स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में अवश्य सोचना चाहिए और इनमें सुधार किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल): डिप्टी स्पीकर साहब, फारसी में कहते हैं वक्त होता कितना सुन्दर है। राष्ट्रपति के एड्रैस पर कई दिनों से चर्चा चल रही है और इत्तफाक की बात है कि हर बार मुझे आखिर में बोलने का मौका मिलता है क्योंकि समय का अभाव रहता है।

मैं अभी हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्यों के विचार सुन रहा था। एक माननीय सदस्य ने खास तौर पर सूखे के बाबत जिक्र किया। इस बात का दुख है कि सरकार कुछ अच्छा काम करती है, सराहनीय काम करती है तो उसके लिए भी दो शब्द कहने के लिए वह तैयार नहीं है। क्या यह सच नहीं है कि पिछले 100 साल में जितना भयानक सूखा पिछले साल 1987-88 में हमारे देश में पड़ा, उसकी मिसाल नहीं मिलती। तीन चार प्रान्तों में तो लगातार 4-5 साल से लोग सूखे का शिकार होते चले जा रहे हैं जैसे राजस्थान, गुजरात। इसके बावजूद काबिले तारीफ चीज यह है कि इतना सूखा पड़ने के बावजूद देश के अन्दर एक आदमी भी भूख से नहीं मरा। चटर्जी साहब यहां तशरीफ फरमां रहे हैं, बंगाल के रहने वाले हैं, वह जानते हैं कि 1943 में 35 लाख आदमी मौत के शिकार हुए थे जब ब्रितानवी साम्राज्य यहां दनदना रहा था, उनके सीने में कोई हमदर्दी नहीं थी लेकिन आज राजीव गांधी की सरकार का यह दावा है, यह कहना है कि अगर हिन्दुस्तान में एक भी आदमी भूख का शिकार होकर मरता है तो वह हमारे माथे पर कलंक है। क्या यह सच नहीं है कि हिन्दुस्तान के किसी कोने में.......

श्री पीयूष तिरकी: उड़ीसा में कालाहांडी में मरे हैं।

श्री चिरंजी लाल शर्मा: भूख से नहीं मरा, अन्न की कमी से नहीं मरा, चारे की कमी से मवेशी नहीं मरा । हमारे प्रधान मंत्री ने खुद बहुत से प्रान्तों का दौरा करके लोगों को रिलीफ दी है और इसके बावजूद हमारे फाज़िल दोस्त यह कहते हैं कि सूखे की तरफ ध्यान नहीं दिया गया । कितनी रिलीफ सारे प्रान्तों को दी गई करोड़ों रुपये का स्पेशल प्रोवीजन किया गया, खास तवज्जह दी गई वरना जितना सूखा पड़ा था, सिवा दो तीन प्रान्तों के बारिश बूंद का निशान नहीं था लेकिन हिन्दुस्तान की केन्द्रीय सरकार ने दिलचस्पी लेकर इस तरफ खास तवज्जह दी और देश को इन भयानक हालात से मुकाबला करने की शक्ति दी लेकिन हुआ यह कि आसमान से लटके, खजूर में अटके, कुछ फ्लड्स आये । मैं अपने हरियाणा की बात कह सकता हूं कि फ्लड्स में क्या हुआ, पंजाब की बात कह सकता हूं, गांवों के गांव फ्लड्स में बह गये । मेरे इलाके में एक पीरबड़ौली गांव था, यमुना के किनारे पर, वहां इतने जोर का फ्लड आया कि उसका नामोनिशान मिट गया । पंजाब में तबाही आई । केन्द्रीय सरकार ने 38 करोड़ रुपया हरियाणा के ड्राउट का दिया, 53 करोड़ रुपया फ्लड रिलीफ का दिया और प्रधान मंत्री जी ने खुद फ्लड अफैक्टेड एरियाज का मुआयना किया, लोगों से मिले और हरियाणा के मुख्य मंत्री चौधरी देवी लाल का एक बयान है कि प्रधान मंत्री ने और केन्द्रीय सरकार ने जो रिलीफ दिया है, हम उससे संतुष्ट हैं । आज हमारे दोस्त कहते हैं कि कुछ नहीं किया।

3.00 म० प०

श्री सोमनाथ चटर्जी: जो किया गड़बड़ किया ।

श्री चिरंजी लाल शर्मा: अगर अच्छे काम की तारीफ गड़बड़ है तो गड़बड़ से मैं कोई नफरत नहीं करता हूं चटर्जी साहब , हकीकत को हकीकत कहना और सच्चाई को सच्चाई कहना जुर्म नहीं है [अनुवाद] सच तो सच है और सच का सामना ईमानदारी से करना चाहिए ।

[हिन्दी]

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य, उचित कीमत नहीं मिलती है । अगर किसान को यह सपोर्ट प्राइस न दी जाए, चाहे गेहूं की हो, पैडी की हो, बाजरे की हो या ज्वार की हो या मक्के की हो तो किसान का अनाज मण्डियों मे सड़ता रहे। सरकार किसान को सपोर्ट प्राइस देकर उसकी मदद करती है, उसको हर प्रकार की सहूलियतें देती है। जिस ज़मीन में पहले तीन मन फी बीघे अनाज पैदा होता था आज दस मन फी बीघे पैदा हो रहा है । सरकार ने पानी का इंतज़ाम किया, फर्टिलाइजर दिया, ट्यूबवेल लगाए । परिश्रम और मेहनत किसान की और साधन जुटाए केन्द्रीय सरकार ने । सरकार ने किसानों की इतनी मदद की है उसके बावजूद भी यह कहा जाए कि कुछ नहीं किया तो अफसोस होता है । इस सिलसिले मे मै कहना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर मे जो देश ने तरक्की की है आजादी के बाद वह अपने आप में मुंह बोलती हुई तस्वीर है ।

कृषि के लिए पानी की जरूरत है, पानी के साधन सरकार ने जुटाए लेकिन इस सिलसिले में मैं आपके जरिए हुकूमत को तवज्जह दिलाना चाहूंगा कि एस वाई एल कैनाल (सतलुज यमुना लिंक कैनाल) जोकि हरियाणा को पानी देगी उसको जानबूझ कर लटकाया जा रहा है। उसका आधा हिस्सा, तकरीबन 106 किलोमीटर लम्बाई तक हरियाणा सरकार ने 80-85 करोड़ रुपया लगाकर

केन्द्रीय मन्त्री महोदय यहां पर विराजमान हैं श्री शंकरानन्द जी वे ध्यान दें—उस वक्त 10-12 साल पहले बनाकर पूरा कर दिया था और 109 किलोमीटर के करीब हिस्सा जो पंजाब से गुजर कर जाना है वह अभी भी इतने सालों से लटका हुआ है । कन्द्रीय सरकार ने मेहरबानी करके इस खर्चे को खुद बरदाश्त करने का निर्णय लिया, इसके लिए हम बहुत आभारी है प्रधान मन्त्री जी के लेकिन मै यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि उसके एग्जीक्यूशन, उसकी तकसील का काम, उसे बनाने के काम पंजाब सरकार के हाथ मे है और वह नहीं चाहती कि यह नहर जल्दी से जल्दी बनाई जाये । पंजाब मे नहर के न बनने की बजह से हमारा बनाया हुआ आधा हिस्सा जो दस साल पहले ही पूरा हो चुका था वह आज जाया हो रहा है और यह हरियाणा के किसानों के इर्रिपेबल लास हो रहा है । तो मैं माननीय मन्त्री जी से खास तौर पर प्रार्थना करूंगा कि एस वाइ एल कैनाल को जल्दी से जल्दी पूरा कराने के लिए कार्यवाही की जाए । हमने पहले भी यहां कहा है, प्रधान मन्त्री जी से भी मिलकर कहा है, इस सदन मे कहा है कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट इसके एग्जीक्यूशन का काम अपने हाथ मे लेकर जल्दी से जल्दी उस नहर को पूरा कराए। ताकि हमारे हिस्से का पानी हमे मिल सके ।

इण्डस्ट्रियल डिवलपमेन्ट के बारे मे यहां कहा गया कि कुछ नहीं हुआ, कोई तरक्की नहीं हुई। इसके बारे मे मैं कहना चाहता हूं कि गुजिश्ता 40 सालों मे कांग्रेस के शासन काल मे उद्योग-धंधो मे जितनी तरक्की हुई है उसकी वजह से ही आज हम दुनिया मे दसवे नम्बर पर हैं इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट के मामले मे और इस बात पर हमे बड़ा गर्व है । लेकिन इसी सिलसिले मैं मैं केन्द्रीय सरकार की तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि 30 मार्च 1987 को माननीय प्रधान मन्त्री जी ने मेरे हलके करनाल मे करनाल रिफायनरी की आधार-शिला अपने कर कमलों द्वारा रखी थी । वह 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट है । डिप्टी स्पीकर साहब, उस पर काम अभी तक पूरे माने में शुरू नहीं हुआ है और लोग हम पर फिकरे कसते हैं । जिस प्रोजेक्ट की आधारशिला देश के प्रधान मंत्री ने रखी हो, उस को गैर-जरूरी तौर पर तवालत में डाला जाए और उस में ढील की जाए, इस से लोगों की नजरों मे हम मजाक के मौजूं बनते हैं।

एक बात और कहना चाहता हूं । नवयुवकों के लिए, नौजवानों के लिए वोट देने की उम्र 20 साल से 18 साल जो की है, उस से बड़ा जबरदस्त परिवर्तन आने वाला है और नौजवानों के लिए यह इन्किलाब है । उनके लिए यह मुतबर्रिक चीज है । उन में उल्लास है और वे मेनस्ट्रीम में आना चाहते हैं।

3.06 म०प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

मै समझता हूं कि कांग्रेस सरकार की हिन्दुस्तान के नौजवानों के लिए यह सबसे बड़ी देन है। इस सिलसिले में एक चीज़ जरूर कहना चाहूंगा। आजकल आने वाले इलैक्शन्स के लिए वोटर्स लिस्ट्स तैयार की जा रही हैं और उन वोटर्स लिस्ट्स में 14, 15 और 16 साल के लड़के-लड़कियों की उम्र 18 साल लिखकर उन को राय दहन्दगी का हक दिया जा रहा है। यह एक भयानक चीज है,एक खतरनाक चीज है। जो म्यूनिसिपल मशीनरी है या रेवेन्यू एजेन्सी है, चाहे वह पटवारी हो देहातों में या शहर के आफिशियल्स हों, उन पर अंकुश लगाया जाए और अगर किसी ने जानबूझ कर गलत तौर पर 14, 15, 16, साल के लड़के लड़कियों की उम्र 18 साल लिख कर उन को वोट देने का हकदार बना दिया हो, उन के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए और ऐसे कर्मचारियों और पदाधिकारियों को माफ न किया जाए और वे सजा मुस्तजिब हों।

यह एक खतरनाक चीज है । केन्द्रीय सरकार ने, राजीव गांधी जी की सरकार ने नवयुवकों के जज्बात का अहतराम करते हुए, उन को वोट देने का फैसला किया है और इस से करीब पौने पांच करोड़ लड़के-लड़कियां वोट देने के हकदार हो जाएंगे। इस सिलसिले में अगर आफिशियल मशीनरी कोई गलत रास्ता अख्तियार करती है, तो उस को जरूर चैक करना चाहिए।

देश के अन्दर पहले कितना असंतोष था जगह जगह। मिजोरम के क्या हालात थे, नागालैंड के या हालात थे और असम और त्रिपुरा के क्या हालात थे, ये सभी जानते हैं और इस चीज से कोई इंकार नहीं कर सकता कि आज वहां पर डेमोक्रेटीकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं और वहां पर शांति है, पीस है और पंजाब के जो हालात हैं, मैं समझता हूं कि उन हालात में भी बड़ा जबरदस्त सुधार दिन ब दिन होता जा रहा है और यह देन केन्द्रीय सरकार की है । इस के लिए लोंगोवाल-राजीव पैक्ट किया गया और इस पैक्ट के बाद पंजाब के अन्दर इतना जबरदस्त परिवर्तन आया है इतनी जबरदस्त तब्दीली आई है कि लोग आतंकवाद के खिलाफ उठ खड़े है। जहां पहले हिम्मत नहीं होती थी उग्रवाद के खिलाफ जबान खोलने की, लवकुशाही करने की, वहां अब लोग इस से लड़ने के लिए मैदान में आने लगे हैं और आज पंजाब का सिख, पंजाब का हिन्दू उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए न सिर्फ जबान खोलता है बल्कि मैदान मे आ कर मुकाबला भी करता है। यह सब लोंगोवाल-राजीव पैक्ट का अच्छा असर है।

चेयरमैन साहब, आप घंटी बजा रहे हैं और यह अच्छा नहीं लगता कि मैं उस को फलाउट करूं क्योंकि कई बार घंटी बज चुकी है । उस का एहतराम करते हुए, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं और जब और मौका आएगा, तो अपनी और बातें कहूंगा।

इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति जी ने जो एड्रेस पेश किया है, उस को सपोर्ट करता हूं।

[अनुवाद]

श्री चरनजीत सिंह वालिया (पटियाला) : महोदय, सभा राष्ट्रपति द्वारा ससंद को दिए गए अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कर रही है। मै इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता हूं।

राष्ट्रपति महोदय ने देश मे विद्यमान स्थिति की एक बहुत अच्छी लेकिन अवास्तविक और काल्पनिक तस्वीर पेश की है। देश मे सभी क्षेत्रो मे स्थिति खराब है लेकिन राष्ट्रपति राजनैतिक, आर्थिक, मूल्यवृद्धि अथवा बेरोजगारी के क्षेत्र मे देश द्वारा वहन की जा रही गंभीर समस्याओं से निपटने और इन्हे हल करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमो पर विस्तृत ब्योरा देने मे असफल रहे है। इस प्रस्ताव के पेशकर्ता मेरे मित्र श्री आर० एल० भाटिया ने भी यह स्वीकारा कि देश मे मूल्यवृद्धि हो रही है, हमेशा से हो रही इस मूल्यवृद्धि पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है क्योंकि सरकार गलत आर्थिक नीतियां अपना रही है। मूल्यवृद्धि के कारण सबसे अधिक प्रभावित लोग समाज के गरीब वर्ग, वेतनभोगी तथा श्रमिक वर्ग और अन्य वर्ग है जिनके पास संसाधन अत्यंत कम है। कृषक अथवा औद्योगिक श्रमिक अथवा ग्रामीण लोग ये सभी मूल्यवृद्धि के शिकार हैं और ये हमारी आबादी के 90% है। सरकार ने कुछ भी नहीं किया है अथवा यह मूल्यो मे वृद्धि रोकने के लिए कुछ करने की नहीं सोच रही है क्योंकि इसकी गलत

योजना तथा नीतियों के कारण सरकार काला धन रोकने मे असफल रही है। बल्कि यह तो उन बड़े पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के नियंत्रण मे है जो अपना लाभ बढ़ाने के अपने उद्देश्य हेतु उत्पादन पर नियंत्रण रखते है।

इसी प्रकार, स्वतंत्रता के 40 वर्षों के बाद भी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी के आंकड़े सदा बढ़ते ही रहे है। शिक्षित तथा अशिक्षित लोगो मे बेरोजगारी है तथा अल्परोजगार है।

क्योंकि सरकार युवा लोगों तथा शिक्षित व्यक्तियों के लिए उद्योगों, फैक्ट्रियों या सरकारी कार्यालयों अथवा स्वरोजगार मे और अधिक नौकरियां उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है इसलिए बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़ रही है । वर्ष 1951 में यह संख्या 3 लाख थी; अब यह इससे लगभग सौ गुना ज्यादा है । लोगों मे असंतोष है, लोगों में नौकरी पाने के बारे में अनिश्चितता है । लगभग सभी राज्यों में तथा केन्द्र में संरकारी कर्मचारियों, औद्योगिक अथवा अन्य श्रमिकों तथा अन्य लोगों द्वारा आन्दोलन किए जा रहे हैं क्योंकि उपभोक्ता तथा वेतनभोगी वर्ग, मूल्यों में वृद्धि से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।

देश के लगभग सभी भागों में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं तथा सरकार सामुदायिक सद्भावना उत्पन्न करने में बुरी तरह असफल रही है । इस कारण इस देश मे धार्मिक रूप से अल्पसमुदाय या हरिजन अथवा आदिवासी लोग आदि अल्पसमुदाय असुरक्षित महसूस कर रहे हैं । यह सरकार का कर्तव्य है कि उनमें विश्वास उत्पन्न करे, उनके लिए सुरक्षा सुनिश्चित करे ताकि वे यह महसूस करें कि वे देश में सुरक्षित हैं और उन्हे किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए।

हाल ही के सामुदायिक दंगों में चाहे वे बीदर, जम्मू, मेरठ, बम्बई तथा अन्य स्थानों पर हुए हों, यहां पर सरकार लोगों के जीवन की रक्षा करने में असफल रही है । ये लोग सांप्रदायिक कट्टर पंथियों के शिकार बने थे जो इस देश का उपयोग अपने उद्देश्य के लिए करना चाहते हैं। सरकार इस बारे में गलत वायदे कर रही है कि वे पंचायतों को और शक्तियां देना चाहती है; वह उनका विकेन्द्रीकरण करना चाहती है ताकि ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो सके और विभिन्न क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित हो सके । लेकिन क्या मैं एक प्रश्न कर सकता हूं? जब विभिन्न राजनैतिक पार्टियों, विभिन्न लोगों ने मांग की कि सरकार राज्यों को और अधिक शक्तियां दे, वह शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करे ताकि देश के विभिन्न भागों का सही प्रकार से विकास हो सके और विभिन्न राज्यों में उचित विकास हो सके, तब सरकार द्वारा राज्यों को अधिक शक्तियां देने से किसने रोका था ? तब सरकार ने यह तर्क दिया था कि इससे देश कमजोर हो जाएगा । केन्द्र को मजबूत होना चाहिए।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यदि राज्य अधिक शक्तिशाली हों, मजबूत हों, विकसित हों तो देश कैसे कमजोर हो सकता है ? यदि शरीर के अंग मजबूत हैं तो स्वयं शरीर भी मजबूत होगा। यदि शरीर के अंग कमजोर हैं तो शरीर कैसे मजबूत हो सकता है ? यह सरकार का बहुत ही विरोधी तर्क है, मैं इसे तर्क संगत नहीं समझता हूं । अतः सरकार राज्यों को और अधिक शक्तियां दे ताकि वे नगरपालिकाओं और छोटी संस्थाओं के स्तर से ऊपर उठ सकें।

हम सभी पंजाब की स्थिति पर चिंतित है। इस सभा में या बाहर प्रत्येक वक्ता पंजाब की स्थिति पर चिंतित है। यहां पर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता श्री भाटिया ने कहा है कि स्थिति गंभीर है। लेकिन स्थिति को गंभीर किसने बनाया है? यह स्थिति किसने उत्पन्न की है? इस समस्या के लिए सरकार उत्तरदायी है और मैं समझता हूं कि सरकार की यह नीति है कि वह समस्या को जारी रखना चाहती है। यदि वह गंभीर है और पंजाब

समस्या को हल करना चाहती है तो इस समस्या को हल करने से सरकार को कौन रोकता है? यदि सात या आठ अथवा दस वर्षों के बाद सरकार राज्य के लोगों के संतोष के अनुसार इस समस्या को हल करने में असफल रही है तो सरकार को यह मान लेना चाहिए कि इसकी विद्यमान नीति असफल रही है। सरकार को यह महसूस करना चाहिए कि जिस नीति का यह अनुसरण कर रही है वह असफल रही है और इसे बदलना चाहिए। दमन की नीति, बदले की भावना की नीति तथा झूठी मुठभेड़ों से समस्या का हल नहीं हो सकता है। लोगों को समझाया जाए उनका विश्वास जीतना चाहिए और इस दमन की नीति के कारण, पंजाब के लोग यह महसूस करते हैं कि दबाव की विद्यमान नीति इसके लिए उतरदायी है और इसके कारण राज्य में आतंकवाद ने निजी तथा गुट आतंकवाद को उत्पन्न किया है और सरकार यह स्वीकार करे कि कानून जैसी कोई चीज वहां नहीं है।

पंजाब में पुलिस तथा पुलिस अधिकारियों की अत्यधिक आलोचना हो रही है। सैकड़ों सरपंचों तथा पंचों ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होने अपना त्यागपत्र इसलिए दिया क्योंकि पुलिस अधिकारी तथा पुलिस उनका अपमान करती है तथा उनसे दुर्व्यवहार करती है। यदि पंजाब में सरपंचों तथा पंचों की यह स्थिति है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस राज्य में कैसी स्थिति है । और इस दमन के कारण इस जंगल राज के कारण तथा कानून की अवहेलना के कारण ही वहां पुलिस राज है और भ्रष्टाचार व्यापक है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में इसका उल्लेख करने में विफल रहे हैं।

पंजाब समस्या का एक हल यह है कि आम माफी दे दी जाए और सिख नेताओं को रिहा कर दिया जाए। अकाली दल के अध्यक्ष श्री सिमरन जीत सिंह मान तथा श्री प्रकाश सिंह बादल तथा अन्य लोग जेलों में बन्द हैं। जोधपुर में वे लगभग पिछले पांच वर्षों से बगैर मुकदमा चलाए ही बन्द हैं। उन्हें रिहा कर दिया जाए और फिर उनसे पूछा जाए कि वे क्या चाहते हैं।

एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू अड़चन उत्पन्न करता है वह यह है कि दिल्ली अथवा अन्य स्थानो पर 1984 के दंगों के लिए उत्तरदायी किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं दी गई है और जब तक उन्हें सजा नहीं दी जाती है और अदालतों में पेश नहीं किया जाता है तब तक सिखों की भावनाओं को शांत नहीं किया जा सकता है।

अन्त में, केन्द्र को भी गैर-कांग्रेसी सरकारों तथा विपक्ष के साथ टकराव की नीति छोड़ देनी चाहिए। सरकारिया आयोग के प्रति हमें अधिक आशा नहीं थी क्योंकि हम जानते थे कि यह उचित सिफारिशें नहीं करेगा। लेकिन फिर भी जो कुछ थोड़ी अच्छी सिफारिशें इसने दी हैं सरकार उन सिफारिशों को भी नकार रही है। अपने हितों तथा उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ही राज्यपालों की नियुक्ति होती है। गैर-कांग्रेसी सरकारों के साथ भेदभाव होता है और राज्यपाल उनके कार्य में रुकावट डालते हैं। उन्हे ऐसे लोगों की नियुक्ति नहीं करनी चाहिए जो सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी हैं। राष्ट्रीय मुद्दों पर विपक्ष तथा गैर कांग्रेसी सरकारों के प्रति टकराव की नीति अपनाने की बजाय उन्हें तालमेल अथवा राष्ट्रीय आम- राय की नीति अपनानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम नारायण सिंह (भिवानी) सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण हुआ है उसमें देश की कई गम्भीर समस्याओं का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या पंजाब की है। जैसा कि मेरे दोस्त सरदार साहब ने फरमाया कि यह मसला बहुत समय से चला आ रहा है और पंजाब में मासूम और इनोसैंट लोगों को रोज मारा जा रहा है। लोकतंत्र के

अन्दर अगर दो आदमियों की भी जान चली जाये तो दुनिया हिल जाती है। पंजाब जहां पर कि हजारों आदमी मर रहे हैं, उसको रोकने का कोई इलाज नहीं किया जा रहा है।

हमारे बहुत से दोस्तों ने यह फरमाया कि इस मसले को तो आसानी से हल किया जा सकता है। इस हाऊस में इस मसले पर 4-5 दफा बहस हो चुकी है लेकिन उसका कोई भी नतीजा हमें देखने को नहीं मिला है। जोधपुर जेल में जिन निर्दोष लोगों को बंद करके रखा हुआ है उनको रिहा किया जाना चाहिये। जो तत्व देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको सख्ती से दबाया जाना चाहिए।

केन्द्र सरकार गरीबी दूर करने के लिये कई प्रोग्राम चला रही है और इस पर करोड़ों रुपया खर्च भी कर रही है। देखने में यह आया है कि जो रुपया गरीबों की भलाई के लिये रखा जाता है वह उन तक पहुंचता नहीं है। जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने भी फरमाया है कि 80 परसेंट रुपया बीच में से खा लिया जाता है और वह केवल 20 परसेंट आदमियों तक ही पहुंचता है। यह क्यों हो रहा है? गवर्नमेंट की गलत नीतियों के कारण ही यह सब हो रहा है। इस देश में 90 फीसदी लोग सरकारी नौकरियों में लगे हुए हैं शहरों की आबादी 24 परसेंट और देहातों की 76 परसेंट है। आप जो आंकड़े इस बारे में देते हैं वह गलत देते हैं। आपने जो भी स्कीमें गरीबों के लिये बनायी हैं वह अच्छी बनायी हैं। अगर उन स्कीमों पर लगाया गया रुपया गरीबों तक पहुंचा होता तो काफी हद तक गरीबी दूर हो सकती थी। शहर के लोग जो कि 90 परसेंट सरकारी नौकरियों में लगे हुए हैं वह इस बीच में से सारा पैसा खा जाते हैं। यही वजह है कि उन कार्यक्रमों का सही ढंग से इम्पलीमेंटेशन नहीं हो पाता है।

कांग्रेस सरकार ने एक रेजोल्यूशन पास किया था और उसमें कहा था कि गांव के अन्दर जो गरीबी रेखा से नीचे लोग रहते हैं उनको नौकरी दे दी जायेगी। नौकरी कोई तहसीलदार की या मजिस्ट्रेट की नहीं बल्कि कोई सिपाही, कोई हवलदार, चौकीदार की नौकरी गांव वालों को मिलती है लेकिन वह भी नहीं मिलती है। कांग्रेस की हुकूमत में कांग्रेस पार्टी के रैजोलूशन का भी इम्पलीमैन्टेशन नहीं होता। अब कहते हैं कि नौकरियों के लिए बड़ा भारी कुछ किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? पहले आर्मी, सी॰आर॰पी॰एफ॰ और बी॰एस॰एफ॰ के कुछ लड़ाकू स्टेट थे जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यू॰पी॰ के आदमी उनमें लेते थे लेकिन अब अच्छे-अच्छे आदमियों को वहाँ भी नौकरी नहीं मिलती, सिपाही की भी नहीं मिलती। अनएम्पलायमैन्ट इतना भारी बढ़ गया है, लोगों में इतना बड़ा रीसेन्टमेन्ट है, इतना करप्शन बढ़ गया है कि चपरासी की नौकरी के लिए भी 10 हजार रुपये मांगे जाते हैं, ऑल राउण्ड करप्शन है। बड़े बड़े करप्शन के काम हैं, बोफोर्स वगैरह, बड़ी ऊंची जगह पर हैं लेकिन इनका कहीं नाम का जिक्र नहीं आया, यह गलत बात है। इसका सारे हिन्दुस्तान के अन्दर जिक्र है। करप्शन है। अनएम्पलायमेन्ट है, करोड़ों लोग बेरोजगार हैं और एक लाख 70 हजार इण्डस्ट्रियल यूनिट्स बन्द पड़ी हैं, उनके लाखों मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया गया और जो मालदार आदमी हैं उनकी मदद की जाती है। टाटा ने नोयडा के अन्दर जमीनें ली हैं, अपनी इण्डस्ट्री के लिए तो उसे उसमें 11 करोड़ रुपये का फायदा हो गया और गरीब लोगों के साथ क्या करते हैं, दिल्ली में आप जो देखते हैं, दिल्ली यूनियन टैरीटरी है। दिल्ली में 360 गांव अंग्रेजों के जमाने में थे उनमें से 150 गांवों की जमीन एक्वायर कर ली गई और उनको 5 रुपये गज, 10 रुपये गज और ज्यादा से ज्यादा 21 रुपये गज के पैसे दिये हैं जबकि हर एम॰पी॰ को पता है कि दिल्ली में 1000 रुपये गज से कम कोई जमीन नहीं मिलती, दूर-दूर तक। नेहरू प्लेस में जमीन का भाव 15 हजार रुपये गज है जबकि वहां के किसानों से वह जमीन एक रुपये गज में ली गई है तो क्या यह इन्साफ है?

अगर गांव वाले आदमी आपको अच्छे नहीं लगते तो हुकूमत कैसे चलेगी, इनको आप चालीस साल तक धोखा देते रहे लेकिन अब यह लोग समझ गये हैं इसलिए हुकूमत का चलना भारी हो गया है। इसमें सरकार और डी०डी०ए० ने दो तीन हजार करोड़ रुपया कमा लिया जबकि जिन 150 गांवों की जमीन ली गई उनका डवलपमैंट नहीं किया गया वह आज अर्बन स्लम्स हो गये हैं। आप देखिये, मुनीरका के चारों तरफ महल खड़े हैं और गांव के अन्दर आज भी वही हालत है, वहां सब मज़हब और जाति के लोग रहते हैं। आज गावों में भारी मुसीबत है, न तो जमीन को बेच सकते हैं और न रख सकते हैं क्योंकि उन गांवों की जमीन 30 साल पहले दफा 4 में नोटिफाइड कर दी गई, उनकी जमीन भी गवर्नमेंट एक्वायर नहीं करती। आज उसका प्राइवेट कालोनाइजर्स फायदा उठा रहे हैं, वह उनसे जमीनें लेते हैं। सरकार 20-21 रुपये गज से ज्यादा पैसा नहीं देती जबकि जमीन का भाव एक हजार रुपये गज है। सरकार एक एकड़ के एक लाख 20 हजार रुपये देती है और 50 लाख रुपये एकड़ का भाव है तो यह कितना बड़ा भारी अन्याय है, कितनी बेइन्साफी हो रही है। यहाँ पर बड़े जमींदार भी नहीं हैं, उनके पास दो तीन एकड़ जमीन है। वह उससे लखपति जरूर हो जाते लेकिन आज उनमें से कोई रिक्शा चलाता है, कोई रेहड़ी लगाता है। वह इतने गरीब लोग हो गये हैं।

आज उनके पास कोई घर नहीं है। उनके साथ इन्साफ तब होगा जब आबादी के हिसाब से बैकवर्ड क्लासेज, हरिजन और सब के लिये 76 परसेन्ट पोस्ट रिजर्व की जाये और उनका आपस में मुकाबला हो अब यहाँ के पब्लिक स्कूल के पढ़े हुए लड़के से उनका कैसे मुकाबला हो सकता है। वह बेचारा सुबह शाम काम करता है। मास्टरों को थोड़ी तनख्वाह मिलती है इसलिये यह कुछ नहीं पढ़ाते और अब उन्होंने यह कर लिया है कि वे नकल करवाते हैं। आप देखिए कि सारे देश में बीमारी फैली हुई है। गांवों के अन्दर नकल होती है। ऐसा लगता है कि शायद गवर्नमेन्ट की प्लानिंग होगी कि उनको नालायक बना दिया जाए नकल करवा कर ताकि किसी इम्तहान में न आ सके और शहर के आदमी ही हुकूमत करते रहें। लेकिन यह काम कब तक चलेगा? काठ की हण्डिया एक दफा ही चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती । इसीलिए आज गांव के आदमी तंग आ गए हैं। और जैसा कहते हैं तंग आयद, जंग आयद। जो भी आदमी तंग आ जायेगा वह लड़ाई करेगा। तो यह गवर्नमेन्ट के लिए खुद खतरा हो रहा है। उन आदमियों को उनके ड्यूज अगर आप दे दें तो उनको कोई गिला ही न रहे। लेकिन उनके साथ तो एक से एक ज्यादतियां हो रही हैं।

हमारे गांवों के बहुत सारे आदमी फौज में भर्ती होते हैं । उनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं होती है। आज देश को आजाद हुए 41 साल हो गए लेकिन आप देखें कि अंग्रेजी में इन्टरव्यू होते हैं और अंग्रेजी में पर्चे होते हैं। वे कहते हैं कि मेजर से ऊपर जाते नहीं । मिलिट्री में गांव वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। सभी जगह पर यह होता है कि जो भी आदमी जिस जगह पर होता है, उसी की पेंशन मिलती है, लेकिन मिलिट्री में क्या होता है? आज से दस साल पहले जो रिटायर हो गया, उसकी पेंशन तो दो हजार है और जो आज होता है उसकी पेंशन पांच हजार है। यह बड़ी बेइंसाफी है। इस हाउस में कई दफा कहा गया है कि सेम रैंक, सेम पेंशन होनी चाहिए, लेकिन मिलिट्री वालों के साथ बेइंसाफी होती है। कई मुल्कों में आर्म्ड फोर्सेस पर कोई इन्कम टैक्स नहीं होता है, लेकिन यहां सिपाहियों पर, जो देश को प्रोटेक्शन करते हैं, उनके ऊपर इन्कम टैक्स लगता है। और फौजियों के साथ अच्छा सलूक नहीं होता । इसका मतलब यह है कि सौ, दो सौ आदमी जो बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, करोड़पति, अरबपति हैं, उनका राज है। वे जिस तरह से कहते हैं, वैसे आप चलाते हैं। बिड़ला और टाटा को तो आप जमीनें एक्वायर कर के देते हैं।

लेकिन दूसरे आदमियों को 15 हजार रुपए गज पर जमीन मिलती है। अन्याय की हद हो गई है। इतना इन्फ्लेशन है । कीमतें बढ़ गई है । आपने दूध की कीमतें बढ़ा दी हैं। इसी तरह से हिन्दुस्तान के मिडिल क्लास के आदमी चिल्लाते रहे कि हमारी इन्कम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट 18 हजार से बढ़ाकर 25 हजार की जाए, वह भी गवर्नमेंट ने नहीं मानी । यानी छोटे आदमी के साथ कोई इंसाफ ही नहीं होता है। आप बड़े-बड़े होटलों में जाकर देखें, जहां तीन-तीन हजार रुपए रोज लगता है, लेकिन उनमें जगह नहीं मिलती है। दूसरी तरफ हिन्दुस्तान के गरीब लोग सड़कों पर पड़े हैं, उन्हें रोटी नहीं मिलती है। ऐसी हालत में इस मुल्क के अंदर कुछ लोगों को लग्जरी में रहने का क्या हक है। इसलिए मैं कहता हूं कि मौजूदा सरकार का इंतजाम ठीक नहीं है । इसको लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे । इन अलफाज के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

[अनुवाद]

श्री अमर रायप्रधान (कूच बिहार) : महोदय मुझे खेद है कि मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में श्री वी० एन० गाडगिल द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता। यदि आप अभिभाषण पर गौर करें तो आपको प्रतीत होगा कि इसमें देश की आर्थिक और राजनैतिक स्थितियों का उचित रूप से उल्लेख नहीं किया गया है बल्कि इनका अच्छा और असत्य वर्णन किया गया है सामान्यता इसकी तुलना कांग्रेस-आई के राजनैतिक घोषणा पत्र से की जा सकती है। अभिभाषण के पृष्ठ 1 पर पैरा-4 के शुरू में कहा गया है "इस ससद के अन्तिम वर्ष में प्रवेश करते हुए" सभापति महोदय, आप विद्वान अधिवक्ता और भारतीय संविधान के पंडित हैं आप जानते हैं कि लोक सभा और राज्य सभा कि हमारी संसद के दो सदन हैं । जहां तक लोक सभा का सम्बन्ध है यह उसका अन्तिम वर्ष है इसमें कोई संदेह नहीं है। परन्तु राज्य सभा एक स्थायी सदन है। भारत के राष्ट्रपति ने जो भाषण दिया है उसमें यह गलत लिखा गया है। मैं जानता हूं कि इसे पढ़ने के लिए माननीय राष्ट्रपति को बाध्य किया गया है। इससे इस सरकार का इरादा स्पष्ट है तथा प्रधान मंत्री ने विपक्षी नेताओं और विपक्षी दलों के साथ जिस तरह व्यवहार किया है और जिस प्रकार उनके विरुद्ध कुछ टिप्पणियां की है उससे स्पष्ट है कि वे देश के लोकतंत्र तथा संसदीय प्रणाली का विनाश कर रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के पृष्ठ 5 पर ऐसी बात कही गयी है इसे मैंने अपने 12 वर्षों के कार्यकाल में पहले कभी नहीं सुना । मैं इसे उद्धृत करता हूं: "राष्ट्र इस बात से आश्वस्त हो सकता है कि हम गरीबी मिटायेंगे और बेरोजगारी दूर करेंगे।" मेरे विचार से यह 1989 का सबसे बड़ा उपहास है। सभा के बाहर भी इसे दोहराया गया है परन्तु मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का जनरल गोबलेस ऐसी बातें किया करता था । परन्तु माननीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी को जनरल गोबलेस की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। वह ये सब बातें क्यों कहते हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं । वित्त मंत्री श्री चव्हाण और कांग्रेस के दूसरे वृद्ध सदस्य जो यहां उपस्थित हैं श्री राजीव गांधी नहीं जानते परंतु वे जानते हैं कि अवाड़ी कांग्रेस के संकल्प में किस बात का उल्लेख किया गया था। 'समाज का समाजवादी ढांचा' यह नारा जवाहर लाल नेहरू ने दिया था। उस संकल्प में कहा गया था कि वे गरीबी मिटायेंगे । क्या सभा में आप बता सकते हैं कि इस संकल्प का अर्थ क्या है? मैं जानता हूं कि श्री राजीव गांधी इन बातों को नहीं जानते हैं। परन्तु आप लोग जानते हैं कि 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 'गरीबी हटाओ' का नारा लगाया । क्या मैं जान सकता हूं कि

उसका क्या हुआ? हाल ही में 3 और 4 नवम्बर,1988 को कांग्रेस की बैठक में श्री राजीव गांधी ने कहा था 'बेरोजगारी हटाओ' 'बेकारी हटाओ' और 'गरीबी हटाओ' यह किस प्रकार संभव है? **(व्यवधान)** मैं पूछता हूं कि स्वतंत्रता के 42 वर्षों के पश्चात आप लोगों ने क्या किया है? इस सम्बन्ध में मैं ढाका (बंगलादेश) के गाड़ीवानों की भाषा का उल्लेख करना चाहता हूं जिसे वे असंगत भाषा के संदर्भ में प्रयोग करते थे। वे कहते थे: "बाबू ईमन कोठा कोई बेन्ना छोरे हसबो" जिसका अर्थ है। बाबू ऐसी बातें मत कीजिए जिन्हें सुनकर घोड़े भी आपका उपहास कर सकते हैं। मैं प्रधान मंत्री को केवल एक बात बताना चाहता हूं कि ये सब बातें न करें वरना घोड़े भी आपका उपहास करेंगे।

आप गरीबी किस प्रकार मिटायेंगे ? हम पूंजीवादी समाज में रह रहे हैं। क्या गरीबी मिटाना सम्भव है? भारत में कितने शिक्षित बेरोजगार हैं? एक माननीय सदस्य ने अभी बताया है कि ये तीन करोड़ से अधिक हैं । आप कहते हैं कि इन शिक्षित बेरोजगार युवकों को हमने मताधिकार दे दिया है। इस मुद्दे को सभा में पहली बार नहीं उठाया गया है। विपक्ष की तरफ से यह प्रस्ताव बहुत पहले प्रस्तुत किया था । विपक्ष के सदस्य श्री सत्य गोपाल मिश्र ने यह प्रस्ताव कि मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी जानी चाहिए कुछ वर्ष पूर्व रखा था। अब आप इसके बारे में डींग मार रहे हैं। आप याद कीजिए कि हमने पश्चिमी बंगाल में नगरपालिका के चुनाव में ऐसा पहले ही कर दिया है।

कृषि मजदूरों के बारे में ऐसे कितने लोग हैं जो अल्प रोजगार हैं। वर्ष 1961 में ऐसे 3.6 करोड़, 1971 में 4.56 करोड़ तथा 1981 की जनगणना के अनुसार 5.54 करोड़ थे परन्तु 1989 में ऐसे कितने लोग होंगे? ऐसे लगभग 7 करोड़ होंगे। यदि आप दूसरे क्षेत्र के ऐसे लोगों की तरफ ध्यान दें, जिनके पास एक एकड़ से 3 एकड़ तक जमीन है, उनकी क्या स्थिति है? वे दूसरों की जमीन में 100 से 120 दिन तक कार्य करते हैं। उनके तरफ भी उचित ढंग से ध्यान नहीं दिया जाता है। समाज के इस असंगठित क्षेत्र के लोगों को कितने दिन कार्य मिलता है। इन कृषि मजदूरों की क्या स्थिति है? आप यह सब भूल गये हैं। इस सभा के माननीय सदस्य श्री मदन पाण्डेय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। इस रिपोर्ट में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये कृषि मजदूर आधे भूखे और आधे नंगे हैं। वे प्रतिदिन 2 रुपये से लेकर 16 रुपये तक कमाते हैं। यह रिपोर्ट मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में थी। मध्य प्रदेश के सदस्यों को इसकी पुष्टि करनी चाहिए। क्या वित्त मंत्री महोदय ने इस रिपोर्ट पर गौर किया है? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उन्हें वर्ष में औसतन 120 दिन से अधिक कार्य नहीं मिलता है। वर्ष के 365 दिनों में से उन्हें केवल 120 दिन कार्य मिलता है तथा मध्य प्रदेश में केवल 75 दिन मिलता है। मध्य प्रदेश में, जहां कांग्रेस-आई की सरकार है तथा एन०आर०ई०पी०, आर०एल०ई०जी०पी० और आई०आर०डी०पी० कार्यक्रम शुरू किये गये हैं, उन्होंने क्या किया है? यह नतीजा है। उन्हें प्रतिदिन 2 रुपये से लेकर 5 रुपये तक मिलते हैं। इसके बावजूद भी आप कहते हैं कि आप नयी योजना बनायेंगे, गरीबी मिटायेंगे तथा बेरोजगारी समाप्त करेंगे। क्या यह सम्भव है?

मेरे विचार से राष्ट्रपति के अभिभाषण में दूसरी महत्वपूर्ण बात भूमि सुधार का कतई उल्लेख नहीं किया गया है। आपने इसे हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी मिटाना चाहते हैं तो भूमि सुधार शुरू किया जाना चाहिए, परन्तु भूमि सुधार के सम्बन्ध में

एक पंक्ति भी नहीं है। यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आप सामंतवादी प्रणाली से पूँजीवादी प्रणाली अनुभव कर रहे हैं परंतु पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रत्येक चीज पर नियंत्रण है। लेकिन वहाँ फिर भी सामन्तवाद है। जब भूमि सुधार और भूमि अधिग्रहण किया जा रहा था तो महलोनोबिस समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि इसके लिए 63 मिलियन एकड़ भूमि उपलब्ध होगी। तत्कालीन कृषि मंत्री ने इस सम्मानित सभा में कहा था कि 63 मिलियन एकड़ नहीं बल्कि 42 मिलियन एकड़ भूमि उपलब्ध होगी। यह बिल्कुल ठीक है। परन्तु अब तक आपने कितनी भूमि एकत्रित की है। नवीनतम सूचना के अनुसार केवल 7.54 मिलियन एकड़ भूमि को फालतू घोषित किया गया है। उसमें से केवल 5.97 मिलियन एकड़ भूमि प्राप्त की गई है तथा 30 जून 1987 तक केवल 4.41 मिलियन एकड़ भूमि का वितरण किया गया है। यह स्थिति है। कुल 42 मिलियन एकड़ भूमि में से आपने अभी तक 4.41 मिलियन एकड़ भूमि ही वितरित की है। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री तथा समूची सभा को याद दिलाना चाहता हूँ कि छठी पंचवर्षीय योजना में सत्तारूढ़ दल और केन्द्र ने भूमि सुधार का वायदा किया था। मैं आपका ध्यान छठी पंचवर्षीय योजना के खंड II के पृष्ठ 62 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ: "1981-82 तक काश्तकारों को स्वामित्व का अधिकार प्रदान करने के लिए कानूनी उपाय किये जायेंगे। फालतू भूमि के दायित्व और वितरण सम्बन्धी कार्य चरणबद्ध तरीके से 1985 तक पूरे हो जायेंगे। सभी राज्यों में चकबंदी का कार्य 10 वर्षों में पूरा करने के उद्देश्य से शुरू किया जाएगा....." लेकिन, कोई कार्य पूरा नहीं किया गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में भूमि सुधार का कतई उल्लेख नहीं किया गया है। आपने इसे भुला दिया। यह देश का दुर्भाग्य है।

इसके अतिरिक्त यह आपकी जानकारी के लिए है कि वितरित भूमि में से 30 प्रतिशत भूमि पश्चिमी बंगाल और केरल में वितरित की गयी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में रुग्ण उद्योग विशेषतः उद्योग रहित जिलों का कतई जिक्र नहीं किया गया है। मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूँ कि 1947 से, 42 वर्षों के पश्चात् भी 94 जिले ऐसे हैं जिनमें कोई उद्योग नहीं है। ये सब जिले मुख्यतः उत्तरी बिहार, उत्तरी बंगाल, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में हैं। आप पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तरी बंगाल तथा उत्तरी बिहार के बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं। ये पिछड़े क्षेत्र हैं। पिछड़े क्षेत्रों की उन्नति के लिए आप उद्योग को कतई अवसर नहीं दे रहे हैं। इसके विपरीत आपने पिछड़े क्षेत्रों को प्रदान की गयी राजसहायता तथा दूसरी सुविधायें बंद कर दी हैं। पंचायत प्रणाली के बारे में, बहुत कुछ कहा गया है। **(व्यवधान)** जब पंचायत प्रणाली शुरू की गयी तो तत्कालीन मंत्री महोदय श्री एस० के० डे ने इस सम्मानित सभा में कहा था कि शक्तियों का विकेन्द्रीकरण निचले स्तर से शुरू किया जायेगा। अब आपकी क्या मंशा है? हम टेलीविजन और रेडियो पर क्या देख रहे हैं? टेलीविजन में हम पंचायतों के साथ प्रधानमंत्री श्री राजीव गाँधी का चित्र देख रहे हैं। अब आप पंचायतों के साथ बैठक बंगलौर और कलकत्ता में करना चाहते हैं। क्या आप इसी प्रकार कार्य करते हैं? क्या निचले स्तर तक पहुँचने का यही तरीका है? क्या गरीबी मिटाने का यही तरीका है? नहीं। यह तरीका नहीं है। आप दिल्ली से पंचायतों को नियंत्रित करना चाहते हैं। आप पंचायत प्रणाली को केन्द्रित करना चाहते हैं।

मैं श्री वी०एन० गाडगिल द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता।

श्री एन०वी०एन० सोमू (मद्रास उत्तर): सभापति महोदय, द्रविड़-मुनेत्र कड़गम पार्टी की ओर से मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिये सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में तमिलनाडु में नई सरकार का कोई जिक्र नहीं है। 13 वर्ष के बाद द्रविड़-मुनेत्र करगम दल की यह एक ऐतिहासिक विजय है। हमारे नेता डा० करुणानिधि के अनुसार प्रधान मंत्री श्री राजीव गाँधी द्वारा किए गए हमारे राज्य के 13 दौरे के बावजूद द्रविड़-मुनेत्र करगम ने 13 वर्ष बाद विजय पायी है। तमिलनाडु में दूरदर्शन का दुरूपयोग किया गया था, रेडियो का दुरूपयोग किया गया था। कुल मिला कर प्रधान मंत्री के तमिलनाडु दौरे पर 50 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। सिर्फ यही नहीं प्रधान मंत्री स्वयं भी हमारे नेता पर आघात करने में शामिल हैं।

श्री जी० एस० बासवराजू (टुमकुर): वह चुनाव के बारे में बोल रहे हैं।

श्री एन० वी० एन० सोमू: यह तमिलनाडु के इतिहास में एक सीमा-चिन्ह है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका उल्लेख किया जाना चाहिए था।

श्री एस० बी० सिद्नाल (बेलगाम): आपकी सरकार ने सिर्फ 33% मत प्राप्त किए हैं।

श्री एन० वी० एन० सोमू: पूर्व की सरकार ने भी सिर्फ 30% मत प्राप्त किये और उन्होंने दस वर्षों तक शासन किया।

पिछले सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को तीन दिन तक, जब हमने बहिष्कार किया था, पर्याप्त समय मिला था। समय के अभाव में हम अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। उन्हें व्यवधान नहीं डालना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री ने हमारे नेता डा० करुणानिधि के काले चश्मे तक की आलोचना की है। इस हद तक नीचे उतरना प्रधान मंत्री के लिये बड़े शर्म की बात है। लेकिन हमारे नेता ने इस का यह उत्तर दिया कि वे सिर्फ काला चश्मा पहनते हैं जैसा कि श्री राजा जी पहना करते थे और कभी-कभी श्रीमती इन्दिरा गांधी पहना करती थीं और हमारे नेता ने कहा कि वे कायरों की तरह बुलेट-प्रूफ शर्ट नहीं पहनते हैं। **(व्यवधान)** सिर्फ यही नहीं, प्रधानमंत्री ने द्रविड़ीयन शासन की भी आलोचना की है। इसका उचित उत्तर दे दिया गया.......... **(व्यवधान)**

सभापति महोदय: श्री सोमू, आप सभापति को सम्बोधित करें। कृपया राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही चर्चा करें।

श्री एन० वी० एन० सोमू: जी हाँ महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही चर्चा कर रहा हूं। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, प्रधानमंत्री ने द्रविड़ीयन शासन की आलोचना की है। राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र **'हिन्दू'** ने प्रधान मंत्री को उचित उत्तर दिया है और जिसे मैं यहां उद्धृत करता हूं:

> "श्री राजीव गाँधी के नेतृत्व मे यह भी एक गहरा राजनैतिक आघात है जिन्होंने बिना सोचे समझे इस चुनाव को द्रविड़ीयन (क्षेत्रिय) परम्परा और "राष्ट्रीय" राजनैतिक संस्कृति जिसका प्रतिनिधित्व कांग्रेस (ई) करती है, के बीच एक संघर्ष बता दिया । इस सम्बन्ध मे मतदाताओं ने अपने दृष्टिकोणों और अनुभूतियों से राष्ट्र मे कोई शंका नहीं छोड़ी है"
>
> यह समाचार हिन्दू मे 23.1.89 को प्रकाशित हुआ था

महोदय, कांग्रेस पार्टी ने 215 निर्वाचन क्षेत्रों मे चुनाव लड़ा था 55 निर्वाचन क्षेत्रों मे अपनी जमानत खोई । 72 निर्वाचन क्षेत्रों मे इसे तीसरा या चौथा स्थान मिला। 215 स्थानों मे से उसने 12 प्रतिशत स्थान ही जीते हैं। यह स्थिति है।

सभापति महोदय: आप मुख्य विषय पर क्यों नहीं चर्चा करते हैं?

श्री एन॰ वी॰ एन॰ सोमूः मैं मुख्य विषय पर ही आ रहा हूं। मुझे पृष्ठभूमि भी बतानी है। वास्तव में मेरा हृदय जल रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस ऐतिहासिक सीमा चिन्ह को स्थान नहीं दिया गया है। एक बार फिर कांग्रेस दल को तमिलनाडु में पूर्णतः बहिष्कृत कर दिया गया है। इस सरकार के लिये यह उचित समय है कि वह तमिलनाडु के लोगों की भावनाओं की कद्र करे।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में भाषाई कट्टरता की चर्चा की है। कौन कट्टरवादी की भूमिका अदा कर रहा है? इस सम्मानीय सभा में मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं।

महोदय, केन्द्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीयकृत बैंकों को अंग्रेजी समाचारपत्र और पत्रिकाओं को न खरीदने का निर्देश दिया है। इसने बैंकों की क्षेत्रीय भाषाओं में समाचारपत्र और पत्रिकाओं को खरीदने पर भी रोक लगा दी है। तमिलनाडु में राष्ट्रीयकृत बैंकों में काम करने वाले तमिल लोगों के अंग्रेजी समाचारपत्र और तमिल समाचारपत्र पढ़ने पर रोक लगा दी गयी है। उन्हें अपनी मातृभाषा में पत्रिकाओं के पढ़ने पर पाबंदी है। कौन अतिराष्ट्रवादी है? कौन संकीर्ण बुद्धिवाला है? मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं। सिर्फ इतना ही नहीं, हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने सनातन धर्म संरक्षण समिति में हिन्दी के प्रयोग पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि हिन्दी को इस प्रकार प्रयोग किया जाना चाहिए कि गैर हिन्दी भाषी लोग यह समझ न पायें कि हिन्दी का प्रयोग किया जा रहा है। श्री राजीव गांधी ने इस प्रकार कहा। कौन भाषावादी है? कौन अतिराष्ट्रवादी है?

सभापति महोदय, यह .वर्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी होने के कारण मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि पंडित जी द्वारा गैर हिन्दी भाषी लोगों को दिया गया आश्वासन उनके जन्म शताब्दी समारोह के साथ ही भारत के संविधान में वर्णित कर देना चाहिए।

नौवें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन॰के॰पी॰ साल्वे ने संसाधनों के क्षेत्रों में उदासीनता बरतने के विरुद्ध कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने बताया है कि केन्द्र सरकार के मामले में' सातवीं योजना कुल 50000 करोड़ रु॰ के बजट घाटे के साथ समाप्त हो रही है और राज्य सरकारों का योजना अवधि के दौरान 12000 करोड़ रुपये का बजट घाटा था। श्री साल्वे ने यह चेतावनी दी है कि यदि आठवीं योजना में इस परम्परा को चलने दिया गया तो उनके अनुसार योजना की समाप्ति से पूर्व ही देश में आर्थिक संकट पैदा हो जायेगा। यह चेतावनी ध्यान में रखनी चाहिए। सरकार को इस के लिये सतर्क रहना चाहिए।

महोदय, हमारे मुख्य मंत्री डा॰ करुणानिधि तमिलनाडु में राजस्व व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। सत्ता में आने के 20 दिन के भीतर ही उन्होंने शराब के ठेकेदारों का सफाया कर दिया। पिछले 10 वर्षों में करीब 1000 करोड़ रुपये लोगों की जेबों में गए और वहाँ एक समानान्तर सरकार चल रही थी। उस अवधि में भ्रष्टाचार अपनी प्रकाष्ठा पर था। इतना ही नहीं, करीब 40 करोड़ लागत की 324 ग्राउण्ड जमीन भी एक व्यक्ति को सौंप दी गयी थी............**(व्यवधान)**

4.00 म॰ प॰

सभापति महोदयः कृपया यहाँ राज्य सरकार की आलोचना न करें। यह कोई मंच नहीं है।

श्री एन॰ वी॰ एन॰ सोमूः जी हाँ, महोदय! राज्यपाल के पिछले एक वर्ष के शासन में किये गए 1.76 करोड़ रुपये के भुगतान से इस व्यक्ति को सन्तोष नहीं हुआ। इस राशि को तमिलनाडु पर्यटन विकास निगम द्वारा पेय साम्य पूंजी के रूप में समायोजित करना पड़ा। ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत सी बातों पर परदा डाला जा रहा है। इससे अवश्य ही उन बुजुर्गों को जो पिछले दस वर्षों

से सत्ता में है, नाराजगी होगी। इससे मेरे मित्र श्री कुलनदईवेलू भी परसों नाराज हो गये। श्री कुलनदईवेलू ने परसों अकारण ही मेरे नेता मुख्यमंत्री श्री करुणानिधि, जब वह 1982 में तमिलनाडु में मंत्री थे, को कोसा**...........**(व्यवधान)**

सभापति महोदय: माननीय सदस्य के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया जाये। क्या आपने सूचना दी है? जब तक आप इसकी सूचना नहीं देते मैं सदस्य के विरुद्ध आरोप लगाने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू: यह आरोप नहीं है। यह तमिलनाडु विधानसभा के रिकार्ड में है।

सभापति महोदय: इसका उल्लेख न करें!

श्री एन॰ वी॰ एन॰ सोमू: प्रोफेसर रंगा, परसों जब श्री कुलनदईवेलु, मेरे नेता श्री करुणानिधि पर अनावश्यक आरोप लगा रहे थे तो आप क्या कर रहे थे। अध्यक्षपीठ क्या कर रही थी? मैं पूछना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय: मैं आपको इसकी अनुमति नहीं देता। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री एन॰ वी॰ एन॰ सोमू: यह सब तमिलनाडु विधानसभा के रिकार्ड में है। तमिलनाडु विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा घोषणा किए जाने के बाद भी, श्री कुलनदईवेलु ने उस दिन कुछ मांग की थी.........**(व्यवधान)**

सभापति महोदय: क्या आपने संबंधित सदस्य को इस आरोप के बारे में नोटिस दिया है?

डा॰ वी॰ वेंकटेश (कोलार): वह इसे कल करेंगे।

श्री एन॰ वी॰ एन॰ सोमू: श्री कुलनदईवेलु, यह किसने कहा कि वह मंत्री पद से त्यागपत्र दे देंगे। उन्होंने यहां इतनी लम्बी चौड़ी बातें कीं...**इसीलिए वह इस प्रकार चिल्ला रहे हैं। इन सभी बातों के कारण तथा राज्यपाल शासन के कारण खजाना खाली हो गया है.......**(व्यवधान)**

सभापति महोदय: माननीय सदस्य की सभी टिप्पणियां कार्यवाही वृतांत से निकाल दी जाएं।

श्री एन॰ वी॰ एन॰ सोमू: इसे निकाल क्यों दिया जाए। श्री कुलनदईवेलु ने मेरे नेता के बारे में जो कुछ कहा, वह रिकार्ड में है। यह मेरा कर्तव्य है.........**(व्यवधान)**

सभापति महोदय: मैं इस सदन के किसी भी सदस्य के विरुद्ध किसी आरोप की तब तक अनुमति नहीं दूंगा, जब तक कि इस बारे में सूचना न दी जाए। यही नियम है। मैं क्या कर सकता हूं।

श्री एन॰ वी॰ एन॰ सोमू: इन सभी बातों के कारण तथा राष्ट्रपति शासन के कारण खजाना खाली है। इसीलिए तमिलनाडु सरकार ने प्रति माह 80,000 टन चावल और केन्द्रीय सहायता के रूप में दो सौ करोड़ रुपए की मांग की है। हमारे मुख्यमंत्री ने इस बारे में केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है। महोदय, मैं निम्नलिखित उद्धृत करता हूं:

> "श्री करुणानिधि ने ऐसा आभास दिया है कि डी॰ एम॰ के॰, जो कि पिछले 13 वर्ष से अस्तित्वहीन पड़ी थी और जिसे राजनैतिक रूप से महत्वहीन मान लिया गया था, एक ऐसी सरकार बनाने में समर्थ है जो काम कर सके"—
>
> —टाइम्स आफ इण्डिया

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

इसीलिए सरकार का यह कर्तव्य है कि वह तमिलों की सहायता करे। डा० करुणानिधि ने 30 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए, हजारों डेयरी श्रमिकों को बहाल किया जिन्हें पिछली सरकार द्वारा काम से हटा दिया गया था तथा इसी प्रकार अन्य कई कार्य किए हैं।

जहां तक पंचायती राज का संबंध है, तमिलनाडु में हमने डी० एम० के० दल के सत्ता में आते ही पंचायत अध्यक्षों और यूनियन सभापतियों को पुरानी शक्तियां सौंप दी गई हैं। हमने उनका कार्यकाल भी दो वर्ष बढ़ा दिया है। जिस पंचायती राज की प्रधान मंत्री तथा कांग्रेस पार्टी द्वारा अब घोषणा की गई है, तमिलनाडु के लिए यह कोई नयी बात नहीं है।

डा० वी० वेंकटेश: इसकी कर्नाटक से नकल की गई है।

श्री एम० वी० एन० सोमू: हमारे ऐतिहासिक तामिल काल में तमिल राजा पंचायत प्रशासन के माध्यम से शासन करते थे। चोला काल में 'आयम पेरून कुझु' नामक एक पाँच सदस्यीय समिति थी जो ग्राम प्रशासन देखती थी। ग्राम स्तर पर "एनपेरयाम" नामक एक अन्य संगठन भी था। इसीलिए प्रधान मंत्री द्वारा पंचायत राज का नया नारा आगामी चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी का हथकण्डा हो सकता है। पंचायत राज के जनक, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं है। महात्मा गांधी के नाम का कोई उल्लेख नहीं है। श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम का जिक्र है तथा प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की तथाकथित उपलब्धियों का जिक्र है। आप महात्मा गांधी का नाम भूल गए जो राष्ट्रपिता हैं। आपको केवल श्री राजीव गांधी का नाम याद है। **(व्यवधान)**

इस वर्ष सार्वजनिक क्षेत्र में लगभग 2500 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। इससे क्या पता चलता है। जब श्रमिक वेतन संशोधन की बात करते हैं, जब वह कोई रियायतें मांगते हैं तो सरकार सख्ती से मना कर देती है। इसके बावजूद सरकारी क्षेत्र में 2500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।

हमारे प्रधान मंत्री चीन गए और वापस आ गए। मैं सरकार से एक प्रश्न करना चाहता हूं। पश्चिमी क्षेत्र—लद्दाख में अक्साईचिन में—चीन द्वारा हथियाई गई 38000 वर्ग कि० मी० भूमि भारत को वापस करने के संबंध में लम्बे समय से लम्बित मामले का क्या हुआ? क्या यह हल हो गया है?

बेजिंग का कहना है कि सबसे बड़ा विवाद पूर्व का है जहां उसने अरुणाचल प्रदेश के 90000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अपना दावा किया है। यह सिक्किम को भी भारत का अंग नहीं मानता।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में भारत का खुशगवार खाका खींचा गया है। मैं, कांग्रेस पार्टी, जो देश पर पिछले 42 वर्ष से शासन कर रही है, से पूछना चाहता हूं कि इससे क्या परिणाम हासिल हुए हैं? 54817 करोड़ रुपए के बाहरी कर्ज और 99520 करोड़ रुपए के आन्तरिक कर्ज। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? केवल कांग्रेस पार्टी।

महात्मा गांधी ने कहा था, स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही कांग्रेस का काम समाप्त हो गया है। वह चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी भंग कर दी जाए और एक सेवक संगठन के रूप में कार्य करे। अब भी देर नहीं हुई है। कांग्रेस को भंग कर दो और देश का और अधिक नाश होने से बचा लो।

धन्यवाद।

स्पष्टीकरण के रूप में मैं यह कहता हूं कि श्री कुलनदईवेलु ने अनावश्यक रूप से कुछ आरोप लगाए हैं। इसलिए, मेरी टिप्पणीयों को कार्यवाही वृतांत से निकाला नहीं जांना चाहिए।

सभापति महोदय: यह पहले ही निकाली जा चुकी है। मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री एन॰ वी॰ एन॰ सोमू: यदि ऐसा है तो मैं विरोध में बहिंगमन करता हूं। ऐसी स्थिति में श्री कुलनदईवेलु की टिप्पणियां भी हटाई जानी चाहिए। यदि आप न्याय करना चाहते हैं तो ऐसा अवश्या होना चाहिए। अन्यथा मैं बहिर्गमन कर रहा हूं।

सभापति महोदय: उस समय मैं पीठासीन नहीं था। आप उस व्यक्ति से कहें जो उस समय पीठासीन था।

[इस समय श्री एन॰ वी॰ एन॰ सोमू सभा भवन से बाहर चले गए।]

[हिन्दी]

श्री हाफिज़ मोहम्मद सिद्दीक (मुरादाबाद): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं मैं गाडगिल साहब द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

आज हमारा देश स्वर्गीय नेता पण्डित जवाहर लाल नेहरू की जन्म शती मना रहा है और हमारे देश की आजादी के बाद से यह नीति रही है कि हम भारत को पण्डित जवाहर लाल नेहरू के सिद्धांत लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद के रास्ते पर बढ़ायें। इसकी प्रेरणा हमें सामाजिक और आर्थिक कार्यनीति की दिशा प्रदान करती रही है। आज हमारे युवा नेता प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी भी इन्हीं मुद्दों को लेकर, इसी आधार को मानते हुए देश को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसी कि हमारे विपक्ष के लोगों ने अभी बात की है, मैं सोचता हूं कि देश की आजादी के बाद से आज तक किसी भी क्षेत्र को हम देखें तो हमारे देश ने तरक्की की है, इस देश का विकास हुआ है, हम आगे बढ़े हैं। जहां तक धर्मनिरपेक्षता की बात है, इसमें कोई शक नहीं कि हमारा यह लोकतंत्र आगे बढ़ रहा है और हम यह गौरव के साथ कह सकते हैं कि दुनिया के तमाम मुल्कों को हम देखें, जिनका आधार किसी धर्म के ऊपर है किसी का डिक्टेटरशिप के ऊपर है लेकिन आज भारत में तमाम धर्मों के मानने वाले, चाहे वह मुसलमान हों, चाहे वह सिख हों, चाहे वह ईसाई हों या किसी भी धर्म को मानते हों.... आज सबको अधिकार बराबर के हैं। सब के साथ-साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज हम देखेंगे कि हमारे देश को पिछले सौ साल के सबसे बड़े सूखे ने जकड़ा हुआ था, और हम सब को फिक्र हो गई थी कि हमारे देश में किस तरह से काश्तकारी होगी, हमारे देश में किस तरह से किसान पैदावार बढ़ाएगा। लेकिन हमारे युवा नेता प्रधान मंत्री जी की सूझबूझ और उनकी नीतियों के अंतर्गत उन तमाम प्रदेशों को जो सूखे से ग्रस्त थे सहायता की गई। जहां-जहां, जो जरूरत थी, चाहे पानी की जरूरत थी या पैसे की, उस जरूरत को पूरा करने की कोशिश की गई। हम समझते हैं कि हमारी पैदावार पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा। ये हमारी उपलब्धि रही है। यदि इस उपलब्धि को भी आप न देखें, तो यह हमारा कसूर नहीं है बल्कि उनका कसूर है जिनको कोई चीज दिखाई नहीं देती है।

आज राष्ट्रीय ग्रामीण योजना पूरे देश में चल रही है। हम देखें किस तरह से देहातों में कैसे-कैसे रास्ते बने हैं जहां उन देहातों में लोगों को आने-जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता था, इस योजना के जरिए उन छोटे-छोटे गांवों को बड़े-बड़े शहरों से मिला दिया गया है। इसकी वजह से आज वहां लोगों को आसानी है। और मैं समझता हूं वे बराबर उन्नति कर रहे हैं। इसी तरह से

हम देखेंगे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आवास का काम किया गया है। पूरे देश में आवास योजना चलाई गई है। और उससे लोगों को फायदा मिला है। हम अपने क्षेत्रों में जाते हैं, तो लोग इस बात को कहते हैं, प्रशंसा भी करते हैं कि सरकार ने हमारा ख्याल किया है। सरकार ने बहुत कुछ किया है। अपने क्षेत्रों में जाकर देखें तो ये चीजें सामने दिखाई देती हैं। पानी की समस्या दूर करने के लिए नहरें और ट्यूबवैल हमें दिखाई देते हैं, ये इस तरह की उपलब्धियां हैं जिनसे हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे युवा नेता प्रधान मंत्री जी पर हमें गर्व होना चाहिए कि उन्होंने उन पिछड़े हुए इलाकों में जाकर देखा है कि गरीब लोग किस तरह से बसते हैं। और उन गरीब असहाय लोगों के लिए अनेकों योजनाएं उन्होंने चलाई हैं, जिनसे उनको लाभ हो रहा है। उनके अंदर एक ताकत पैदा हो रही है।

इसी तरह से नई शिक्षा नीति की बात है। इसमें कोई शक नहीं कि 40 प्रतिशत गरीब लोग और 80 प्रतिशत ग्रामीण लोग उससे फायदा उठा रहे हैं। जो हमारे गरीब लोगों के बच्चे थे किसानों के बच्चे थे, उनको अच्छे स्कूलों में तालीम हासिल करने का मौका नहीं मिलता था। इसीलिए नवोदय स्कूल खोले गए हैं। और एक नई शिक्षा नीति कायम की गई है। उससे उन गरीब बच्चों को, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को लाभ पहुंच रहा है और हम देखेंगे चार-पांच साल के बाद, उन बच्चों में किस तरह से एक रोशनी, एक हौसला पैदा होगा और वे एक अच्छे शहरी बनेंगे। शायद क्वश्चन ऑवर में यहां पर एक सवाल उठा था कि संस्कृत नहीं पढ़ाई गई, तो संस्कृत के साथ-साथ मैं चाहता हूं कि उर्दू के ऊपर भी ख्याल रखा जाए क्योंकि उर्दू भी इस देश की भाषा है। इस देश के लोग उसके बोलने वाले हैं। उनका ख्याल रखते हुए उर्दू को भी आगे बढ़ाया जाए।

जहां तक किसानों को कर्जा देने की बात है, इसलिए हम किसानों को कर्जा दे रहे हैं कि उनमें शक्ति पैदा हो। हमारे देश की पैदावार बढ़े और हमारा देश आगे बढ़े, तरक्की करें। इन तमाम योजनाओं को अगर हम बुरा कहते हैं, तो यह हमारा कसूर नहीं है, यह कसूर आपका है। इसी तरह से हम उद्योगों की तरफ ध्यान दें, तो आप देखेंगे कि हमने बहुत तरक्की की है। आज पं० जवाहर लाल नेहरू को याद करें कि उन्होंने किस तरह से दूरंदेशी से काम लेकर इस देश को अपने पैरों पर खड़ा करने की बात की थी। उन्होंने इस देश में उद्योगों को कायम करके इस देश को एक नया रास्ता दिया और देश को अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत दी।

हम पं० जवाहर लाल नेहरू को अपने मन से याद करें कि उन्होंने किस तरह से उद्योग कायम करके हमारे देश में एक जान डाली। इसी तरह से हमारे देश में स्पोर्ट्स भी बढ़े हैं।

इसमें कोई शक नहीं है कि बराबर हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं और अपने देश में जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, जो हमारे प्रोग्राम हैं, उनमें हम तामीरी ज़हन देखेंगे। यह बात मैं मानता हूं कि कुछ न कुछ कमियां होती है। उन कमियों को दूर करने के लिए हम सब लोग सहयोग देंगे प्रधान मंत्री जी को, तो मैं समझता हूं कि वे कमियां दूर हो जाएंगी और योजनाएं आगे बढती रहेंगी और देश तरक्की करेगा।

साम्प्रदायिकता की बात कही गई। यह साम्प्रदायिकता की जो भावना है, यह बहुत बुरी बात है और हमारे देश के लिए लानत की बात है। हम सब लोग इस का विरोध करें और इस को रोकें। मैं समझता हूं कि अगर हम सब लोग सहयोग देंगे, तो फिरकापरस्ती की जो भावना पैदा होती है, जिससे लोगों को नुकसान पहुंचता है, वह पैदा नहीं होगी। मैं आप के माध्यम से यह बात कहना

चाहता हूं कि जहां भी साम्प्रदायिकता के झगड़े होते हैं, वहां के अधिकारी और पुलिस के लोग जो दोषी हैं, उन को सज़ा जरूर दिलाई जाए।

इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के॰ मोहनदास (मुकुन्द पुरम): महोदय, मैं राष्टपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। राष्ट्रपति महोदय, अपने अभिभाषण में, राष्ट्र से संबंधित विभिन्न विषयों पर बोले हैं। उन्होंने कहा कि कृषि और उद्योग में अधिक उत्पादन हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि मुद्रास्फीति में 50 प्रतिशत से अधिक कमी आयी है और सबल राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है। इससे यही पता चलता है कि सरकार द्वारा आर्थिक मोर्चे पर उठाए गए विभिन्न कदमों के अनुकूल परिणाम निकले हैं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में पंजाब में आतंकवाद की समस्या और उसे समाप्त करने के लिए सरकार के इरादे का भी उल्लेख है। इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सदन में विपक्षी दलों ने आतंकवाद से लड़ने के लिए हमेशा ही सरकार का समर्थन किया है और यह समर्थन जारी रहेगा। अपनी मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा करने के प्रश्न पर हम सब एक हैं।

अब, मैं कुछ ऐसे विषयों का जिकर करना चाहता हूं, जिनका इस अभिभाषण में उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि मुद्रास्फीति की दर में 50 प्रतिशत कमी हुई है। यह एक अच्छी स्थिति है। किन्तु इसके साथ ही मुझे एक बात समझ नहीं आती। यदि मुद्रास्फीति में कमी आई है तो मूल्यों में भी कमी आनी चाहिए। ऐसा नहीं हुआ है। सरकार को इस बारे में गम्भीरता पूर्वक सोचना चाहिए। हर कोई जानता है कि पिछले एक वर्ष के दौरान लगभग सभी पदार्थों के खुदरा मूल्यों में वृद्धि हुई है। थोक मूल्य सूचकांक से यह पता चलता है या नहीं किन्तु यह आम लोगों का अनुभव है। सरकार ने, स्वयं राशन की दुकानों पर दिए जाने वाले चावल के मूल्य में वृद्धि की है। इसके साथ ही, राज्यों को राशन की दुकानों से वितरण के लिए दिए जाने वाले चावल के आवंटन में भी 20 प्रतिशत कटौती की गई है। केरल में, इससे गम्भीर समस्या उत्पन्न हो रही है। केरल के कोटे में पहले ही कटौती की गई थी। अब ऐसा लगता है कि इसमें और कटौती की जाएगी। इससे खुले बाजार में खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ेंगे जिससे आम आदमी गम्भीर रूप से प्रभावित होगा। यदि सरकार मूल्यों को नियंत्रित नहीं रख पायेगी तो निर्धन लोगों को बजट में दी गई तमाम राहत समाप्त हो जाएगी। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए वह तमाम आवश्यक कदम उठाए।

राज्यों को अधिक शक्तियां दिए जाने संबंधी बहस बहुत पुरानी है। इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए, सरकार ने सरकारिया आयोग का गठन किया। सरकार ने इस विषय का गहराई से अध्ययन किया और अपनी रिपोर्ट दी। केन्द्र-राज्य संबंधों पर इसकी बहुत सी सिफारिशें स्वीकार योग्य हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह समय गवांए बिना इन सिफारिशों को स्वीकार कर ले। मेरा यह विचार है कि राज्यों को अधिक आर्थिक शक्तियां दी जानी चाहिए। आखिरकार राज्य ही अधिकांश कार्यक्रमों को कार्यान्वित करते हैं और बहुत से राज्य अपने सीमित साधनों के कारण ऐसा करने में असमर्थ हैं। यह स्पष्ट है कि वित्त के अन्तरण की वर्तमान प्रणाली से राज्य अपनी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकते। इसलिए, वित्त के अन्तरण के लिए एक बेहतर नीति तैयार करनी होगी। राज्यों को अपने पैरों पर खड़ा होने में सहायता करनी चाहिए।

मैं रोजगारों का सृजन करने संबंधी सरकार के सभी प्रस्तावों का पूरा समर्थन करता हूं। इस संबंध में, मेरा यही कहना है कि मेरे राज्य केरल को बेरोजगारी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में लगभग 30 लाख लोग बेरोजगार हैं। वहां बेरोजगारी इसलिए बढ़ी है क्योंकि वहां पर कोई औद्योगिकरण नहीं किया गया है। इस स्थिति को बदलना होगा। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जब रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए नई योजनाएं बनाई जाएं तो केरल की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। हमारे बहुत से लोग रोजगार के लिए खाड़ी के देशों में जाते हैं। वास्तव में वे सरकार की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि को बढ़ाने में सहायता करते हैं। लेकिन कभी-कभी अधिकारी ऐसे निर्णय लेते हैं जिनसे रोजगार चाहने वालों के लिए अनावश्यक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, श्रम मंत्रालय ने हाल ही में आप्रवासी नियमों मे इस तरह संशोधन किया है कि रोजगार चाहने वाले देश के बाहर आसानी से रोजगार प्राप्त नहीं कर सकते। हजारों लोगों के रोजगार के अवसर समाप्त हो गये हैं। इससे राज्य मे गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। केरल, सरकार तथा सभी राजनीतिक दलों ने श्रम मंत्रालय से इस आदेश को वापस लेने के लिए अनुरोध किया है।

मैं सरकार से इस नए आप्रवासी नियम को तत्काल वापस लेने के लिए अनुरोध करता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

***श्री जी॰ एम॰ बासवराजू** (टुमकुर): यह जानकर बहुत ही प्रसन्नता हुई है कि संसद के दोनों सदनों में दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरु की महान सेवाओं को प्रमुख स्थान दिया गया है। पंडित नेहरु आधुनिक भारत के निर्माता है जिन्होंने हमें आर्थिक उन्नति और राष्ट्र की प्रगति तथा खुशहाली का मार्ग दिखाया। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बलिदान और हमारी स्वर्गीय नेता इन्दिराजी के बलिदान को भी राष्ट्रपति के अभिभाषण मे प्रमुख स्थान दिया गया है। मैं इसके लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति को दिल से मुबारकबाद देता हूं।

अब हमें अपने देश की गत 42 वर्षों की योजनाओं और प्रगति का विश्लेषण करना है। इसके साथ ही हमें देश की एकता और अखंडता को अत्यधिक महत्व देना है। इसकी बजाए दुर्भाग्यवश विपक्षी दलों के सदस्यों ने सरकार और इसकी नीतियों की आलोचना करते रहे हैं। सेवा के केवल विरोध के कारण ही करते रहे हैं। हमारी सरकार ने 1947 से 1989 तक लोकतंत्र को जो स्थिरता प्रदान की है, उसको वे भूल गए हैं।

यह हमारी सरकार की गुट-निरपेक्ष नीति ही है जिसके कारण दो महाशक्तियों अर्थात् संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत रूस को शान्ति वार्ता के लिए एक साथ लाने में सहायता मिली है। हमारी गुट-निरपेक्ष नीति की सम्पूर्ण विश्व में प्रशंसा की जा रही है।

देश में पर्याप्त आर्थिक विकास हुआ है। आप देश में किसी तालुक अथवा गांव में जाएं तो वहां जो विकास हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। दूरस्थ गांवों को तालुक और जिला मुख्यालयों से जोड़ने के लिए उचित सड़कों का निर्माण किया गया है। अधिकतर गांवों में बिजली तथा स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कर दी गई है। आज 85 प्रतिशत से अधिक गांवों में पेय जल सुविधाएं उपलब्ध हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी पर्याप्त प्रगति हुई है।

हमारे देश के लगभग 70 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। देश में विगत समय में अभूतपूर्व सूखा पड़ा था। इन सभी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मुझे यह कहते हुए गर्व है कि हमने खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। वास्तव में चालू खरीफ मौसम के दौरान

*मूलतः कन्नड़ में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

हम खाद्यान्नों के रिकार्ड उत्पादन की आशा कर रहे हैं। इन सभी उपलब्धियों के बावजूद भी किसानों के रहन-सहन के स्तर में उतनी प्रगति नहीं हुई है जितनी कि हमें आशा थी। हमारी सरकार ने किसानों के उत्थान के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू किये हैं। मैं राष्ट्रपति का उनके द्वारा हमारी सरकार के ऐसे प्रगतिशील कदमों का विशेष उल्लेख करने के लिए धन्यवाद करता हूं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गांरटी कार्यक्रम सरकार के कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जो ग्रामीण लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए हैं। दुर्भाग्यवश कुछ राजनीतिक दल और नौकरशाह इन कार्यक्रमों को सफल बनाने में सरकार के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। इन योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि में से, जिन निर्धन लोगों के लिए यह धनराशि रखी जाती है, केवल 10 प्रतिशत धनराशि ही उन लोगों तक पहुंचती है। कुछ राज्यों और नौकरशाहों द्वारा शेष 90 प्रतिशत धनराशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, कर्नाटक में इन कार्यक्रमों के लिए आवंटित धनराशि का बहुत बड़ा हिस्सा विभिन्न राजनीतिक कार्यों के लिए खर्च किया जा रहा है। अतः केन्द्र के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि वह यह सुनिश्चित करे कि यह धनराशि सीधे निर्धन लोगों तक पहुंचनी चाहिए।

बागवानी के विकास के सम्बन्ध में हमारी सरकार ने विभिन्न व्यापक योजना शुरू की हैं। इन योजनाओं को राज्यों द्वारा ईमानदारी से कार्यान्वित किया जाना होगा। सम्पूर्ण देश में और विशेषकर गांवों में फल और खाद्य संसाधित यूनिटें स्थापित करनी होंगी। गांवो में सब्जियों और फलों के भण्डारण के लिए शीत भण्डारण सुविधाएं प्रदान करनी होंगी। वास्तव में, हमारे प्रधान मंत्री इन कार्यों के लिए उदारतापूर्वक धनराशि मंजूर कर रहे हैं जिससे कि गांव वालों के रहन-सहन के स्तर में सुधार हो सके। राज्यों को इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए और इस देश से गरीबी को जड़ से समाप्त करने में हमारे साथ सहयोग करना चाहिए।

हमारे कार्यक्रमों में सिंचाई को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कर्नाटक में उपरि भद्रा, उपरि कृष्ण और नेत्रावली परियोजनाओं को यथाशीघ्र पूरा करना होगा। किसानों को पानी और बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए। किसानों द्वारा खरीदे गए पानी के पाइपों पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए।

रेशम कीट पालन हमारे किसानों के लिए एक महान उपहार है। देश में 10 करोड़ से अधिक लोग रेशम कीट पालन में लगे हुए हैं। रेशम कीट पालन का न केवल कर्नाटक में, बल्कि सम्पूर्ण देश में विकास करना होगा और उसमें सुधार करना होगा।

शिक्षा के क्षेत्र में ठोस प्रगति हुई है। प्रत्येक तालुक में नवोदय स्कूल खोलने होंगे। इसमें निर्धन किसानों के बच्चों को अच्छी शिक्षा के अवसर उपलब्ध होंगे।

बेतलार और कर्नाटक के अन्य स्थानों में काफी मात्रा में स्वर्ण-अयस्क उपलब्ध हैं। केन्द्र को इस अयस्क को निकालने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।

केगा परमाणु विद्युत संयंत्र को बहुत जल्दी पूरा करना होगा। कुछ निहित स्वार्थ इस पैरियोजना का विरोध कर रहे हैं। कर्नाटक को ऊर्जा के गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। अतः केगा परियोजना को यथा शीघ्र पूरा करना होगा।

कर्नाटक और पश्चिम भारत में कोई उचित रेल लाइनें विशेषकर बड़ी रेल लाइनें नहीं हैं। हाल ही के रेल बजट में हमने देखा है कि केवल कुछ राज्यों ने अपना सब कुछ मंजूर करा लिया है। इस तरह के असन्तुलन से निश्चित रूप से आन्दोलनों और अन्य उपद्रव होने का मौका मिलेगा। मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह तत्काल इस असन्तुलन को दूर करें तथा कर्नाटक में रेल लाइनों के लिए अधिक धनराशि मंजूर करें।

महोदय आपने जो मुझे यह बोलने का अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और इन शब्दों के साथ मै अपनी बात को समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर): चेयरमैन साहब, मैं राष्ट्रपति जी के भाषण के प्वाइन्ट .9 का ज़िक्र करूंगा। उन्होंने फरमाया है कि—

[अनुवाद]

"हम आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कृत संकल्प हैं । हम तब तक डटे रहेंगे और अपनी लड़ाई जारी रखेंगे जब तक कि पंजाब में आतंकवाद का समूल नाश नहीं हो जाता। आतंकवाद के विरुद्ध इस लड़ाई में सबसे शक्तिशाली हथियार स्वयं जनता है।"

[हिन्दी]

लोगों की तारीफ राष्ट्रपति जी ने की है, जो बिल्कुल ठीक है। लोग ही बहुत बड़ा वैपन हैं जो पंजाब में टैरिज्म के साथ लड़ रहे हैं। मैं इस विषय में भारत सरकार से पूछना चाहूंगा कि लोग लड़ रहे हैं, हमने, इस हाउस ने और सरकार ने लोगों को मज़बूत करने के लिए क्या किया है? मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहूंगा कि हमने और हमारी सरकार ने लोगों को कमजोर किया है। कैसे कमजोर किया है, राष्ट्रपति जी का फरमान दुरुस्त है कि वह कौमुनल हारमनी और लोगों की आपसी सद्भावना के लिए लोगों को बधाई देते है उन्होंने आखिर में यह भी कहा है कि पौलिटिकल सौल्यूशन् के लिए हम प्रण लेते हैं, अपने आप को सब्मिट करते हैं, कमिट करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज पंजाब की स्थिति क्या है।

मेरे पास एक चिट्ठी है जो मि॰ हरकिशन सिंह सुरजीत जो कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेता हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लिखी है, चिट्ठी तो अकालियों ने भी लिखी होंगी, लेकिन मैं उनका ज़िक्र इसलिये नहीं करना चाहता कि वह अकाली दृष्टिकोण से ज्यादा देखी जाएंगी, हालांकि अकाली दृष्टिकोण देशभक्त, वतन के लिए मरने वाले और टैरिस्टों के खिलाफ जूझते-जूझते संत लोंगोवाल और सरदार जगदेव सिंह तलवण्डी पर हमला कराने तक गये है, लेकिन श्री सुरजीत ने लिखा है कि लोगों को हम कैसे मदद दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि—

[अनुवाद]

"यह केवल आतंकवादी ही नहीं जो अन्य असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, यहां तक कि पुलिस और प्रशासन भी उनका साथ दे रहा है।"

[हिन्दी]

इसके आगे भी मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा ।

[अनुवाद]

यहां तक कि इस महीने के शुरू में गुरूदासपुर जिले में बोलते समय श्री बलराम जाखड़, अध्यक्ष, लोक सभा को यह मानना पड़ा था की राज्य में प्रशासन ठप्प हो गया है।

[हिन्दी]

मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि हमने लोगों को कमजोर किया है और लोग कमजोर हुए हैं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनाई गई टालमटोल की नीति ही पंजाब में वर्तमान गंभीर स्थिति के लिए जिम्मेदार है। लेकिन इस समझौते को लागू करने और उन शक्तियों को मजबूत करने के बजाए जिन्होंने देश की एकता को कायम रखा और जिन्होंने अलगाववाद और उग्रवाद के विरुद्ध लड़ाई के लिए प्रण लिया, आपने बरनाला सरकार को बर्खास्त करना उचित समझा।

[हिन्दी]

मैं समझता हूं कि हमने लोगों को कमजोर किया। वह शक्तियां जो कि टैररिज्म के खिलाफ लड़ती थीं जिन में बरनाला जी थे। अकाली दल था और लैफ्ट पार्टी थी व खुद लोग थे, हमने उनकी प्रशंसा न करके टैररिस्ट को टॉकिंग प्वाइंट दिये। अब प्रधान मंत्री जी 10 तारीख को पंजाब तशरीफ रख रहे हैं। वह हाऊस के नेता हैं, हमारे देश के प्रधान मंत्री हैं। मेरी उनके प्रति बहुत इज्जत है। अतः मैं राजीव जी से यह रिक्वैस्ट करना चाहूंगा कि वह पंजाब जाने से पहले अपने मन से पूछें और अपने दल से पूछें कि उन्हें पंजाब में क्या कहना है। श्री प्रकाश सिंह बादल, श्री टोहरा और श्री सिमरनजीत सिंह मान आदि लोगों को इतने वर्षों से जेलों में क्यों रखा हुआ है। क्या वह ऐसा करके लोगों को कमजोर नहीं करते।

इसी प्रकार से जोधपुर के कैदी साढ़े चार साल से जेल में बंद पड़े हैं। उनमें से कुछ को तो आपने रिहा किया है लेकिन अभी भी बहुत से उनमें बंद हैं।

4.37 म॰ प॰

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

मैं ब्लू-स्टार आपरेशन में अन्दर था। मेरी नजरों के सामने ही श्री लोंगोवाल भी गिरफ्तार हुए। जोधपुर के बंदी जो कि साढ़े चार साल से जेल में हैं उनमें से 230 को आपने चार साल तीन महीने के बाद यह कह कर छोड़ दिया कि यह निर्दोष हैं। क्या निर्दोष लोगों को जेल में इतने अधिक समय तक रखने के बाद आपको पता लगा कि वह निर्दोष हैं? क्या इस बात का फैसला करने के लिये आपको साढ़े चार साल का समय चाहिए था? मुझे उम्मीद है कि आप कुछ की और रिहाई करने जा रहे हैं। दिल्ली में जो दंगे हुए थे उनके कातिलों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और न ही कोई सजा दी गई है। इस रवैये से आप पंजाब के लोगों को तो कमजोर करते हैं लेकिन टैररिस्टों को टॉकिंग-प्वाइंट बरगलाने के लिये देते हैं।

प्रधान मंत्री जी ने पंजाब एकॉर्ड किया था और हाउस ने इसको सर्वसम्मति से पास किया था। लेकिन उसके एक-एक क्लॉज को बरबाद कर दिया गया। संत लोगोंवाल जो कि इस देश के लिये शहीद हुए उनको "भारत रत्न" का खिताब तक नहीं दिया गया।

पंजाब में पुलिस का अत्याचार बहुत बढ़ गया है। आनरेबल स्पीकर साहब ने खुद कहा है

कि अत्याचार बढ़े हैं। आप जवाहर लाल नेहरू जी की जन्मशती मना रहे हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी ने जगह-जगह फरमाया कि पंचायतों को ताकत देनी है और पंचायत देश की शक्ति है व पंचायतें बैक-बोन हैं। लेकिन आज बटाला में पंचों, सरपंचों और चुने हुए निर्दोष लोगों को बुला-बुला कर पीटा जा रहा है। बेइज्जती की जाती है और हाहाकार मचा हुआ है। खुद पंजाब के गवर्नर ने इन्क्वारी कमेटी बैठाई है। उसके बारे में प्रधान मंत्री जी को जाने से पहले- पहले इस बात पर भी स्पष्ट विचार समस्त अपोजीशन को बुलाकर रखने चाहिए। कितने अफसोस की बात है कि प्रधान मंत्री जी ने और सरकार ने एक अक्टूबर, 1988 को एक केबिनेट सब कमेटी मुकर्रर की, उस केबिनेट सब कमेटी की एक अक्टूबर, 1988 से आज 2 मार्च, 1989 तक पांच छः महीने में एक भी मीटिंग नहीं हुई, यह पंजाब का मसला हल करने की सीरियसनैस है। मैं चाहूंगा कि सरकार प्रेसीडैण्ट एड्रैस पर हुई बहस का जवाब देते हुए इस बात का जवाब दे कि आपने कौन-कौन से स्टैप उठाये हैं जिनसे टैररिस्टों के खिलाफ लड़ने वाले पंजाब के लोगों को ताकत मिली है । मैंने इतने स्टेपों की गिनती की है जिनसे पंजाब में टैररिज्म के खिलाफ खड़े होकर झगड़ा करने वाले हिन्दु, सिख और मुसलमान तीनों वर्ग के लोगों की एकता को आपने कमजोर किया है, आपने उनमें फांक डाली है इसको आप स्पष्ट कीजिए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। पंजाब के लोगों को बहुत दुख है कि पंजाबी लैंग्वेज को, लोंगोंवाल एकॉर्ड में यह कहा गया था पंजाबी भाषा को पंजाब के पड़ोसी राज्यों जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में बढ़ावा मिलेगा। जगह-जगह यूनिवर्सिटिओं में, टेलीवीजन पर, रेडियो पर पंजाबी के कार्यक्रमों को आज कम किया जा रहा है। पंजाबी अकेले सिखों की भाषा नहीं है बल्कि यह समस्त पंजाबियों की भाषा है। आज जब मैं यह बात कह रहा हूं कि पंजाबी के साथ भेदभाव हो रहा है तो कोई बात नहीं लेकिन अगर मैं यही बात 4 दिन पहले कहता तो कोई मित्र कहता कि रामूवालिया जी आप गलत कह रहे हैं लेकिन मैं दिलोजान से कहता हूं कि मैं गलत बात कहने की कोशिश नहीं करता लेकिन हमारे केबिनेट मिनिस्टर, गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने कहा कि पंजाबी के साथ भेदभाव हो रहा है। श्री भजन लाल जी की कयादत में, प्रधानगी में करनाल, हरियाणा में पंजाबी सम्मेलन हुआ है, वह अकाली दल ने नहीं बुलाया, वह श्री भजन लाल जी और कांग्रेस पार्टी के हमारे भाइयों ने बुलाया था और उसमें कहा गया कि पंजाबी को हरियाणा में सैकिण्ड लैंग्वेज का दर्जा दिया जाय। वैसे तो हम यह प्रश्न कर सकते हैं कि श्री भजन लाल जी जब मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने हरियाणा में तेलगू को सैकिण्ड लैंग्वेज बनाया और हरियाणा से पंजाबी को निकाल दिया लेकिन चलो देर आयद, दुरूस्त आयद। आज भी अगर पंजाबी के साथ भेदभाव को रोका जाय तो ठीक है।

आपने मुझे जितना टाइम दिया है, उतने में मैं समाप्त करना चाहता हूं। आपने पंजाब प्राब्लम का जिक्र राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में किया। मुझे समझ में नहीं आता कि जब पंजाब राष्ट्रीय समस्या है तो पंजाब की सारी पुलिस का खर्चा 24 करोड़ से बढ़कर 110 करोड़ रुपया जो हो गया है और पंजाब का खजाना खाली हो गया है, पंजाब बैंकरप्सी की स्टेज की ओर बढ़ रहा है तो मैं आपसे पूछता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, जोर देता हूं कि अगर पंजाब राष्ट्रीय समस्या मानी गई है तो उसका पुलिस वगैरह का सभी खर्चा गवर्नमैण्ट आफ इण्डिया को बर्दाश्त करना चाहिए। अगर बर्दाश्त नहीं करते तो कम से कम पंजाब के जिम्मे जो टर्म लोन है, पंजाब के उस पंचवर्षीय योजना के टर्म लोन को माफ किया जाय और पंजाब की पंचवर्षीय योजना की रकम दोगुनी की जाय क्योंकि वहां स्पेशल सिचुएशन है।

आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब के गवर्नर बार-बार कहते रहे हैं पिछले दो वर्ष और 4 महीने से कह रहे हैं कि मेरे पास पंजाब फार्मूले का सॉल्यूशन है। प्राइम मिनिस्टर उसको एनाउंस करेंगे, उसको सुनते-सुनते हमारे कान थक गए हैं । अगर सॉल्यूशन है, फार्मूला है, तो गवर्नर साहब एनाउंस करें । मैं कहता हूं, है ही नहीं। और फिर गर्वनर साहब ने कहा कि सी० आर० पी० एफ०, बी० एस० एफ० और पैरा मिलिट्री फोर्सेस में पंजाब के अंदर दस हजार नौजवान एडीशनल भर्ती किए जाएंगे, लेकिन बिलकुल नहीं किए। उसका भी आप यहां पर जिक्र करें। फिर उन्होंने कहा कि एक लाख नौकरियां दी जाएंगी, अनएम्पलॉयमेंट को दूर करने के लिए, लेकिन उस तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये बातें मैं नोटिस में लाया हूं। मैं चाहता हूं सरकार इस तरफ ध्यान दे । चूंकि इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया है, इसलिए मैं राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के ऊपर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है, उसको सपोर्ट नहीं कर सकता।

[अनुवाद]

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप): हमें राष्ट्रपति को उनके द्वारा अपने अभिभाषण में देश में व्याप्त वास्तविक स्थिति का उल्लेख करने के लिए मुबारकबाद देनी चाहिए। उन्होंने अपने अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया है कि आज से चार वर्ष पहले जब इस सरकार ने कार्यभार संभाला था तो देश में क्या स्थिति थी।

हमारी प्रिय प्रधान मंत्री इन्दिरा जी की हत्या के बाद, हमारे देश के शत्रु, अन्दर और बाहर, देश को नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे और हमारे देश के विशेषकर संवेदनशील भागों अर्थात पूर्वोत्तर क्षेत्र में अराजकता की परिस्थितियां पैदा कर रहे थे। श्री राजीव जी की सरकार ने जो पहला कदम उठाया वह था हमारे समाज के सभी वर्गों को हमारे देश के सभी क्षेत्रों को विशेषकर उन दूर-दराज के क्षेत्रों को जहां पर लोग अपने आप को अलग थलग महसूस करते थे उनको इकट्ठा किया जाए। सरकार की नीति का राष्ट्रपति के अभिभाषण में सही उल्लेख किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह के विवाद, किसी भी तरह के मतभेद को लोकतांत्रिक तरीके से हल करना होगा; और इसी बात की 1985 में असम समझौते में घोषणा की गई और बाद में मिजोरम, त्रिपुरा और दार्जिलिंग तथा देश के अन्य भागों के बारे में भी यही बात कही गई। जो इस देश के टुकड़े करने के बारे में सोच रहे थे और जो इस देश का विभाजन करने और उसे अस्थिर बनाने के बारे में सोच रहे थे, उनको निराशा हुई थी।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इस बात का सही उल्लेख किया है कि सरकार का मुख्य उद्देश्य मेल-मिलाप, सर्वसम्मति और सभी वर्गों के लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया और राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा में लाने का रहा है। उसमें यह सरकार सफल रही है। दलगत राजनीति को नजरअन्दाज करते हुए, इस सभा के प्रत्येक सदस्य को सरकार को उसके कार्य निष्पादन के लिए मुबारकवाद देनी चाहिए।

इन चार वर्षों के दौरान हमारी क्या समस्याएं थीं? यहां अभूतपूर्व सूखा पड़ा था। इस देश में हर कोई यह सोच रहा था कि इस सूखे के परिणामस्वरूप हमारी अर्थव्यवस्था ठप्प पड़ जाएगी। देश में सूखे की स्थिति बहुत ही गंभीर थी। प्रधान मंत्री ने स्वयं इस कार्य को अपने हाथ में लिया और उन्होंने सभी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया तथा एक मंत्रिमन्डल समिति गठित की। संसाधन जुटाए गए, इसके लिए तंत्र की स्थापना की गई और बड़े पैमाने पर राहत कार्य का प्रबन्ध किया गया।

मेरे विचार से इस देश के इतिहास में यह एक अभूतपूर्व बात है कि सभी सूखा-पीड़ित क्षेत्रों में सहायता के लिए लोग भी गए और वहां सामान भी पहुंचाया गया। हमारे देश को प्रत्येक एक-दो वर्ष के बाद इस तरह के सूखे का सामना करना पड़ता है और इसके साथ ही साथ हमें देश के विभिन्न भागों को बाढ़ का भी सामना करना पड़ रहा है। कुछ वर्ष पूर्व एक प्रस्ताव रखा गया था कि उत्तर की नदियों को दक्षिण की नदियों से जोड़ने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाए ताकि हम बाढ़ों पर नियंत्रण कर सकें और इसके साथ ही इस तरह बार बार पड़ रहे सूखे को रोका जा सके जिसके कारण पूरे देश को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है । मेरे विचार से लोग भी कमर कस कर इसके लिए काम करने को तैयार हैं । सरकार इन बातों पर गंभीरता से विचार कर सकती है ताकि इस समस्या का स्थायी रूप से समाधान करने के लिए उत्तर की नदियों को दक्षिण की नदियों से जोड़ा जा सके।

अन्य जिस महत्वपूर्ण बात के बारे में उन्होंने बताया है वह अर्थ-व्यवस्था के विकास के बारे में है । इतने अधिक सूखे के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था में 3.5 प्रतिशत की शानदार वृद्धि हुई है। मुझे इस बात की जानकारी है कि हमारे देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में कितनी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं क्योंकि मैं भी ऐसे ही क्षेत्र का रहने वाला हूं। प्रधानमंत्री जी ने ऐसे सभी दूर-दराज के क्षेत्रों का दौरा किया है जहां यातायात, संचार सुविधाएं और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। 4 वर्षों तक इन दूर-दराज के क्षेत्रों का दौरा करने और लोगों से मिलने तथा वहां की स्थिति जानने के बाद ऐसे क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक तंत्र नियुक्त किया है ताकि देश कुशलतापूर्वक चल सके और इसकी एकता तथा अखंडता सुरक्षित बनी रहे। अतः इसके लिए सरकार को बधाई देनी होगी।

हम कह सकते हैं कि देश के लगभग सभी भागों में 3-4 महीनों में उपग्रह संचार केन्द्र स्थापित कर दिए जाएंगे और कई स्थानों पर तो ये केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं । मैं उनके बारे में इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं लक्षद्वीप से निर्वाचित हुआ हूं । वहाँ दो अर्थ-स्टेशन पहले ही स्थापित किए भी जा चुके हैं। और अन्य 4 स्टेशन 3-4 महीनों में पूरे हो जाएंगे।

परिवहन के क्षेत्र में, विचारणीय सुधार हुआ है । कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां सरकारी तंत्र में तेजी लानी होगी। उदाहरण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल पूर्ति योजना चालू नहीं की गई है । मेरे अपने क्षेत्र में, सरकार बहुत इच्छुक है कि इस योजना को कार्यान्वित किया जाए । दूर-दराज के क्षेत्रों में जल के कारण होने वाला रोग बहुत फैला हुआ है । 90 प्रतिशत बीमारी पानी के कारण होती है। इसलिए सरकार इस योजना के कार्यान्वयन की बहुत इच्छुक है किन्तु प्रशासनिक तंत्र इसके कार्यान्वयन का काम बड़ी धीमी गति से कर रहा है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह देखे कि ऐसे क्षेत्रों में यह योजना अविलम्ब कार्यान्वित की जा सके।

डी० आर० डी० पी० के संबंध में सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है। उदाहरण के लिए, एन० आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जी० पी० और आई० आर० डी० पी० बहुत अच्छी

योजनाएं हैं और सरकार को उनके उचित कार्यान्वयन के बारे में विचार करना होगा। कुछ योजनाएं ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों के लिए अच्छी हैं। पहले लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था अथवा भूखे रहना पड़ता था क्योंकि उन्हें पूरा वर्ष भर अधिक काम नहीं मिलता था। अब देश में ऐसे लोग अधिक नहीं हैं । मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि विपक्ष में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है जो दलगत राजनीति से उठकर किसी को इसका श्रेय दे । सरकार जब ऐसा करती है तो यह देश के हित में ही है । जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें इसका श्रेय दिया जाना चाहिए।

देश के समक्ष इस समय सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। एन० आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जी० पी० के अंतगरत ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों का ध्यान रखा जा रहा है। आई० आर० डी० पी० मुख्यतः शिक्षित युवकों के लिए है । अब निर्वाचन सुधार के लिए शिक्षित युवकों को राजनीतिक जीवन की मुख्यधारा में लाया जा रहा है और इसके लिए बहुत से कदम उठाए गए हैं जिसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं। मेरा सुझाव है कि जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है उन्हें रोजगार अनुदान दिया जाना चाहिए। और जो लोग विशेषकर शिक्षित युवक, नौकरी पाने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें कम से कम जीवन-निर्वाह भत्ता दिया जाना चाहिए। शिक्षित बेरोजगार युवकों को अनुदान अवश्य दिया जाना चाहिए।

मैं आपको और आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक और मुद्दे की ओर दिलाना चाहता था। वह मुद्दा आतंकवाद के बारे में है जिसका जिक्र अभी अभी मेरे मित्र श्री रामूवालिया ने किया था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने उस दिन कहा था कि विपक्ष के ही एक सदस्य ने खालिस्तान के पक्ष में कुछ कहने की हिम्मत की थी। हमें इस बात की परवाह नहीं है कि वह सदस्य इसी सभा का है या फिर राज्य सभा का। किन्तु साथ ही हम संसद सदस्यों ने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है और हमारी जिम्मेदारी आम नागरिकों से अधिक है। प्रधानमंत्री जी का कहना था कि नेशनल फ्रंट के सदस्य चाहे वह जनता दल का था या जनता पार्टी का अथवा किसी अन्य पार्टी का—वह किसी भी दल का हो—को फटकारा नहीं गया है। हमारे प्रधानमंत्री ने यह कहा था। उसे फटकारा नहीं गया था।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दुपुर): यह ठीक नहीं है। **(व्यवधान)** वह ठीक नहीं कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री पी०एम० सईदः सभापति महोदय, मैं इसे नहीं मानता। यह नेशनल फ्रंट पर कलंक है। उन्हें कम से कम सदस्य को फटकारना चाहिए था।

इसलिए राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह बताया गया है कि आतंकवाद को रोकने के लिए इस समय क्या किया जा रहा है। पंजाब तथा देश के अन्य भागों के लोगों को मिलकर रहना चाहिए और एक आवाज से सरकार को पूरा सहयोग देना चाहिए। पंजाब के राज्यपाल और वहां का प्रशासनिक तंत्र आतंकवाद को रोकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं।

श्री रामूवालिया श्री बादल और अन्य नेताओं का जिक्र कर रहे थे। यह कैसे संभव है कि पंजाब समझौते के बाद भी जब सरकार तुरंत चुनाव कराना चाहती थी, उनकी सरकार सत्ता में आई किंतु वह आतंकवाद पर नियंत्रण नहीं कर पाई। मैं उन पर

या उनके दल पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। पंजाब के नेता, चाहे वे लोंगोवाल दल के हों या किसी अन्य दल के, संभवतः कम से कम उनमें से कुछ को सरकार को पूरा समर्थन देना चाहिए था। यही कारण है कि वे वहां आतंकवाद पर नियंत्रण नहीं कर पाए। अतः उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यह कहना चाहिए था "हम इसलिए असफल रहे हैं क्योंकि हमने आतंकवाद पर नियंत्रण करने के लिए तहेदिल से प्रयास नहीं किए" हमें तब बहुत खुशी हुई होती । मै उन्हें बधाई देता। लेकिन वह उसमें असफल रहे हैं।

अतः देश को आतंकवाद को रोकने में एक जुट होना चाहिए था। जब तक लोग, विशेषकर पंजाब को जनता आतंकवाद का सामना करने के लिए एकजुट होकर आगे नहीं बढ़ती, हम आतंकवाद को शत-प्रतिशत समाप्त करने में सफल नहीं हो पाएंगे।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए तथा देश में विद्यमान वास्तविक स्थिति का जिक्र करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

5.00 म०प०

डा० दत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य): महोदय, यदि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नजर डालें, जो कि एक सामान्य दस्तावेज है, तो आप पाएंगे कि इसमें नेहरू जी, इंदिराजी, राजीव जी और कहीं कहीं गांधी जी का भी जिक्र है। उन्होंने जरूर कुछ अच्छे और कुछ गलत कार्य भी किए होंगे। उस पर चर्चा करना जरूरी नहीं है। इसमें राष्ट्रीय एकता, आतंकवाद, निर्धनता, बेरोजगारी और महिलाओं के बारे में कहा गया है। इस देश की जनता ऐसी बातें पढ़-पढ़ कर और उन्हें टेलिविजन पर देखकर तथा रेडियो पर सुन सुनकर थक चुकी है। मै जानना चाहता हूं कि आपने प्रत्येक क्षेत्र में क्या ठोस कदम उठाए हैं। आपकी सामान्य आय में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बजट में इसका उल्लेख किया गया है। मैं इस वक्त आंकड़ों के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। मैं केवल एक प्रश्न पूछूंगा आप इस आय का वितरण किस तरह से करने जा रहे है? बिरला, टाटा जैसे बड़े उद्यमी प्रति दिन 10-12 लाख रुपए की आय अर्जित कर रहे हैं और कुछ पददलित लोग ऐसे भी हैं जो दिन भर में 10-12 आने ही कमा पाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आप अपनी वार्षिक आय का वितरण किस प्रकार करते हैं और आप कितने निर्धन और कितने धनी हैं। इस देश में प्रति परिवार की प्रति माह औसत आय 1350 रुपए है। बजट में यह आंकड़े बताए गए हैं। मै जानना चाहता हूं कि गांवों में कितने परिवारों की इतनी आय है। ये लोग इस राशि का 70 से 80% तक भी नहीं कमा पाते हैं। हजारों में एक ही व्यक्ति की इतनी आय है। आपने इस बारे में सही तस्वीर पेश नहीं की है।

महोदय, 1950 में निर्धनतम व्यक्ति भी 15 कि० ग्राम चावल खरीद सकता था परन्तु आज उसकी क्रय क्षमता मात्र 8 कि०ग्राम चावल की ही रह गई है। विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट के अनुसार, निचले स्तर के दस प्रतिशत लोगों पर राष्ट्रीय आय का तीन प्रतिशत भाग खर्च होता है और ऊपर के स्तर के दस प्रतिशत पर राष्ट्रीय आय का 34 प्रतिशत भाग खर्च होता है। हम जानना चाहते हैं कि आप इस आय का वितरण किस प्रकार करेंगे? आपकी गैर-सरकारीकरण की नीति तथा अन्य नीतियों के कारण काला धन बढ़ रहा है। राष्ट्रीय लोक वित्त नीति संस्थान के अनुसार, काला धन बढ़ने की वार्षिक दर वर्ष 1984-85 में बढ़ कर 40110 करोड़ रु० हो गई थी जो कि अनुमानतः 4 करोड़ रु० प्रति घन्टा बैठती है। ये आँकड़े राष्ट्रीय संस्थान द्वारा दिए गए हैं। मै आपका उत्तर जानना चाहता हूँ। अन्यथा आप मना कर दीजिए कि देश में काला धन है ही नहीं। ऐसी अर्थ-व्यवस्था से देश की प्रगति कैसे होगी। भूतपूर्व वित्त मंत्री ने, चाहे आज किसी

भी दल में हों, इस प्रकार के काले धन को समाप्त करने का प्रयास किया था। उन्होंने इसके लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करने वाले कुछ बड़े घरानों के व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया था। परन्तु उन्हें मंत्रीपद छोड़ना पड़ा । तत्पश्चात्, आपने खेद व्यक्त करके उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद मुझे नहीं मालूम कि आपने कोई ऐसे उपाय किए हैं ।

परसों संसद में प्रस्तुत किए गए बजट के अनुसार, आप अगले वर्ष 17000 करोड़ रु० का ब्याज दे रहे हैं और देश की विकास योजना के लिए अगले वर्ष 24000 करोड़ रु० नियत किए गए हैं। पचास प्रतिशत धन ब्याज पर खर्च हो रहा है। यह स्थिति इतनी निराशाजनक है कि मेरे विचार में हम बेरोजगारी अथवा गरीबी की समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे।

महोदय, मद्रास में विधान सभा चुनाव के दौरान एक नारा लगाया गया था। यह नारा था बेकारी मिटाओ। पहले नारा था गरीबी हटाओ। मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं सरकार से यह पूछ रहा हूं कि पिछले चार वर्षों में देश में कितने लोगों को रोजगार दिया गया है। असंगठित श्रमिकों की संख्या दस से पन्द्रह करोड़ है। टाटा, बिरला जैसे बड़े घरानों, बहुराष्ट्रिक कम्पनियों और सरकारी उपक्रमों में पिछले चार वर्षों मे रोजगार क्षमता में दो प्रतिशत की कमी आई है। ये बातें सर्वेक्षण के दौरान दी गई आपकी रिपोर्टों में उल्लिखित हैं।

आधुनिकीकरण योजना को ही लीजिए। इस योजना के अन्तर्गत गुजरात में 'रिलाइन्स' 1200 करोड़ रु० लागत का एक नया संयंत्र लगा रही है। इसमें केवल 500 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। थापर का नया संयंत्र गोवा में लग रहा है। वहां केवल 300 व्यक्तियों को काम पर रखा जाएगा। आधुनिकीकरण के नाम पर करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च करके सभी कुछ विदेशों से लाया जा रहा है। ये हैं आपकी नीतियाँ। परन्तु इससे देश की गरीब जनता को क्या लाभ मिलेगा?

सरकारी क्षेत्र में 21 लाख श्रमिक लगे हैं। अब आपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू की है। उस योजना के अन्तर्गत 2 लाख श्रमिक स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गए हैं। आपकी कपड़ा नीति के बाद, 135 मिलें बंद हुई और लगभग 3 लाख कपड़ा मजदूर नौकरी से हटाए गए। रेलवे में 16 लाख व्यक्ति कार्यरत हैं। ये आँकड़े पिछले चार वर्ष के हैं और यह संख्या स्थिर है।फिर आपके बेकारी हटाओ कार्यक्रम की क्या स्थिति है। संगठित क्षेत्र में रोजगार क्षमता कम हुई है। कृपया बताएं कि इस स्थिति में सुधार लाने के लिए आप आगामी वर्ष में क्या करने जा रहे हैं? जहां तक रोजगार क्षमता का सम्बन्ध है, इसमें गिरावट ही आ रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में क्या आपने श्रमिकों के बारे में एक भी शब्द कहा है? क्या कपड़ा नीति के बारे में कुछ कहा है? कृषि के बाद देश में सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग है—कपड़ा, विद्युत करघा, हथकरघा और कपास उत्पादक। इनके बारे में अभिभाषण में एक भी शब्द नहीं कहा गया है। यह इस सरकार की असफलता है। कपड़ा नीति लागू करने के बाद से 135 कपड़ा मिलें बन्द हो गई हैं और लगभग 3 लाख श्रमिक बेकार हो गए हैं। मैं पिछले सप्ताह कानपुर में नहीं था। वहां 30,000 कपड़ा मजदूर रेल पटरी पर बैठ गए और सभी रेलगाड़ियों को उन्होंने रोका। तब सरकार झुकी। मजदूरों ने अपने नेता के बिना भी रेलपटरी पर धरना देकर रेलगाड़ियों को क्यों रोका? क्या यह आपकी असफलता नहीं है? हथकरघा और विद्युत करघा उद्योगों में 12 घंटे की मजदूरी 12 रु० है। कपास उत्पादकों को कुछ ज्यादा मिल रहा है। परन्तु सरकार की कोई नीति नहीं है। पिछले वर्ष आपने पोलिएस्टर फाइबर और फिलामेंट यार्न पर 700 करोड़ रुपये की रियायत दी थी। इससे धीरूभाई अम्बानी की रिलाइन्स कम्पनी तथा ऐसे ही बड़े घरानों को लाभ पहुँचा है। क्या इससे देश में कपड़ों के मूल्य कम हुए हैं? माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि लक्ष्य यही था। परन्तु कुछ बड़े लोग इस रियायत को डकार गए है। कपड़े की तस्करी निरन्तर जारी है।यह एक दूसरा मुद्दा

है। अतः यह कपड़ा नीति की असफलता है जिससे केवल 12 बड़े घरानों अर्थात् रिलायन्स, मेचुरी, बाम्बे डाइंग आदि को ही इस 700 करोड़ रु० की रियायत का लाभ मिला है। देश के 1.15 करोड़ श्रमिकों को नुकसान पहुँचा कर, जोकि घोर दुख उठा रहे हैं, ऐसा किया गया है। अब इन लोगों की ओर ध्यान देने का समय आ गया है।

गैर-संगठित श्रमिकों की क्या स्थिति है? न्यूनतम मजदूरी लागू करने के कार्यक्रम का क्या हुआ? आज 1.6 लाख कारखाने बंद हैं। प्रतिवर्ष 20,000 कारखाने बंद हो रहे हैं। 5000 करोड़ रु० रुके पड़े हैं। आपने एक बोर्ड गठित किया है। सभी बड़ी बहुराष्ट्रिक कम्पनियाँ शहरों में अपने कारखाने बंद कर रही हैं। वे इस देश मे किसी के प्रति भी जवाबदेह नहीं है। इस देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था इसी प्रकार चल रही है।

पिछले महीने, इस सरकार ने 'औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रृंखला 1982 प्रस्तुत की है। जब आप रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं तो जेबकतरा आप की जेब बाहर से काटेगा। परन्तु इस सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला लागू करके आपकी जेब अन्दर से काटी है। इस देश का कामकाजी वर्ग आप पर विश्वास नहीं करेगा। बम्बई का उपभोक्ता मूल्य शिमला से तय होता है। मैं वहां आयुक्त से मिला था। उन्होंने दिखाया है कि विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों में कमी आई है। बासमती चावल के भाव 8.51 रु० से गिर कर 8.12 रु०, गेहूं के 3.27 से 3.08 रु०, चने की दाल के 12.43 रु० से घटकर 11.86 रु०, बेसन के मूल्य 13.97 रु० से घटकर 13.32 रु०, मूंग की दाल के मूल्य 12.43 रु० से घटकर 11.86 रु० और मूंगफली के तेल के भाव 22.28 से गिर कर 20.51 रु० हो गए हैं। ये सब गलत आंकड़े हैं। मूल्य सूचकांक कम लाने के लिए ये फर्जी आंकड़े दिखाए गए हैं।

5.10 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

वास्तव में मंहगाई भत्ते के रूप में जो कुछ मजदूरों का मिलेगा आप उसे कम कर देंगे। अतः इस सरकार ने श्रमिकों के लिए औद्योगिक सूचकांक उपभोक्ता श्रृंखला लागू करके अन्दर से जेब काटी है। महोदय, बम्बई महाराष्ट्र में संशोधित मूल्य सूचकांक के कारण कपड़ा मजदूर सहित लगभग 50 लाख मजदूरों को 30 रु० प्रतिमाह से 150 रु० प्रतिमाह तक महंगाई भत्ता मिला परन्तु आप मंहगाई भत्ते के बारे में सभा में चर्चा करने या कोई वक्तव्य देने के लिए तैयार नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि सरकार ने श्रमिकों को अपने हिस्से से वंचित करके एक डाकू से भी गलत भूमिका निभाई है।

महोदय, इस अभिभाषण में महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा का कोई जिक्र नहीं किया गया है। यह सीमा-विवाद पिछले 32 वर्षों से लटका हुआ है। हमारा निवेदन है कि आप जनमत करा लीजिए और हम जनमत को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। 13 मार्च को बेलगांव - के - विधायक श्री राजभान माणे आमरण अनशन करने वाले हैं और उन्होंने प्रधान मंत्री को भी अभ्यावेदन भेज दिया है। इस क्षेत्र की यह ज्वलन्त समस्या है। इस मसले को सुलझाने का संवैधानिक दायित्व केन्द्रीय सरकार का है। आप जनमत करा लीजिए और हम उसे स्वीकार करने को तैयार हैं।

महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में अनेक बातें कही गई हैं। माननीय प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान और चीन की यात्राएं की हैं। अच्छे सम्बन्ध बनाना अच्छी बात है। परन्तु इन यात्राओं का परिणाम क्या रहा है?

मैं माननीय प्रधान मंत्री द्वारा समझौतों पर हस्ताक्षर किये जाने के बारे में विस्तृत सूचना चाहता हूं। यहां तक कि प्रधान मंत्री के दौरे के बाद भी, देश में आतंकवादियों की गतिविधियां कम नहीं हुई है। पाकिस्तान से भारत में गोला-बारूद तथा हथियारों का चोरी छिपे आना कम नहीं हुआ है। गुरबचन सिंह मंनोचहल और वासान सिंह जाफरवाल जैसे नामी आतंकवादी नेताओं ने पाकिस्तान में शरण ली हुई है और भारत में आतंकवादियों को हथियारों के मुख्य सप्लायर्स बन गए हैं। उनकी गतिविधियाँ पहले जैसी बनी हुई हैं और हथियार हमारे देश में आ रहे हैं। 2 दिसम्बर को आपने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था और उन्होंने कुछ गुप्त सूचना दी थी। उनसे पूछताछ से पता चला है कि हथियारों की सप्लाई पाकिस्तान क्षेत्र की सीमा से की जाती है और अब जो सप्लाई की जा रही है उनमें पाकिस्तान में बनी ए-के – 47 लड़ाई के लिए बन्दूकें और अन्य हथियार हैं। अब महोदय, पाकिस्तान के साथ इस तरह के अच्छे सम्बन्धों के बावजूद भी, सीमा पर ये गतिविधियां लगातार जारी हैं । आपका रक्षा बजट निर्धारण भी उसी प्रकार है। रक्षा के लिए 13,000 करोड़ रुपए निर्धारित करने की क्या आवश्यकता है? श्रीमती बेनजीर भुट्टो के साथ अच्छे सम्बन्धों के बावजूद भी आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं, रक्षा बजट का निर्धारण भी पहले की तरह है। अतः मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है और सरकार को उस मामले को देखना होगा और उसे ठीक करने के लिए तत्काल कदम उठाना होगा। मैं समझता हूं कि यह अभिभाषण केवल सैद्धान्तिक बात है जोकि नवीं कक्षा की पुस्तक में छपी हुई है जिसमें कि विद्यार्थी पंडित नेहरू के बारे में, गरीबी के बारे में, देश की महिलाओं और बच्चों आदि के बारे में पढ़ते हैं। इसलिए मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का पूरी तरह से विरोध करता हूं और हम इस सभा में इस तरह के भाषण नहीं चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का मुझे भी अवसर दिया।

इस अवसर पर हमारे विरोधी पक्ष के बड़े-बड़े नेताओं ने अपने विचार प्रकट किये हैं । अधिकांश जो बड़े नेता कहलाते हैं, उन्होंने आलोचना को छोड़कर और कोई दूसरी बात नहीं कही । हमने देखा कम्युनिस्ट पार्टी के भाई जब बोल रहे थे तो उनका मुख्य मुद्दा यह था कि कांग्रेस की सरकार ने 41 बरस में क्या किया ?

ठीक मालूम होता है, जैसे देहात में भैंस को जब नहलाने ले जाते हैं तो एक जोंक नाम का कीड़ा स्तन में लगता है। उस स्तन में दूध का भंडार रहता है, लेकिन वह कीड़ा दूध नहीं चूसता बल्कि खून चूसता है । हमारे नेताओं को केवल बुराइयां नजर आती हैं, अच्छाई नजर नहीं आती । मैं पूछना चाहता हूं कि 41 साल में सरकार ने क्या नहीं किया, क्या वह बता सकते हैं!

पहले के 60 साल से ऊपर के भाई होंगे, वह अपने दिल पर हाथ रखकर कहें कि जब मुल्क आजाद नहीं था, बंगाल और पाकिस्तान सब एक था और 36 करोड़ की आबादी थी, बंगाल में अकाल पड़ा, लाखों-लाखों लोग मारे गये, बंगाल अलग हो गया और पाकिस्तान अलग हो गया। भारतवर्ष में पिछले साल सूखा पड़ा । क्या यह सच नहीं है कि भूख से कोई आदमी यहां नहीं मरा । आज 80 करोड़ लोगों को भरपेट भोजन मिलता है । जब 36 करोड़ हमारी आबादी थी तो दो वक्त भोजन नहीं मिलता था । 60 वर्ष की उम्र वाला गांव का आदमी यह बता दे कि क्या उस समय कोई किसान दो वक्त भोजन कर पाता था । एक-आध आदमी ऐसे होते थे जिन को कि दोनों वक्त खाना मिलता था । क्या यह तरक्की नहीं हुई है ? पहले जो कृषि की उपज थी अगर उतनी आज उपज होती तो लोगों को खाने

को नहीं मिलता । हमने सबसे बड़ा काम कृषि क्षेत्र में किया है और इतना अधिक अन्न पैदा किया है कि आज हम यह अन्न विदेशों में भेजने के काबिल हो गये हैं। जब 36 करोड़ हमारी आबादी थी तो विदेशों से गल्ला आता था । जो अन्न बाहर पशुओं को खिलाया जाता था वह हमें यहां खाने को मिलता था ।

हमारे दत्ता सामंत जी एक मजदूर नेता हैं और वह कपड़ा मिलों की ही बात करते हैं। हमें मालूम है कि जब मुल्क आजाद नहीं था जो उस समय जापान से कुतिया छाप और आम छाप कपड़ा आता था । बड़े-बड़े घरों के लोग वही कपड़ा पहनते थे । गांव में रहने वाले लोगों ने कभी ऊनी वस्त्र नहीं पहना था । मरने पर कफन के लिये पर्ची लेनी पड़ती थी । क्या आज उन्नति नहीं हुई है । हमारे विपक्ष के लोग यह कहते हैं कि सरकार ने क्या किया ? सबसे बड़ा काम सरकार ने यह किया कि सब को खाने के लिये अनाज दिया । आजादी के पहले गांवों में हरिजन, जनजाति और जंगली लोग जो रहते थे और जो खाने को मोहताज थे वह गोबर से अन्न के दाने निकाल कर घर ले जाते थे । इसके बाद वह उनको सूखा कर उसमें से अन्न निकाल कर उसे खाते थे । यह जो सब जानते हैं कि उस समय गेहूं बहुत कम होता था और गेहूं का मढ़ाई वगैरह भी नहीं होती थी।(व्यवधान)

[अनुवाद]

डा० वी० वेंकटेश : महोदय, यह सच नहीं है । यह एक समुदाय विशेष के विरुद्ध है । महोदय, अनुसूचित जातियों के एक सदस्य के नाते मैं इसका विरोध करता हूं । जो कुछ उन्होंने कहा है वह ठीक नहीं है ।

डा० दत्ता सामंत: उनका बोलने का यह तरीका नहीं होना चाहिए ।

डा० वी० वेंकटेश : आप इसे वापस ले लेंगे उनका यह तरीका नहीं है ।

डा० दत्ता सामंत : 'पिछड़े वर्ग गोबर खा रहे हैं' — उन्होंने ऐसा कहा है।

(व्यवधान)

डा० वी० वेंकटेश : इसको कार्यवाही वृतान्त से निकाल देना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृतान्त को पढ़ूंगा कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : उन्हें अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए।

डा० वी० वेंकटेश : इस बात को कार्यवाही वृतान्त से निकाल देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृतान्त को पढ़ूंगा और देखूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : आज अगर हमारे माननीय सदस्यों को एतराज है तो मैं चैलेंज करता हूं। आप दत्ता सामंत जी को मेरे साथ भेज दीजिए। मैं बुजुर्गों से यह बात आपको सुनवा सकता हूं। हमारी सरकार ने गरीब लोगों की भलाई के लिए अनेक काम किये।

[अनुवाद]

डा॰ वी॰ वेंकटेश : महोदय, मैं इसका पूरी शक्ति से विरोध करता हूं। कृपया इस बात को इसी रूप में कार्यवाही वृतान्त में जाने की अनुमति न दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बात का ध्यान रखूगा। आप चिन्ता न कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : आप सच्चाई से घबरा क्यों रहे हैं। हमारी कांग्रेस सरकार ने गरीबों को खाने के लिये अनाज दिया। आज गरीबों को दोनों वक्त खाने के लिये अनाज मिलता है। इतना ही नहीं हमारी कांग्रेस सरकार ने हरिजन वर्ग को ऊपर उठाने के लिये कई प्रयास किये। पहले हरिजन लोग गांव के अन्दर सब के साथ उठ-बैठ नहीं सकते थे। बगल में नहीं बैठ पाते थे, उनको समाज में बराबर बैठाया। नौकरियों में आरक्षण दिया, हर काम में उनको सुविधा दी। **(व्यवधान)** इस सरकार ने क्या किया, मैं उसका वर्णन कर रहा हूं। अगर वह चेलेंज करें तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। इनसे पूछ लीजिए कि उस समय जब गांव में शादियां होती थीं तो 60 साल के गांव के लोगों को कभी मोटर पर बैठना नसीब नहीं होता था, मोटर दिखाई नहीं देती थी ....**(व्यवधान)**.... हो सकता है कि इनके घर मोटर बहुत पहले से हो। हमने देखा है कि बड़े-बड़े राजा महाराजा जब अपने....

[अनुवाद]

श्री वी॰ शोभनाद्रीश्वर राव : यह ऊंची जाति के लोगों की वजह से है जिन्होंने इन लोगों को गांवों में अन्दर आने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने इन लोगों को गावों से बहुत दूर रहने के लिए कहा है।

श्री पी॰ एम॰ सईद : वह केवल इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि हरिजनों को ऊपर उठाया गया। इसमें आपत्ति की बात कहां है? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें बोलने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : हमारी सरकार ने गरीब लोगों के लिए क्या किया, उस का वर्णनकर रहा हूं। इसमें एक भी शब्द असत्य नहीं है। मैं तो यह कह रहा हूं कि सरकार ने गरीबों को ऊपर उठाया है, इसमें इनको क्या परेशानी है। मैं तुलनात्मक विवेचन कर रहा हूं कि पहले की स्थिति यह थी और आज की स्थिति यह है। आज वे भरपेट भोजन कर रहे हैं, अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, यह सब कांग्रेस की सरकार ने किया है। **(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

डा॰ वी॰ वेंकटेश : वह उसी समुदाय का अपमान कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यदि उनको इसमें ठेस पहुंची है, तो आप यह कह सकते हैं। इसमें केवल अनुसूचित जातियों के लोगों को ही नहीं बल्कि इसमें अन्य लोगों को भी नुकसान हुआ है। आप सामान्य तौर पर ऐसा कह सकते हैं।

(व्यवधान)

डा० वी० वेंकटेश : उन्हें यह कहना चाहिए कि इस देश में निर्धन लोग इस तरह थे। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र: इस सरकार ने क्या किया, मैं वह बता रहा हूं। आप क्यों परेशान हो रहे हैं, सुनिये। आपको क्यों कष्ट हो रहा है। सुनते चलिये। (व्यवधान) हमारी सरकार ने बड़े-बड़े राजा-महाराजाओं और जमींदारों को समाप्त किया और गांव के बड़े तालुकेदारों की जमीन का सीलिंग कर दिया, 12 एकड़ तक, 18 एकड़ तक और उन जमीनों को किसको बांटा......**(व्यवधान)**......यह व्यवधान हो रहा है....

श्री राम नगीना मिश्र : हमारा समय खराब किया है इसलिए हमको अधिक समय मिलना चाहिए। उन जमीनों को रूल में परिवर्तन करके सीलिंग से जमीन निकाल कर सर्वप्रथम हरिजन को मिलेगी और उसके बाद अगर बचेगी तो जिसके पास भूमि नहीं होगी, उसको मिलेगी, ऐसा किया। इस सरकार ने राजाओं के प्रिवीपर्स समाप्त किये, जो गरीबों का खून चूसकर उनको रुपया दिया जाता था उसको प्रिवीपर्स के रूप में राजाओं को देना सरकार ने बन्द किया। जो बैंक बड़े-बड़े पूंजीपतियों को लोन देते थे, उनका राष्ट्रीयकरण किया और गांव-गांव में बैंक खुलवाकर गरीब लोगों को उनसे लोन दिलवाया।

उद्योगों के क्षेत्र में इतनी प्रगति की कि जिस देश में सुई नहीं बनती थी वहां आज बम, टैंक बन रहे हैं और हमारे लोग आज अन्तरिक्ष में जा रहे हैं और आप कहते हैं कि सरकार ने क्या किया, यह कांग्रेस की सरकार और राजीव गांधी की सरकार ने किया। आप मजदूरों के नेता हैं, पहले मिल मालिक मिलों में काम करने वाले मजदूरों को जब चाहते थे निकाल देते थे, इस सरकार ने उनको स्थायित्व दिया। अब कानून के अनुसार मिल मालिक मजदूर को नहीं निकाल सकते। सरकार ने मजदूरों को मालिकाना भागीदारी अधिकार दिया, अब कोई भी मिल मालिक उन पर अत्याचार नहीं कर सकता है, यह हमारी सरकार ने किया....

डा० दत्ता सामन्त : कामदारों की एक भी मिल में भागीदारी है क्या?

श्री राम नगीना मिश्र : दूसरे, सरकार ने यह किया कि इस समूचे विश्व में 5 अरब की आबादी है और उसका हिन्दुस्तान में छठा हिस्सा रहता है, कौन सा ऐसा मुल्क है, आप एक का नाम बता दीजिए, दत्ता सामन्त जी, जहां 40 साल तक प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार चुनी गई हो, यह हमारी कांग्रेस की सरकार है, जिसने प्रजातंत्र की नींव को मजबूत किया है....इतने बड़े विशाल राष्ट्र में 40 साल तक निष्पक्ष चुनाव कराए गए.....

डा० दत्ता सामन्त : कौन से देश में चुनाव नहीं होते? इंग्लैंड में नहीं होते, अमरीका में नहीं होते.....

श्री राम नगीना मिश्र : इंग्लैंड की और अमरीका की कितने करोड़ की आबादी है? भारत की अस्सी करोड़ की आबादी है। कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पर सारे धर्मों के लोग निवास करते हैं? भारत ही ऐसा देश है, जहां पर विश्व का कोई ऐसा धर्म नहीं है, जो यहां पर मौजूद न हो। धर्मनिरपेक्ष भावना से, जितने भी देश में अलग-अलग धर्म मानने वाले लोग हैं, सभी को समान अवसर दिया गया है। और सब अपने-अपने ढंग से रह रहे हैं। यह कांग्रेस की देन है।....**(व्यवधान)**....

श्रीमन्, मैं डा० दत्ता सामन्त जी से पूछता हूं कि प्रजातंत्र में विरोधी दल की भी

एक जिम्मेदारी होती है। मैं विरोधी दल के उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आज तक कोई भी उन्होंने ऐसा फार्मूला बनाया चाहे अर्थ नीति के मामले में हो, चाहे विदेश नीति के मामले में हो, चाहे किसी भी सब्जैक्ट पर हो, कि हमारा राज होगा, तो हम यह करेंगे। वे कोई नीति नहीं बना सके। जो हमारे दल का नेता होता है, उसको तो विरोधी दल के लोग कहते हैं कि वह बेईमान है, लेकिन जब वह नेता कांग्रेस को छोड़कर उधर चला जाता है, तो इनका हीरो हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूं इस सदन में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह वित्त मंत्री थे, उन्होंने जो बजट पेश किया था, उस पर सम्पूर्ण देश में आपने हड़ताल करवाई थी, लेकिन आज वही आपके हीरो हैं। उनको राजा नहीं, फकीर कह रहे हैं।....(**व्यवधान**)....

डा॰ दत्ता सामंत : जिन पूंजीपति और काला बाजारी करने वालों को उन्होंने पकड़ा, आपने उनको क्यों छोड़ दिया ....(**व्यवधान**)....

श्री राम नगीना मिश्र : श्रीमन यहां पर एक प्रस्ताव आया था कि समान काम करने वालों को समान वेतन दिया जाए, तो उन्होंने इन्कार किया था। आज वही आपके नेता बन गए हैं। हमारी कांग्रेस ने, जिसको कि निकाला भ्रष्ट समझकर उसको आप नेता बनाकर घूमते हैं और डंडा घुमाते हैं। लेकिन क्या आपके पास कोई योजना है, कोई विचार है, नहीं है। इस मुल्क में जहां अनेक विचार हैं, अनेक भाषाएं हैं, अनेक मत-मतान्तर हैं, ऐसे देश की हिफाजत करने वाली कोई पार्टी नहीं है, सिवाय कांग्रेस के। केवल कांग्रेस ही इस मुल्क को एक रख सकती है।

एक शब्द पंजाब के बारे में भी कहना चाहूंगा। अभी पंजाब के बारे में जो हमारे साथी बोल रहे थे वह सच नहीं है। जनता पार्टी के एक नेता कहते हैं कि खालिस्तान होना चाहिए। शर्म आनी चाहिए उस दल को। कौन नेता है विरोधी दल का जिसने कहा हो कि तुम दल से निकल जाओ? यह किस की जिम्मेदारी होती है? अगर पंजाब में आतंकवाद है, तो आवश्यक है कि सभी दल मिलकर के और एक हो कर के उसका सामना करें। सारे विरोधियों के लिए मैं नहीं कहता, लेकिन जब कोई खालिस्तान का समर्थन करता है और आपके दल में रहता है, तो यह किसकी जिम्मेदारी है? उसको निकालने की जिम्मेदारी आप की है। मैं विरोधी दलों से निवेदन करूंगा कि आप लड़ते रहिए, लेकिन देश के हित में घर में आग मत लगाइए, सब एक हो कर आतंकवाद का मुकाबला करें।

इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के॰ रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दुपुर) : मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई है कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं बहुत से मुद्दों के बारे में बोलने के लिए सोच रहा था। लेकिन समय के अभाव के कारण मैं केवल कुछ मुद्दों के बारे में ही बोलूंगा।

बहुत से माननीय सदस्यों ने प्रधान मंत्री की असंयमित टिप्पणियों के बाद विपक्ष द्वारा बहिष्कार का उल्लेख किया है। प्रधान मंत्री ने जिन सूचना पर आधारित ये टिप्पणियां की हैं वह सूचना सही नहीं है और वह प्रमाणिक भी नहीं है और यहां तक कि जिस सदस्य के विरुद्ध में आरोप लगाए गए हैं उसने भी इस बात से इनकार किया है कि उसने खालिस्तान के विरुद्ध आरोप लगाये थे। उसने एक तार भी दिया है और वह समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ है।

उसने खालिस्तान की मांग का कभी समर्थन नहीं किया था। उसने कहा था कि वह उन लोगों से बात करना चाहता है और उनके दिमाग में गलत विचार को दूर करना चाहता है। इसके बावजूद भी सदस्य उनका उल्लेख कर रहे हैं। मुझे इस बात का बहुत ही खेद है कि न तो प्रधान मंत्री ने और न ही अन्य सदस्यों ने उस बात को समझा है। **(व्यवधान)**

श्री पी॰ एम॰ सईद : मैं माननीय सदस्य को एक बात बताना चाहता हूं? वह ऐसे खालिस्तान नेताओं से बात करने के लिए तैयार हैं जिन्होंने वहां हिंसा और आंतकवाद की निन्दा नहीं की है। उन्होंने हमारे संविधान का आदर नहीं किया है। **(व्यवधान)**

श्री के॰ रामचन्द्र रेड्डी: उन्होंने एक तार भेजा था। वह खालिस्तान के पक्ष में नहीं थे। उनका ऐसा विचार कभी भी नहीं था। इसके बावजूद भी सदस्य उस पहलु का उल्लेख कर रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

महोदय, दूसरी बात यह है कल जब माननीय गृह मंत्री सरदार बूटा सिंह बोल रहे थे। तो वह आन्ध्र प्रदेश सरकार की इस बात के लिए आलोचना कर रहे थे कि वह नक्सलवाद को रोकने में नाकामयाब रही है। यहां मैं यह कहना चाहता हूं कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने नक्सलवाद के विरुद्ध निरन्तर संघर्ष शुरू कर दिया है। उन्होंने इस समस्या पर काफी हद तक काबू पा लिया है। वास्तव में, मैं यह कहता हूं कि वे इसे पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाए हैं और यहां-वहां अब भी छोटी-मोटी घटनाएं हो रही हैं। एक महीने में तीन अथवा चार घटनाएं हुई हैं। लेकिन उन्होंने इस समस्या पर काफी हद तक काबू पा लिया है।

महोदय, जबकि हम नक्सलवाद के बारे में बात कर रहे हैं, हमें यह समझना होगा कि यह समस्या केवल आन्ध्र प्रदेश में ही नहीं है। यह समस्या अन्य राज्यों में विद्यमान है। हमें नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करना होगा। उसके लिए, हमें महाराष्ट्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और उड़ीसा सरकार से सहयोग लेना होगा क्योंकि इन सीमावर्ती क्षेत्रों में नक्सलवादी सक्रिय हैं। इस समस्या के सम्बन्ध में, हमारी सरकार ने माननीय गृह मंत्री से अपना सहयोग देने का अनुरोध किया है ताकि वे वहां नक्सलवाद की समस्या को पूरी तरह समाप्त कर सकें। उन्होंने इसके लिए सैनिक बल और सामग्री देने के लिए भी कहा है। उन्होंने केन्द्र से वहां कुछ सैनिक भेजने के लिए कहा है। उन्होंने केन्द्र से उनको अति आधुनिक हथियार और अति आधुनिक संचार प्रणाली आदि उपलब्ध कराने के लिए कहा है। इन सभी बातों के बावजूद, केन्द्र ने कोई उत्तर नहीं दिया और कोई सहायता नहीं दी। फिर भी हम वहां नक्सलवाद की समस्या बहुत हद तक काबू कर पाए हैं। हमारे माननीय गृह मंत्री सरदार बूटा सिंह की बात जोकि कार्यवाही वृतान्त में शामिल है उसमें कहा गया है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार नक्सलवाद को रोकने मे असफल रही है। बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में भी यह समस्या है। उड़ीसा में क्या हो रहा है? वे सरकारें क्या कर रही हैं? ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आन्ध्र प्रदेश सरकार इसे रोकने में असफल रही है। अन्य सरकारें भी इस समस्या को हल करने में असफल रही हैं। वास्तव में आन्ध्र प्रदेश सरकार ने ही समस्या से प्रभावकारी ढंग से मुकाबला किया है। माननीय गृह मंत्री के आन्ध्र प्रदेश सरकार के प्रति भड़कने के कारण को मैं समझ सकता हूं। इसके पीछे सच्चाई यह है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने जो बातें की हैं उनके बारे में सरकार कभी स्वप्न भी नहीं ले सकती कभी उनके बारे में सोच भी नहीं सकती है।

महोदय, मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं। वर्ष 1977 के चुनावों के दौरान, जब पूर्ण भारत में कांग्रेस पार्टी हार गई थी तो आन्ध्र प्रदेश में लोगों ने कांग्रेस को जिताया था। 42 सीटों

में से, मेरे विचार में लगभग 41 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थीं। आन्ध्र प्रदेश में कांग्रेस अजेय पार्टी मानी जाती थी। ऐसे एक राज्य में जब भी एन.टी. रामा राव राजनीति के क्षेत्र में आए उन्होंने कांग्रेस को हरा दिया। छः वर्षों में वहां छः बार चुनाव हुए, उनकी पार्टी ने विधान सभा चुनावों में दो बार, संसदीय चुनावों में एक बार, जिला परिषद चुनावों में एक बार, सहकारी समिति चुनावों में एक बार और मंडल पंचायत चुनावों में एक बार चुनाव जीता। अतः उन छः वर्षों में, श्री एन.टी. रामा राव की अध्यक्षता में आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कांग्रेस को छः बार हराया। इसी वजह से हमारे माननीय गृह मंत्री ने असंयमित टिप्पणियां की हैं।

महोदय गत वर्ष दिसम्बर में विजयवाड़ा में कुछ दंगे हुए थे, हमारी सरकार ने केन्द्र से कुछ सहायता देने के लिए कहा था । लेकिन केन्द्रीय सरकार ने यह कहकर मना कर दिया था कि उनके पास आन्ध्र प्रदेश भेजने के लिए आवश्यक सैनिक बल नहीं है। जबकि हमारे पास मालदीव भेजने के लिए सैनिक हैं, हमारे पास श्रीलंका में भेजने के लिए सैनिक हैं। लेकिन हमारे पास आन्ध्र प्रदेश राज्य में भेजने के लिए सैनिक नहीं हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यदि इस तरह की सहायता उपलब्ध कराई गई होती तो बहुत सी अप्रिय बातों को रोका जा सकता था । इसलिए मैं अपने माननीय गृह मंत्री के भड़कने के कारणों को समझ सकता हूं।

यदि आंध्र प्रदेश सरकार इस मामले में इतनी सफल हुई है तो गृह मंत्री महोदय पंजाब में क्या कर रहे हैं? जब उनके अपने सम्बन्धियों की हत्या की गई तो क्या वह कुछ कर सके ? जो व्यक्ति अपने सम्बन्धियों तथा परिचित व्यक्तियों का जीवन नहीं बचा सका, जो व्यक्ति पंजाब में मरने वाले निर्दोष व्यक्तियों को नहीं बचा सकता है तो वह बाकी लोगों के बारे में क्या कर सकता है? मुझे नहीं मालूम । जहां तक पंजाब की समस्या का संबंध है मैं इस सरकार से एक सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं ? क्या यह सरकार पंजाब की समस्या सुलझाने में सच्चे मन से काम कर रही है? क्या सरकार वास्तव में पंजाब की समस्या को सुलझाना चाहती है? अथवा क्या सरकार इस समस्या को लम्बित ही रखना चाहती है और इसको चुनाव मुद्दा बनाना चाहती है ताकि यह सरकार की सहायता करें? मैं चाहता हूं कि इसको स्पष्ट किया जाए।

महोदय, राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि लोगों को समस्या सुलझाने के लिए आगे आना चाहिए । मैं यह मानता हूं । किंतु क्या यह सरकार जनता के हाथों को मजबूत कर रही है ? वक्तव्य का अर्थ यह है कि यह सरकार इस पंजाब समस्या का समाधान नहीं कर सकती है। केवल जनता ही इस काम के लिए आगे आ सकती है । इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार को साधारण लोगों को शक्ति प्रदान करनी चाहिए। क्या सरकार ने इन्हें इस मामले में कोई शस्त्र या नैतिक समर्थन दिया है ? इस सरकार ने इस संबंध में क्या किया है ? जब श्री बरनाला पंजाब की स्थिति में सुधार कर रहे थे तो फरवरी 1987 में राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया कि श्री बरनाला अच्छा काम करना चाहते थे । वह वहां आतंकवाद को रोकने के लिए कदम उठा सके थे। एक सीमा तक वह इस समस्या को रोकने में सफल हो गये थे। इस बात का उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में किया गया था। जैसा मैंने आप से पहले कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में श्री बरनाला को बधाई दी गई । किंतु शीघ्र ही दो महीने पश्चात् इस सरकार ने श्री बरनाला को सत्ता से अलग कर दिया । जब राष्ट्रपति ने 1987 में भाषण दिया उस समय श्री बरनाला अच्छा काम करने वाले सक्षम व्यक्ति थे। किंतु, दो मास की अवधि के पश्चात् इस सरकार ने उन्हें सत्ता से हटा दिया। उन्हें इस समस्या को रोकने में असफल होने के कारण

अलग नहीं किया गया किंतु, उन्हें केवल एक कारण से सत्ता से अलग किया गया। हरियाणा में चुनाव जल्दी होने वाले थे । सरकार इसका उपयोग करना चाहती थी । सरकार हरियाणा में चुनाव जीतना चाहती थी । अतः राजनैतिक लाभ उठाने के लिए सरकार ने उन्हें सत्ता से अलग कर दिया और इसी कारण से पंजाब की समस्या बढ़ती ही जा रही है। जब श्री बरनाला सत्ता में थे तो पंजाब की स्थिति क्या थी ? औसतन तीन हत्याएं प्रति दिन होती थीं। लगभग एक सप्ताह पूर्व **टाइम्स ऑफ इंडिया** ने एक समाचार दिया है कि 1987 में प्रति दिन औसतन तीन हत्याएं होती थीं । किंतु, 1988 में प्रति दिन 9 , जबकि यह सरकार कहती है कि पंजाब में स्थिति सुधर रही है । इस सरकार ने वहां साधारण व्यक्तियों को सहयोग नहीं देना चाहा। इसी लिए मैं कहता हूं कि जहां तक पंजाब समस्या का संबंध है यह सरकार पूरी तरह जिम्मेवार है। यह सरकार इस समस्या को सुलझाने के लिए कोई प्रयास ही नहीं कर रही है। सरकार की नीति है कि पंजाब की समस्या को बनाए रखे। मेरे विचार से सरकार इस समस्या को नहीं सुलझा सकेगी ।

श्री राजीव गांधी और श्री लोंगोवाल के बीच एक समझौता हुआ था और वह समझौता अभी समाप्त नहीं हुआ है । चंडीगढ़ के हस्तांतरण का मुद्दा भी तो है । सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है? सरकार चंडीगढ़ के हस्तांतरण में तीन चार वर्ष क्यों लेती है ? इस मामले से पंजाब की जनता के मन में शंका उत्पन्न हुई है । जोधपुर के कैदी भी तो हैं । पिछले चार या पांच वर्ष से वे वहां कैद में पड़े हुए हैं। चर्चाओं के दौरान अनेक बार हमने इस मंच पर निवेदन किया कि जोधपुर के इन कैदियों को रिहा किया जाए । इस अपील की ओर ध्यान नहीं दिया गया । यह बहरे कानों के पास शंख बजाने के बराबर है । सभी राजनैतिक दल सामने आए हैं और जोधपुर के कैदियों की रिहायी की मांग की है। यदि राजीव-लोंगोवाल समझौता सच्ची भावना से सुलझाया जाता है तब तो पंजाब की समस्या समाप्त होगी और वहां की जनता को राहत मिलेगी। किंतु सरकार ऐसा नहीं कर रही है। सरकार इस मामले को लम्बित रखती है। अनेक विपक्ष दल यह सुझाव दे रहे हैं कि सम्बद्ध लोगों से बातचीत की जाए, यह कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है यदि इसी प्रकार इसे चलने दिया जाए तो इसका समाधान कभी नहीं होगा। अतः पिछले तीन या चार वर्ष के दौरान सरकार ऐसा नहीं कर सकी है। इतना कुछ भी इस सरकार द्वारा नहीं किया जा सका।

जहां तक पंचायती राज्य का संबंध है इस सरकार को इस प्रणाली की शीघ्र आवश्यकता पड़ी है जब 40 वर्ष पूर्व संविधान बनाया गया, तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत इस का उल्लेख किया गया है।

> "राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों।"

यह 40 वर्ष से संविधान में मौजूद है । इन 40 वर्ष में आप इसे पूरी तरह भूल गए हैं । अब अकस्मात् आप इसे याद कर रहे हैं । मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे इसलिए याद नहीं कर रहे हैं क्यों कि अपको वास्तव में पंचायत प्रणाली में कोई रुचि नहीं हैं। किन्तु, आप चुनाव के लिए इसका प्रयोग करना चाहते हैं ताकि आप यह दिखा सकें कि आप ने यह शक्ति पंचायतों को दे रखी है । किंतु, आप इस प्रकार के हथकंडे क्यों अपना रहे हैं ?

आप कहते हैं कि आप विकेन्द्रीकरण चाहते थे। किन्तु मैं कहता हूं कि यह विकेन्द्रीकरण का कोई प्रयास नहीं है; किंतु यह केन्द्रित विकेन्द्रीकरण का प्रयास है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया भाषण समाप्त कीजिए।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : महोदय, कृपया मुझे कुछ मिनट और बोलने दीजिए।

मतदान की आयु घटाने की राष्ट्रपति अभिभाषण में प्रशंसा की गई है जैसे कि यह विचार सरकार ने ही दिया है और सभी युवा कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। यदि ऐसा है तो अच्छा ही है। किंतु मैं आप से कहना चाहता हूं कि आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक ने पंचायत चुनाव के लिए बहुत पहले ही मतदान की आयु 18 वर्ष तक घटा दी है। कांग्रेस दल को छोड़ कर सभी राजनैतिक दल पिछले दो-तीन वर्ष से कह रहे हैं कि युवाओं को मतदान की शक्ति दे दी जाए। अब इतने अनुनय विनय तथा दबाव डालने के पश्चात् आप ऐसा करना चाहते हैं।

इस प्रकार राष्ट्रपति के अभिभाषण में बहुत सी बातें हैं। सरकार की असफलताओं के संबंध में इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है। सरकार की नाकामियों को छिपाया गया है और राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की सभी असफलताओं पर परदा डाला गया है और वहां सरकार की प्रशंसा की गयी है जहां यह इसके योग्य नहीं है। यह सरकार हर क्षेत्र में असफल रही है।

जहां तक सूखे का संबंध है राष्ट्रपति ने ठीक ही कहा कि गत वर्ष हम इस का समाधान कर सके यह सरकार सूखे को रोक सकी। अब भी हम भुखमरी के कारण उड़ीसा में कालाहाण्डी जैसे क्षेत्रों में हुई मृत्यु के बारे में सुन रहे हैं। क्या इसी प्रकार आपने इसका समाधान किया है? अनेक राज्यों में अभी भी सूखा पड़ा है । उदाहरण के तौर पर आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा और राजस्थान और कर्नाटक के कुछ अन्य क्षेत्रों में हर वर्ष सूखा पड़ता है। क्या अभिभाषण में ऐसी कोई बात है जिस से यह व्यक्त हो कि सरकार भुखमरी को पूरी तरह समाप्त करने के लिए कोई प्रयास करती है? आप ऐसा नहीं करते हैं।

इसी प्रकार आप परियोजनाओं की अनुमति भी नहीं देते हैं। उदाहरण के लिए तेलुगू गंगा परियोजना भी तो है। आन्ध्र प्रदेश की सरकार बहुत समय से इसकी स्वीकृति की मांग कर रही है। आपने ऐसा नहीं किया है। यह परियोजना केवल आन्ध्र प्रदेश के लिए ही नहीं तैयार की गई है, परन्तु यह परियोजना मद्रास नगर को भी पेय जल सप्लाई करेगी। आपने तमिलनाडु के चुनाव में इसको एक मुद्दा बनाना चाहा। वे लोग समझ गए कि इस सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार को अनुमति नहीं दी है और इसी लिए यह परियोजना धीरे धीरे चल रही है और उन्हें पेय जल उपलब्ध नहीं हो रहा है। अतः उन लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ मतदान किया। कम से कम आप देखिये कि ऐसे काम पूरे हो जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह आपका एकाधिकार नहीं है; औरों को भी तो बोलना है।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : कम से कम आप को देखना चाहिए कि कुछ परियोजनाएं पूरी की जाती हैं ताकि आप को कुछ मत प्राप्त हों। यदि आप समझेंगे कि इस परियोजना को पूरा न करने से आप को मत प्राप्त होंगे तो यह आपकी भूल है। रायलसीमा में विधान सभा तथा संसदीय चुनावों में आप पूरी तरह हार गए हैं। इस प्रकार ऐसी चीजें सफल नहीं होती हैं। कृपया जनता के लिए कोई ठोस काम कीजिए ताकि उनका जीवन सुधर जाए और उनके जीवन स्तर में भी सुधार हो जाए। जब तक आप ऐसा नहीं करते हैं तब तक इस दल या इस देश का उद्धार नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। एक शख्स बड़ी धुंआधार तकरीर कर रहे थे। कोई मजमें में नहीं था, सिर्फ एक आदमी बैठा हुआ था। उसने पूछा कि क्या आप ही मेरी तकरीर के कद्रदान थे और सब चले गए तो उसने कहा आपके बाद मैं ही तकरीर करने वाला हूं। इस एवान का हाल यह है कि जितने बैठे हुए हैं, सब स्पीच देने के लिए बैठे हुए हैं। अभी यह बात कही जा रही थी कि कांग्रेस ने यह किया, वह किया। उसके साथ यह भी बताते कि चालीस वर्षों के अंदर कितने मुसलमानों का खून बहाया गया। अगर फिगर बताते तो बड़ा अच्छा होता और कारनामे का इज़ाफा होता ....**(व्यवधान)**

जल - भूतल परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी॰ नामग्याल) : किसने किया।

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : हम निवाले थे आप तो सिर्फ तमाशा देख रहे थे। प्रेजीडेंट साहब के खुदबे के अंदर सबसे बड़ा मसला जो इस मुल्क के अंदर चल रहा है वह बाबरी मस्जिद का है। लेकिन उसका उन्होंने कोई जिक्र उसके अंदर नहीं किया। खाली होम मिनिस्टर का कल अखबारों में बयान आता है और यह चाहते हैं कि सारे हिन्दुस्तान के मुसलमानों को गलतफहमी के अंदर मुबतला कर दें कि लखनऊ हाई कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया गया। हालांकि वह पांच-छः मुकदमात थे। उसके लिए दरख्वास्त दी गई लेकिन हमने जो इनसाफ का मुतालबा किया यह खालिस इनसाफ रहा। हमने कहा कि एक बैंच बनाइये जिसमें कोई मुसलमान भी न हो और कोई हिन्दू भी न हो, यूरोप के अंदर बैंच बनाइये जो अदालत तसफीया करें, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब जो हाई कोर्ट से कहा गया है कि तीन महीने के बाद फिर एक पेशी रखी जायेगी। आप चाहते हैं कि यह मुकदमा चुनाव के बाद हो तो फिर आप खुद गौर कीजिए कि इलाहाबाद के चुनाव ने आपको क्या दिया। आप इन मसाइल को जिन्दा रखकर चाहते हैं कि तमाम चीजें हों, मैं समझता हूं कि ऐसी चीज नहीं होगी। आपने बताया कि आजादी के चालीस साल में हरिजनों ने इतनी तरक्की की, फलां ने इतनी तरक्की की, लेकिन आप यह भी बताइये कि पिछले चालीस साल में कितने मुसलमानों ने तरक्की की? अगर नहीं की तो फिर मेरा मुतालिब है कि राष्ट्रपति जी अपने इख्तियार से कमीशन कायम करें जो सारे हिन्दुस्तान में जायजा ले कि आखिर इन चालीस सालों के अंदर मुसलमानों ने क्यों तरक्की नहीं की और उसके क्या असबाब थे। दूसरी तरफ उर्दू का मसला आता है कि उर्दू जुबान हिन्दुस्थान में पैदा हुई उसको खत्म किया गया और आज उसके लिए आप कुछ कर सकते हैं तो यकीनन सदर को इख्तियार है कि दस्तूर के तहत उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान करार दे सकते हैं। लेकिन महज तासुब के जरिये उर्दू को खत्म किया गया। इसी तरीके से जहां मसाजिद का जिक्र आता है आसरे कदीमा इण्डोमेन में जितने मसाजिद हैं, वहां नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाने दिया जाता है। आखिर काहे के लिए। बनाने वाले ने अगर मन्दिर या मस्जिद बनाई है तो वह इबादत के लिए ही बनाई है। यह नहीं कि आप मना कर दें। मैं यह कहूंगा कि मुलाजिमतों के अंदर आप मुसलमानों का तनासुब दो फांसदी भी नहीं रहा। तो बेहतर होगा कि यदि आप उनके साथ इन्साफ करना चाहते हैं तो उनके लिए भी तहफुजात दिये जायें कि आजादी के तनासुब में उनका क्या हिस्सा है। उनके लिए तहफुजात दिये जायें, अगर आप ये तमाम चीजें नहीं करते हैं, मैं नहीं समझता कि आप इन लोगों के ताल्लुक से कोई अच्छी बात नहीं करना चाहते हैं। औकाफ की जायदादें हैं जो अरबों रुपयों की है, लेकिन जब आप जमहूरियत की बात करते हैं तो मैं यह कहूंगा कि जहां

औकाफ वक्फ बोर्ड बनाये जाते हैं वहां आप जब जमहूरियत में रहते हैं तो वहां मुसलमानों के नुमाइंदे लिये जाते हैं, उनको भी आप देख लीजिए, आप क्या करते हैं सिर्फ ऐसे लोगों को लेते हैं जो आपकी जी-हुजूरी करने वाले हैं। आज हज कमेटी बनाई गई है, वहां कौन लोग हैं। हज के लिए जो लोग गये उनको क्या-क्या परेशानियां उठानी पड़ीं, आप बतायें? अगर आप सऊदी अरब जाते हैं तो उसका कितना किराया होता है और जब हज को जाते हैं तो उसका किराया आप उससे ज्यादा लेते हैं, यानि मजहब का काम करने के लिए कोई जाता है तो वहां भी उससे मुनाफा कमाना चाहते हैं। क्या इसी का नाम सेक्यूलरिज्म है। आप एक जहाज में टिकट लेकर जायें सऊदी अरब तो उसका किराया कितना है आपको मालूम पड़ेगा। गरीब हिन्दुस्तानी मुसलमान को, हज कमेटी हमें कहते हुए इन्तहा शर्म आती है कि उससे कहा जाता है कि 1300 रिआल सऊदी अरब की सरकार लेना चाहती है और हिन्दुस्तान में सऊदी अरब का सफीर कहता है कि हम नहीं ले रहे हैं। आप बतायें कि उससे बढ़कर और क्या होता है। इसके बाद आप अपने मुल्क को बदनाम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के जरिये से..... हालांकि आपको जानना चाहिये कि यही हिन्दुस्तान का मुसलमान है जिसने पूरे अरब कन्ट्रीज में हिन्दुस्तान के मुसलमानों के नाम को बुलन्द किया है। आज अगर कोई हिन्दुस्तान का मुसलमान जाता है तो उसके पासपोर्ट देखने के लिए सख्ती नहीं की जाती लेकिन जब एक पाकिस्तानी जाता है तो उसके पासपोर्ट पर दस्तखत देखे जाते हैं। ऐसा क्यों, किस वजह से हुआ? यह हिन्दुस्तान के मुसलमान के किरदार की वजह से हुआ। हालांकि आजादी के बाद अच्छा नहीं समझा जाता था लेकिन हिन्दुस्तान के मुसलमान ने अपने किरदार से यह बताया कि उनका मुकाम क्या है, वे कितना अच्छे हैं। पुलिस के सामने आज यदि कोई कहे कि मैं हिन्दुस्तान से आया हूं तो उसके साथ रियायत की जाती है लेकिन अगर पाकिस्तानी है तो उसके साथ कोई रियायत नहीं की जाती। यह उसके किरदार की वजह से है। लेकिन आप उनको क्या सबक देते हैं, उनके लिये नये-नये मुश्किलात पैदा करते हैं। अगर वह बाहर से पैसा कमा कर लाता है तो कस्टम में जाकर आप देख लीजिए, उसकी पूरी दौलत छीन ली जाती है, उसे पासपोर्ट में नोट रखकर देना पड़ता है। सब कुछ करने के बाद, उनके साथ ऐसा सलूक करना बताइये कहां तक ठीक है। जो लोग बाहर जाकर अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं, उनके साथ ऐसा सलूक। उनके बच्चों की तालीम का इंतजाम नहीं। हालांकि इण्डियन एम्बैसी का पैसा गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया का नहीं है, वह चन्दे का पैसा है, लेकिन जो लोग वहां बैठे हैं, उनके बच्चों की तालीम का कोई इंतजाम नहीं। फीस ज्यादा ली जाती है, स्कूल दूसरी जगह होता है और रिश्वत खाकर ज्यादा किराये की बिल्डिंग ली जाती है। मैं चाहूंगा कि इन तमाम चीजों पर आप गौर करिये। यह बड़ी अजीब बात है कि जब मैं कुछ मसाइल पेश करना चाहता हूं तो मुझे पांच मिनट लेकिन जो खामखाह की बातें करते हैं, सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ वफादारी या आइन्दा के लिए कुछ हासिल करने के लिए कहते हैं, उन्हें ज्यादा वक्त दिया जाता है। मैं एक शेर कह कर अपनी बात खत्म करता हूं :

यह दस्तूर-ए-जबांबंदी है कैसी तेरी महफिल में।
यहां तो बात करने को तरसती है जबां मेरी।।

]شری سلطان صلاح الدین اویسی (حیدرآباد) : اسپیکر صاحب ۔ مجھے ایک قصہ یاد آ رہا ہے
ایک مشاعرہ ہو رہا تھا ۔ سامعین تکریم کر رہے تھے ۔ کوئی سمجھ نہیں تھا ۔ صرف ایک آدمی بیٹھا
ہوا تھا ۔ اس نے پوچھا کہ کیا آپ ہی صرف شعر کے قدر دان تھے تو سب چلے گئے تو اسے

کہا آپ کے بعد میں جو تقریر کرنے والا ہوں ۔ اس ایوان کا حال یہ ہے کہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب اسپیچ دینے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں ۔ ابھی یہ بات کہی جا رہی تھی کہ کانگریس نے یہ کیا وہ کیا ۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ چالیس سالوں کے اندر کتنے مسلمانوں کا خون بہایا گیا ۔ اگر دیکھ کر بتاتے تو بڑا اچھا ہوتا اور کارنامہ کا اضافہ ہوتا ۔۔۔۔۔۔(انٹرپشن) ۔۔۔

[illegible]

منتری (شری رام کمار): کس نے کیا ۔

شری سلطان صلاح الدین اویسی : ہم تو اپنے ہی آپ کو صرف صاف دیکھ رہے تھے ۔ صدر صاحب کے خطبے کے اندر سب سے بڑا مسئلہ جو اس ملک کے اندر چل رہا ہے وہ بابری مسجد کا ہے ۔ لیکن اسکا انہوں نے کوئی ذکر اس کے اندر نہیں کیا ۔ حالانکہ ہوم منسٹر کا کل اخباروں میں بیان آیا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ساری ہندوستان کے مسلمانوں کو غلط فہمی کے اندر مبتلا کر دیں کہ فیصلہ ہائی کورٹ میں مقدمہ داخل کیا گیا ۔ حالانکہ وہ پانچ چھ مقدمات تھے ۔ اسکے لئے درخواست دی گئی لیکن ہم نے جو انصاف کا مطالبہ کیا وہ خالص انصاف کا تھا ۔ ہم نے کہا کہ ایک بینچ بنائیے جس میں کوئی مسلمان بھی نہ ہو اور کوئی ہندو بھی نہ ہو یورپ کے اندر بینچ بنائیے جو عدالت فیصلہ کرے لیکن ایسا نہیں کیا گیا ۔ اب جو ہائی کورٹ سے کہا گیا ہے کہ جلدی نپٹانے کے بعد پھر ایک بینچ رکھی جائے گی ۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ مقدمہ چلتو کے بعد ہو تو پھر آپ خود غور کیجئے کہ اللہ آباد کے چلتو نے آپ کو کیا دیا ۔ آپ ان مسائل کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں کہ ظلم جاری رہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیز نہیں ہو گی آپ نے بتایا کہ آزادی کے چالیس سال میں ہریجنوں نے اتنی ترقی کی ، ٹریبل نے اتنی ترقی کی لیکن آپ یہ بھی بتائیے کہ پچھلے چالیس سال میں کتنے مسلمانوں نے ترقی کی ۔ اگر نہیں کی تو پھر میرا مطالبہ ہے کہ راشٹرپتی جی اپنے اختیار سے کمیشن قائم کریں جو ساری ہندوستان میں جائزہ لے کہ آخر ان چالیس سالوں کے اندر مسلمانوں نے کیوں ترقی نہیں کی اور اسکے کیا اسباب تھے ۔ دوسری طرف اردو کا مسئلہ آتا ہے کہ اردو زبان ہندوستان میں پیدا ہوئی اسکو ختم کیا گیا اور آج اسکے لئے آپ کچھ کر سکتے ہیں تو بحیثیت صدر کو اختیار ہے کہ دستور کے تحت اردو کو دوسری سرکاری زبان قرار دے سکتے ہیں ۔ لیکن محض تعصب کے ذریعہ اردو کو ختم کیا گیا ۔ اسی طریقے سے جہاں مساجد کا ذکر آتا ہے آثار قدیمہ انڈر جن میں جتنے مساجد ہیں وہاں

نماز پڑھنے کے لئے نہیں جانے دیا جاتا ہے۔ آخر کاہے کے لئے۔ بنانے والے نے اگر مندر یا مسجد بنائی ہیں تو وہ عبادت کے لئے ہی بنائی ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ بند کر دیں۔ میں یہ کہوں گا کہ ملازموں کے اندر آپ مسلمانوں کا تناسب تو دیکھئے بھی نہیں رہا۔ تو بہتر ہوگا کہ اگر آپ ان کے ساتھ انصاف کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے بھی تحفظات دیئے جائیں کہ آزادی کے تناسب میں ان کا کیا حصہ ہے۔ ان کے لئے تحفظ دیئے جائیں اگر یہ تمام چیزیں نہیں کرتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ آپ ان لوگوں کے دماغ سے کوئی اچھی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اوقاف کی جائدادیں ہیں جو لوگوں روپیوں کی ہیں لیکن جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ جہاں اوقاف یا وقف بورڈ بنائے جاتے ہیں وہاں آپ جب جمہوریت میں رہتے ہیں۔ تو وہاں مسلمانوں کے نمائندے لئے جاتے ہیں ان کی بھی آپ دیکھ لیجئے آپ کیا کرتے ہیں صرف ایسے لوگوں کو لیتے ہیں جو آپ کی جی حضوری کرنے والے ہیں۔

آج حج کمیٹی بنائی گئی وہاں کون لوگ ہیں۔ حج کے لئے جو لوگ گئے ان کی کیا کیا پریشانیاں اٹھانی پڑی ہیں آپ بتائیں۔ اگر آپ سعودی عرب جاتے ہیں تو اسکا کتنا کرایا ہوتا ہے اور جب حج کو جاتے ہیں تو اس کا کرایا آپ اس سے زیادہ لیتے ہیں یعنی مذہب کا کام کرنے کے لئے کوئی جاتا ہے تو وہاں بھی اس سے منافع کمانا چاہتے ہیں۔ کیا اسی کا نام سیکولرزم ہے آپ ایک جہاز میں ٹکٹ لیکر جائیں سعودی عرب تو اسکا کرایا کتنا ہے آپ کو معلوم پڑے گا۔ غریب ہندوستانی مسلمان کو حج کمیٹی، میں کتنے ہوتے انتہائی شرم آتی ہے کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ ۱۳۰۰ ریال سعودی عرب کی سرکار لینا چاہتی ہے اور ہندوستان میں سعودی عرب کا سفیر کہتا ہے کہ ہم نہیں لے رہے ہیں۔ آپ بتائیں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوتا ہے۔ اسکے بعد آپ اپنے ملک کو بدنام کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کے ذریعہ سے۔

حالانکہ آپ کو نہ بھولنا چاہئے کہ یہی ہندوستان کا مسلمان ہے جس نے بڑے عرب کے ملکوں میں ہندوستان کا کہ مسلمانوں کے نام کو بلند کیا ہے۔ آج اگر کوئی ہندوستان کا مسلمان جاتا ہے تو اس کے پاسپورٹ دیکھنے کے لئے سختی نہیں کی جاتی لیکن جب ایک پاکستانی جاتا ہے تو اس کے پاسپورٹ پر تو سختی دیکھے جاتے ہیں۔ ایسا کیوں کس وجہ سے ہوا۔ یہ ہندوستان کے مسلمان کے کردار کی وجہ سے ہوا۔ حالانکہ آزادی کے بعد اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا لیکن ہندوستان کے مسلمان نے اپنے کردار سے یہ بتایا کہ ان کا عمل کیا ہے وہ کتنا اچھے ہیں۔

پولیس کے سامنے آم اگر کوئی کہے کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں تو اس کے ساتھ رعایت کی جاتی ہے لیکن اگر پاکستانی ہے تو اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جاتی - یہ اس کے کردار کی وجہ سے ہے - لیکن آپ ان کو کیا سبق دیتے ہیں ان کے لئے دئے ایسے مشکلات پیدا کرتے ہیں -

اگر وہ باہر سے پیسہ کما کر لاتا ہے تو کسٹم میں جا کر آپ دیکھ لیجئے اس کی پوری دولت چھین لی جاتی ہے اسے پاسپورٹ میں دو ٹوک کر دینا پڑتا ہے - سب کچھ کر دینے کے بعد ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا، بتائیے کہاں تک ٹھیک ہے - جو لوگ باہر جا کر اپنے ملک کا نام روشن کرتے ہیں ان کے ساتھ ایسا سلوک - ان کے بچوں کی تعلیم کا انتظام نہیں - حالانکہ انڈین ایمبیسی کا پیسہ گورنمنٹ آف انڈیا کا نہیں ہے وہ چندے کا پیسہ ہے لیکن جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں ان کے بچوں کی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں - ڈونیشن زیادہ لی جاتی ہے اسکول دوسری جگہ ہوتا ہے اور رشوت کھا کر زیادہ کرایے کی بلڈنگ لی جاتی ہے - میں چاہوں گا کہ ان تمام چیزوں پر آپ غور کریں - یہ بڑی عجیب بات ہے جب میں کچھ مسائل پیدا کرنا چاہتا ہوں تو مجھے یاد ہے مدت لیکن جو خواہ مخواہ کی باتیں کرتے ہیں صرف سرٹیفکیٹ [illegible] وفاداری یا آئندہ کے لئے کچھ حاصل کرنے کے لئے کہتے ہیں انہیں زیادہ وقت دیا جاتا ہے - میں ایک شعر کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں ہوں :

یہ دستور زباں بندی ہے کیسی تیری محفل میں -
یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری -
[illegible]

[अनुवाद]

श्री बी० एन० रेड्डी (मिरयालगुडा) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश की वर्तमान स्थिति की उज्जवल तस्वीर पेश की गई है। इसमें न केवल कृषि संबंधी गंभीर संकट के अधीन भयावह आर्थिक स्थिति के महत्व को कम किया गया है बल्कि प्रशासन और जनता के बीच आत्म-संतोष पैदा किया गया है। पश्चिम में पंजाब और उत्तर-पूर्व में नागालैन्ड और मिजोरम में हो रही घटनाओं ने हमारी एकता को कमजोर कर दिया है और हमारी अखण्डता को नष्ट कर दिया है। बहुत से राज्यों में आत्मघात और भुखमरी आम बात हो गई है। बेरोजगारी अपनी ऊँचाई पर पहुंच चुकी है और देश में, ग्रामीण क्षेत्रों सहित, 10 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। कीमतों में वृद्धि हो रही है जिसने आम आदमी के दैनिक जीवन को कष्टप्रद बना दिया है। इन सब बातों को देखते हुए ऐसी सुखद स्थिति कैसे हो सकती है? यह कुछ और नहीं बल्कि इस देश की जनता को गुमराह करना है। हमारे राष्ट्र के लिए यह शर्म की बात है कि एक बहु-राष्ट्रीय कंपनी, यूनियन कॉर्बाइड, के प्रबंधकों की लापरवाही से हमारे देश के हजारों आदमी मर गए और लाखों विकलांग हो गए। शेष जीवन व्यर्थ

हो गया। ऐसी स्थिति में हमारी सरकार ने कुछ सौ करोड़ रुपये का मुआवजा दिए जाने के न्यायालय के आदेश के आगे घुटने टेक दिए और इस फैसले को स्वीकार कर लिया। यह थोड़ी सी मुआवजा राशि इतनी बड़ी दुर्घटना की क्षतिपूर्ति किस प्रकार कर सकती है? अब राजीव सरकार इस प्रतिकूल स्थिति में स्वयं अधिक से अधिक पुलिस तथा गुंडों को प्रयोग कर रही है। त्रिपुरा में यह सरकार छिप कर जातिसंहार करा रही है और उत्तर में साम्प्रदायिक झगड़े करा रही है। दक्षिण में एक विधायक श्री मोहन रंगा की हत्या से लाभ उठा रही है । कांग्रेस पार्टी स्वयं गृह-युद्ध की स्थिति पैदा करती है और यहाँ तक कि राज्य कांग्रेस अध्यक्ष कामा और कापू जातियों के बीज झगड़े कराने के लिये गुंडो को बढ़ावा दे रहे है। इस प्रकार करोड़ों रुपये की सम्पति नष्ट हो गई और बहुत से लोग बेघर हो गए। ऐसी स्थिति में राजीव सरकार को हटाया जाना ही उचित है। तमिलनाडु के लोगों ने इस सरकार को समुद्र में फेंक कर इसकी शुरूआत की है और उत्तर के लोग इसे गंगा में फेंक देंगे। अब, राजीव सरकार के बने रहने की कोई उम्मीद नहीं है। इसके प्रति लोगों का रुख अब ऐसा है। ऐसी स्थिति है। राजीव सरकार के लिए सत्ता छोड़ना ही बेहतर है। जितनी जल्दी छोड़ दें उतना ही अधिक अच्छा है।

श्री वी॰ एस॰ कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण): महोदय, संभवतः मैं इस वाद-विवाद में बोलने वाला अन्तिम सदस्य हूं। राष्ट्रपति का अभिभाषण अत्यधिक निराशाजनक है। जब भी राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र (सभाओं) में भाषण देते हैं तो सारा देश उनकी ओर देखता है कि राष्ट्रपति क्या कहेंगे? किन्तु दुर्भाग्य से इस वर्ष लोगों के भाग्य में केवल निराशा ही थी। यदि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण को पूरी तरह पढ़ें तो आप यह पाएगें कि यह किसी कम्पनी के वार्षिक विवरण जैसा है। इसमें कोई भी बात प्रेरणादायक नहीं है। इसमें कोई बात ऐसी नहीं है जो लोगों में उत्साह पैदा करे। बहुत से आंकड़े दिए गए हैं। उदाहरण के लिए अभिभाषण में यह कहा गया है कि आर्थिक विकास की दर दस प्रतिशत है और औद्योगिक विकास की दर आठ प्रतिशत है आदि-आदि। क्या मैं किसी आम आदमी के पास जाकर उसे ये सारे आँकड़े बता सकता हूं? यदि मैं उसे ये सब बता भी दूं तो उसकी समझ में यह सब नहीं आएगा । उसकी रूचि तो केवल रोटी, कपड़ा और मकान में होगी। सरकार ने उसे ये चीजें कितनी मात्रा में प्रदान की हैं? स्वतंत्रता के 40 वर्ष बाद भी हमारे देश की 40 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन कर रही है।

बेरोजगारी के बारे में क्या कहा गया है? रोजगार केन्द्रों के रजिस्टरों से पता चलता है कि तीन करोड़ से अधिक युवक बेरोजगार हैं। युवकों को रोजगार चाहिए। किन्तु अभिभाषण में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। केवल श्री चव्हाण द्वारा पेश किए गए सामान्य बजट में इस संबंध में कुछ संकेत किया गया है। पिछले चार वर्षों से मैं यह सुन रहा हूं कि सरकार गंभीरता से बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने पर विचार कर रही है। मैं यह जानना चाहूँगा कि कितने लोग इस संबंध में नियुक्त किए गए हैं। पिछले चार वर्षों में व्यवहारतः कोई भर्ती नहीं हुई है। यहाँ तक कि सेवा-निवृति या त्याग-पत्र देने के कारण हुए रिक्त पदों को भी नहीं भरा गया है। जब कभी हम प्रश्न करते हैं तो उत्तर यह होता है कि नीति के निर्णय के कारण किसी कार्यालय या उपक्रम में आगे और भर्ती नहीं की जाएगी। यह स्थिति है।

लोगों के लिए रोजगार के कोई अवसर नहीं हैं। ग्रामीण लोगों के लिए आप उन्हें भारतीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल अर्द्ध रोजगार दे रहे हैं। सरकार इस समस्या का समाधान ढूंढने में असफल रही है।

6.00 म० प०

इसके बाद कीमत वृद्धि की बात लें। मुझे खेद से यही कहना पड़ रहा है कि लगभग हर दिन आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, कीमतें आसमान छू रही हैं, किन्तु सरकार यह कहती रहती है कि कीमतें नियंत्रण में है । यह कैसे हो सकता है? अभी हाल ही में सरकार ने घटिया चावल की कीमत में भी वृद्धि की है; और बजट के कारण महत्वपूर्ण वस्तुओं जैसे सीमेंट, इस्पात आदि की कीमतें भी बढ़ेगीं पिछले एक सप्ताह में सरकार ने 2000 करोड़ रुपये के कर लगा दिए हैं; 1,000 करोड़ रुपये के कर रेल मंत्री ने और 1,000 करोड़ रुपये के कर भी चव्हाण ने लगा दिए हैं । दो-तीन वर्ष पूर्व निर्धारित मूल्यों में भी 1,000 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई। मै नहीं जानता कि लोगों के भाग्य में इससे अधिक और क्या है? कीमतें नियंत्रण में कैसे रखी जा सकती हैं?

अब मैं अपने राज्य से संबंधित एक-दो बातें कहना चाहूंगा। मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री श्री फोतेदार यहां उपस्थित हैं। आठवीं लोक सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर यह मेरा अन्तिम भाषण होगा। हां, संसद तो हमेशा चलती रहेगी।

सबसे पहली बात जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा और जिसके लिए कर्नाटक राज्य चिन्तित है, वह तत्कालीन प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी, जिन्होंने विजय नगर इस्पात संयत्र की आधारशिला रखी थी, द्वारा दिए गए आश्वासन को कार्यान्वित करने में सरकार की असफलता के बारे में है। उस आश्वासन का क्या हुआ? अभी हाल ही में यह खबर थी कि इस्पात संयंत्र की बजाय वहां थर्मल संयंत्र लगाया जायेगा। इस खबर ने लोगों को और अधिक परेशान कर दिया है। मैं समझता था कि श्री फोतेदार व्यावहारिक व्यक्ति हैं। उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही कोई न कोई निर्णय लिया जाएगा। किन्तु हमें नहीं पता कि क्या होने जा रहा है। राज्यों के साथ इस प्रकार का बर्ताव किया जा रहा है।

एक अन्य प्रश्न बी० आई० एस० एल० के बारे में जिसके बारे में श्री फोतेदार को जानकारी है। उन्होंने वायदा किया था कि एक माह के भीतर ही वे 'सेल' द्वारा बी० आई० एस० एल० को अपने हाथ में लेने के प्रश्न को हल करने जा रहे हैं।

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार): मैंने यह नहीं कहा था कि एक माह के भीतर यह समस्या हल हो जाएगी।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सर्वहित में बी० आई० एस० एल० को तत्काल अपने हाथ में ले लिया जाना चाहिए।

अब मैं देश में निरक्षरता के संबंध में बात करूंगा। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख किया है। मुझे खेद पूर्वक यह कहना पड़ रहा है कि नई शिक्षा नीति का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंचा है। आप ग्रामीण क्षेत्र के किसी भी विद्यालय में जाइए। अधिकांश स्थानों पर कुछ थोड़े से विद्यालयों को छोड़कर आपको वही पुरानी स्थिति मिलेगी। भवन और अन्य अनिवार्यताओं जैसी अपेक्षित सुविधाएं वहां नहीं हैं। जब संसद ने नई शिक्षा नीति का अनुमोदन किया था तो हमें बहुत खुशी हुई थी। हमने सोचा था कि भारत सरकार व्यापक रूप से कार्य करेगी।

अन्त में, महोदय, मैं 'विचार मत' के बारे में कहना चाहूंगा जिसका उल्लेख मेरे मित्र डा० दत्ता सामन्त ने किया था। महाजन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। कमी बस यही है कि यह कार्यान्वित नहीं की गई है।

डा० दत्ता सामन्तः यह रिकार्ड में है कि इसे स्वीकार नहीं किया गया।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यरः इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय पर केवल दो सदस्य और बोलने के इच्छुक हैं। मैं प्रत्येक सदस्य को पांच मिनट का समय दूंगा। अतः मेरा विचार है कि हम इस विषय को आज ही समाप्त कर सकते हैं।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव आया है, मैं उसका पूर्णतः विरोध करता हूं। इसका विरोध इसलिये नहीं कर रहा हूं कि मैं विरोधी पक्ष का हूं। अभिभाषण को देखने से ऐसा लगता है कि कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रपति जी से यह सब जबर्दस्ती अभिभाषण देने के लिये कहा है। यह अभिभाषण झूठ पर आधारित है।

इस अभिभाषण में किसानों के प्रति बहुत ज्यादा चिन्ता दिखलायी गई है और यह भी कहा है कि किसानों को कर्जा समय पर और कम ब्याज पर मिल सकेगा। जब चुनाव सामने आ रहे हैं तो इनको किसानों के बारे में चिन्ता होने लगी। सूखे का तो जिक्र किया है लेकिन जिन जगहों में बाढ़ आई है और जन-धन की काफी हानि हुई है उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। जिन जगहों में बाढ़ आई वहां की जमीन शमशान घाट में बदल गई है और कई जगहों में तो बालू भर गया है।

गरीबी मिटाने की बात बड़े जोरों-शोरों से कही है। लेकिन कहने मात्र से ही गरीबी मिटायी नहीं जा सकती है। इसी प्रकार से बेकारी हटाने की भी बात कही। यह कोई नई बात नहीं है। कई वर्षों से गरीबी मिटाने की बात आप चला रहे हैं। अभिभाषण में इस बात का जिक्र होना चाहिये था कि हमने गरीबी और बेकारी इतने परसेंट मिटायी है। आपने एन. आर. ई. पी. और आर. एल. ई. जी. पी. कार्यक्रम चलाये। लेकिन उन कार्यक्रमों का कोई खास फायदा नहीं हुआ है। अगर हमारे राष्ट्रपति जी बेकारी मिटाने का रास्ता कोई बताते तो ज्यादा अच्छा होता। बेकारी मिटाने की बात तो एक मुखौलमात्र ही है। इतना कहने से यह मिटने वाली नहीं है। खुद प्रधान मंत्री ने कहा है कि गरीबों की भलाई के कामों के लिये जो पैसा रखा जाता है वह उन तक पूरा पहुंच नहीं पाता है। बीच में ही बिचौलिए लोग उसे खा जाते हैं।

हिन्दुस्तान में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसके दूर करने की किसी में हिम्मत नहीं है। किसी में भी हिम्मत नहीं है कि वह किसी पालिटिशन के घर में जाकर छापा मार। अफ्सरान लोग जिस नाजायज तरीके से पैसा खाते हैं और बड़े-बड़े पूंजीपति जिस ढग से पैसा कमा रहे हैं उनका पर्दाफाश करने की किसी में हिम्मत नहीं है।

कश्मीर में आज जो कुछ हो रहा है उससे सब वाकिफ हैं। कश्मीर में जब पहले फारूख साहब मुख्यमंत्री थे तो कहा जाता था कि वह राष्ट्रद्रोही है। आज फारूख साहब ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया तो वह राष्ट्रभक्त हो गये। आज कश्मीर में लोग पाकिस्तान के झंडे फहरा रहे हैं और साजिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं वह कश्मीर के एक हिस्से को भारत से अलग कराना चाहते हैं। इसकी भी अभिभाषण में कोई टीका-टिप्पणी नहीं है।

इस तरह से वहां चक्र चल रहा है। साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि यह सरकार गरीबों के लिए नहीं है. कुछ खास मुट्ठी भर लोगों की हिफाजत के लिए है।

अब मैं अपने राज्य की बात कह दूं। बिहार एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, बिहार की इस कांग्रेस के राज्य में ग्यारहवीं पोजीशन है। बिहार के लिए कुछ चीज नहीं हो रही है, वहां कोई उद्योग नहीं है। मैं चाहूंगा कि अगर बिहार को ऊपर उठाना है तो बिहार में उद्योग खड़े किये जायें और बिहार के किसानों के लिए जो योजनाएं यहां 10 साल से, 14 साल से पड़ी हुई हैं जैसे मुहाने डैम और पुनपुनदरधा परियोजना है। मुहाने डैम 14 साल से पड़ा हुआ है और पुनपुनदरधा परियोजना 9 साल से पड़ी हुई है। अगर यह योजनाएं इतने वर्षों तक दिल्ली दरबार में पड़ी रहेंगी तो कैसे विकास होगा। अब कहा गया है कि रिवाइज्ड एस्टीमेट बनाइये, अगर रिवाइज्ड एस्टीमेट बनाने की बात थी तो पहले ही बनाये जाते। अगर आप किसानों के भक्त कहे जाते हैं तो इन योजनाओं को स्वीकृत करायें और आठवीं योजना में सम्मिलित कर लें।

यही मुझे कहना है।

[अनुवाद]

श्री समर ब्रह्म चौधरी (कोकराझर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने के लिए समय देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं यह उल्लेख करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि राष्ट्रपति महोदय आदिवासियों में बढ़ते हुए असन्तोष पर ध्यान रखने में विफल रहे हैं। यदि आदिवासी राष्ट्रपति के अभिभाषण को पढ़ें तो उन्हें केवल निराशा ही होगी।

महोदय, मैं असम राज्य से हूं। मेरे राज्य में आजकल बगावत हो रही है। बोडो विद्रोह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। कुछ लोगों द्वारा यह कहा गया है कि असम दूसरा पंजाब बनने जा रहा है। आज के समाचार पत्र में भी यह रिपोर्ट दी गई है कि बोडो लोगों के पास भारी मात्रा में हथियारों का भण्डार है। उनके पास आधुनिक हथियार और गोला-बारूद का भारी भण्डार है। उन्होंने वियत कांग की तकनीक को अपनाया है। उन्होंने पुलिस छापों के समय आश्रय लेने के लिए बंकर खोद लिये हैं। उन्होंने विभिन्न प्रकार के आश्रय बना लिये हैं। इन सब बातों से यह पता लगता है कि यह समस्या आने वाले समय में जारी रहेगी। ऐसा क्यों है? ये बोडो आदिवासी इतने असन्तुष्ट और हिंसक क्यों बन गये हैं। उन्होंने केवल इसलिये हथियार उठाये हैं क्योंकि उन्हें यह विश्वास है कि वर्तमान भारत में लोकतान्त्रिक तरीकों की कोई सुनवाई नहीं है। शान्तिपूर्ण आन्दोलनों की आवाज कोई नहीं सुनता है। भारत सरकार अथवा इस देश के लोग केवल बन्दूक और हिंसा की भाषा समझते हैं।

आज बोडो लोगों ने अपने हाथों में हथियार उठा लिये हैं। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है और मैं यह भविष्यवाणी भी कर सकता हूं कि कल झारखंड के विद्यार्थी भी हथियार उठायेंगे। ऐसा क्यों है? वे लोग भी यह समझ चुके हैं कि सरकार केवल हिंसा की भाषा ही समझती है। सरकार लोकतान्त्रिक और शान्तिपूर्ण आन्दोलनों की बात कभी नहीं सुनती है। मैं पिछले 21 वर्षों से असम के मैदानी आदिवासियों की समस्याओं को उठाने का प्रयास करता रहा हूं। परन्तु हमारी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। हमारी आवाज कोई नहीं सुनता। इसलिये हमारे नवयुवक बेचैन हो गये हैं। मैं भी हिंसक तरीकों की निंदा करता हूं। परन्तु हथियार उठाने के लिए मैं केवल नवयुवकों को ही दोष नहीं दे सकता। इसके लिए केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी है। क्योंकि आदिवासियों के लिए केन्द्रीय सरकार की कोई नीति नहीं है। अन्यथा केन्द्रीय सरकार आदिवासियों की समस्याओं को थोड़ा-थोड़ा करके समाधान नहीं करती। जब नागा लोगों ने विद्रोह किया तो उन्होंने उनकी समस्या का समाधान कर दिया। जब

मिजो लोगों ने विद्रोह किया तो उन्होंने मिजो समस्या का समाधान कर दिया। मेघालय और अरूणाचल प्रदेश को छोड़कर किसी भी आदिवासी समस्या का समाधान अभी तक बिना किसी आन्दोलन के नहीं हुआ है। अतः प्रत्येक आदिवासी समूह को हथियार उठाने पड़े। यहां तक की मेघालय में भी आन्दोलनकारियों को — भारी पैमाने पर नहीं अपितु छोटे पैमाने पर — हिंसा करनी पड़ी। एक समय शिलांग में काफी हिंसक गतिविधियां हुई। अरुणाचल प्रदेश में, निश्चित रूप से उन्हें आन्दोलन नहीं करना पड़ा परन्तु ऐसा भारत सरकार की बुद्धिमानी से नहीं हुआ अपितु चीन की धमकी के कारण ऐसा हुआ। मुझे आशंका है कि यदि चीन द्वारा कोई धमकी नही दी जाती तो अरुणाचल प्रदेश को भी हिंसा और हथियार अपनाने पड़ते।

क्योंकि आप घंटी बजा रहे है इसलिए मैं अपने भाषण को बढ़ाना नहीं चाहता। मैं भारत सरकार से केवल यह आग्रह करूंगा कि उन्हें स्पष्ट रूप से इस बारे में एक नीति संबधी वक्तव्य देना चाहिए कि आदिवासी समस्या के समाधान के लिए उनका क्या कार्य करने का प्रस्ताव है और आदिवासियों की राजैनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उनका क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है। मैं यह आग्रह इसलिए करता हूं क्योंकि बोडो ऐसा करने वाले अन्तिम लोग नहीं है, झारखंड की चर्चा छिड़ रही है और मुझे यह आशंका है कि झारखंड के बाद उत्तर प्रदेश के उत्तरखंड पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अतः भारत सरकार को समस्या का थोड़ा-थोड़ा समाधान करने के बजाय नीति सम्बंधी वक्तव्य जारी करना चाहिए ताकि बिना हथियार उठाये, शान्तिपूर्ण वार्ता के द्वारा आदिवासी समस्याओं का समाधान किया जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री वी॰ शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने के लिए अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं यह आश्वासन देता हूं कि मैं, बहुत अधिक समय नहीं लूंगा। मैं आपके निर्देशों का पालन करूंगा।

राष्ट्रपति के अभिभाषण कें लिए गहरा दुख व्यक्त करने का मेरा कारण यह है कि इसमे आन्ध्र प्रदेश में दिसम्बर 1988 के अन्तिम सप्ताह में हुई अभूतपूर्व हानि और सम्पत्ति के विनाश का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। विजयवाड़ा शहर में पूर्व चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले एक विधायक की हत्या पर मैं अपना गहरा दुख व्यक्त करता हूं; विरोधी पक्ष के कई नेताओं और सांसदों ने वहां जाकर शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों से मुलाकात की है और अपनी सहानुभूति व्यक्त की है। इसके अलावा भी वहां बहुत सा विनाश हुआ है। मैं हानि के आंकड़ों के विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय बहुत सीमित है। परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि वहां सम्पत्ति की कुल हानि नवम्बर 1984 में दिल्ली दंगों के दौरान हुई हानि से बहुत अधिक है। यद्यपि राज्य सरकार ने पीड़ित व्यक्तियों के लिए राहत और पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिए कुछ कार्यवाही की है परन्तु इस बारे में बहुत अधिक कार्य किये जाने की आवश्यकता है। अनुग्रहपूर्वक दी गई सहायता के अलावा राज्य सरकार ने वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों द्वारा अदा की गई उनकी विक्रय कर की राशि को भी लौटा दिया है। अथवा उत्पादन आंकड़ों के आधार पर सरकार ने 8 प्रतिशत की दर से उत्पादन की सीमान्त अथवा मामूली विक्रय कर के रूप में गणना करके उस धन को उन पीड़ित व्यक्तियों को ब्याजमुक्त सीमान्त धन के रूप में दे दिया है। परन्तु यह पर्याप्त नही है। अब, समय की आवश्यकता यह है कि वाणिज्यिक बैंकों को उन पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। नवम्बर 1984 में दिल्ली दंगों के बाद सरकार ने नवम्बर के महीने में ही निर्देश जारी कर दिये थे। उन्होंने नवम्बर के अन्त तक वाणिज्यिक बैंकों को यह निर्देश दे दिये थे कि

उन्हें ब्याज की रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराकर उन पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने इस बारे में स्पष्ट निर्देश दिये थे कि यदि कोई पीड़ित व्यक्ति प्रासंगिक प्रतिभूति की व्यवस्था न कर सके तो उसके आवेदन पत्र को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। वास्तव में, जब जनवरी, 1989 के प्रथम सप्ताह मै श्री माधव रेड्डी, श्री उपेन्द्र, मैं और विरोधः पक्ष के अन्य नेताओं ने प्रधान मंत्री महोदय से मुलाकात की थी तो हमने उनके ध्यान में इस बात को ला दिया था परन्तु दुर्भाग्य से अभी तक ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बीमा कम्पनियों को शीघ्र ही दावों को निपटा देना चाहिए। उन्होंने कुछ सीमा तक ऐसा किया है परन्तु अभी बहुत से मामले लम्बित पड़े हैं। जब तक बीमा-दावों को नहीं निपटाया जाता तब तक अपनी आर्थिक गतिविधियों को पुनः आरम्भ करने के लिए पीड़ित व्यक्तियों का पुनर्वास कार्य तेजी से नहीं हो सकेगा।

यद्यपि, नवम्बर, 1984 दिल्ली दंगों के समय वे संगठन बीमाकृत नहीं थे परन्तु अमानवीय घटनाओं और दंगों में हुई भारी हानि को ध्यान में रखते हुए सरकार ने तुरन्त निर्णय लिया और सम्बन्धित अधिकारियों को यह कहते हुए निर्देश जारी किये कि आपको इन सभी बीमा दावों को मंजूरी दे देनी चाहिए यह मानते हुए कि उनका दंगों के सम्बंध में बीमा किया हुआ था। इसी प्रकार दिसम्बर, 1988 के अन्तिम सप्ताह में आन्ध्र प्रदेश दंगों के मामले में भी सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए और तद्नुसार बीमा कम्पनियों को निर्देश जारी करने चाहिए क्योंकि वास्तव में उस समय क्रिसमस, नव वर्ष, संक्रान्ति और पोंगल सभी त्यौहार लगातार आ रहे थे और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के भण्डार भरे हुये थे। कुछ मामलों में इन प्रतिष्ठानों अथवा दुकानों के कुल भण्डार की कीमत उस वास्तविक राशि से अधिक थी जिसका बीमा कराया हुआ था। अब बीमा कम्पनियां यह कहते हुए दावों से इन्कार कर रही हैं कि उनका बीमा कम राशि का कराया गया था। यह एक विशेष मामला है, एक अभूतपूर्व स्थिति है। सरकार को सहानुभूतिपूर्वक, सकारात्मक दृष्टिकोण से हमारे अनुरोध पर विचार करना चाहिए।

मै केवल यह सुझाव देता हूं कि भारत सरकार को इन पहलुओं पर विचार करना चाहिए और इस कम राशि के बीमा के पहलू को भी ध्यान में रखते हुए इन सभी दावों को निपटाने के लिए, बीमा कम्पनियों को निर्देश जारी करने चाहिए और सभी पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए। केवल तभी पुनर्वास कार्य यथासंभव शीघ्रता से किया जा सकता है।

महोदय, मुझे बोलने का यह अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदयः प्रधान मंत्री महोदय, कल उत्तर देंगे।

अब सभा स्थगित होती है।

6.23 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार 3 मार्च, 1989/12 फाल्गुन, 1910(शक) के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।